खण्ड-301, अंक-5
गुरूवार, 28 पौष, शक संवत् 1894
(18 जनवरी, 1973 ई0)

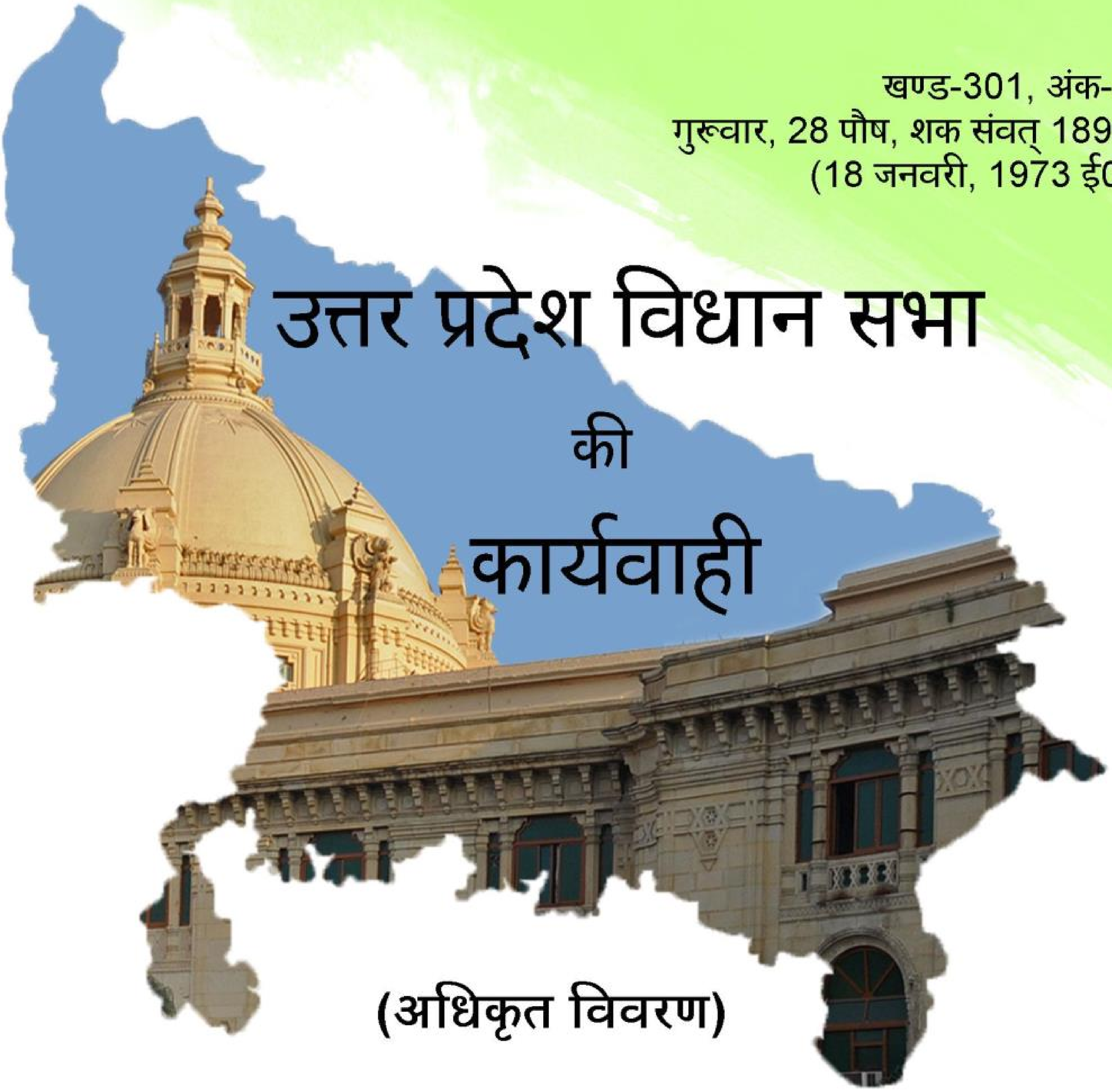

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 301 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार 18 जनवरी, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—369

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पाण्डेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्ण कान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी

गुलाब सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेज पाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री

बलरामसिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री
राम करन सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री
राम चरण सिंह, श्री
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री

रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी श्री
रामपाल सिंह श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नूबाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री

श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
सन्तोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सतीश चन्द्र श्री
सत्तार अहमद अंसारी, श्री
सन्त राम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नबाव
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोटः—सामुदायिक विकास मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य एवं सूचना राज्य मंत्री पुरुषोतमदास टन्डन भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 18 जनवरी, 1973

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य कर्मचारियों के अर्जित अवकाश के विक्रय संबंधी प्रस्ताव

**1—श्री राम सागर (जिला जौनपुर) तथा श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य कर्मचारियों के अवकाश का विक्रय का कोई प्रस्ताव शासन को गत मास प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त प्रस्ताव को लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से और उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वयन करने में सरकार को कितना लाभ होने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

प्रश्न में अभिप्रेत मास नवम्बर, 1972 में कोई ऐसा प्रस्ताव शासन को नहीं प्राप्त हुआ है परन्तु शासन द्वारा स्वयमेव तथा पूर्व से ही अर्जित अवकाश या उसके एक भाग के विक्रय की सम्भव प्रणाली के औचित्य-अनौचित्य का परीक्षण किया जा रहा है। प्रश्न के अन्य अंश नहीं उठते ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि केरल, तामिलनाडु, मैसूर और आंध्र प्रदेश के जो राज्य कर्मचारी हैं—यदि वे एक महीने का अर्जित अवकाश अवेल नहीं करते हैं तो वे उनको एक महीने का वेतन दे दिया करते हैं। तो क्या सरकार वह प्रणाली यहां लागू करेगी जिससे जो कर्मचारी अर्जित अवकाश पर जाता है तो दूसरे की नियुक्ति न करके उसी राज्य कर्मचारी को लाभ हो जाय। चूंकि राज्य कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जाता है इससे उनको एन्करेजमेन्ट होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह अवश्य मालूम हुआ है कि केरल, तामिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और मैसूर में कुछ इस प्रकार की सुविधा है लेकिन उसका विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआ। महाराष्ट्र में अवश्य ऐसी योजना है। एक अप्रैल, 1972 से परन्तु दो वर्षों के एक चक्र में किसी कर्मचारी द्वारा अधिक से अधिक तीस दिन का अवकाश अभ्यर्पित किया जा सकता है जब कि पहले तीस दिन के अवकाश का उपयोग भी हो। इस प्रकार के अर्जित अवकाश का योग एक सौ बीस दिन या चार मास से अधिक नहीं हो सकता। श्रीमन् जहां तक इस राज्य का प्रश्न है इस पर विचार हो रहा है कि कर्मचारी इसके लिये सक्षम हो कि वह अपने अर्जित अवकाश के संचय में से एक मर्तबे में तीस दिन की अवधि अभ्यर्पित करके उसकी नकद धनराशि ले ले लेकिन उसके लेखे में एक महीने की अवकाश का अर्जित अवशेष अवश्य रहा हो। इस विषय पर विचार हो रहा है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, यह कब से विचाराधीन है और इसमें अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, यह कुछ महीनों से विचाराधीन है और जो इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा वह बजट भाषण में घोषित कर दिया जायेगा।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर गम्भीरता से विचार करेंगे कि यदि किसी भी कर्मचारी का एक महीने का अवकाश एकत्रित हो जाय और यदि वह चाहता है कि छुट्टी न ले और दक्षता से काम करता है और अपनी छुट्टी का एनकैशमेंट करना चाहता है तो मंत्री जी को क्या आपत्ति है। अगर कोई कर्मचारी एक महीने के अवकाश पर गया और एक महीने के लिये नया व्यक्ति रखा तो आपका अधिक व्यय हुआ। तो क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि अगर उसका एक महीने का अवकाश ही संगृहीत है तो वह उसको एनकैशमेंट कर सके ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां, विचार करेंगे।

श्री राम सागर—

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। उत्तर में लिखा है कि नवम्बर में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या इसके पहले या इसके बाद मंत्री जी को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ और यदि हां तो उसमें कर्मचारियों की क्या-क्या मांगें और सुझाव हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

नवम्बर, 72 में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ इसके बारे में शासन विचार कर रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि उनको यह बात सिद्धान्तरूप में स्वीकार है कि अर्न्ड लीव का एनकैशमेंट कर दिया जाय ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सिद्धांत और निर्णय दोनों की एक साथ ही घोषणा होगी ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यदि सरकारी कर्मचारी अपने अवकाश को बिक्रय कर लेता है तो उसकी दक्षता बढ़ती है और मितव्ययिता भी बढ़ती है, इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न करें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार प्रति वर्ष इस छुट्टी को विक्रय करने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बतलाया कि बजट में वह घोषणा करेंगे ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मंत्री जी यह बतलावें कि क्या यह पालिसी है कि प्रति वर्ष अवकाश को बिक्रय कर सकेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इसका क्या वित्तीय भार होगा, दूसरे राज्यों में क्या प्रक्रिया है, इस सब पर विचार हो रहा है ।

श्री राम गोपाल संड—

जैसे मंत्री जी केरल, मैसूर, महाराष्ट्र की सूचनायें एकत्र कर रहे हैं तो क्या वह निजी संस्थानों जैसे टाटा आदि से भी सूचना एकत्र करेंगे क्योंकि इन संस्थानों में यदि कर्मचारी अपनी छुट्टी कटा देते हैं तो उनको दो-दो महीने का वेतन मिल जाता है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि किसी व्यापारिक संस्थान से अपनी तुलना कर सके । टाटा कार्मशियल आर्गेनाइजेशन है । सरकार कार्मशियल आर्गेनाइजेशन नहीं है, यह माननीय सदस्य जानते हैं ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित । उन्होंने कहा कि उनको प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ है उसमें मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इस संबंध में जो प्रस्ताव मिला उसमें मुख्य मांग एक ही है और उसका उल्लेख प्रश्नों में किया जा चुका है ।

जनपद फैजाबाद के कुछ थानाध्यक्षों के विरुद्ध जांच

**2.—श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद), श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल), श्री बब्बन सिंह (जिला बलिया) तथा श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में कितने ऐसे थानाध्यक्ष हैं जिनके विरुद्ध पुलिस की धारा 7 तथा सी0 आई0 डी0 की जांच चल रही है ? और क्या यह सही है कि उनमें से कुछ को थानाध्यक्ष बनाया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त स्थिति में ऐसा करने के क्या कारण हैं?

गृह राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

श्री अमर नाथ सिंह, थानाध्यक्ष अकबरपुर, फैजाबाद के विरुद्ध सी0 आई0 डी0 की जांच चल रही है तथा श्री हृयद नारायण पान्डे, थानाध्यक्ष, रौनाही फैजाबाद के विरुद्ध धारा 7 पुलिस ऐक्ट, की कार्यवाही चल रही है। श्री अमरनाथ सिंह इस जिले में 14-12-71 से थानाध्यक्ष नियुक्त हैं, परन्तु उनके विरुद्ध सी0 आई0 डी0 जांच आरम्भ होने की सूचना 10-5-72 को पुलिस अधीक्षक, सी0 आई0 डी0, गोरखपुर से प्राप्त हुई। श्री हृयदयनारायण पान्डे के विरुद्ध जिस घटना के विषय में धारा 7 पुलिस ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है, उस समय भी वह थानाध्यक्ष कोतवाली सुल्तानपुर थे और सुल्तानपुर से स्थानान्तरण पर 23-7-71 से ही थानाध्यक्ष पूरा कलन्दर, फैजाबाद नियुक्त हुए थे और अब 9-6-72 से थानाध्यक्ष रौनाही फैजाबाद हैं। इससे स्पष्ट है कि ये दोनों कर्मचारी पहले से थानाध्यक्ष हैं ?

श्री जगदम्बा प्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरनाथ सिंह और हृदय नारायण पांडे दोनों थाना अध्यक्ष हैं। इसके पहले अमरनाथ सिंह और हृदय नारायण पांडे अफसर दोयम थे ?

श्री अध्यक्ष—

साधारण सा प्रश्न ठीक से पूछिये।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अमरनाथ सिंह और हृदय नारायण पांडे को थाना अध्यक्ष के पद पर पुलिस अधीक्षक ने यह जानते हुए कि उनके विरुद्ध कार्यवाही चल रही है, नियुक्त किया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

पुलिस अधीक्षक थाना अध्यक्ष बनाते हैं, यह नियम है। 14-12-71 को वह थाना अध्यक्ष बने और सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी 18-5-72 से शुरू हुई है। वैसे जांच भी चलती रहती है और लोग थाना अध्यक्ष भी बने रहते हैं। अब आई0 जी0 से मंत्रणा करके यह निश्चय लिया गया है कि जिसके ऊपर जांच चल रही हो, उसको थाना अध्यक्ष न बनाया जाय।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

क्या यह अच्छी परम्परा नहीं है कि सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी अभियुक्त को उसके पद से हटाकर कराई जाय ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

ऐसा कोई नियम नहीं है लेकिन पुलिस के मामले में यदि किसी के विरुद्ध सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी या दफा 7 की कार्यवाही हो रही हो, तो थाना अध्यक्ष न बनाया जाय, ऐसा विचार किया जा रहा है।

श्री शिवानन्द नौटियल--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि श्री अमरनाथ सिंह जो थाना अध्यक्ष हैं, उनके विरुद्ध सी0 आई0 डी0 जांच कब आरम्भ हुई और कब तक क्या क्या कार्यवाही हुई है और क्या सी0 आई0 डी0 जांच की रिपोर्ट की जानकारी सरकार को प्राप्त हो गई है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

अभी जांच चल रही है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन थाना अध्यक्ष के खिलाफ दफा 7 की कार्यवाही होती ह, वह उन्हें लाइन हाजिर करके होती है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, ऐसा कोई नियम नहीं है कि लाइन हाजिर करके ही दफा 7 की जाय ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने बतलाया कि यह नियम है कि पुलिस अधीक्षक, थाना अध्यक्ष नियुक्त करता है, तो क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि करेक्टर रोल के आधार पर पुलिस अधीक्षक डी0 आई0 जी0 की स्वीकृति से ही थाना अध्यक्ष बनाता है ? ऐसे सरकार के स्पष्ट आदेश हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, इसके पहले पुलिस अधीक्षक जिलाधीश की सलाह से थाना अध्यक्ष बनाता था लेकिन अब उसके साथ यह भी नियम कर दिया है कि डी0 आई0 जी0 से भी स्वीकृति लेना आवश्यक है ।

श्री विश्वनाथ कपूर--

सी0 आई0 डी0 की जांच और पुलिस ऐक्ट के अन्तर्गत जांच चल रही है, तो क्या-क्या आरोप हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

श्री अमरनाथ सिंह के खिलाफ दिनांक 4-4-72 को थाना अकबरपुर में श्री छैलबिहारी शर्मा, अध्यापक इन्टर कालेज, परुइया आश्रम की लिखित रिपोर्ट कि उन्हें इण्टर कालेज अकबरपुर में परीक्षा के समय निरीक्षण कार्य समाप्त करने के पश्चात् कालेज से घर जाते समय कुछ लड़कों ने घेर लिया और इल्फातगंज सड़क पर विद्यार्थी देवराज व माया राम आदि ने हाकी से उन्हें मारा । इस पर अपराध संख्या 97 धारा 147/323 भा0 द0 वि0 अंकित हुआ है विवेचना होकर दिनांक 13-5-72 को अभियुक्तों का चालान हुआ ।

इसके विपरीत विद्यार्थी माया राम वर्मा ने जमानत पर छूटने के बाद दिनांक 12-4-72 को श्री छैल बिहारी आदि के विरुद्ध धारा 379/342/323/504 भा0 द0 वि0 की सूचना थाना टांडा पर दी जिसमें अध्यापकों के विरुद्ध साइकिल व घड़ी छीनने व मारने पीटने तथा थानाध्यक्ष अकबरपुर, श्री अमरनाथ सिंह के विरुद्ध मारने पीटने व गलत गिरफ्तार करने आदि के संबंध में रिपोर्ट लिखाई ।

इसके पश्चात् दूसरे हृदय नारायण पाण्डे के मामले में यह है कि जब ये थानाध्यक्ष, कोतवाली, सुल्तानपुर थे तो दिनांक 22-2-71 को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी की मीटिंग

में कुछ विद्यार्थियों तथा राज्य कर्मचारियों के संघ के सदस्यों आदि ने गड़बड़ी की थी। मीटिंग के पश्चात् जब पी0 ए0 सी0 और पुलिस कोतवाली पहुंची तो वहां भी भीड़ इकट्ठी हो गयी थी।

श्री रामगोपाल सण्ड—

मान्यवर, मुख्य-मुख्य बातें पढ़वा दें।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मुख्य-मुख्य आरोप क्या है, केवल उन्हें बता दें, नहीं तो इस तरह तो प्रश्नों का समय इसी में समाप्त हो जायेगा।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उसमें पहले अमरनाथ सिंह के बारे में तो मैंने अभी बता दिया। हृदय नारायण पाण्डे के बारे में यह है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री जी की मीटिंग हो रही थी। उसमें कुछ विद्यार्थियों और राज्य कर्मचारियों ने विघ्न डालने का प्रयास किया। पी0 ए0 सी0 और पुलिस ने उन्हें कई बार खदेड़ा। इस पर उनके विरुद्ध यह आरोप है कि वे पी0 ए0 सी0 और पुलिस पर कन्ट्रोल नहीं कर पाये तो उनके विरुद्ध दफा 7 की कार्यवाही हो रही है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष, अमरनाथसिंह को अकबरपुर में कितने दिन और रोका जायेगा, जबकि उन्हें काफी समय इस थाने पर हो गया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

कितने दिन रोका जायेगा, इसका उत्तर क्या हो सकता है—आज स्थानान्तरण हो सकता है और कल हो सकता है।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब इनके खिलाफ दफा 7 की कार्यवाही चल रही है और सी0आई0डी0 की जांच चल रही है तो क्या इन दोनों को अविलम्ब हटा कर इसकी समुचित जांच करायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर इसमें कोई नियम नहीं है। अभी निश्चय नहीं है कि जिनके खिलाफ इन्क्वायरी और विभागीय जांच हो रही है, उन्हें थानाध्यक्ष के पद पर न रहना चाहिये। इस संबंध में आदेश भी दे दिये गये हैं कि जब इनके खिलाफ जांच चल रही है तो इनको थानाध्यक्ष न रहना चाहिये।

श्री रामकरन सिंह—

नियम नहीं है तो इस प्रकार के कितने ऐसे थानाध्यक्ष हैं जिनके खिलाफ दफा 7 और विभागीय जांच चल रही है ? क्या माननीय मंत्री जी उनके बारे में कोई ऐसे आदेश करेंगे कि उन लोगों को भी उसी स्तर पर लाया जाय, जिस पर ये दोनों अब काम कर रहे हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इस संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है कि ऐसे कितने थानाध्यक्ष हैं। हां, यह निश्चय किया जा रहा है कि जिनके खिलाफ इन्क्वायरीज चल रही है उनको रिवर्ट किया जाए।

श्री अध्यक्ष---

अभी निश्चय नहीं किया गया है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

जैसा पुलिस कमीशन की भी रिपोर्ट है कि सीनियरिटी के आधार पर पदोन्नति हो । लेकिन पुलिस अधीक्षक अपने प्लीजर और डिस्प्लीजर पर उन्हें नं0 1 और नं0 2 का सब इंसपेक्टर बना देते हैं । तो क्या ऐसी कोई नियमावली बनाने की कृपा करेंगे कि सब इन्सपेक्टर आटोमेटेकिली सीनियरिटी के आधार पर थानाध्यक्ष हुआ करें ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, उनके सेवा काल का उनको लाभ अवश्य मिलना चाहिये, परन्तु अच्छे कार्यों और उनके मैरीटोरिअस वर्क के लिये प्रोत्साहन देना जरूरी है । इस दृष्टिकोण से प्रोन्नति के मामले में पुलिस में इस तरह के हार्ड एन्ड फास्ट रूल बना देना बहुत उचित नहीं होगा ।

श्री जगदम्बा प्रसाद---

जैसा कि मन्त्री जी ने बताया कि इस प्रकार का निश्चय है कि जिनके विरुद्ध कार्यवाही हो रही है या सी0 आई0 डी0 की जांच हो रही है उन्हें थानाध्यक्ष नहीं बनाना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि फैजाबाद जिले में इन आदेशों का उल्लेघन क्यों हो रहा है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

किसी आज्ञा के उल्लंघन का प्रश्न यहां नहीं उठता । पुलिस अधीक्षक को कोई आदेश नही दिये गये हैं । आई0 जी0 से मेरी वार्ता हुई है । इस फाइल में आज मैंने लिखा है कि वे थानाध्यक्ष क्यों बने हुए हैं जबकि उनके विरुद्ध कार्यवाही हो रही है ।

श्री जगदम्बा प्रसाद---

माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करें कि सर्वश्री हृदय नारायण पांडे व अमर नाथ सिंह पहले फैजाबाद जिले में किस पद पर नियुक्त थे और उनके थानाध्यक्ष बनाने के आदेश कब गये ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

श्री हृदयनारायण पाण्डेय 18 जुलाई, 1971 को फैजाबाद जनपद में थानाध्यक्ष नियुक्त हुये थे और दिनांक 9 जून, 1972 को उन्हें अस्थायी रूप से रौनाही थाने का चार्ज दिया गया । श्री पाण्डे 18 जुलाई, 1971 से 22 जुलाई, 1972 तक पुलिस लाइन फैजाबाद में रहे तथा 23 जुलाई, 1971 से 7 अक्तूबर, 1971 तक थानाध्यक्ष पुराकलन्दर के पद पर रहे एवं 8 अक्तूबर, 1971 से 8 जून, 1972 तक स्पेशल इनवेस्टीगेशन स्क्वाड में तैनात रहे ।

लालगंज थाने के थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण

** 3---श्री बंशीधर पांडेय, श्री विश्वनाथ कपूर, श्री गिरजाशंकर तिवारी, (जिला बाराबंकी), श्री राम बिलास पांडेय, (जिला आजमगढ़) तथा श्री राजेन्द्र प्रतापसिंह (जिला रायबरेली)---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले के लालगंज थाने के थानेदार का ट्रांसफर अभी हाल में इसलिए कर दिया कि उसने शासक दल के एक व्यक्ति श्री नैपाल सिंह का गुण्डा ऐक्ट में चालानी रिपोर्ट भेजी थी तथा क्या यह भी सही है कि उस थानेदार के तबादले के बाद श्री नैपाल सिंह के विरुद्ध गुण्डा ऐक्ट का केस वापस या समाप्त कर दिया गया । यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जी नहीं। थानाध्यक्ष, लालगंज, जिला रायबरेली का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया था। उक्त थानाध्यक्ष द्वारा श्री नैपाल सिंह पुत्र श्री क्षेत्रपाल सिंह निवासी लालगंज के विरुद्ध गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत एक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली को भेजी गई थी जिस पर अभी कार्यवाही की जा रही है। अतः यह कहना भी सही नहीं है कि थानाध्यक्ष के तबादले के बाद श्री नैपाल सिंह के विरुद्ध गुन्डा ऐक्ट का केस वापस या समाप्त कर दिया गया है।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह--

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि थानाध्यक्ष, लालगंज को उस थाने में कब भेजा गया और वे वहां कितने दिन रहे और क्या कारण है कि उन्हें वहां से फौरन हटाना पड़ा ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

उनका स्थानान्तरण 1 दिसम्बर, 1972 को उस थाने के किया गया। उन्होंने 11 जुलाई, 1972 को लालगंज थाने का थानाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। जैसा कि मैंने बताया उनका स्थानान्तरण प्रशासनिक कारण से किया गया था।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

वे केवल 5 महीने ही थानाध्यक्ष रहे और मन्त्री जी ने प्रशासनिक कारण बताया। क्या प्रशासनिक कारण यह था कि श्री यशपाल कपूर ने लिख कर भेजा था कि उनको हटा दिया जाये ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, लिखकर कोई भी भेज सकता है। लेकिन यह कोई कारण नहीं हो सकता है और न ही मुझे उसकी जानकारी है कि इस कारण उनका ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर्स तो प्रशासनिक कारणों से होते ही रहते हैं।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह--

क्या मन्त्री जी को यह ज्ञात है कि श्री नेपाल सिंह का गुण्डा ऐक्ट में चालान किया गया था ? उन्होंने और उनके साथियों ने श्री यशपाल कपूर को घेरा था। पुलिस अधीक्षक ने अपने जिले में ही उनका ट्रांसफर किया। पूरे लालगंज 10,000 की आबादी वाले कस्बे में पूरी हड़ताल रही और लोगों ने एक स्वर में मांग की थी कि थानाध्यक्ष गुण्डों को दबा रहा है और इसलिए उनको वहीं रखा जाय। थानाध्यक्ष ने उनका चालान कर दिया। उसके बाद क्या कपूर साहब ने इतना जोर डाला था कि उनको दूसरे जिले में भेज दिया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

हड़ताल हुई, या क्या हुआ इसकी तो मुझे सूचना नहीं है, लेकिन इतना जानता हूं कि गुण्डा ऐक्ट में नेपाल सिंह का चालान हुआ और उस केस का ट्रायल हो रहा है। एस० ओ० और डी० एम० दोनों को उसकी जानकारी है और उस पर पूरी कार्यवाही चल रही है।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)--

माननीय गृह मन्त्री जी, श्री यशपाल कपूर साहब ने जो कुछ लिखकर भेजा है क्या उसको पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मैंने कहा कि उन्होंने भेजा होगा, मुझे स्मरण नहीं है और जानकारी नहीं है और न किसी पत्र पर कोई ट्रांसफर हुआ है।

श्री बलवीर सिंह---

आपने कहा है कि कोई भी भेज सकता है। कपूर साहब ने भेजा होगा। तो यह गलत बयानी कर रहे हैं, आपकी फाइल पर वह है।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

मैं उनसे पूछे लेता हूं। माननीय गृह मन्त्री।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह---

मैं व्यवस्था चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिये। आप अव्यवस्था कर रहे हैं, कृपा करके बैठें।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मैंने यह कहा कि पत्र कोई भी भेज सकता है, लेकिन वह पत्र किसी स्थानान्तरण का कारण नहीं हो सकता है। यह मैं अब भी कह रहा हूं। वह मेरे पास नहीं है, मान्यवर....

श्री बलवीर सिंह---

आपने यह नहीं कहा कि उन्होंने पत्र नहीं भेजा। इसका मतलब है भेजा है। वह छिपा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने ऐडमिट नहीं किया।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वह क्या प्रशासनिक कारण थे, जिसमें 5 महीने के अन्दर ही स्थानान्तरण कर दिया गया?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जनहित एक सबसे बड़ा प्रशासनिक कारण है और इसके साथ-साथ कोई स्थानान्तरण किसी समय किया जा सकता है। इसमें कोई विशेष कारण पूछे जायं तो जो प्रशासन के जिम्मेदार हैं स्थानीय और पुलिस के वरिष्ट अधिकारी ही सक्षम होता है, अगर जानकारी चाहेंगे तो लेकर दे देंगे।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां की जनता ने उनके तबादले के खिलाफ सरकार को रेप्रेजेंटेशन दिया कि यह गलत हो रहा है? यदि हां? तो क्या आदेश दिये?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उनकी शिकायत के भी पत्र और उनके पक्ष के भी पत्र, दोनों हमने आई0 जी0 के यहां भेज दिये और उन पर अपनी आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या "जनहित" का नाम लेकर किसी सवाल के जवाब को रोका जा सकता है जब तक कि आप सन्तुष्ट न हों कि जनहित में ऐसा हुआ?

श्री अध्यक्ष—

राय पूछने की जरूरत नहीं है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री वंशीधर पांडेय—

आपकी स्वयं की रूलिंग है कि जनहित की आड़ ले कर यह सरकार सारे कुकर्म करती है। ये दबाव में आ कर ट्रांसफर कर देंगे और कह देंगे कि जनहित में कर दिया। इन्होंने स्वयं तसलीम किया है कि चोरी, डकैती, इन सब चीजों को वह थानेदार दबा रहे थे। ऐसी हालत में जब आपने उनका ट्रांसफर कर दिया तो वह जनहित में हुआ या जनहित के विरोध में हुआ?

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री पारस नाथ सिंह (जिला बहराइच)—

मन्त्री जी ने बताया कि जनहित और प्रशासनिक कारणों से उसका ट्रांसफर पांच महीने के अन्दर ही कर दिया गया। तो लालगंज थाने में आने के पहले उक्त थानेदार पहले भी एस0 ओ0 था और लालगंज से ट्रांसफर होने के बाद भी एस0 ओ0 बना कर भेजा गया। यदि हां, तो 5 महीने में कौन से प्रशासनिक कारण या जनहित आ गया जिसके अन्तर्गत उसका वहां से ट्रांसफर कर दिया गया?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

पीछे क्या थे और इस समय क्या हैं यह तो माननीय सदस्य को विशेष जानकारी होगी। लेकिन कई ऐसे अधिकारी होते हैं जिनको किसी स्थान विशेष पर सफलता नहीं मिलती बल्कि वह कटुता के कारण बन जाते हैं। यह एक प्रशासनिक कारण हो सकता है और इस कारण आई0 जी0 ने उनका ट्रांसफर किया होगा।

श्री वंशीधर पांडेय—

आपकी आज्ञा से इन्होंने बताया कि बहुत से अधिकारी ईर्ष्या का कारण बन जाते हैं तो जनहित में उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। मैं कहता हूं कि कितने ही अधिकारियों के खिलाफ ईर्ष्या के कारण हैं लेकिन आपने उनका ट्रांसफर नहीं किया। शाहजहांपुर के एस0 पी0 तो एकदम ईर्ष्या का कारण बने हुए हैं जोकि एम0 एल0 एज0 को गोली मार देने को कहते हैं और आपके दल के लोगों ने शिकायत की है। तो आपने जो उस थानेदार का ट्रांसफर किया वह क्या किसी अपने दल के विशेष आदमी के दबाव के कारण किया जिसमें जनहित का नाम नहीं था?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, ऐसी कोई बात नहीं है। आई0 जी0 ने अपने प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनका स्थानान्तरण किया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

ऐ सितमगर तुझसे वफा क्या होगी जिसे होगी,
हमें तो देखना यह है कि तू जालिम कहां तक है।

श्री अध्यक्ष—

यह तो कविता हुई। आप प्रश्न पूछिये।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मंत्री जी या मुख्य मंत्री जी जनहित की परिभाषा सदन को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई सवाल नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

इसका फैसला हो जाना चाहिये। जनहित के नाम पर लूट हो रही है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

जितने बढ़िया दरोगा है और जो अच्छा काम करते हैं उनका ट्रांसफर करने के लिए आपने निश्चय कर लिया है। जैसे सुरेन्द्र सिंह दरोगा, वह बेचारा सीतापुर में था। बढ़िया काम करने वाला था। अवस्थी के कहने से आपने उसका ट्रांसफर उन्नाव कर दिया वहां किसी थाने पर उसकी तैनाती नहीं हुई। तो जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको बजाय पुरस्कार देने के क्या मन्त्रि-मण्डल ने यह तय कर लिया है कि उनका तबादला किया जाय ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री जगन्नाथ खन्ना—

माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि थानेदार का जो ट्रांसफर किया गया वह नैपाल सिंह का गुण्डा ऐक्ट में चालान किये जाने से पहले किया गया या बाद में ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उसका चालान वगैरह पहले ही कर दिया गया था। अब भी उसके मामले में मुकदमा चल रहा है। एस० पी० के आदेश पर ही उसका चालान हुआ था। चालान के बाद उस पर कार्यवाही हो रही है। स्थानान्तरण उसके बाद हुआ था।

श्री राम विलास पांडेय—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इन 5 महीने में उसने जनहित के खिलाफ कौन-सा कार्य किया जिसकी वजह से उसका ट्रांसफर किया गया ? दूसरी बात यह कि माननीय मन्त्री जी ने स्वयं यह कबूल किया है कि श्री यशपाल सिंह कपूर ने कहा होगा। यह भी कबूल किया कि कपूर साहब का घिराव हुआ, वहां पर मान्यवर प्रदर्शन भी हुआ, जिसमें जनता नें यह मांग की कि थानेदार का ट्रांसफर न किया जाय, तो यह सब होते हुए जनहित में खिलाफ कौन सा कार्य थानेदार ने किया था जिसके कारण उसका ट्रांसफर किया गया, वह कारण मन्त्री जी कृपया बतलायें ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मैंने पहले ही अनुरोध किया कि उन्होंने किया होगा, लेकिन वह कोई कारण ट्रांसफर का नहीं हो सकता। माननीय सदस्य को विशेष जानकारी हो सकती है, मुझे नहीं है। मैं कहता हूं कि ट्रांसफर प्रशासनिक कारणों से हुआ है।

(व्यवधान)

श्री राम बिलास पांडेय---

वह कारण कौन से हैं प्रशासनिक ?

(कई सदस्य एक साथ व्यवधान करने लगे)

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब माननीय मन्त्री जी ने कह दिया कि कोई चिट्ठी नहीं है, तो आपने माननीय सदस्य को बार-बार यह कहने की इजाजत कैसे दे दी कि उन्होंने श्री यशपाल कपूर का नाम लिया....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठें, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री शिवशंकर सिंह (जिला रायबरेली)---

क्या सही है कि सरकार के पास उन दरोगा के खिलाफ कई शिकायतें आई हैं और इस प्रकार की भी शिकायत उनके पास आई हैं कि वे लोगों की मूछें उखड़वाते थे और उनको लाठियों से पिटवाते थे ? मैंने स्वयं इस तरह की शिकायत माननीय मन्त्री जी से की है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मैंने पहले ही निवेदन किया शिकायतें भी आईं। जो भी आई थीं, उन्हें डी0 आई0 जी0 के पास आवश्यक जांच के लिए भेज दिया है। ये उसके आधार होंगे, जिसके आधार पर उनका ट्रांसफर हुआ होगा।

नरायनपुर, जिला गोरखपुर के श्री कमला प्रसाद बरई की मृत्यु सम्बन्धी जांच

** 4---श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)---

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि 27/28 जुलाई, 1971 की दरम्यानी रात कमला प्रसाद बरई पुत्र राजाराम, निवासी ग्राम नरायनपुर, थाना पुरन्दपुर, जिला गोरखपुर आनन्द नगर रेलवे मजिस्ट्रेट चेकिंग में गिरफ्तारी के बाद रेलवे पुलिस गोरखपुर की हिरासत में मर गया था और उसकी मजिस्टीरियल जांच हुई थी ? यदि हां, तो जांच की फाइंडिंग्स क्या हैं ?

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

दिनांक 27-28 जुलाई, 1971 की रात में रेलवे बैंच जिसके साथ आर0 पी0 ए 50 तथा जी0 आर0 पी0 कर्मचारी भी थे, ने लक्ष्मीपुर, आनन्दनगर व रजही कैम्प रेलवे स्टेशनों पर रेड करके कुछ बिना टिकट चलने वाले यात्रियों को पकड़ा था और स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करने के लिये बसों द्वारा भेजा था।

दिनांक 28 जुलाई, 1971 को सुबह ग्राम रसूलपुर, चौकिया थाना, पीपीगंज, जिला गोरखपुर से सूचना प्राप्त होने पर पीपीगंज थाने की पुलिस ने प्रश्न में उल्लिखित व्यक्ति कमला प्रसाद बरई को अचेत एवं घायल अवस्था में गांव के बाग के सामने पक्की सड़क पर से उठाकर उसे उपचार के लिए सदर अस्पताल, गोरखपुर में भर्ती करा दिया था जहां उसी दिन शाम को उसकी मृत्यु हो गई।

उक्त घटना की मजिस्टीरियल जांच परगना मजिस्ट्रेट, फरेंदा द्वारा की गई जो इस निष्कर्षों पर पहुंचे कि कमला प्रसाद बरई भी रेलवे बैंच द्वारा 27–28 जुलाई, 1971 की रात को आनन्दनगर रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया था और जब उसे अन्य व्यक्तियों के साथ बस द्वारा गोरखपुर लाया जा रहा था तो वह रेलवे पुलिस के एवं जुर्माने के डर से रास्ते में ही चलती बस में से कूद पड़ा जिससे उसे चोटें आईं और बाद में उसकी मृत्यु हो गई।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

मऊ स्टेशन, जिला आजमगढ़ के निकट रेलगाड़ी पर गोली काण्ड

*1—श्री राम बिलास पांडेय तथा श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या सरकार को पता है कि 8 दिसम्बर, 1972 को 256 डाउन ट्रेन मऊ स्टेशन के पास टोंस नदी के पुल पर गाड़ी रोक कर श्री सुदामा सिंह एक विद्यार्थी को रेलवे मजिस्ट्रेट ने गोली मार दी जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों ने मऊ तथा मुहम्मदाबाद स्टेशन को जलाया तथा तोड़-फोड़ किया और इससे भीषण असुरक्षा तथा असन्तोष व्याप्त है? यदि हां, तो मजिस्ट्रेट के विरुद्ध इस अमानवीय कार्य करने हेतु क्या कार्यवाही की गई?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

इस घटना के बारे में सम्बन्धित रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस में लिखाई गयी रिपोर्ट के अनुसार मऊ स्टेशन से कुछ दूर गाड़ी रोक कर छात्रों द्वारा आक्रामक कार्यवाही की गई, अतः उक्त मजिस्ट्रेट ने सहयात्री आर0पी0एफ0 के एक कम्पनी कमाण्डर द्वारा गोली चलावायी जिससे उक्त छात्र घायल हुआ। इसके विपरीत नरेन्द्र सिंह नामक छात्र द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के अनुसार उक्त रेलवे मजिस्ट्रेट ने स्वयं गोली चलाकर सम्बन्धित छात्र को घायल किया। इसके अलावा आहत छात्र के मृत्युकालिक बयान में यह कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के साथ के एक व्यक्ति ने गोली चलायी। इस पूरी घटना की जांच जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा की जा रही है। उक्त जांच के बाद ही सही तथ्यों की जानकारी हो सकेगी।

इस घटना के फलस्वरूप छात्रों की एक उत्तेजित भीड़ ने मऊ तथा मुहम्मदाबाद के रेलवे स्टेशनों को कुछ क्षति पहुंचाई। उक्त क्षेत्र में असुरक्षा अथवा असन्तोष की भावना व्याप्त नहीं है।

जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी पाये व्यक्तियों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम बिलास पांडेय--

क्या मन्त्री जी को यह मालूम है कि 166 लड़के प्रतिदिन रेलवे पास से बराबर मऊ के डी0ए0वी0 कालेज में पढ़ने आते थे और उस दिन भी जिस लड़के को मजिस्ट्रेट ने पकड़ा, उसके पास भी पास था ? तो क्या कारण था कि लड़कों पर गोली चलाई गई और क्या कारण था कि उस लड़के को गोली से मार दिया गया ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

लड़कों ने गाड़ी घेरी थी, जिस डिब्बे में मजिस्ट्रेट था, उस पर लड़कों ने पथराव किया था और जब उनके पास बचाव का कोई चारा नहीं रहा तो मजिस्ट्रेट ने कम्पनी कमान्डर से कहा कि वह उसकी सुरक्षा में गोली चलाय और इसी में एक लड़का घायल हुआ ।

श्री राम बिलास पांडेय--

वे कौन से कारण थे जिसके कारण लड़के पथराव करने लगे, वे कौन से कारण थे जिससे गोली चलानी पड़ी जबकि सभी लड़कों के पास अपना पास था ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया उस समय लड़कों ने ट्रेन रोककर मजिस्ट्रेट के डिब्बे को घेरा था, उस पर पथराव किया था, वे मजिस्ट्रेट को पकड़ना चाहते थे। तो उन पर सुरक्षात्मक दृष्टि से यह गोली चलाई गई ।

श्री राम बिलास पांडेय--

मन्त्री जी को कतई सही जानकारी नहीं है । 166 लड़के बराबर ट्रेन पास लेकर मऊ डी0ए0वी0 कालेज में पढ़ने आया करते थे, तो कौन से ऐसे कारण थे, जिससे उन्होंने ट्रेन रोकी ? न जाने किससे जांच कराकर मन्त्री जी ऐसा जवाब दे रहे हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

लड़कों ने गाड़ी क्यों रोकी, यह प्रश्न तो आपको लड़कों से करना चाहिए, लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि गाड़ी उन्होंने रोकी, डिब्बे पर पथराव किया और उसे घेरा। सारे मामले की जांच की जा रही है। क्यों रोका उन्होंने ? कोई शिकायत रही होगी तब रोका होगा ।

श्री विश्वनाथ कपूर--

मेरा प्रश्न है। मुझे भी मौका दिया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

जो गोली लगी वह तो लगी है। इसमें दो वर्जन्स हैं। एक वर्जन यह है कि खुद मजिस्ट्रेट के रिवाल्वर से गोली लगी है। दूसरा वर्जन यह है कि कमांडेंट ने गोली चलाई तब लगी है। क्या एक्सपर्ट के द्वारा जांच हो कर आ गयी या नहीं और यदि आ गयी है तो किस रिवाल्वर या बन्दूक से गोली चली है, यह बता दें ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

इसकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं एक्सपर्ट की जांच कह रहा हूं गोली की ।

श्री अध्यक्ष--

कोई जांच एक्सपर्ट की हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

इसकी जानकारी नहीं है कि जांच हो रही है या नहीं हो रही है। जांच करवा लेंगे लड़के ने डाइंग डिक्लेरेशन में कहा है कि गोली मजिस्ट्रेट ने नहीं चलायी है, बल्कि कम्पनी कमान्डर ने, जो दूसरा व्यक्ति था, उसने चलायी है। जिसके गोली लगी है उसने यह कहा है। जिसने रिपोर्ट लिखायी है उसने कहा है कि मजिस्ट्रेट ने गोली चलायी है। इस सारी चीजों की मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री विश्वनाथ कपूर--

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि आजमगढ़ जिले में नोनारी कांड और सजनी कांड हुआ है, उसके बाद 13 जनवरी को कंधापुर थाने में एक हरिजन को गोली से मार दिया, और इन्हीं मजिस्ट्रेट की गलती से हुआ है, और उन्हीं से जांच करवा रहे हैं, इन सब बातों को देखकर न्यायिक जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, उसकी न्यायिक जांच हो रही है।

(व्यवधान)

जवाब तो देने दीजिये। मैं यह कह रहा था कि उसकी न्यायिक जांच हो रही है। इसकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं और इसकी रिपोर्ट आ जायगी। किसकी गोली लगी है, कम्पनी कमान्डर की या मजिस्ट्रेट की, यह प्रश्न भी उस जांच के अधीन है। जैसे आपने सुना जिसने रिपोर्ट लिखायी है उसने कहा है कि मजिस्ट्रेट ने गोली चलाई और जिसको चोट लगी थी उसने कहा कि कम्पनी कमान्डर ने चलायी। ये सारी चीजें उस जांच के अधीन हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद जसी आवश्यक कार्यवाही होगी की जायगी।

श्री विश्वनाथ कपूर--

रेलवे मजिस्ट्रेट ने अपने सहयात्रा आर0 पी0 एफ0 के कमांडर द्वारा गोली चलवायी उस रेलवे मजिस्ट्रेट ने गोली चलवायी। वह भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है और जिला अधिकारी भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है तो क्या औचित्य है कि जिला अधिकारी इसकी जांच करे?

श्री अध्यक्ष--

इसमें सहयात्री, आर0 पी0 एफ0 के कमांडेंट द्वारा गोली चलवायी. . . .

श्री विश्वनाथ कपूर--

उस मजिस्ट्रेट ने गोली चलवायी यही मैं कह रहा हूं। जब मजिस्ट्रेट ने स्वयं गोली चलवायी और लड़का मर गया तो फिर जिला अधिकारी से जांच का क्या औचित्य है, किसी उच्च अधिकारी से जांच करावायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप शान्ति से सुन लें।

श्री विश्वनाथ कपूर--

मान्यवर, एक लड़का मर गया। आप कह रहे हैं कि शान्ति से बैठें।

श्री अध्यक्ष--

लड़का जो मरा है, उसने कहा कि उन्होंने नहीं चलायी, जो रेलवे मजिस्ट्रेट ने लिखा है उसके हिसाब से दूसरी बात है। और लड़के ने जो बयान दिया है मरते वक्त उसका बयान दूसरा है।

श्री विश्वनाथ कपूर--

प्रश्न यह है कि जब कोई मर जाता है तो मजिस्ट्रेट जांच करता है सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत। अब अगर मुख्य मन्त्री ने मजिस्ट्रियल इक्वायरी के लिए आदेश दे दिये हैं तो इसमें कौन सी खास बात हो गयी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)--

रेलवे मजिस्ट्रेट के आर्डर पर पुलिस ने गोली चलाई अगर पुलिस स्वयं गोली चलाती तो मजिस्ट्रेट तहकीकात कर लेता लेकिन आर्डर दिया यहां फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने और जिलाधीश भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है तो जिलाधीश इस तरह की इंक्वायरी करने का एंटाइटिल्ड नहीं हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

गोली चली है तो मजिस्ट्रियल इक्वायरी हो रही है। रिपोर्ट आने पर न्यायिक जांच करा ली जायगी।

श्री चरण सिंह--

मजिस्टीरियल इंक्वायरी तब होती है जब पुलिस गोली चलाती है लेकिन जब मजिस्ट्रेट आर्डर देता है और पुलिस गोली चलाती है तो मजिस्टीरियल इंक्वायरी का सवाल नहीं उठता, केवल जुडीशियल इंक्वायरी का सवाल का उठता है ?

श्री अध्यक्ष--

यह टेक्निकल बात है।

श्री रामबिलास पांडेय--

मुख्य मन्त्री जी से इस सम्बन्ध में डेपुटेशन मिला था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह न्यायिक जांच करायेंगे और बच्चा घायल हुआ उसकी सहायता भी करेंगे तो मुख्य मन्त्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वह उस पर न्यायिक जांच करायेंगे क्योंकि वहां बड़ा असन्तोष व्याप्त है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मैंने निवेदन किया कि मजिस्टीरियल इंक्वायरी हो रही है। जिलाधीश इंक्वायरी कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट आने पर आवश्यक समझा गया तो जांच करा ली जायगी।

श्री चरण सिंह--

अगर रेलवे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है तो दूसरा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कानूनन इंक्वायरी करने के लिये स्टाण्ड है उसके खिलाफ इंक्वायरी करने से। अगर थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट होता तो दूसरी बात थी। मैं मुख्य मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि उसकी लीगल

पोजीशन की जरा वह स्टडी कर लें और अगर कोई दिक्कत इसमें है तो दूसरी इंक्वायरी का आर्डर वह दे दें ?

श्री अध्यक्ष--

उनके सुझाव पर मुख्य मन्त्री कंसीडर कर लें ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

तिलक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चकेरी (जिला एटा) के प्रबन्धक के अनियमित कार्य

*1--श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले के तिलक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चकेरी में वर्ष 1971-72 में प्रबन्ध समिति की कोई बैठक नहीं हुई और प्रबन्धक महोदय ने अपने अधिकार में कार्य किया ? यदि नहीं, तो वर्ष में किन-किन महीनों में मीटिंग हुई और उसकी अध्यक्षता किसने की ?.

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

सूचना अभी एकत्र नहीं हो पाई है ।

*2--श्री नेतराम सिंह--

क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि क्या यह सच है कि प्रबन्धक महोदय के वेतन न देने-एवं अभद्र व्यवहार करने और अनियमित काम करने के कारण 1 अप्रैल, सन् 1972 से 15 जुलाई, 1972 तक किस-किस अध्यापक ने त्याग-पत्र दिया और किस-किस अध्यापक का कितना-कितना वेतन किस-किस माह का शेष है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

शीघ्र ही प्रयास किया जा रहा है ।

श्री नेतराम सिंह--

पिछले सितम्बर मास में मैंने यह प्रश्न दिया था और पिछले मास 21-12-72 के एजेन्डे पर यह आया था । माननीय मंत्री जी अब भी वही उत्तर दे रहे हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है । प्रश्न केवल इतना था "क्या यह सत्य है कि प्रबन्धक महोदय के वेतन न देने एवं अभद्र व्यवहार करने और अनियमित काम कराने के कारण अप्रैल, सन् 1972 से 15 जुलाई, 1972 तक किस-किस अध्यापक ने त्याग-पत्र दिया और किस-किस अध्यापक का कितना-कितना वेतन किस किस माह का शेष है ?" इस सम्बन्ध में उत्तर न देना और विलम्ब करने का क्या कारण है और विलम्ब करने वाले अधिकारियों के खिलाफ वह क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, केवल वेतन वाला ही प्रश्न नहीं था । पूरा प्रश्न इस प्रकार से है कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले के तिलक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चकेरी में वर्ष 1971-72 में प्रबन्ध समिति की कोई बैठक नहीं हुई और प्रबन्धक महोदय ने अपने अधिकार से कार्य किया ? यदि नहीं, तो वर्ष में किन-किन महीनों में मीटिंग हुई और उसकी अध्यक्षता किसने की ? यह प्रबन्ध समिति का प्रश्न था। उनसे सचना मांगी गई है । उन्होंने उत्तर नहीं भेजा है ।

श्री नेतराम सिंह--

मान्यवर, 5/6 महीने का समय हो गया है। इतनी मामूली सी सूचना आप उपलब्ध नहीं करा पाये हैं। क्या आप उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे जिन्होंने सूचना नहीं भेजी है ? क्यों आप को उत्तर नहीं मिला है ?

श्री अध्यक्ष--

देर तो हो चुकी है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

प्रबन्ध समिति का यह अपना कार्य है। अध्यापक वर्ग या डी0आई0ओ0एस0 को इसकी सूचना उपलब्ध नहीं होती है। ये सूचना प्रबन्ध समिति से ही लेकर दे सकते हैं। यदि उन्होंने यह सूचना नहीं दी तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री नेतराम सिंह--

क्या माननीय मुख्य मंत्री इस प्रबन्ध समिति द्वारा सूचना न दिये जाने पर उसे भंग कर देंगे और उसका काम अपने हाथ में ले लेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, मैंने पहले ही अनुरोध कर दिया कि यदि उसने सूचना नहीं भेजी और आज्ञा का पालन नहीं किया तो अवश्य ही इसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री चरण सिंह--

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यहां से जो सूचना मांगी गई है वह सीधे प्रबन्ध समिति से मांगी गई है अथवा आपके शिक्षा अधिकारी, जो हैं, उनसे मांगी गई है ? कौन सी तिथि मानी जायेगी, जब तक कि आप सूचना की अपेक्षा करते रहेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जिलाधिकारी से ही सूचना मांगी जाती है और वे प्रबन्ध समिति से सूचना एकत्र करते हैं। जिलाधिकारियों को सूचना प्राप्त अभी तक नहीं हुई है और इसी कारण यह हमारे पास नहीं पहुंची है। यदि उन्होंने आगे आज्ञा का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

कोई समय आपने नियत किया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

अभी तो नहीं किया है, करेंगे।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब हासिल करने के लिये क्या कोशिशें की ? किस-किस तारीख को उन्होंने सूचना एकत्र कराने की कोशिश की ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, प्रबन्ध समिति की बैठकों की कार्यवाहियां तथा एजेन्डा-बुक प्रबन्ध समिति के पास ही रहती है। उनसे हम सूचना मांग सकते हैं और उसके न देने पर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही सदन को आश्वासन दिया कि अगर उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री चरण सिंह—

सवाल यह है कि क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि कौन सी तारीख को जिलाधिकारी ने प्रबन्ध समिति से इत्तिला मांगी ? क्या यह सूचना आपके पास है ? क्या कोई तारीख इसके लिये नियत की गई थी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इस सचिवालय के शिक्षा विभाग द्वारा 27-9-72 जो जिलाधिकारी को सूचना भेज दी गई थी। उसके उपरान्त 25-11-72 और 12-12-72 को इसके सम्बन्ध में स्मरण-पत्र भेजा गया। उन्होंने सचनायें भेजीं कि सूचना एकत्र की जा रही है। उसके बाद एक अर्द्ध शासकीय पत्र उन्हें भेजा गया कि वह किसी भी दशा में उसका उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करें। इसके बावजूद भी अगर प्रबन्ध समिति आज्ञोल्लंघन करेगी तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री चरण सिंह—

सवाल यह है कि शिक्षा अधिकारी ने कौन सी तारीख को मैनेजिंग कमेटी को पत्र भेजा ? यदि जिला शिक्षा अधिकारी आपकी बात नहीं मानता है तो एडमिनिस्ट्रेशन कहां रहा ? साढ़े चार महीने इस प्रश्न को दिये हो गये ह कोई ऐक्शन नहीं लिया गया है। आपके यहां इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि उनको सूचना एकत्र करने के लिये कहा गया, जब वे सूचना एकत्र करने में असमर्थ रहे तो डिप्टी डाइरेक्टर को लिखा गया और इसके बाद भी यदि सूचना नहीं आयी तो प्रबन्ध समिति के खिलाफ उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 38(2) के अन्तर्गत यह प्रश्न आया है। 38(2) में यह लिखा हुआ है "किसी प्रश्न का उत्तर उस तिथि को दिया जायेगा जिसके लिये वह सूचीबद्ध किया गया हो। यदि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध न हो तो मंत्री तदनुसार स्थिति बतायेंगे और अध्यक्ष इतना अधिक समय, जिसे वे परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त समझें दे, सकेंगे तथा उत्तर के लिये कोई तिथि नियत करेंगे।"

इस बात को देखते हुए आप कोई समय नियत कर दें कि उस तिथि तक इस प्रश्न का उत्तर इस सत्र में आ जाय।

श्री अध्यक्ष—

हमारे यहां 'करण' में तो यह है कि 15 रोज के अन्दर उत्तर आ जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इस मामले में आपको पूरा अधिकार है। आप चाहें तो उनको कल इसका उत्तर देने के लिये बाध्य कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

15 रोज के बाद इसको उत्तर के लिए रख सकते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

15 रोज की कैद तो तारांकित प्रश्न के लिये है। लेकिन नियमावली के नियम 38(2) के अन्तर्गत आप मेहरबानी करके कोई तारीख निश्चित कर दें कि इस प्रश्न का उत्तर सरकार की तरफ से कब आयेगा? मेरा आपसे निवेदन है कि आप आज के एजेंडे को देखें इसमें छपा हुआ है कि माननीय नेतराम सिंह ने दिनांक 8-9-72 को यह प्रश्न दिया था और 8-9-72 को दिये गये प्रश्न के सम्बन्ध में आज की तारीख में माननीय मंत्री जी ने सूचना दी कि ये उसका उत्तर देने में सक्षम नहीं हैं। तो मेहरबानी करके आप कड़ाई करें और आदेश दें कि इस प्रश्न का उत्तर कल इस सदन में दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

जनरली तो यही आर्डर है कि अगर आज उत्तर न दिया जाय तो 15 रोज बाद उसको प्रश्नों में उत्तर के लिये रखा जायेगा। इसका मतलब यह है कि 15 रोज के बाद उत्तर आना ही चाहिये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी आदेश आप देंगे वह इन नियम 38 (2) के विरुद्ध नहीं हो सकता। इसके अन्तर्गत आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये तिथि नियत करने का पूरा अधिकार है और आज आपको इस अधिकार का पालन करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

15 रोज के बाद इसे रख दिया जायेगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

15 रोज के बाद असेम्बली नहीं आ रही है। इस सत्र में उसका उत्तर आ जाना चाहिये। इसका मतलब यह तो नहीं होना चाहिये कि अगर असेम्बली साल दो साल बाद बैठे तब उसका उत्तर दें। 15 दिन के बाद वाला नियम तो केवल तारांकित प्रश्नों के लिये है। इस प्रश्न का अभिप्राय केवल यही है कि अविलम्ब इस प्रश्न का उत्तर दिलवाइये। इस तरह से नियमों की अवहेलना होती रहे, इससे काम नहीं चलेगा।

फर्रुखाबाद के प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों में कुएं का अभाव

*3—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिले में काफी संख्या में बालक तथा बालिकाओं के प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल हैं जिनमें बालक तथा बालिकाओं को पानी पीने के लिये कुआं नहीं है जिससे स्कूल के छात्रों को भारी परेशानी होती है और काफी दूर पानी के लिये जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस कठिनाई को दूर करने के संबंध में शीघ्र कार्यवाही करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस तरह की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। अतः शेष प्रश्न नहीं उठता।

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

परिगणित जाति की ट्रेण्ड लड़कियों की सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षक के पद पर नियुक्तियां

*4 —श्री जितेन्द्रपाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में परिगणित जाति की कितनी लड़कियां जनवरी सन् 1970 से जुलाई, 1972 तक ट्रेण्ड हुई हैं जो सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षका के पद पर नियुक्त की जा सकीं और कितनी अभी नियुक्त नहीं हुई है ? सरकार उन ट्रेण्ड लड़कियों की नियुक्ति हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना विभिन्न बी0एड0, बी0टी0 तथा एल0टी0 संस्थाओं से अभी एकत्र की जा रही हैं।

प्रशासन के अधिकारियों की विदेश यात्रा पर व्यय

*5—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश प्रशासन के कौन-कौन अधिकारी सदस्य वर्ष 1970–71 व 1971–72 में अलग अलग कब से कब तक विदेश यात्रा पर किस प्रयोजन से और किस-किस देश में गये तथा उनकी अलग अलग यात्रा पर किस-किस मद से कितना-कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कुछ अनुभागों से अभी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। शेष अनुभागों से जो सूचना प्राप्त हुई वह परिशिष्ट 'क'† तथा 'ख'† पर संलग्न है।

पूरे बेलखरिया, जिला सुल्तानपुर में हरे वृक्षों के काटने की शिकायत की जांच

*6—श्री सियाराम (जिला एटा), श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर), श्री नेतराम सिंह तथा श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18 अक्तूबर, 1972 से 22 अक्तूबर, 1972 के बीच ग्राम पूरे बेलखरिया, थाना जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में कुछ नागरिकों द्वारा हरे वृक्षों के बाग कटने की शिकायत पर डी0वाई0एस0पी0 सुल्तानपुर ने जांच की? और क्या यह सच है कि जिन व्यक्तियों ने हरे वृक्ष काटने वालों के विरुद्ध शिकायत की थी, उन्हीं व्यक्तियों को डी0वाई0एस0पी0 ने डरा धमका करके भगा दिया ? यदि हां, तो सरकार इस मामले की पूर्ण जांच कराके डी0वाई0एस0पी0 के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 20–10–72 को उप पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर ग्राम बेलखरिया, थाना जगदीशपुर निवासी, श्रीराम नरेश सिंह तथा अयोध्या प्रसाद दूबे के शिकायती प्रार्थना-पत्र की जांच हेतु ग्राम बेलखरिया गये थे। इस प्रार्थना-पत्र में हरे वृक्ष काटने की कोई शिकायत नहीं की गई थी। 20–10–72 को जांच के समय उप पुलिस अधीक्षक के समक्ष न तो कोई हरे वृक्ष काटने का प्रार्थना-पत्र ही था और न उन्होंने इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र की जांच की।

---

†छापा नहीं गया।

पंडित जवाहरलाल नेहरू इण्टर कालेज (गोरखपुर) के छात्रों की छात्रवृत्तियों सम्बन्धी शिकायत

*7—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में स्थित पं0 जवाहर लाल नेहरू इन्टर कालेज में वर्ष 1971 की हाई स्कूल वार्षिक परीक्षा में कितने छात्रों को शासन की ओर से छात्रवृत्ति दी जा रही है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अधिक नम्बर पाने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति न देकर सबसे कम नम्बर पाने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। कितने छात्र वर्ष 1971 की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। उनके नाम और क्रमांक कितने थे एवं उनमें से कितने को छात्रवृत्ति दी जा रही है ? क्या 1 सितम्बर, 1972 से 20 अक्तूबर, 1972 तक मंत्री एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को शिकायत मिली थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

17 छात्रों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं।

वित्तीय वर्ष 1971–72 में शिक्षा विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की स्वीकृति के अवसर पर प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के अनुसार ऐसी स्थिति नहीं थी। आदेश जारी होने एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त दो छात्रों के जिनके अंक अधिक थे आवेदन-पत्र क्रमशः मई 1972 तथा सितम्बर, 1972 में दिए जबकि उन पर विचार करना सम्भव नहीं था।

सूचना संलग्न *सूची में प्रस्तुत है।

जी हां, 24–9–72 को जिला विद्यालय निरीक्षक को एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

कालपी, जिला जालौन की कागज फैक्ट्री

*8—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जालौन जिले के कालपी में कोई कागज फैक्टरी सन् 1972 में नीलाम हुई है जिस पर सरकार का कई लाख रुपये का बकाया था ? यदि हां, तो वह कागज फैक्टरी कौन है और उसके शेयरदार कौन कौन हैं तथा खरीदार कौन है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वह कितने में नीलाम हुई और सरकार ने बकाया रकम को वसूल करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(18 जनवरी, 1973 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न)

इलाहाबाद नगर में सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु

*1—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद शहर में दिनांक 30 और 31 अगस्त, 1972 को सड़क पर हुई मोटर, ट्रक, स्कूटर, टागां एवं ट्रक सायकिल दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मर गये ? इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने कौन सा पग उठाया है ?

---

*छापी नहीं गई।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार इलाहाबाद शहर में दिनांक 30 व 31 अगस्त, 1972 को हुई सड़क दुर्घटनाओं में 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से जनता को यातायात नियमों के पालन के बारे में अवगत कराया गया। एक उप-पुलिस अधीक्षक को केवल यातायात नियंत्रण के कार्य में लगाया गया। विशेष पुलिस दल व मजिस्ट्रेट द्वारा यातायात नियमों के उलंघन की चेकिंग की गयी तथा भारी मोटर यातयात को शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों के बाहर अलग मार्गों पर चलाने की व्यवस्था की गई।

*2—श्री राम गोपाल सण्ड—

[11वें मंगलवार के लिये प्रश्न सं0 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*3—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

[मेजर एच० एन०सी० बहुगुणा को मरणोपरान्त सम्मान एवं उनके परिवार को आर्थिक सहायता देने का सुझाव

*4—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार अपने प्रदेश के देहरादून निवासी [illegible]र नागरिक एच0एन0सी0 बहुगुणा को जो कि एवरेस्ट अभियान दल के नेता थे और [illegible]नकी पर्वतारोहण के दौरान मृत्यु हो गई को राज्य सरकार की ओर से मृत्योपरान्त सम्मानित करेगी तथा उनके परिवार की आर्थिक सहायता करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

माननीय सदस्य का तात्पर्य स्पष्ट ही मेजर एच0बी0 बहुगुणा से है। उनको मृत्योपरान्त सम्मानित करने के उद्देश्य से नेहरू पवतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी द्वारा आयोजित पवतारोहण प्रशिक्षण के वर्ष में 5 कोर्सों में से प्रत्येक कोर्स में रु0 300—00 की दी जाने वाली एक छात्रवृत्ति का नाम "हर्ष वर्धन बहुगुणा छात्रवृत्ति" कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा मेजर बहुगुणा के परिवार को आर्थिक सहयता देने की कोई योजना नहीं है क्योंकि भारत सरकार से उन्हें उचित आर्थिक सहायता प्राप्त है। परन्तु श्रीमती बहुगुणा को उनकी इच्छानुसार दहरादून में बी0एड0 के कक्षा में प्रदेश दिला दिया गया तथा वे नियमित रूप से पढ़ रही हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय एवरेस्ट अभियान, 1965 के सफल समापन के उपलक्ष में मेजर बहुगुणा को गृह निर्माण हेतु लगभग 400 वर्ग मीटर दी जाने वाली भूमि को अब उनकी पत्नी की इच्छुनुसार लखनऊ में दिये जाने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है।

प्रसार अध्यापकों को सामान्य अध्यापकों के पदों पर कार्य करने की रोक

*5—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रसार अध्यापकों को अन्य सामान्य अध्यापकों के पदों पर कार्य करने की रोक है ? यदि हां, तो समान योग्यता होते हुए यह पाबन्दी रखने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसको समाप्त करने पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां।

प्रसार अध्यापकों का अलग संवर्ग है। प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

आर० बी० एम० इन्टर कालेज, तिलहर (शाहजहांपुर) के अस्थाई प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*6—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि उनके विभाग की राजाज्ञा संख्या 9/6468/4-दरर/2001(192), फरवरी 15, 1972 तथा/अ0शा0 शिक्षा जो कि जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर ने पत्रांक नं0 XII 20/71-72 मार्च 2, 1972 के साथ परगनाधिकारी, तिलहर जिला शाहजहांपुर को तथा मैनेजर, आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज तिलहर को भेजी जिसके अनुसार परगनाधिकारी, तिलहर को अधिकृत कन्ट्रोलर नियुक्त किया गया? यदि हां, तो कन्ट्रोलर ने स्थायी प्रधानाचार्य के विरुद्ध की गई गम्भीर शिकायतों की जांच आज तक क्यों नहीं कराई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। उच्च न्यायालय में प्रबन्ध कारिणी समिति तथा साधिकार नियन्त्रक एवं प्रधानाचार्य का विवाद विचाराधीन है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

श्री कमलाकर तिवारी राजकीय कोषाध्यक्ष, मिर्जापुर का गायब होना

*7—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि मिर्जापुर जिले के राजकीय कोषाध्यक्ष, श्री कमलाकर तिवारी 30 जून, 1972 को जिलाधिकारी के बंगले पर गये तब से वह गायब हैं और इस बात की लिखित शिकायत उनके सगे भाई श्री सूर्यबली पाठक ने आई0जी0 पुलिस से दिनांक 2 जुलाई, 1972 को की लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई? यदि हां, तो तथ्य क्या हैं और क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्री सूर्यबली पाठक, निवासी उधोपुर पाली, थाना सुरियावां वाराणसी ने दिनांक 2 जुलाई, 1972 को पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र दिया कि उनके भाई श्री इन्द्रबली पाठक, राजकीय कोषाध्यक्ष, मिर्जापुर का, दिनांक 30 अगस्त, 1972 को जिलाधिकारी मिर्जापुर के बंगले जाने के बाद से कुछ पता नहीं है तथा यह आशंका व्यक्त की कि उनके भाई को कहीं गायब कर दिया गया है और उनकी जान को खतरा है। इसी आशय की एक लिखित रिपोर्ट श्री सूर्यबली पाठक ने दिनांक 3 जुलाई, 1972 को थाना कोतवाली, शहर मिर्जापुर पर दी, जिसे जनरल डायरी में दर्ज किया गया और विवेचना प्रारम्भ की गई। श्री इन्द्रबली पाठक का पता लगाने का पुलिस द्वारा हर सम्भव प्रयास किया गया पर उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। किसी अपराध का होना भी अभी तक नहीं पाया गया है।

पथरकुरा (मिर्जापुर) के श्री जगदीश प्रसाद के लड़कों को जहर दिया जाना

*8—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मिर्जापुर ग्राम निवासी पथरकुरा के श्री जगदीश प्रसाद के दो लड़कों को दिनांक 24 फरवरी, 1972 को जहर दे दिया गया जिसमें एक की मृत्यु हो गई और दूसरा सोचनीय अवस्था में अस्पताल में भर्ती है जिसकी रिपोर्ट पुलिस में नामजद की जा चुकी है? किन्तु मुल्जिम की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्री अम्बिका प्रसाद पांडे, निवासी ग्राम पथरकुरा, थाना मडिहान, जिला मिर्जापुर ने दिनांक 25 फरवरी, 1972 जो पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर को सम्बोधित एक प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया कि उनके भाई जगदीश पांडे के दो लड़कों धर्मराज तथा पुचईराम, उम्र क्रमशः 4 साल तथा 6 साल, दिनांक 24 फरवरी, को गांव के जोखन तिवारी, जिनसे उनके भाई की रंजिश है, के दरवाजे की तरफ से खेलकर आये और घर आते बेहोश हो गये। उनमें से छोटा लड़का धर्मराज अस्पताल ले जाते समय मर गया तथा दूसरा लड़का अस्पताल में भर्ती है। इस प्रार्थना पत्र में यह भी सन्देह व्यक्त किया गया था कि लड़कों को खाने की वस्तु में कोई जहरीली चीज खिला दी गई है।

दिनांक 26 फरवरी, 1972 को जगदीश पांडे ने भी इसी आशय का एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर को दिया। इस सूचना के आधार पर थाना मडिहान पर एक मुकदमा, भा0 द0 वि0 की धारा 328/301 के अन्तर्गत किया गया। विवेचना से लडकों को किसी खाने की वस्तु में कोई जहरीली चीज दिये जाने की बात सही नहीं पाई गई, बल्कि यह पाया गया कि लड़कों ने अज्ञानवश स्वयं धतूरा खा लिया था। अतः मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई।

उद्योग निगम को तीन बड़े उद्योग स्थापित करने की अनुमति

*9—श्री शम्भुनाथ चौधरी—

क्या सरकार बतायेगी कि भारत सरकार ने वर्ष 1971 में उत्तर प्रदेश उद्योग निगम को तीन बड़े उद्योग स्थापित करने के लिये अनुमति पत्र जारी कर दिया है। यदि हां, तो ये उद्योग कौन-कौन है और कहां-कहां कितनी लागत से स्थापित होंगे तथा इन उद्योगों की स्थापना में विदेशी फर्मों का भी क्या हाथ रहेगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

भारत सरकार ने राज्य औद्योगिक विकास निगम को चार उद्योग स्टील बिलेट्स, स्कूटर्स, सेफ्टी रेजर ब्लेड तथा प्रिंटिंग मशीनरी की इकाइयां लगाने हेतु 1971 में अनुमति प्रदान किया है जिनकी अनुमानित लागत क्रमशः 7.50 करोड़ रु0, 3.75 करोड़ रु0, 3.54 करोड़ रु0 तथा 2 करोड़ रु0 होगी। इनमें से स्टील बिलेट्स प्लान्ट को मेसर्स रेनबो स्टील्स लि0, मुजफ्फरनगर के सहयोग से जिला बलिया में लगाने का निश्चय हुआ तथा प्रिंटिंग मशीनरी की इकाई उन्नाव जिले में स्थापित की जायगी शेष दो इकाइयों की स्थापना हेतु स्थल अभी निर्णीत नहीं हुआ है। चूंकि अभी सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव शीघ्रातिशीघ्र निर्णीत किये जाने हेतु प्रयास चल रहे हैं अतः यह कहना कठिन है कि अन्ततोगत्वा किसी विदेशी फर्म का भी हाथ रहेगा अथवा नहीं।

*10—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

गोरखपुर में बी० टी० सी० प्रशिक्षण हेतु चुनाव का आधार

*11—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि गोरखपुर में जो बी0टी0सी0 के प्रशिक्षण हेतु साक्षात्कार अभी हुआ है इसमें हरिजन महिलाओं एवं अन्य के चयन में कौन-कौन आधार बनाये गये थे इस तरह उक्त लोगों में से अलग-अलग कितने लोग अध्यापक पद से एवं कितने फ्रेश कन्डीडेट लिये गये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

वर्ष 1972-73 के लिये बी0टी0सी0, प्रशिक्षण हेतु गोरखपुर जिले में हरिजनों, महिलाओं, सैनिकों तथा राजनेतिक पीड़ितों के आश्रितों, का चुनाव न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (हाई स्कूल) के आधार पर तथा अन्य अभ्यर्थियों का योग्यता तथा प्राप्तांक के आधार पर किया गया है। अध्यापकों को इस वर्ष विशेष सुविधा देने के आदेश नहीं थे अतः उन का चुनाव बाहरी अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित नियमों तथा योग्यता के अनुसार तुलनात्मक आधार पर किया गया।

अलग-अलग चुने गये लोगों की सूचना निम्नलिखित है :

	सामान्य अभ्यर्थी	सैनिकों के आश्रित	राजनैतिक पीड़ितों के आश्रित	अनुसूचित जाति	कुल योग
पुरुष ..	247	46	2	65	360
महिला ..	93	4	..	3	100

कानपुर जिले में कत्ल एवं डकैतियां

*12--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि कानपुर जिले के सभी पुलिस थानों में 1 जनवरी, 1972 से 15 जुलाई, 1972 तक अलग-अलग कितनी डकतियां पड़ीं और कितने कत्ल हुये ? क्या यह सही है कि कानपुर जिले में इस बीच कत्ल एवं डकैतियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और पुलिस अधिकारी अपराध रोक पाने में असफल रहे हैं ? यदि हां, तो इस बीच अपराध रोकने के लिये कौन-कौन सी व्यवस्था की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

अवैध बम बनाने के कारखाने एवं बम विस्फोट की दुर्घटनायें

*13--श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जनवरी, 1972 से 30 सितम्बर, 72 तक सरकार ने उत्तर प्रदेश में कितने अवध बम बनाने वाले कारखाने पकड़े ? इस तरह के कारखाने चलाने वाले कौन से लोग हैं और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

उक्त अवधि में प्रदेश में अवैध बम बनाने का कोई कारखाना नहीं पकड़ा गया। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*14--श्री सर्वसुख सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1 मई, 1972 से 20 सितम्बर, 1972 तक उत्तर प्रदेश में बम विस्फोट की कितनी दुर्घटनायें हुयीं उनमें कितने लोग हताहत हुए और सरकार की ओर से इस हिंसात्मक प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त अवधि में प्रदेश में कुल 15 बम विस्फोट की दुर्घटनायें हुई जिसमें पांच व्यक्ति मरे तथा 28 व्यक्ति घायल हुये। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये पुलिस द्वारा सतर्कता से सुरागरसी की जाती है और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली जाती है एवं विस्फोटक पदार्थ बेचने वाले दूकानदारों की समय-समय पर जांच की जाती है।

ग्राम अब्धर, जिला हमीरपुर की हरिजन स्त्री को हल में जोता जाना

*15—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 21 दिसम्बर, 1971 को हमीरपुर जिले के मौदहा गांव में एक हरिजन स्त्री को एक धनी सवर्ण किसान ने अपने हल में जोत दिया था? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उसमें क्या कार्यवाही किया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ग्राम मौदहा, जिला हमीरपुर में प्रश्न में उल्लिखित आशय की कोई घटना नहीं हुई। इस प्रकार की एक घटना वर्ष 1970 में ग्राम अब्धर तहसील मौदहा में हुई थी। किन्तु इसकी रिपोर्ट थाने पर नहीं की गई थी। वर्ष 1971 के अन्त में समाचार पत्र के माध्यम से घटना प्रकाश में आने पर जांच कराई गई और सम्बन्धित हरिजन स्त्री के पति से लिखित तहरीर प्राप्त करके थाना खन्ना पर दिनांक 29 दिसम्बर, 1971 को एक मुकदमा धारा 374 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कायम हुआ। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। विवेचना के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी गई जहां मुकदमा विचाराधीन है।

बेहड़ा, जिला वाराणसी की हरिजन बस्ती को जलाने की घटना

*16—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद वाराणसी के पुलिस सर्किल मिर्जापुर, गांव बेहड़ा की हरिजन बस्ती को 14 सितम्बर, 1971 के दिन जला दिया जिसमें अनेकों हरिजन घायल हो गये और सरकार ने इस घटना की जांच के लिये हरिजन कक्ष के संयोजक श्री मंगलदेव विशारद को नियुक्त किया है? यदि हां, तो श्री विशारद कमेटी की रिपोर्ट क्या है? उसे सरकार सदन के पटल पर रखगी और अब तक उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी

दिनांक 14 सितम्बर, 1971 को 30 नामांकित सवर्ण हिन्दुओं द्वारा ग्राम बेहड़ा, जिला वाराणसी के हरिजनों को मारे पीटे जाने, उनकी बस्ती में आग लगाये जाने, उनकी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाये जाने तथा उनका कुछ सामान उठा ले जाने आदि की मौखिक सूचना, थाना मिर्जापुर पर प्राप्त हुई। जिसके आधार पर थाने पर एक मुकदमा धारा 147-148, 149,302,436,429,323,395 कायम हुआ। विवेचना के दौरान नामांकित 30 अभियुक्तों के अलावा 8 अन्य अभियुक्तों का जुर्म में शामिल होना पाया गया। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी गई। मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

2—शासन द्वारा उक्त घटना की जांच हेतु कोई कमेटी नियुक्त नहीं की गई है।

*17—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री शिवनन्द नौटियाल तथा श्री सुखपाल पांडेय—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आसिद्ध एवं उन्मुक्त व्यक्ति

*18—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश में 17 दिसम्बर, 1971 के बाद 10 जून, 1972 तक कितने नागरिक डिटेन किये गये और रिप्रिजेन्टेशन आने के फलस्वरूप कितने छोड़ दिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम नहीं बनाया गया है अतः उसके अन्तर्गत किसी नागरिक को निरुद्ध अथवा रिहा करने का प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर की बुनकर कांफ्रेंस

*19—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल, 1972 के आखिरी सप्ताह में और मई, 1972 के प्रथम सप्ताह में उत्तर प्रदेश बुनकर कन्वेन्शन जो मौलाना हबीबुर्रहमान नोमानी एम0 एल0 ए0 की अध्यक्षता में कानपुर में हुआ था, उसमें राज्य मंत्री उद्योग तथा उप मंत्री ने भी भाग लिया था ? यदि हां तो इस कांफ्रेन्स में क्या-क्या मांगें प्रस्तुत की गई थी और शासन ने उन पर अब तक क्या निश्चय किया ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी हां ।

इस कांफ्रेन्स की प्रमुख मांगें सूत के मुल्यों में वृद्धि को रोकना तथा बुनकरों को उसे उचित दामों पर उपलब्ध कराना, स्टेपल यार्न को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराना तथा बुनकरों के द्वारा तैयार किये गये माल की निकासी की व्यवस्था कराना आदि थी । इस सम्बन्ध में शासन द्वारा हर सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं तथा बुनकरों की बहुमुखी समस्याओं के निराकरण हेतु हथकरघा निदेशालय व हथकरघा निगम की भी व्यवस्था कर दी गयी है । सूत व स्टेपल यार्न राज्य टेक्सटाइल निगम के माध्यम से बुनकरों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है ।

चीनी मिलों के ऊपर बकाया धन की वसूली

*20—श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया) श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री राम कृष्ण द्विवेदी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की किन-किन चीनी मिलों पर 31 अक्तूबर, 1972 तक किस-किस मद का कितना-कितना बकाया था, और कब से तथा सरकार उक्त बकाये की वसूली के लिये क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश की जिन चीनी मिलों पर दिनांक 31 अक्तूबर, 1972 को जिन वर्षों का गन्ना मूल्य, कमीशन एवं उस पर ब्याज तथा उपकर/क्रयकर की जितनी धनराशि बकाया थी उसका पूर्ण ब्योरा सलग्न †तालिका 'अ' तथा 'अअ' में दिया गया है ।

---

*छापी नहीं गई।

उपरोक्त बकाये की वसूली के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित उत्पीड़क कार्यवाही की गयी:—

(1) गन्ना मूल्य बकाया की वसूली के लिये 48 चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये। उपकर/क्रय कर बकाया की वसूली के लिये समस्त बकायादार चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली-प्रमाण पत्र जारी किये गये।

(2) कुछ चीनी मिलों की मार्जिन—मनी तथा चल व अचल सम्पत्ति (जैसा आवश्यक हुआ) कुर्क कर ली गयी।

(3) निम्नलिखित चीनी मिलों को नीलाम पर चढ़ाने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा विज्ञप्ति जारी की गयी परन्तु उन्होंने उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर के स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया:—

बुलन्दशहर, बुढ़वल, बाराबंकी, भटनी रामकोला (के) एवं अमरोहा।

(4) उक्त बकायों आदि के भुगतान न करने के कारण एक चीनी मिल मालिक को राजस्व नियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया जो बाद में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जमानत पर रिहा कर दिया गया।

(5) 12 चीनी मिलें, जिन्होंने अपने क्षेत्र में गम्भीर आर्थिक स्थिति उत्पन्न कर रखी थी, का उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत अधिग्रहण किया गया, जिनमें से 7 चीनी मिलें उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशानुसार अधिग्रहण की कार्यवाही से छूट गयीं और केवल 5 चीनी मिलें (मोहीउद्दीनपुर, भखोटी, टांडा, बाराबंकी, खड्डा एवं भटनी) उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन के अन्तर्गत कार्यरत हैं। अर्जित चीनी मिलों का पुराना बकाया निहित चीनी की मार्जिन से हो रहा है और ब्लाक मुआवजे से होगा।

(6) निम्नलिखित चीनी मिलों में रिसीवर नियुक्त हैं और वे उनके द्वारा संचालित हैं:—

डोईवाला, बुलन्दशहर, अमरोहा, बुढ़वल, रामकोला (के) एवं जरवल रोड तथा बिजनौर (उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त)

(7) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 17 में उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) अधिनियम 1971 की धारा 2 द्वारा संशोधन कर दिया गया है, जिसके अनुसार चीनी मिलों के मालिकों अथवा कोई भी अन्य व्यक्ति जिसको फैक्ट्री के कार्यालयों पर नियंत्रण हो अथवा तदर्थ सक्षम कोई अन्य व्यक्ति पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि वह अपने तथा अपने बैंकों के बीच जो भी अनुबन्ध बैंकों के अग्रिम दिये जाने के संबंध में भरें उसमें वह भी प्राविधान करें कि एक निर्धारित धनराशि गन्ना मूल्य तथा कमीशन के भुगतान के लिये गन्ना उत्पादकों तथा गन्ना विकास समितियों को सीधे दिये जाने की व्यवस्था हो। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम 1961 में संशोधन कर दिया गया है, जिसके अनुसार चीनी के बोरों की निकासी के समय क्रय कर वसूल कर लिया जायेगा।

महेश्वरी खेतान, रामकोला (देवरिया) पन्नीजी (बुलन्दशहर तथा कुन्दन, अमरोहा (मुरादाबाद) शुगर मिलों में रिसीवरों की नियुक्तियां।

*21—श्री रामधारी शास्त्री, श्री वीरेन्द्र वर्मा तथा श्री राम कृष्ण द्विवेदी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महेश्वरी खेतान शुगर मिल रामकोला देवरिया पन्नी जी शुगर मिल्स बुलन्दशहर तथा कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा, जिला मुरादाबाद में रिसीवर की नियुक्तियां कब हुई और रिसीवर की नियुक्तियों के समय उन मिलों के ऊपर अलग-अलग कितना-कितना किस-किस मद का बकाया था तथा 31 अक्तूबर, 1972 को उक्त बकाये की क्या स्थिति थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

महेश्वरी खेतान शुगर मिल, रामकोला (देवरिया), पन्नी जी शुगर मिल्स, (बुलन्दशहर) तथा कुन्दन शुगर मिल्स, अमरोहा जिला मुरादाबाद, में रिसीवरों की नियुक्ति की तिथियां, तथा गन्ना मूल्य, कमीशन व क्रयकर का उक्त तिथियों और 31-10-72 को बकाया धनराशियों का विवरण संलग्न तालिका में दिया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 446 पर)

*22—श्री जयराम वर्मा—

[पुनर्विचार पर अस्वीकृत]

चीनी मिल, नवाबगंज (गोंडा) के विरुद्ध कथित दायर मुकदमा

*23—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री राम करन सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिल, नबावगंज, जिला गोण्डा के विरुद्ध श्री भगौती मंत्री मजदूर यूनियन चीनी मिल, नबाव गंज, जिला गोण्डा ने सिविल जज गोरखपुर के न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया जिसका निर्णय 14-11-71 को मजदूरों के पक्ष में हो गया ? यदि हां, तो सिविल जज, गोरखपुर के निर्णय के अनुसार चीनी मिल प्रबन्धक नबावगंज कार्य नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार नबावगंज चीनी मिल के प्रबन्धक के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही कर रही है ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेशदत्त बाजपेयी)—

सिविल जज, गोरखपुर के न्यायालय में प्रतिष्ठान के विरुद्ध उनके कर्मचारियों ने जहां तक शासन को सूचना है कोई मुकदमा दायर नहीं किया। अतः मुकदमे में तथा कथित निर्णय दिनांक 14 नवम्बर, 1971 के प्रतिपालन का कोई प्रश्न नहीं उठता।

चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण

*24—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री राम करन सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की रिपोर्ट जो श्री वीरेन्द्र वर्मा कमेटी की है वह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन पड़ी है ? क्या उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे ? चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा सीजन चालू होने से पहले करने के बारे में क्या सरकार सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्री वीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट पर सरकार ने विचार किया है। उपरोक्त रिपोर्ट अभी गोपनीय है और उसे सदन के पटल पर रखने का

सरकार का विचार नहीं है ? प्रदेश की चीनी मिलों का निजी प्रभुत्व समाप्त करने की सरकार की घोषित नीति है और उसे पूरा करने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयत्नशील है।

कंधरापुर (आजमगढ़) के श्री अच्छेलाल गुप्त की हत्या की जांच

*25—श्री दर्लसिगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कंधरापुर थाने के अन्तर्गत श्री अच्छेलाल गुप्त की हत्या के संबंध में गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराई जा रही थी उस संबंध में जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या उस जांच की एक प्रति मंत्री सदन के मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आजमगढ़ जिले के थाना कन्धरापुर के अन्तर्गत श्री अच्छेलाल गुप्त की हत्या की घटना की जांच अभी अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

थानाध्यक्ष, रसूलाबाद (कानपुर) के विरुद्ध शिकायत

*26—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के पुलिस थाना, रसूलाबाद में 6 अक्तूबर, 1972 को श्री गया प्रसाद संखवार प्रधान ग्राम मैसायां, जब वह थाने पर थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र देने गये थे और खाली पड़ी सरकारी बेंच पर बैठ गये थे, तब सब इन्सपेक्टर श्री चतुर्वेदी ने कहा कि चमार होकर थाने में बेंच पर बैठा है, गालियां दी, धमकाया तथा बेंच से नीचे उतार दिया। इस सम्बन्ध में उन्होंने एस० एस० पी०, कानपुर को प्रार्थना पत्र दिया है ? यदि हां तो उक्त चतुर्वेदी दरोगा के विरुद्ध छुआ-छूत की भावना से श्री संखवार को अपमानित करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय का श्री गया प्रसाद, प्रधान ग्राम भैसायां का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच कराई गई। जांच से सब-इन्सपेक्टर श्री चतुर्वेदी द्वारा छुआछूत की भावना से श्री गया प्रसाद को अपमानित किये जाने का आरोप सही नहीं पाया गया।

टिहरी-गढ़वाल व उत्तर काशी के प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों की हड़ताल

*27—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी-गढ़वाल व उत्तरकाशी में माह सितम्बर व अक्तूबर, 1972 में प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों ने कितने रोज की हड़ताल की थी ? कितने अध्यापक गिरफ्तार किये गये। उनकी मांगे क्या थी और उन्हें पूरा करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

टेहरी में 44 दिन की और उत्तरकाशी में 47 दिन।

टेहरी में 551 अध्यापक और उत्तरकाशी में 496 अध्यापक।

अध्यापकों की मांगें संलग्नक में दी गयी हैं।

क्रम संख्या 5 पर जो मांग है वह पूरी कर दी गयी है। अन्य मांगे शासन की नीति, सामान्य नियमों एवं समकक्ष संस्थाओं के अध्यापकों को प्रदत्त सुविधाओं के विपरीत है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 447 पर)

फतेहाबाद तथा बाह (आगरा) में कत्ल एवं डकैतियों में वृद्धि

*28—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद)—

क्या सरकार को पता है कि आगरा जिले के कुख्यात डकैत माधो सिंह व श्री जंगजीत सिंह के मध्य प्रदेश में आत्म समर्पण करने के बाद आगरा जिले में डकैतों के गिरोह फिर से संगठित हो गये हैं तथा आगरा की दोनों तहसीलें फतेहाबाद और बाह फिर से अशान्त हो उठी हैं और वहां कत्ल व डकैतियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है? यदि हां तो सरकार इस इलाके में शान्ति कायम करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दस्यु माधो सिंह व जंगजीत ने दिनांक 14-4-72 से 17-4-72 तक आत्म समर्पण किया था। इसके पश्चात आगरा जनपद में कोई भी नया दस्युदल संगठित नहीं हुआ है और फतेहाबाद व बाह तहसील में कोई अशान्ति नहीं है। उक्त दस्युओं के आत्म समर्पण के बाद से 30 नवम्बर, 1972 तक, विगत वर्ष के इसी अवधि की अपेक्षा, डकैती की घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है। कत्ल की घटनाओं में कुछ वृद्धि हुई है पर ये घटनायें आपसी वैमनस्यता के कारण घटित हुई हैं तथा ये अपराध किसी संगठित या पुराने गिरोह द्वारा नहीं किये गये हैं।

*29—श्री हुकुम सिंह परिहार—

[7वें गुरुवार के लिए तारांकित प्र0 सं0 52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

महेश्वरी खेतान शुगर मिल, रामकोला (देवरिया) के भूतपूर्व चीफ एकाउन्टेन्ट श्री राम नरेश राय के विरुद्ध मुकदमें

*30—श्री बांके लाल—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री राम नरेश राय भूतपूर्व चीफ एकाउन्टेन्ट, महेश्वरी खेतान शुगर मिल, रामकोला, देवरिया के ऊपर इस समय लेबर कोर्ट में कौन-कौन सा मुकदमा विचाराधीन है?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

श्री राम नरेश राय, भूतपूर्व चीफ एकाउन्टेन्ट मेसर्स महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स कं0 लि0 रामकोला, देवरिया की सेवायें समाप्त किये जाने का औद्योगिक विवाद श्रम न्यायालय, गोरखपुर को अभिनिर्णय हेतु भेजा गया है पर उच्च न्यायालय के आदेशानसार वहां की सुनवाई 23-11-72 से अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी गई है।

चमोली में झूला पुलों के निर्माण का प्रस्ताव

*31—श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में वित्तीय वर्ष 1972-73 के अन्तर्गत और 1973-74 के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कितने झूला पुलों का नव निर्माण होगा और निर्वाचन क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत उक्त वित्तीय वर्ष में कितने और कहां-कहां झूला पुलों का नवनिर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जनपद चमोली में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा केवल मन्दाकिनी नदी के ऊपर नन्दप्रयाग व घिरपाक के मध्य में पुल का निर्माण हो रहा है। इस पुल पर 1972-73 में कार्य प्रारम्भ हो गया है और 1973-74 में भी चलेगा। इस पुल का कुछ भाग कर्णप्रयाग निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। कुछ और पुलों के निर्माण करने के भी प्रस्ताव शासन के पास आये हैं जिन पर विचार किया जा रहा है परन्तु अभी इन पुलों की सूची देना सम्भव नहीं है।

*32—श्री राममूर्ति 'अंचल'—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

पर्वतीय अंचल के जिलों की योजनायें

*33—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय अंचल के आठ जिलों में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि की योजनायें प्रस्तावित हैं? उसमें कितनी-कितनी धनराशि सड़कों, नहरों स्वास्थ्य व शिक्षा पर खर्च होंगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

पांचवीं योजना के लिये आठ पर्वतीय जिलों की योजनाओं की धनराशि के विषय में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया।

मेवला आगरी तथा करहेड़ा (मेरठ) के काश्तकारों की हिंडन एयरोड्रोम में अर्जित भूमि का मुआवजा एवं नियुक्त आरबीट्रेटर

*34—श्री शमीम आलम (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मेवला आगरी और करहेड़ा परगना लोनी, जिला मेरठ के काश्तकारों की कृषि भूमि हिंडन एयरोड्रोम के लिये कब एक्वायर हुई और उनको पूरा मुआवजा मिला है या नहीं? यदि नहीं, तो कब तक इन काश्तकारों को पूरा मुआवजा मिल जायगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ग्राम मेवला आगरी, व ग्राम करहेड़ा की भूमि हिंडन हवाई अड्डे के लिये सन् 1963 में अर्जित की गई थी।

ग्राम मेवला आगरी में कुल 114 खाते थे और केवल 4 खाते के भूस्वामियों को छोड़ कर शेष को प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है। इन 4 खातों में से 2 खातों के भूस्वामी सूचना के पश्चात् भी प्रतिकर लेने नहीं आये। शेष 2 खातों के भू-स्वामियों का भुगतान आरबिट्रेटर द्वारा निर्णय के पश्चात् किया जा सकेगा।

ग्राम अरेहड़ा में कुल खातों की संख्या 190 थी जिसमें से 10 खातों के भू-स्वामियों को भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि वे सूचना के पश्चात् भी प्रतिकर लेने नहीं आये। शेष को भुगतान किया जा चुका है।

*35—श्री शमीम आलम—

क्या उपरोक्त भूमि के मुआवजे के एतराजात की समाअत के लिये कोई आरबीट्रेटर सरकार द्वारा नियुक्त कर दिया गया है या नहीं? यदि नहीं, तो कितने समय में नियुक्त हो जायगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं। मामला शासन के विचाराधीन है।

औद्योगिकीकरण में बढ़ावें हेतु केन्द्रीय सरकार को प्रेषित प्रस्ताव

*36—श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने केन्द्र सरकार को प्रदेश में औद्योगिकरण में बढ़ावा देने हेतु दस प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी प्रदान करने हेतु कुछ जिलों का नाम भेजा है? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है तथा इसमें क्या प्रगति हुई है?

उद्योग राज्य मन्त्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

जी हां। बलिया तथा झांसी जनपदों, जहां यह योजना पहले से ही लागू है, के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य चार जनपदों बस्ती, फैजाबाद, रायबरेली तथा अल्मोड़ा, में भी 10 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी योजना लागू करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था जिसे भारत सरकार ने 10.10.72 को स्वीकार कर लिया है। इन जिलों में भी योजना को कार्यान्वित करने के लिये अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

*37—श्री उमानाथ सिंह तथा श्री नेतराम सिंह—

[छठे शुक्रवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*38-39—श्री रामलाल भाई—

[समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

कासिमपुर (अलीगढ़) के श्री ओम वीर सिंह के प्रार्थनापत्र पर ए० डी० एम० (जे०), एटा द्वारा निर्गत तफतीश आदेश

*40—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि माह जून, 1972 के चतुर्थ सप्ताह में ए0डी0एम0(जे0) एटा ने श्री ओम वीर सिंह, निवासी कासिमपुर, पावर हाउस, अलीगढ़ के प्रार्थना-पत्र के आधार पर श्री उदयवीर सिंह, श्री अजयपाल सिंह, श्री फूलसिंह, निवासी गण एमनपुर, थाना सोरों, जिला एटा और श्री स्वरूप व श्री डालचन्द्र निवासी गण, मकसूदाबाद, थाना सोरों एटा के विरुद्ध हत्या के एक संगीन आरोप थाना सोरों (एटा) को पुलिस द्वारा मुकदमा कायम करके तफतीश के आदेश निर्गत किये हैं? यदि हां, तो उपरोक्त मामले में 15-11-72 तक किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार न किये जाने का क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना सोरों, जिला एटा पर दिनांक 20 मार्च, 1972 को श्री हमीर सिंह के लापता होने की सूचना उनकी बहन श्रीमती फूलवती, द्वारा दी गई। इस सूचना पर दरयाफ्त हाल आरम्भ हुआ और बाद में भा0द0वि0 की धारा 364 के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया। उक्त मुकदमें की विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा कराये जाने के आदेश शासन ने श्री ओमवीर सिंह के प्रार्थना पत्र दिनांक 6 मई, 1972 पर दिये थे। दिनांक 15 नवम्बर, 1972 तक किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी न किये जाने का कारण उक्त तिथि तक अभियुक्तों के विरुद्ध विश्वसनीय साक्ष्य का उपलब्ध न होना बताया जाता है। यह कहना सही नहीं है कि अपराध के पंजीकरण करने तथा इसकी विवेचना करने का निदेश ए0डी0एम0 (जे0) एटा द्वारा पुलिस को दिये गये।

*41-42—श्री शिवदास—

[7वें गुरुवार के लिये प्रश्न सं० 27-28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गन्ना अनुसन्धान केन्द्रों के प्रक्षेत्र को हुये लाभ एवं हानि

*43—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कहां-कहां पर गन्ना अनुसन्धान केन्द्र हैं और उनके पास कुल कितनी-कितनी एकड़ भूमि है तथा वर्ष 1969-70 और 1970-71 में उपरोक्त में से प्रत्येक अनुसन्धान के प्रक्षेत्र को कितना-कितना हानि अथवा लाभ हुआ ? हानि के क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दे दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 448 पर)

गन्ने का मूल्य एवं खाण्डसारी लगाने की छूट

*44—श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने का भाव 15 रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से तय करने की घोषणा करेंगे जैसा कि गन्ना उत्पादकों की मांग है ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या मुख्य मन्त्री गन्ना उत्पादकों को खांडसारी लगाने की तथा अपना गन्ना अच्छे भाव पर बेचने की खुली छूट देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गन्ने का न्यूनतम मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, फिर भी राज्य सरकार के हस्तक्षेप के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें स्वेच्छापूर्वक न्यूनतम मूल्य से अधिक गन्ने की दाम दे रही हैं। न्यूनतम मूल्य से अधिक दाम देने के लिये चीनी मिलों को छूट है।

चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में दस मील के अर्ध व्यास के बाहर क्रशर लगाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

किसानों द्वारा उनका गन्ना बेचे जाने के मूल्य पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

छात्र संघ के गिरफ्तार छात्रों के विरुद्ध मुकदमें

*45—श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़) तथा श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1970 में छात्रसंघ की अनिवार्य सदस्यता के लिये चलाये गये आन्दोलन के दौरान गिरफ्तार किये गये छात्रों पर से मुकदमे उठा लिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

छात्र संघ अध्यादेश के विरोध में चलाए गए आन्दोलन के सम्बन्ध में छात्रों के विरुद्ध दो मुकदमों को छोड़ कर, सभी मुकदमें अक्टूबर, 1970, अगस्त, 1971 तथा जुलाई, 1972 में वापस ले लिए गए थे। उक्त दो मुकदमों को वापस लेने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

पलिया पश्चिम, थाना बाजार सुकुल (सुल्तानपुर) के श्री कल्लू की मृत्यु की जांच

*46—श्री राम निहोर राय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सुल्तानपुर के थाना बाजार सुकुल के अन्तर्गत ग्राम पलिया पश्चिम में दिनांक 25–26 मई, सन् 1972 की रात्रि में कल्लू पुत्र शिव रतन का कत्ल किया गया ? यदि हां तो सरकार ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की ? क्या यह सही है कि उपरोक्त थानाध्यक्ष ने रपट भी नहीं लिखी ? यदि हां, तो सरकार ने उस थानाध्यक्ष या पुलिस के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ग्राम पलिया पच्छिम, थाना बाजार शुकुल, जिला सुल्तानपुर के चौकीदार रामपियारे ने थाना बाजार शुकुल में 26–5–72 की सुबह इस आशय की मौखिक सूचना दी कि दिनांक 25/26–5–72 की रात में उसी ग्राम का कल्लू, पुत्र शिवरतन उसके घर की छत पर कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने की नियत से गया तो उसक द्वारा शोर किए जाने पर कल्लू को घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़-धकड़ में कल्लू को चोटें आईं और जब सुबह उसे थाने ले जाने का प्रबन्ध हो रहा था तो वह मर गया। उक्त सूचना के आधार पर थाने पर धारा 458 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ। चूंकि अभियुक्त मर चुका था, अतः 7–8–72 को उक्त मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई।

उक्त घटना के संबंध में कल्लू के भाई राम भरोसे ने एक शिकायती–पत्र उप-पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को 27–5–72 को दिया था जिसके आधार पर 28–5–72 को थाना बाजार शुकुल पर धारा 302 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ जिसमें विवेचना के उपरान्त अंतिम रिपोर्ट लगाई गई।

राम भरोसे ने अपने उक्त शिकायती–पत्र में घटना की रिपोर्ट 26–5–72 को न लिखे जाने की भी शिकायत की थी जिसे पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर ने धारा 302 भा0 दं0 वि0 क मुकदमे से संबंधित अपनी सुपरविजन रिपोर्ट में गलत बताया है।

थाना बड़हलगंज (गोरखपुर) की पुलिस के विरुद्ध शिकायतें

*47—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला सुल्तानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के थाना बड़हलगंज की पुलिस के विरुद्ध सितम्बर, 1971 से अक्तूबर, 1972 तक कितने शिकायती-पत्र उन्हें मिले ? मुख्य शिकायतें क्या थीं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बड़हलगंज (गोरखपुर) के थाना इन्चार्ज के विरुद्ध शिकायत

*48—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

क्या मुख्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि गोरखपुर जिले के बड़हलगंज थाना इन्चार्ज के विरुद्ध सितम्बर, 1972 में कोई इस आरोप का शिकायती पत्र एस0 पी0, गोरखपुर को मुन्नी वल्द पांचू खटिक, निवासी बड़हलगंज खास द्वारा मिला कि जिसमें एस0 ओ0 ने उसके (मुन्नी) द्वारा लिखाई गई एफ0 आई0 आर0 में जो नामजद अपराधी लिखाये गये थे ? उनके अलावा भी कुछ नाम बढ़ा दिये जाने की विशेष शिकायत की ? यदि हां, तो पूरी शिकायत क्या थी तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। मुन्नी लाल पुत्र पांचू खटिक, निवासी कस्बा बड़हलगंज का दिनांक 20–9–72 का एक शिकायती-पत्र पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को प्राप्त हुआ जिसमें प्रार्थी को मारे-पीटे जाने के एक मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तों की संख्या थाने में बढ़ा कर अंकित किए जाने की शिकायत की गई थी। शिकायती-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी, बांसगांव द्वारा की गई। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए, अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मगई पुल (गाजीपुर) के निकट श्री विन्ध्याचल सिंह यादव की ट्रक दुर्घटना से मृत्यु

*49—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला व कस्बा, गाजीपुर में मगई पुल के पास दिनांक 23–11–72 को विन्ध्याचल सिंह यादव नामक छात्र एक ट्रक से दब कर मर गया? यदि हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में अब तक (1 दिसम्बर, 1972) क्या कार्यवाही किया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्री शिव कुमार शास्त्री, इन्टर कालेज, जंगीपुर, गाजीपुर के एक छात्र की ट्रक दुर्घटना से घायल होने तथा बाद में मर जाने की लिखित सूचना दिनांक 23–11–72 को सायंकाल थाना कोतवाली पर प्राप्त हुई जिसके आधार पर धारा 279/302 ए, भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ। मुकदमे की विवेचना हो रही है।

*50—श्री चन्द्रपाल आजाद—

[6ठें शुक्रवार के लिए प्र0 सं0 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

छितौनी शुगर फैक्टरी (देवरिया) के मजदूरों को डराकर निकालने की शिकायत

*51—श्री शिवप्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है—कि 17–4–72 को श्री शंकर प्रसाद तुलस्थान, बिहारी लाल तुलस्थान तथा श्री विश्वनाथ प्रसाद तुलस्थान, निवासी ग्राम छितौनी, थाना खड्डा जिला देवरिया छितौनी सुगर फैक्ट्री के गेट पर बंदूक तथा पिस्तौल के साथ गये और बन्दूक तथा पिस्तौल की नोक पर मजदूरों को फैक्ट्री से बाहर निकालना चाहते थे जिसकी सूचना श्री राम औतार खेतान ने उसी दिन थाना खड्डा, जिला देवरिया में किया? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न में उल्लिखित आशय की कोई सूचना श्री रामऔतार खेतान से 17–4–72 को थाना खड्डा देवरिया में प्राप्त नहीं हुई। दिनांक 17–4–72 को श्री जे0 पी0 खेतान, आक्यूपायर एन्ड डायरेक्टर, लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स (पी) लिमिटेड, छितौनी देवरिया से पुलिस अधीक्षक देवरिया को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ कि श्री विश्वनाथ प्रसाद तुलस्थान व श्री श्याम सुन्दर प्रसाद झुनझुनवाला अन्य कई व्यक्तियों के साथ लाठी बल्लम व आग्नेयास्त्रों से लैस होकर मिल के कार्य में बाधा उपस्थित करने हेतु जबरन मिल में घुसना चाहते हैं और उन्होंने मिल के कर्मचारियों को मारा है।

इस सूचना के प्राप्त होने पर उसी दिन मामले में जांच प्रारम्भ की गई। जांच में मामला मिल के प्रबंधकों के आपसी विवाद का पाया गया और पुलिस द्वारा हस्तक्षेप अपराध होना नहीं पाया गया।

स्थानीय पुलिस को सतर्क रहने व समयानुकूल आवश्यकतानुसार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

कानपुर के नव-निर्वाचित प्रधानों को तत्कालीन खाद्य तथा रसद मंत्री द्वारा भेजा गया बधाई-पत्र

*52—श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 11 जून, 1972 ज्येष्ठ 21, 1894 शाके को प्रदेश के खाद्य मंत्री के कार्यालय से उनके वैयक्तिक सचिव तथा मंत्री महोदय के हस्ताक्षर युक्त बधाई पत्र कानपुर जनपद के नव-निर्वाचित प्रधानों को भेजे गये हैं ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार के बधाई-पत्रों का डाक व्यय तथा छपाई आदि का व्यय भार वहन शासन द्वारा किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, इस प्रकार के बधाई-पत्र दिनाक 11 जून, 1972 को तत्कालीन खाद्य तथा रसद मंत्री जी द्वारा भेजे गये थे। उक्त पत्र उन्होंने मंत्री की हैसियत से भेजे थे। अतः उनकी छपाई तथा डाक पर व्यय शासन द्वारा वहन किया गया।

*53—श्री मुस्तफा कामिल किदवई—

[चर्चा हो जाने के कारण निरस्त]

राजकीय सिटी इन्टर कालेज, गाजीपुर के प्रान्तीयकृत अध्यापकों की ज्येष्ठता

*54—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय सिटी इन्टर कालेज, गाजीपुर के अध्यापकों की जिनकी सेवायें 1965 में प्रान्तीयकरण के फलस्वरूप विलीनीकृत कर ली गई हैं, पूर्व की सेवाओं के आधार पर उनकी ज्येष्ठता पेंशन, संचयनिधि आदि के बारे में सरकार ने कुछ निश्चय किया है और इस संबंध में शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को कोई प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

राजकीय सिटी इन्टर कालेज, गाजीपुर तथा अन्य प्रान्तीयकृत शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों आदि की ज्येष्ठता पेंशन, संचयनिधि, आदि के बारे में वित्त विभाग से परामर्श किया जा रहा है। मामला शासन के विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की संभावना है।

थानाध्यक्ष बनकटा (देवरिया) के विरुद्ध शिकायत

*55—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थानाध्यक्ष, बनकटा, जिला देवरिया के विरुद्ध घूस लेने से संबंधित कोई शिकायती पत्र दिनांक 8 सितम्बर, 1972 एवं 17 नवम्बर, 1972 को माननीय मुख्य मंत्री आई० जी० पुलिस उत्तर प्रदेश एवं डी० आई० जी० पुलिस, गोरखपुर को एक विधायक द्वारा दिया गया है ? यदि हां तो शिकायतें मुख्य-मुख्य क्या हैं तथा अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

थानाध्यक्ष बनकटा जिला देवरिया के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के दिनांक 8-9-72 व 17-11-72 के शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुए जिनमें डकैतियां छिपाने, भ्रष्टाचार तथा मारने पीटने आदि की शिकायतें की गई हैं। उक्त दोनों शिकायती-पत्रों को प्रशासन शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को विवेचना हेतु भेजा गया है।

सांकरौद (मेरठ) में डकैती, कत्ल एवं बल्वे की घटनायें

*56—श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मेरठ के थाना खेखड़ा के अन्तर्गत ग्राम सांकरौद में वर्ष 1970 से 7 दिसम्बर, 1972 तक कितनी डकैतियां, कितने कत्ल और कितने बल्बे हो चुके हैं और कितने अभियुक्तों को सजा मिली ? क्या सरकार यहां पुलिस चौकी स्थापित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार मेरठ जिले के थाना खेखड़ा के अन्तर्गत ग्राम सांकरौद में प्रश्नगत अवधि में डकैती के 2, कत्ल के 3, बल्बे के और 3 अभियोग दर्ज हुए। अभी तक किसी अभियुक्त को सजा नहीं हुई। उक्त ग्राम में पुलिस चौकी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

गांवसभा घनेपुर की प्रायमरी पाठशाला की व्यवस्था के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*57—श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ब्लाक अवधपुर अब कटहरी जिला फैजाबाद ग्राम सभा घनेपुर की प्रायमरी पाठशाला की व्यवस्था के विरुद्ध तत्कालीन ग्राम प्रधान और अन्य ग्रामवासियों ने 18-4-72 को डाक द्वारा जिलाधिकारी, फैजाबाद को एक दरखास्त भेजी थी, जिसकी नकल उपविद्यालय निरीक्षक को भी भेजी थी ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी ने की और कब की और जांच का क्या नतीजा निकला ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। प्रति उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा 20-4-72 से 24-10-72 के बीच जांच की गई। शिकायतें निराधार पायी गयीं।

उन्नाव के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन हेतु प्रार्थना-पत्र

*58—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के पेंशन हेतु दिये गये नवम्बर के पूर्व के कुल कितने प्रार्थना-पत्र शासन के विचाराधीन पड़े हैं ? और उक्त प्रार्थना पत्रों में ऐसे कितने प्रार्थना पत्र हैं जिन्हें दिये हुए 4 मास से अधिक समय हो गया है फिर भी इन पर पेंशन प्रदान करने के अंतिम आदेश अभी तक प्रदान नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो यह कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त प्रार्थना-पत्र जिले वार एक स्थान पर नहीं रखे जाते। सभी प्रार्थना-पत्रों पर विचार हो रहा है। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अगर जानकारी चाहें तो दी जा सकती है।

लाल कुर्ती (मेरठ) के थानाध्यक्ष एवं पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*59—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसे प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-10-72 का थाना अध्यक्ष एवं पुलिस लाल कुर्ती, मेरठ के विरुद्ध शिकायतों और अनियमितताओं पर आधारित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या शिकायतें अंकित हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। उक्त पत्र में थानाध्यक्ष एवं पुलिस लालकुर्ती, मेरठ के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि होने अपराधियों को आश्रय देने, सट्टा, जुआ तथा देशी शराब की ठेकियों से नाजायज आर्थिक लाभपाने, सही अपराध दर्ज न करने, जनता की शिकायतें न सुनने आदि के आरोप अंकित किये गये हैं। इन शिकायतों की जांच कराई गई और जांच से वे प्रमाणित नहीं हुई। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जरवल रोड शुगर मिल, बहराइच के स्क्रैप की बिक्री

*60—श्री वासुदेव सिंह वैद्य (जिला बहराइच)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिला की जरवल रोड शुगर मिल जो कि सरकार के नियंत्रण में है, का पुराना सामान पीतल, तांबें का स्क्रैप आदि की बिक्री 16 रुपया किलो की दर से निर्धारित की गई थी परन्तु 13 रुपया की दर से बिक्री की गई जिससे सरकार को काफी धन की हानि हुई? यदि हां, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जरवल रोड स्थित मेसर्स आर0 बी0 लक्ष्मणदास शुगर एवं जनरल मिल्स के स्क्रैप की बिक्री की कार्यवाही उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26-4-72 के अन्तर्गत कलेक्टर, बहराइच द्वारा संपादित की गई थी। स्क्रैप मेंपीतल एवं तांबे के अतिरिक्त लोहे का भी स्क्रैप सम्मिलित था। प्रत्येक प्रकार के स्क्रैप का उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के इंजीनियरिंग एडवाइजर से न्यूनतम अनुमानित मूल्य प्राप्त कर लिया गया था। उक्त एडवाइजर द्वारा पीतल के स्क्रैप का रेट 15 रु0 प्रति किलो एवं तांबे के स्क्रैप का रेट 20 रु0 प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया। प्राप्त टेंडरों के आधार पर पीतल के स्क्रैप के लिये सर्वाधिक रेट रु0 13-05 पै0 प्रति किलो एवं तांबें के स्क्रैप के लिये रु0 18-51 पै0 प्रति किलो के टेंडर स्वीकृत किये गये हैं। किन्तु जिन विक्रेताओं के टेंडर स्वीकृत हुए थे उन्होंने यह माल नहीं उठाया। अतएव पीतल तथा तांबें के स्क्रैप की बिक्री नहीं हो सकी है। अतः इसमें किसी प्रकार की धन की हानि शासन को होने का प्रश्न नहीं उठता। कथित हानि के लिये किसी के उत्तरदायित्व का प्रश्न नहीं उठता। लोहे का स्क्रैप चीनी निगम के इन्जीनियरिंग एडवाइजर द्वारा 19,050 रु0 के अनुमानित मूल्य से 3,800 रु0 अधिक मूल्य अर्थात् कुल 22,850 पर बेचा गया, अतः इस बिक्री में भी हानि होने का प्रश्न नहीं उठता।

मदन मोहन एण्ड सन्स, मुरादाबाद द्वारा प्रकाशित एटलस के संशोधित संस्करण

*61—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि मदन मोहन एण्ड संस, मुरादाबाद द्वारा प्रकाशित तथा शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत कक्षा पांच के लिये एटलस के संशोधित संस्करण के मुख्य पृष्ठ पर उत्तर प्रदेश के नक्शे तथा पृष्ठ 20 में गढ़वाल डिवीजन का अस्तित्व नहीं दिखाया गया है? क्या यह भी सही है कि नगरपालिका दुगड्डा जिला पौड़ी के स्थान पर जिला टिहरी में दिखाया गया है? यदि हां, तो शासन ने इसे शुद्ध करने के संबध में क्या कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्नगत एटलस कक्षा 5 अथवा किसी अन्य कक्षा के विद्यार्थियों के प्रयोगार्थ न तो स्वीकृत है और न अनुमोदित ही है। इस एटलस के सम्बन्ध में विभाग को कोई जानकारी भी नहीं है।

सचिवालय के अनुभाग अधिकारी

*62—श्री प्यारे लाल—(जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सचिवालय में कितने और कौन-कौन ऐसे अनुभाग अधिकारी है जो लोक सेवा आयोग की प्रवर वर्ग सहायक की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किये हैं और उनको इस पद पर बनाये रखने के क्या विशेष कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सचिवालय में केवल भाषा विभाग के ही 5 अनुभाग अधिकारी ऐसे हैं, जो प्रवर वर्ग सहायक की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है। उनके नाम सर्वश्री राज नारायण आर्य, राधे श्याम दीक्षित, योगीन्द्र नाथ, बृजेन्द्र शुक्ल तथा विश्म्बर शरण हैं।

भाषा विभाग की यह विशेषता है कि उसको प्रोन्नति आदि के लिये एक पृथक इकाई मान जाता है। उस विभाग के अनुभाग अधिकारियों के पदों पर प्रोन्नति उसी विभाग के पुनरीक्षकों अनुवादकों में से की जाती है। उनके लिये प्रवर वर्ग सहायक की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है।

थाना बनकटा, जिला देवरिया में डकैतियां

*63—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया, थाना बनकटा के अन्तर्गत 15 जुलाई, 1972 से दिसम्बर, 1972 के बीच ग्राम किशोरी छापर में जगरनाथ हरिजन के घर डकैती छेरिहाटोला में बरगहवा में बनियों एव अहिरों के घर डकैती, ग्राम मिश्रौली में भोज के घर डकैती, ग्राम सोहनपुर में विशुन देव अहिर के घर डकैती, बमनौली में डकैतियां पड़ी है ? यदि हां, तो उक्त डकैतियों में कितने रुपये का सामान लूट में गया ? क्या इस संबंध में कोई शिकायती-पत्र क्षेत्रीय विधायक का प्राप्त हुआ है कि डकैतियों का रपट नहीं लिखा गया है ? यदि हां, तो इस सबध में अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों में डकैतियां पड़ने और उनकी रिपोर्ट बनकटा थाना (जिला देवरिया) पर न लिखे जाने की शिकायतों के बारे में प्रश्नकर्त्ता के दो पत्र शासन को प्राप्त हुए थे। शिकायतों की जांच प्रशासन शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग [illegible] प दी गई है। जांच पूरी होने पर ही तथ्य प्रकाश में आयेंगे।

लखनऊ के औद्योगिक निरीक्षकों के स्थानान्तरण

*64—श्री राम देव (जिला प्रतापगढ़) तथा श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला उद्योग अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में 3 वर्ष से अधिक अवधि से कार्य करने वाले इन्सपेक्टरों को स्थानान्तरित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जिला उद्योग अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में केवल 3 औद्योगिक निरीक्षक 3 वर्ष से अधिक अवधि से कार्य कर रहे हैं। चूंकि तीन वर्ष की अवधि वर्ष के मध्य में पूरी हुई इसलिये इनका स्थानान्तरण उसी समय नहीं किया जा सका।

मेरठ व मुजफ्फरनगर जिलों के सहायक विद्यालय निरीक्षकों को देय भ्रमण भत्ते

*65—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ व मुजफ्फरनगर जिलों के उप सहायक विद्यालय निरीक्षकों व सहायक विद्यालय निरीक्षिकाओं के 6 माह से अधिक के भ्रमण भत्ते के बिलों का भुगतान नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार अविलम्ब इस धनराशि का भुगतान कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सुल्तानपुर के विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध ज्ञापन

*66—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के विद्यालय निरीक्षक पिछले कई वर्षों से इसी जनपद में हैं क्या यह सच है कि माह अक्तूबर, 1972 में स्थानीय निवासियों ने मुख्य मंत्री को इस संबंध में कोई ज्ञापन दिया था कि वे अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या करने जा रही है।?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। उस ज्ञापन पर जांच कराई जा रही है।

थाना इन्चार्ज दोस्तपुर (सुल्तानपुर) के विरुद्ध आरोपों की जांच

*67—श्री प्यारे लाल —

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि थाना इंचार्ज दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के विषय में पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर द्वारा की गई जांच म उनको दोषी पाकर दिनांक 30 नवम्बर, 72 को निलंबित करके लाइन हाजिर किया परन्तु किसी विशेष कारणों से उन्हें फिर उसी थाने में ही रक्खा गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार सब इंस्पेक्टर श्री हरदेव सिंह थानाध्यक्ष दोस्तपुर जिला सुल्तानपुर के विरुद्ध कुछ घटनाओं के संबंध में कार्यवाही न करने और भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनकी जांच उप पुलिस अधीक्षक द्वारा कराई गई। जांच से थानाध्यक्ष को कर्त्तव्यहीनता का दोषी पाया गया। श्री हरिदेव सिंह को पुलिस लाइन में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश 29-11-72 को दिये गये थे परन्तु प्रतिस्थायी के दस्युउन्मूलन योजना में व्यस्त रहने के कारण 1-12-72 को श्री हरदेव सिंहका स्थानान्तरण कुछ दिनों के लिये रोक दिया गया। श्री हरदेव सिंह को निलंबित नहीं किया गया था। दिनांक 28-12-72 से नए थानाध्यक्ष ने थाना दोस्तपुर का चार्ज ले लिया है और श्री हरदेव सिंह को एस0 आई0 एस0, सुल्तानपुर में सेकेन्ड अफसर के रूप में स्थानान्तरित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध पुलिस ऐक्ट की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रस्ताव है।

लामाचौड़ (नैनीताल) के श्री चन्द्रलाल हरिजन का गन्ना गन्डों द्वारा काट लिया जाना

*68—श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी कृपया बतावेंगे कि दिनांक 4 दिसम्बर, 1972 के दिन जिला नैनीताल थाना हल्द्वानी के अन्तर्गत लामाचौड़ हरिजन बस्ती में श्री चन्द्रलाल हरिजन के खेतों का खड़ा गन्ना

स्थानीय कुछ गुन्डे दल बल सहित दिन दहाड़े डर व भय दिखाकर जबरन काट ले गये और जब चन्द्रलाल के भाई थाना हल्द्वानी में रपट दर्ज कराने गया तो वास्तविक रपट न लिखी गई ? क्या यह भी सही है इस वाकिये पर जब एक प्रार्थना-पत्र एस0 डी0 एम0 भावर को दिया गया तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बावजूद भी स्थानीय पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की? यदि हां, तो पुलिस के खिलाफ शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 4–12–72 को थाना हल्द्वानी पर उल्लिखित आशय की लिखित सूचना दी गई जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोट लिखी गयी । दिनांक 12–12–72 को श्री चन्द्र लाल निवासी हरकपुर क्वीरा ने एक प्रार्थना-पत्र एस0 डी0 एम0 भावर की न्यायालय में संबंधित भूमि को धारा 145 जा0 फो0 के अन्तर्गत कुर्क किये जाने के संबंध में दिया जिस पर एस0 डी0 एम0 ने थानाध्यक्ष, हल्द्वानी को जांच करने व रिपोर्ट देने का आदेश दिया । एस0 डी0 एम0 के आदेशानुसार स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच की तथा अपनी रिपोर्ट दी जो न्यायालय के विचाराधीन है। अतः यह कहना सही नहीं है कि मजिस्ट्रेट के आदेश पर स्थानीय पुलिस ने कार्यवाही नहीं की ।

राजकीय आदर्श विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति एवं आवास भवन

*69—श्री किशन लाल (जिला पीलीभीत)—

क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश राजकीय आदर्श विद्यालयों में 1967 से 1972 तक हरिजन तथा पिछड़े वर्ग में कितने प्रधानाध्यापकों के कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने नियुक्त किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*70—श्री किशन लाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में खोले गये किन-किन आदर्श विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सरकारी क्वारटर फ्री रेण्ट (किराया मुक्त) किये गये ? क्या ऐसे भी आदर्श विद्यालय हैं जिनके प्रधानाध्यापक को आवास भवन तो दिया गया, परन्तु उसे फ्री रेण्ट क्वाटर न देकर उससे किराया लिया गया? यदि ऐसा है तो ऐसे कौन-कौन प्रधानाध्यापक हैं और उनसे कब से कब तक की कितनी धनराशि ली गई ? उन्हें वापिस न करने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

चकिया (वाराणसी) के कथित दो परगना अधिकारियों की नियुक्ति

*71—श्री निहाल सिंह (जिला वाराणसी) तथा श्री बंशीधर पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि वाराणसी जिले की चकिया तहसील में आज कल एक महीने से दो परगनाधिकारी मौजूद हैं और कोई कार्य भी सुचारु रूप से नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो दो परगनाधिकारी किसके आदेश से मौजूद हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वाराणसी जिले की चकिया तहसील में दो परगनाधिकारी कभी कार्यरत नहीं रहे। वहां का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है ।

होमगार्ड पुनर्गठन में बटालियन स्तरीय पदों की समाप्ति

*72—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होमगार्ड के पुनर्गठन में बटालियन स्तरीय अधिकारियों की पोस्टों को समाप्त कर दिया गया है और उनके स्थान पर 225–500 रु० तथा 300–900 के वेतन-क्रम के नये पद बनाये गये हैं, जिसमें विभाग के अवैतनिक अधिकारियों को भी उक्त नए पदों पर पुनः नियुक्ति की आज्ञा दी है ? और निश्चित नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो वह शर्तें क्या हैं और इंटरव्यू में उक्त शर्तों के अनुसार लोग लिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह सही है कि होमगार्ड के पुनर्गठित प्रारूप में बटालियन स्तरीय अधिकारियों की पोस्टों को समाप्त कर दिया गया है, व 225–500 तथा 300–900 के वेतनक्रम के नये पद बनाये गये हैं। परन्तु यह सत्य नहीं है कि इन पदों को बटालियन स्तरीय पदों के स्थान पर सृजित किया गया है। इन पदों पर अवैतनिक अधिकारियों को भी अवसर दिये जाने का आदेश दिया गया है परन्तु पुनः नियुक्ति की कोई आज्ञा नहीं दी गई है। इन अवैतनिक अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित अर्हतायें निर्धारित की गई हैं :—

300–900 के वेतनक्रम के पदों के लिये:—

(1)	शैक्षिक योग्यता	–	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री।
(2)	आयु सीमा	–	25–40 वर्ष (1 जनवरी, 1972 को)
(3)	अनुभव	–	होमगार्ड संगठन में 3 वर्ष के कार्य का अनुभव (29–2–72) को

225–500 के वेतनक्रम के पदों के लिये—

(1)	शैक्षिक योग्यता	–	इंटरमीडिएट।
(2)	आयु सीमा	–	25–40 वर्ष (1 जनवरी, 1972)
(3)	अनुभव	–	होमगार्ड संगठन में 3 वर्ष का अनुभव (29–2–72) को
			शारीरिक माप दंड इन दोनों में वही निर्धारित था जो पुलिस पदों के लिये निर्धारित है।

इंटरव्यू के लिये, लिये गये अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थी सेवावधि संबंधी निर्धारित अर्हता नहीं रखते थे। वैसे वे हर दूसरे प्रकार से योग्य थे। योग्य अभ्यर्थियों की कमी के कारण अर्हताओं के शिथिल किये जाने का शासनादेश की प्रत्याशा में निर्धारित सेवावधि से कम सेवावधि वाले अभ्यर्थियों को भी इंटरव्यू में ले लिया गया था। इंटरव्यू बोर्ड की संस्तुति शासन के विचाराधीन है।

जिला परिषद्, लखनऊ के सेवा मुक्त अप्रशिक्षित सहायक अध्यापकों का क्रय वेतन

*73—श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद् लखनऊ के अनेकों अप्रशिक्षित सहायक अध्यापकों की सेवायें माह अक्तूबर, नवम्बर, 1967 में नोटिस देकर समाप्त कर दी गई थीं ?

लेकिन उनको सितम्बर, अक्तूबर, तथा नवम्बर, 1967 के बकाया वेतन का अब तक भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों और यह वेतन कब तक दिला दिया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

किसी की सेवायें नोटिस देकर समाप्त नहीं की गई ।

ईख अनुसंधानशाला, गोला (खीरी) में कम्पोस्ट खाद की चोरी

*74—श्री उमा शंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ईख अनुसंधान शाला, गोला (खीरी) में गत 10 अक्तूबर, 72 को कम्पोस्ट खाद की चोरी हुई जिसकी रिपोर्ट श्री राधे लाल, ज्येष्ठ, लिपिक अनुसंधान शाला, गोला के विरुद्ध श्री बिक्रम सिंह नें 13 अक्तूबर, 1972 को सुपरिन्टेन्डेंट अनुसंधान शाला के पास भेजी ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां ।

मामले की जांच से पता चला कि श्री राधेलाल, ज्येष्ठ लिपिक ने कम्पोस्ट (गोबर कूड़े की खाद) के गड्ढे से लगभग दो रुपये मूल्य की खाद अपने घर के बगीचे में डलवा ली थी। यह धनराशि उनसे वसूल करने के आदेश दे दिये गये हैं और भविष्य के लिये उन्हें कठोर चेतावनी दे दी गई है ।

*75—श्री उमा शंकर शुक्ल—

[छठे गुरुवार के लिये स्थगित]

*76—श्री इंद्रजीत—

[पुनर्विचार पर अस्वीकृत]

*77—श्री के० एस० मोरिया—

[छठें गुरुवार के लिये स्थगित]

ऋषिकेश (देहरादून) की ऐंटी बाइटिक प्रोजेक्ट की औद्योगिक इकाइयां

*78—श्री कृष्ण सिंह (जिला उत्तरकाशी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऋषिकेश, जिला देहरादून में जो पब्लिक सेक्टर में इंडियन ड्रग एण्ड फार्मेक्यूटिकल लिमिटेड (ऐंटी बाइटिक प्रोजेक्ट) है उसमें ऋषिकेश देहरादून के एरिया में कितनी सहायक (एन्सीलरी) इंडस्ट्रीज शुरू हुई है और उनमें से कितनी पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों की है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मेसर्स इंडियन ड्रग ऐण्ड फार्मेक्यूटिकल लिमिटेड वीरभद्र, ऋषिकेश, जिला देहरादून के लिये अब तक आठ औद्योगिक इकाइयां शुरू हुई हैं । उनमें से एक इकाई का स्वामी पर्वतीय क्षेत्र का है ।

*79—श्री सूबेदार सिंह—

[छठें गुरुवार के लिये स्थगित]

पुलिस विभाग की गुप्त शाखा की विवेचना हेतु मामले

*80—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस विभाग की गुप्त शाखा के पास सन् 1970 व 1971 एवं 72 ई0 के कितने मामले विवेचना हेतु विचाराधीन हैं और अलग-अलग वर्ष के कितने-कितने मामलों में गुप्त शाखा ने न्यायालयों में आरोप-पत्र भेजे हैं और कितने मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगाई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग उत्तर प्रदेश, में वर्ष 1970, 1971 व 1972 के 875 मामले विचाराधीन हैं। अलग-अलग वर्ष में निम्नलिखित आरोप-पत्र न्यायालय भेजे गये व फाइनल रिपोर्ट लगाई गई।

वर्ष	आरोप पत्र जो न्यायालय भेजे गये	फाइनल रिपोर्ट जो न्यायालय भेजी गई
1	2	3
1970	108	56
1971	70	77
1972	116	62

अतारांकित प्रश्न

गोरखपुर इण्डस्ट्रियल एरिया हेतु अर्जित भूमि एवं प्लाटों का एलाटमेंट

1—श्री रामलगन दुबे (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर इंडस्ट्रियल एरिया के लिये कब कतनी भूमि ली गई तथा कितने प्लाट बनाये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इंडस्ट्रियल एरिया, गोरखपुर हेतु 201.36एकड़ भूमि के अर्जन हेतु कार्यवाही की गई जिसमें से संबंधित अभिलेखों के अनुसार दिनांक 2-11-66 को 187.35 एकड़ भूमि का कब्जा उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक निगम लि0, कानपुर को हस्तान्तरित किया गया परन्तु अभी तक निगम को लगभग 100 एकड़ भूमि का ही भौतिक कब्जा प्राप्त हो सका है। उक्त 201.36 एकड़ भूमि में 134 प्लाटों की व्यवस्था है।

2—श्री राम लगन दुबे—

क्या मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किस-किस इंडस्ट्रीज के लिये किन-किन फर्मों को कब-कब प्लाट एलाट किये गये तथा कितनी कितनी धनराशि जमा कराई गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अपेक्षित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 449 पर)

देवरिया के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से संलग्न प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन

3—श्री बांके लाल—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के अन्तर्गत कितने प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से है और उन स्कूलों के शिक्षकों का वेतन-क्रम क्या है ?

4—क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् के अध्यापकों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के सलग्न प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रम में कितना अन्तर है ? अगर अन्तर है, तो इसका कारण क्या है ?

श्री कमलमपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कर्ण प्रयाग (चमोली) में पुलों के निर्माण एवं पिण्डारा नदी पर कुलसारी में कच्चा झूला पुलों के निर्माण हेतु ज्ञापन

5—श्री शेरसिंह बानू—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24-4-72 को जनपद चमोली के निर्वाचन क्षेत्र कर्ण प्रयाग में कुछ नये पुलों के निर्माण हेतु प्रश्नकर्त्ता का ज्ञापन प्राप्त हुआ? यदि हां, तो वे पुल कौन-कौन हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां । इस ज्ञापन में दिये गये सुझावों पर जिला मजिस्ट्रेट चमोली ने झूला पुल निर्माण कराने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिस पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सीमान्त) सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के विचार मांगे गये हैं । इन पुलों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ड़' आगे पृष्ठ 405 पर)

6—श्री शेर सिंह बानू—

क्या मुख्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पिण्डारी नदी पर कुलसारी नामक स्थान में पक्का झूला पुल निर्माण के बजाय कच्चा झूला पुल बनाने हेतु दिनांक 24-4-72 को प्रश्नकर्त्ता का ज्ञापन प्राप्त हुआ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां । इस ज्ञापन में दिये गये सुझाव पर जिला मजिस्ट्रेट, चमोली ने झूला पुल निर्माण करानेहेतु प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिस पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सीमान्त) सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के विचार मांगे गये हैं ।

उद्योग विभाग के निरीक्षकों की नियुक्तियां

7—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971-72 के लिये शासन ने कितनी निरीक्षकों के पद सृजित किये थे? क्या उन पदों पर नियुक्तियां कर दी गई ? यदि हां, तो किन लोगों की ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

वर्ष 1971–72 में शासन द्वारा 10 निरीक्षकों के पद सृजित किये गये थे। इन पदों पर नियुक्त नौ लोगों का विवरण संलग्न है। शेष एक पद पर अभी नियुक्ति नहीं की गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 451 पर)

8—श्री बसन्त लाल—

[मा0 सदस्य ने वापस लिया]

शिक्षा उप-निदेशक कार्यलय, आगरा मण्डल के लिपिकों के स्थानान्तरण

9—श्री नेतराम सिंह तथा श्री सिया राम—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मण्डल के शिक्षा उप निदेशक के कार्यालय में ऐसे कौन-कौन लिपिक हैं, जिनको एक ही स्थान पर आगरा मण्डल के कार्यालय में 5 वर्ष से अधिक कार्य करते हो गये हैं? उनके स्थानान्तरण न करने के क्या कारण हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सर्वश्री—
(1) रजनी कान्त चतुर्वेदी,
(2) राम सिंह वर्मा,
(3) ओम प्रकाश गौड़।

वर्तमान स्थान पर वे सन्तोषप्रद ढंग से कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लिपिकों के स्थानान्तरण के लिये कोई अवधि निर्धारित नहीं है।

आगरा मण्डल (आगरा) के पुस्तकाध्यक्षों के वेतन मानों का पुनरीक्षण

10—श्री कल्याण सिंह, श्री नेतराम सिंह तथा श्री सिया राम—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आगरा मण्डल, आगरा में ऐसे कौन-कौन पुस्तकालयाध्यक्ष (लाइब्रेरियन्स) हैं जिनके वेतन मानों का पुनरीक्षण राजाज्ञा संख्या (क) 1782/15–3049–1968, दिनांक 15 मार्च, 1969 एवं उसी के तारतम्य में उप सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या (क) 6801/1–156–1969 के अन्तर्गत नहीं किया गया है। उक्त वेतन मान पुनरीक्षित न किये जाने के क्या कारण हैं और उसके लिये कौन-कौन उत्तरदायी हैं तथा कब तक ऐसे पुस्तकाध्यक्षों के वेतन-मानों का पुनरीक्षण पूर्ण हो जायगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

शासनादेश संख्या क/1782/पन्द्रह–3049/1968, दिनांक 15 मार्च, 1969 तथा संख्या क/6808/पन्द्रह–3049/1968, दिनांक 31 अक्तूबर, 1969 में केवल शिक्षकों के वेतनमान पुनरीक्षित किये गये थे। पुस्तकालयाध्यक्षों/लिपिकों के वेतनमान भी शासनादेश संख्या क/7422/पन्द्रह–3049/1968, दिनांक 5 दिसम्बर, 1969 में पुनरीक्षित किये जा चुके हैं, यह पुनरीक्षण 1 जुलाई, 1969 से किया गया है।

जिला अलीगढ़ से आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस हेतु आवेदन–पत्र

11—श्री कल्याण सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1 जनवरी, 1970 से 16 नवम्बर, 1972 तक की अवधि में जिला अलीगढ़ में बन्दूकों, रिवाल्वर्स और पिस्टल्स के लाइसेन्स प्राप्त करने

हेतु कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और उनमें से कितने को उपरोक्त लाइसेन्स स्वीकार किये गये और शेष की अस्वीकृति के क्या कारण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला अलीगढ़ में 1 जनवरी, 1970 से 16 नवम्बर, 1972 तक की अवधि में कुल 7,595 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए । उनमें से 2754 व्यक्तियों को लाइसेन्स स्वीकार किये गये । 3,881 आवेदन-पत्र अस्वीकार किये गये तथा 960 आवेदन-पत्र विचाराधीन है । आवेदन-पत्रों की अस्वीकृत के मुख्य कारण निम्नांकित हैं:—

(1) प्रार्थियों के चरित्र, पूर्ववृत्ति व व्यवहार के बारे में प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट (2) प्रार्थीगणों के पास आग्नेयास्त्र को सुरक्षित रखने के साधनों का अभाव (3) प्रार्थीगणों के पास जान-माल की सुरक्षा के लिए पहले से ही आग्नेयास्त्रों का होना ।

12—श्री कल्याण सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उद्योग स्थापना हेतु केन्द्रीय सरकार से प्राप्त लाइसेंस

13—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1971–72 और 1972–73 से दिनांक 15–11–72 तक केन्द्रीय सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को किन-किन उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेन्स प्राप्त हो चुके हैं तथा सरकार ने उनके सम्बन्ध में किस-किस चरण की कार्यवाही पूर्ण कर ली है तथा वह कारखाने कब तक स्थापित हो जायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

राज्य सरकार को कोई लाइसेन्स प्राप्त नहीं हुआ है । परन्तु भारत सरकार ने राज्य औद्योगिक विकास निगम को चार बड़े उद्योग—स्टील बिलेट्स, स्कूटर्स, सेफ्टी रेजर ब्लेड्स तथा प्रिंटिंग मशीनरी की इकाइयां लगाने हेतु अनुमति-पत्र प्रदान किये हैं जिनकी अनुमानित लागत क्रमशः 7.50 करोड़ रु0, 3.75 करोड़ रु0 3.54 करोड़ रु0 तथा 2 करोड़ रु0 होगी ? इनमें से स्टील बिलेट्स प्लांट को मेसर्स रेनबो स्टील्स मुजफ्फरनगर के सहयोग से बलिया जिले में तथा प्रिंटिंग मशीनरी इकाई को मेसर्स पजाब प्रेस, कानपुर के सहयोग से उन्नाव जिले में स्थापित किये जाने का निश्चय हुआ है । शेष दो इकाइयों की स्थापना हेतु स्थल अभी निर्णीत नहीं हुआ है । वैसे स्कूटर्स प्रोजेक्ट के लिये भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में लखनऊ में लगाई जाने वाली स्कूटर्स इंडिया लि0 से सहयोग किये जाने हेतु प्रयास चल रहा है । सेफ्टी रेजर ब्लेड्स की प्रोजेक्ट हेतु मेसर्स सेन्ट्रान औरंगाबाद के साथ सहयोग किये जाने हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

14–15—श्री कल्याण सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

अलीगढ़ के मान्यता प्राप्त हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेजों के अध्यापकों का वेतन भुगतान

16—श्री कल्याण सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला अलीगढ़ में ऐसे कौन-कौन से गैर-सरकारी मान्यता एवं अनुदान प्राप्त हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज हैं जहां कि प्रबन्धाधिकारियों के द्वारा हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा कर्मचारियों का वेतन भुगतान) अध्यादेश के अधीन अनुसूचित बैंकों में खाता खोले जाने के बावजूद भी दिनांक 20 अक्तूबर, 1972

तक नियमानुसार अध्यापक एवं कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो वेतन का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ? तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ऐसे निम्न 11 विद्यालय हैं जिनके अध्यापकों एवं कर्मचारियों को दिनांक 20 अक्तूबर, 72 तक वेतन का भुगतान न हो सका किन्तु उसके बाद वेतन वितरण हेतु चेक काट दिये गये । इन विद्यालयों के प्रबन्धकों से समय पर वेतन बिल एवं सम्बन्धित पत्रादि प्राप्त न होने के कारण वेतन नहीं बट सका । प्रबन्धकों को नोटिस द्वारा चेतावनी दे दी गई ।

1—विद्यामन्दिर इण्टर कालेज, मऊचिरायल, अलीगढ़ ।
2—महाराना प्रताप इण्टर कालेज, सुजावलपुर, अलीगढ़ ।
3—बिहारी लाल भारती उ0 मा0 विद्यालय, खालीमुकीमपुर, अलीगढ़ ।
4—श्री महेश्वर कन्या इण्टर कालेज, अलीगढ़ ।
5—सेठ हरचरन दास कन्या इण्टर कालेज, हाथरस, अलीगढ़ ।
6—जनता इण्टर कालेज, बरसौली, अलीगढ़ ।
7—चिरंजी लाल कन्या इन्टर कालेज, अलीगढ़ ।
8—आर0 सी0 कन्या इन्टर कालेज, हाथरस, अलीगढ़ ।
9—संस्कृत कन्या उ0 मा0 विद्यालय, अलीगढ़ ।
10—उदय सिंह जन कन्या इन्टर कालेज, अलीगढ़ ।
11—आदर्श भारती उ0 मा0 विद्यालय, कलवा, अलीगढ़ ।

मुरादाबाद व बिजनौर में डकैती की घटनायें

17—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद-बिजनौर में जनवरी, 1972 से 30 नवम्बर, 1972 तक कुल कितनी डकैतियां पड़ी हैं और 23 अक्तूबर, 1972 को मंसूरी एक्सप्रेस में हल्दौर-बिजनौर में जो डाका पड़ा था, उस डकैती में अब तक कुल कितने अपराधी पकड़े गये हैं और उन्हें क्या-क्या सजा दी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार उल्लिखित अवधि में मुरादाबाद में 68 तथा बिजनौर में 52 डकैतियों की रिपोर्ट दर्ज हुई । 23 अक्टूबर 72 को मंसूरी एक्सप्रेस में हल्दौर-बिजनौर में जो डाका पड़ा था उस डकैती में प्रकाश में आये सभी 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । इस सम्बन्ध में धारा 396 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत दर्ज अभियोग की विवेचना की जा रही है ।

18—श्री कल्याण सिंह—

[समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

हरदोई से प्राप्त इन्टरटेनमेन्ट एवं बेटिंग कर

19—श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 में हरदोई जिले से इन्टरटेनमेन्ट एवं बेटिंग कर से सरकार को कितनी आय प्राप्त हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

हरदोई जिले से विगत तीन वर्षों में मनोरंजन कर से निम्नलिखित आय हुई:

वर्ष	आय रु0 पै0
1969-70	2,32,159.57
1970-71	2,26,887.43
1971-72	2,29,768.78

जहां तक बेटिंग टैक्स का प्रश्न है इस जिले में घुड़दौड़ इत्यादि नहीं होती, अतः इस से कोई आय नहीं हुई ।

मीरपुर (शाहजहांपुर) के हरिजनों की शिकायत की जांच

20--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि ग्राम मीरपुर, तहसील व थाना पुवाया, जिला शाहजहांपुर के 70 हरिजन परिवारों में से 50 हरिजन परिवार सवर्णों ने गांव से निकाल दिये तथा जबर्दस्ती बचे हुए हरिजनों से बेगार लेते हैं जिसकी लिखित शिकायतें हरिजनों ने जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर से दिनांक 30-9-72 को की, जिसकी जांच परगनाधिकारी पुवायां को 26-11-72 को की । यदि हां, तो जांच से क्या सिद्ध हुआ और क्या जांच के बाद हरिजन सन्तुष्ट हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और निकाले हुए 50 हरिजन परिवारों को बसाने का आदेश परगनाधिकारी ने दिया अथवा नहीं और जांच इतनी देर से क्यों की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

ग्राम मीरपुर तहसील पुवांया, जिला शाहजहांपुर के हरिजनों का नहीं बल्कि पिछड़ी जाति के कुछ व्यक्तियों का प्रार्थना पत्र दिनांक 30 9 72 प्रशनकर्ता के पत्र दिनांक 7-10-72 के साथ प्राप्त हुआ था जिसमें ग्राम के सवर्ण प्रधान के विरुद्ध ग्राम के कुछ लोगों पर अत्याचार कर के उन्हें ग्राम से भगा देने, बेगार लेने आदि के आरोप लगाये गये थे । इस शिकायती-पत्र की जांच परगनाधिकारी ने 26-11-72 को की । जांच के दौरान शिकायत कर्ताओं ने बताया कि वे लोग अब प्रधान के यहां मजदूरी नहीं करते और उन्हें अब कोई शिकायत नहीं है । जांच से यह बात सही नहीं पाई गई कि सवर्णों द्वारा अत्याचार किये जने के कारण लोग ग्राम छोड़ कर भाग गये हैं ।

इन्हीं आरोपों की जांच पहले कर लिये जाने तथा परगनाधिकार के अन्य कार्यों में लगे रहने के कारण जांच में कुछ विलम्ब हुआ ।

गोरखपुर के बी० टी० सी० ट्रेनिंग में भाग लेने वाले अध्यापकों की नियुक्ति

21--श्रीमती मसाली देवी--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में 1972 के बी0 टी0 सी0 ट्रेनिंग में कितने अध्यापकों ने भाग लिया और उनमें कितने उत्तीर्ण हुए हैं ? कितने अध्यापकों की नियुक्तियां विद्यालयों में हुई और कितने अध्यापकों के प्रार्थना-पत्र विचरार्थ न है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

गोरखपुर जिले में 1972 के बी0 टी0 सी0 ट्रेनिंग में कुल 360 अध्यापकों नें भाग लिया । 330 अध्यापक उत्तीर्ण हुए ।

367 अध्यापकों की नियुक्तियां विद्यालयों में हुई जिसमें से 317 जनपद के दीक्षा विद्यालयों से उत्तीर्ण हुए तथा 50 अध्यापक वे हैं जो या तो जनपद से बाहर प्रशिक्षणार्थ भेजे गये थे या पूर्व वर्षों में अनुत्तीर्ण हो गये थे और 1972 में उत्तीर्ण हुये ।

1 अध्यापक का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

प्रश्न का समय तो समाप्त हो गया लेकिन मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस पर आप अपनी व्यवस्था तो दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने व्यवस्था दे दी कि 15 रोज बाद यह रखा जायगा । यह करण में है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

'करण' में क्या है ? ऐसे व्यवस्था नहीं चलेगी । नियमों के विपरीत कोई व्यवस्था नहीं चलेगी । जैसा कि मैंने आपको पहले 38(2) नियम को पढ़कर सुनाया, उसके अन्तर्गत जो आपको अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार के अन्तर्गत अति शीघ्र इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिये । इस सत्र के अन्दर ही इस प्रश्न का उत्तर मिलना आवश्यक है ।

श्री अध्यक्ष--

जी नहीं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

15 दिन की बात कहां से आ गई ?

श्री अध्यक्ष--

बात यह है कि आपने जो नियम अभी पढ़ कर सुनाया, हमने यह कर दिया है कि अगर उत्तर न आया तो 15 दिन के बाद आयेगा । आप चाहते हैं कि तिथि निश्चित कर दें तो हम 15 दिन में ही करेंगे क्योंकि उत्तर के आने में समय लगेगा । अगर निश्चित समय बता देते हैं तो निश्चित आर्डर होंगे । 15 दिन में उत्तर आयेगा ।

श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)--

अध्यक्ष महोदय, 21-12-72 को समय दे चुके हैं ।

कमीशन, कारपोरेशन तथा समितियों में सदन के सदस्यों को मनोनीत करने के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

*श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)--

श्रीमन्, मैं यह जनना चाहता हूं । वह इससे सम्बन्धित नहीं है । वह दूसरी बात है । मैंने 28 नवम्बर को माननीय मुख्य मन्त्री जी को एक पत्र लिखा था कि आपने बहुत से कमीशन, कारपोरेशन और समितियां कायम की हैं जिसमें इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों को उनमें नामजद किया है और उनके लिये भत्ते वगैरा मंजूर किये हैं । वह कानून के मुताबिक असेम्बली के मेम्बरों को जो मिलते हैं जो वह पा सकते हैं, उनसे ज्यादा हैं । मैंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जानना चाहा था कि जिन जिन कमीशन्स और समितियों तथा कारपोरेशन्स में असेम्बली के मेम्बरों को नियुक्त किया है वह बता दें क्योंकि इससे आफिस आफ प्राफिट का उल्लंघन होता है और उस दिन से वे मेम्बर नहीं रहेंगे। माननीय त्रिपाठी जी ने 13 दिसम्बर को जवाब दिया है कि आपका पत्र मिला और सूचना इकट्ठी की जा रही है। आज पांच सप्ताह हो गये हैं। यहां मैंने सवाल उठा दिया है वैसे मैं दूसरा पत्र उनको लिखता। लेकिन अब शायद आफिस आफ प्राफिट के संशोधन करने की कोशिश की जा रही है। इसलिये कि जो डिसक्वालीफाई हो गये हैं उनको दूर किया जा सके। लेकिन अगर वे डिसक्वालीफाई हो गये हैं तो वह दूर नहीं की जा सकती क्योंकि फाइनेन्स से उसका पेमेन्ट हो चुका है। इसलिये वे बता देने की कृपा करें वरना यह है कि गवर्नर से कहा जायगा और वह आप से पूछें या सीधे पूछें क्योंकि यह कास्टीट्यूशनल बात है। इसलिये माननीय त्रिपाठी जी सूचना देने की कृपा करें।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

मान्यवर, चौधरी साहब का पत्र जरूर आया था और मैंने मुख्य सचिव को लिख दिया था कि शीघ्र से शीघ्र सूचना भेज दी जाये। उन्होंने मुझे सूचित किया था कि वे शीघ्र सूचना भेज देंगे। तदनुसार मैंने चौधरी साहब को सूचित कर दिया था। मुझे खेद है कि अभी तक उनके पास सूचना नहीं भेजी गई है। मैं इसकी जांच करा लूंगा। इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है कि कोई ऐसा बिल पेश होगा पहले बिल पेश हुआ था।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

वह तो सरक्युलेट हो गया है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यदि ऐसी कोई बात है तो वह सदन के सामने आयेगा उस समय जो कहना होगा वह कहा जाएगा। सूचना में तत्काल भिजवाने का प्रयत्न करूंगा।

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास एक कापी भेज दीजिये।

श्री चरण सिंह---

जो हां, जरूर भेजूंगा। माननीय त्रिपाठी जी अत्यन्त व्यस्त हैं। उनकी स्मृति से यह बात दूर हो गई क्योंकि सब लोग बता रहे हैं कि इसका अमेन्डमेन्ट सरक्युलेट हो चुका है और वे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैं निवेदन करता हूं कि अगर ऐसा है तो वह सदन के सामने आयेगा। जिसमें किसी कमिश्नर वगैरा को डिस्क्वालिफिकेशन से बरी किया था, उसमें उनके बारे में कुछ जोड़ा गया होगा। मुमकिन है कि इस तरह का कोई विधेयक आता होगा, कब आ रहा है अभी मुझे मालूम नहीं है, एजेंडा आयगा तो सदन के सामने आयेगा और बिल आपके द्वारा पारित होगा। लेकिन जो सूचना चौधरी साहब को मिलनी चाहिये थी वह अभी तक नहीं गई, मैं समझता हूं वह अब तक चली जाना चाहिये थी, कदाचित इसलिये ऐसा हुआ कि पुराने मुख्य सचिव चले गये और उनके स्थान पर नये आ गये हैं, कहीं वह रुक गई होगी, हमारी अब चेष्टा है कि वह सूचना जल्द ही एकत्र कर के भेज दी जाय।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

अध्यक्ष महोदय, कल सदन में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि श्री राज नारायण जी को बिना शर्त ससम्मान जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन मुझे सूचना मिली है कि कल शाम को जिला जज की अदालत से वह व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा हुए हैं। इस तरह से मुख्य मन्त्री जी ने सदन को गलत सूचना देकर गुमराह किया है। मैं उनके खिलाफ सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न उठा रहा हूं, इसकी लिखित सूचना मैं आपको दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

यह आप लिखकर देने को कह रहे हैं लेकिन मेरे पास 2 प्रश्न विशेषाधिकार के लिखित आए हैं।

श्री शिवदास—

कल मैं लिखित भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आपने अभी लिखित नहीं भेजा है, जो 2 की सूचना लिखित आई हैं मैंने उन पर लिख दिया है। आप आज लिखित भेज दीजिये, मैं उस पर स्पष्टीकरण मांग लूंगा और उसके बाद में उस पर फैसला दूंगा। मैं पहले हमेशा स्पष्टीकरण उन पर मांगता हूं, उस पर स्पष्टीकरण पहले आना चाहिये और उस पर मैं फैसला करता हूं। यह आप का भी लिखित आयेगा तो उस पर पहले मैं सरकार से स्पष्टीकरण मांग लूंगा और बाद में उस पर फैसला होगा।

(वक्तव्य के लिए सम्बन्धित मन्त्री को पुकारे जाने पर)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

यह विशेषाधिकार की जो 2 नोटिसें लिखित दी गई हैं उनको आप मेहरबानी कर के पढ़कर सुना दें और उसके बाद आप उन पर जो अग्रेतर कार्यवाही आवश्यक समझें वह करें।

श्री अध्यक्ष—

एक तो यह श्री सुरेन्द्र विक्रम का है आज के अतारांकित प्रश्न 20 के लिखित उत्तर के सम्बन्ध में, वह इस प्रकार है:—

निवेदन यह है कि आज अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का लिखित उत्तर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने दिया है कि परगनाधिकारी ने जांच 26-11-72 को की और अब शिकायत कर्ताओं को कोई शिकायत नहीं है यह सत्य से परे है। शिकायतें ग्राम मोरपुर के पिछड़ी जाति के निवासियों को आज तक है और इस विषय में उपरोक्त गांव के पिछड़ी जाति के निवासी दिसम्बर, 72 व जनवरी, 73 में मेरे पत्र के साथ बयान हल्फी विधिवत् स्टाम्प पर मुख्य मन्त्री जी को भेज चुके हैं।

अतः यह उत्तर देना कि अब शिकायतें नहीं हैं, निराधार है। यह कतई असत्य है। जान-बूझकर तथ्यों को छिपाया जा रहा है कुछ राजनैतिक कारणों से दिये जा रहे हैं। विधान सभा और जनतंत्र को मखौल उड़ रही है। अतः इस विषय में विशेषाधिकार भंग हुआ है और इस गलतबयानी तथा तथ्यों को छिपाने हेतु मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस देता हूं। मैं उनसे स्टेटमेन्ट ले लूंगा कि उनको क्या कहना है।

इसी तरह से दूसरा कल्पनाथ सिंह जी का है जिसमें गोरखपुर फर्टिलाइजर कारखाने में हड़ताल के सिलसिले में जो चर्चा एवं प्रश्न विधान सभा में हुए उसमें राज्य मंत्री श्रम ने बार-बार

यह कहा कि प्रबन्धकों ने मान्यता प्राप्त यूनियन से ही बात करना चाहा था। और नियमतः उन्हीं से बात करके समझौता करना चाहा था। किन्तु यह बात तथ्य से परे है। श्री रमाकान्त पांडे जो ऐक्शन कमेटी के संयोजक या संचालक हैं, उन्होंने मुझसे बताया है कि श्री के० एल० मेहरा प्रबन्धक फर्टिलाइजर कारखाना, गोरखपुर, ने एक पत्र उन्हें लिखा था कि आपकी मांगों के सम्बन्ध में म बात करूंगा। किन्तु इस पत्र के बाद भी वह अनजाने कारणों से मुकर गये। अतः माननीय मन्त्री जी का वक्तव्य भ्रमपूर्ण है जिसे, मैं समझता हूं कि, इन्होंने तथ्यों को छिपाने के लिए दिया है।

अतः प्रक्रिया नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत सदन के अवमान का प्रश्न माननीय राज्यमन्त्री के विरुद्ध उठाने हेतु माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा चाहता हूं।" इस पर भी मैंने स्पष्टीकरण मांगा है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, इस सिलसिले में एक निवेदन करना चाहता हूं कि गोरखपुर खाद के कारखाने के मैनेजर साहब जो हैं, उनसे भी पूछ कर कन्फर्म कर लें कि उन्होंने रमाकान्त पांडेय को कोई पत्र लिखा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

जब मैंने आपके प्रश्न को सरकार को भेजा है तो जो उनका उत्तर आएगा यदि उससे आप भी संतुष्ट हो गये तो फिर क्या जरूरत होगी ? जो उत्तर सरकार का आयेगा, उसे आपको सुनाऊंगा।

तहसील डलमऊ (रायबरेली) के कृषि केन्द्र पर कृषि विभाग के सुपरवाईजर द्वारा कृषकों को गेहूं का बीज न देकर काले बाजार में बेंचने के सम्बन्ध में वक्तव्य का स्थगन

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

श्रीमन्, इनका जो वक्तव्य है वह असत्य है। डलमऊ में है.....

श्री अध्यक्ष--

पहले यह पढ़ तो लें।

(श्री श्याम सूरत उपाध्याय द्वारा वक्तव्य पढ़े जाने पर)

आपने जो वक्तव्य भेजा है, वह बड़ा ही अस्पष्ट टाइप में है। मैं इसको पढ़ नहीं सकता हूं।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

श्रीमन्, यह इतना डिम है कि पढ़ा ही नहीं जाता है। आप इन्हें हिदायत तो दे दें कि आइन्दा तो ठीक से छाप कर दें।

श्री अध्यक्ष--

आप इसे दूसरे दिन दें। जो वक्तव्य आपने भेजा है वह पढ़ा ही नहीं जा सकता है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

श्रीमन्, इनसे कह दें कि इसको करेक्ट करके लावें ?

श्री अध्यक्ष--

आप सूचना दे दें कि किस समय होगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

एक कामरोको प्रस्ताव माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह, बंशीधर पांडेय, और राम बिलास पांडेय का है। मैंने इसको अस्वीकार किया है। इसमें एक व्यक्ति के मारे जाने की सूचना है। यह प्रश्न ऐसा नहीं कि इसे कामरोको के रूप में स्वीकार किया जाय।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, व्यक्ति ही समूह होता है। आज करीब-करीब साल भर में डेढ़ सौ घटनायें हरिजनों के मारने की इस प्रदेश में हुई हैं और समय-समय पर इधर के साथियों ने इस प्रश्न को उठाया है। बांदा जिला कुछ ऐसे कामों के लिए ज्यादा चुन लिया गया है। वहां पर ही 10 घटनायें इस प्रकार की हो चुकी हैं। उनमें कुछ नेता भी मारे गये हैं। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कुछ टेन्डेन्सी ऐसी हो गयी है कि जो इस प्रकार के प्रहार के लिए . . . .

श्री अध्यक्ष--

आप अल्प सूचित प्रश्न ले आयें।

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, आपइसे नियम 51 में ही ले लें ?

श्री अध्यक्ष--

ठीक है आप नियम 51 में ले आयें। मुझे लिख कर दे दें।

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, आप इसको कल ले लें, मैं लिख कर भेज दूंगा।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैंने नियम 55 में सूचना दी थी कि छः हजार लड़कों ने टिकट के ब्लेक के सिलसिले में कानपुर के कमला टावर पर हमला किया. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

उसको वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

श्री बंशीधर पांडेय--

इसमें मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें एक आदमी ने मोनोपोली करके सारे टिकटों को चौगुने दामों पर बिकवा दिया।

श्री अध्यक्ष--

इसकी सूचना आपको मिल गई है।

श्री बंशीधर पांडेय--

मान्यवर, एक तरफ हिन्दुस्तान जीत रहा है और एक तरफ टिकटों का ब्लेक मेल हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

उसका आप स्पष्टीकरण चाहते हैं वह दिलवा देते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, एक निवेदन था कि नियम 51 की सूचना में खाद की चोरबाजारी और न मिलने के सिलसिले में दिया था। मान्यवर, मैं गोरखपुर डिवीजन की बात जानता हूं कि वहां पर यूरिया खाद बिलकुल उपलब्ध नहीं है। पचपन और छप्पन रुपये बोरे के हिसाब से खाद वहां बिक रही है। मन्त्री जी बैठे हुए हैं। इन्होंने तो चौपट कर दिया है सारे प्रदेश के किसानों को। खाद वहां बिलकुल नहीं मिल रही है। मेरा एक निवेदन यह है कि अगर आपने जो सूचना मुनासिब समझी उसको एक्सेप्ट कर लिया 51 में उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इस पर वक्तव्य दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आज आप मेरे कक्ष में आ जाइये तीन या साढ़े तीन बजे उसको वक्तव्य के लिये कर दूंगा।

उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1972†,

*सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1972, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। पंचायतों के संचालन में हमारे प्रदेश में अनेक कठिनाइयां अनुभव होती हैं। क्षेत्र समिति और जिला परिषद् के संचालन में भी कुछ कठिनाइयां अनुभव होती हैं। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये मैं आदरणीय सदन में उस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन हैं जो कि पंचायतों के संचालन के लिये क्षेत्र समितियों के संचालन के लिये बहुत ही आवश्यक हैं। खंड 2 यू0पी0 पंचायत राज ऐक्ट की धारा 11 में यह संशोधन करने का प्रस्ताव है कि उपप्रधान का चुनाव अगर पंचायत न कर सके तो उसका नामांकन किया जा सकता है और वह विहित प्राधिकारी उसका नामांकन करेगा और इसी संशोधन में यह भी प्राविधान किया गया है कि एक वर्ष के पहले उप प्रधान की अवधि होती थी किन्तु जब साल भर में उपप्रधान का चुनाव होता था तो कोई नामांकन पत्र दाखिल करने के लिये नहीं आता था। यह समझकर कि यह साल भर में यह जगह रिक्त होने वाली है अब इसमें यह प्राविधान किया गया है कि उपप्रधान का भी कार्यकाल पांच साल का कर दिया गया है और उसको हटाने की प्रक्रिया भी उसी तरह से होगी जिस तरह से कि ग्राम सभा प्रधान को अविश्वास से हटाया जा सकता है। उप प्रधान को ग्राम पंचायत विश्वास करके हटा सकती है।

मान्यवर, खंड 2 में जो मूल अधिनियम है धारा 11(6) में उसमें यह संशोधन किया गया है कि प्रधान ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होगा। उसको उप प्रधान के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करना होता है इसलिये उसको मतदान से वंचित किया गया है और साथ ही साथ इस उद्देश्य से भी कि एक व्यक्ति दो पदों पर न रह सके। प्रधान और उप प्रधान ग्राम सभा के सभापति उप सभापति पदेन रहेंगे और अपने कार्य का निर्वाहन करते रहेंगे। यदि

---

†22 दिसम्बर, 1972 की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

कोई प्रधान अपने पद की शपथ नहीं लेगा तो उसका पद रिक्त समझा जायगा। अब तक ऐसा कोई प्राविधान नहीं था। अब यह किया है कि अगर कोई किन्हीं कारणों से शपथ लेने न आवे तो उसकी जगह दूसरे प्रधान का चयन किया जा सकता है। गत वर्ष जो चुनाव हुआ तो देहरादून के प्रधानों ने सामूहिक रूप से शपथ लेने से इंकार कर दिया। फतेहपुर से भी इस प्रकार की शिकायत आयी। इस परिस्थिति को संभालने के लिए प्रस्तुत संशोधन किया गया है। एक और महत्वपूर्ण संशोधन यह किया गया है कि जो प्रधान चुनाव में पराजित हो जाता है और जो नया प्रधान आता है उसको वह अभिलेख, या जो धन उसके पास रहता है उसका चार्ज नहीं देता तो अब उसको अनिवार्य रूप से नये प्रधान को धन का और अभिलेखों का चार्ज देना होगा। अगर वह नहीं देगा तो उसके खिलाफ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकता और उसको कारावास व जुर्माना हो सकता है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

यह सब जनतंत्र की हत्या करने वाले हैं।

श्री बलदेव सिंह आर्य---

इनसे जनतंत्र की रक्षा होगी। मान्यवर, संशोधन विधेयक में यह प्राविधान किया गया है कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा की समिति होंगी और वही उसकी व्यवस्था करेगी और अब इसके लिए कोई अलग से समिति नहीं बनायी जायगी। आमतौर से 7 से 15 तक सदस्य ग्राम पंचायत में होते हैं। यही समिति ग्राम समाज की भी व्यवस्था करेगी। भूमि प्रबन्धक समिति जो भूमि ग्राम समाज की है उसको किसी को रहन नहीं रख सकती, न किसी को स्थायी रूप से हस्तान्तरण कर सकती है, वह जमीन किराये पर दी जा सकती है यह प्राविधान कर दिया गया है। खंड में ग्राम पंचायतों को यह सुविधा दी गयी है कि दो या उससे अधिक गांव मिल कर एक संयुक्त समिति का निर्माण कर सकते हैं। यह इसलिए किया है कि अगर अन्तर-ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना हो, कोई पंचायती उद्योग की स्थापना करनी हो, गांव की सिंचाई की कोई व्यवस्था करनी हो तो उसके लिए दो तीन गांव मिल कर एक संयुक्त समिति का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह का प्राविधान इस विधेयक में किया गया है।

मान्यवर, पंचायतों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक है। हमारे प्रदेश में पंचायत करों से लगभग 97 लाख वार्षिक आय होती है। 72000 पंचायतें हमारे प्रदेश में काम करती हैं। वह इतने कम धन से गांवों का निर्माण कार्य नहीं कर सकती हैं। तो अब इस बात का इस संशोधन विधेयक में प्राविधान कर दिया गया है कि वह गांव में उत्पादन कार्य करने के लिए शेड्यूल्ड बैंक्स से और सहकारी बैंक्स से ऋण लेकर कोई ऐसा कार्य कर सकती हैं जिससे गांव की आर्थिक स्थिति में वृद्धि हो।

मान्यवर, एक और प्राविधान किया गया है। अब तक पंचायतों को भू-राजस्व कर से एक रुपया पर 6 पैसा कर लगाने का अधिकार दिया गया था। अब इस संशोधन विधेयक के द्वारा 25 पैसे तक कर लगाने का अधिकार पंचायतों को दिया गया है। अब वह 6 पैसे से लेकर 25 पैसे तक भू-राजस्व कर पर पंचायत कर लगा सकती हैं। गत वर्ष जो पंचायतों के चुनाव हुए हैं उनमें कुछ उत्साही प्रधान चुनकर आये हैं और वह अपने गांव में विकास के कार्य करना चाहते हैं। तो उनको इस बात का अवसर प्रदान करने के लिए यह प्राविधान किया गया है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

कहां-कहां के प्रधानों ने मन्त्री जी को या सरकार को लिखा है कि उनको यह अधिकार दिया जाय कि वह 6 पैसे की जगह 25 पैसे भू-राजस्व कर पर ले सकें।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैं अनेक पंचायत सम्मेलनों में शामिल हुआ हूं। वाराणसी वगैरह में प्रधानों ने कहा कि वह गांवों में विकास के कार्य करना चाहते हैं लेकिन धन की कमी से वह ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिये उनको अधिकार मिलना चाहिये कि अधिक आय कर सकें। मेरे साथी श्री कल्पनाथ सिंह ने कहा है कि हमने भू-राजस्व कर पर 25 पैसे प्रति रुपया तक पंचायतों को कर लगाने का अधिकार दिया है। तो यह तो ग्राम पंचायतों पर निर्भर है कि चाहे वह 6 पैसे लगावें या 10 या 20 पैसे लगावें। जितना वह वसूल कर सकते हैं उतना लगावें।

मान्यवर, इसमें एक संशोधन यह है कि न्याय पंचायतों में ग्राम पंचायतों के सदस्य जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अनेक न्याय पंचायतों में स्थान रिक्त होते हैं और अब पंचायतों का कार्य इतना बढ़ गया है कि विकास के कार्य में हम ग्राम पंचायतों को वह अधिकार देना चाहते हैं कि जिससे वह अपने गांव के विकास के काम में पूरी दिलचस्पी ले सकें। इस स्थिति को देखते हुए जो मौजूदा पंचायत सदस्य हैं वह न्याय पंचायत में जाना पसन्द नहीं करते हैं, इसलिए यह प्राविधान किया गया है कि यदि निहित प्राधिकारी यह देखें कि कोई स्थान रिक्त है तो वह गांव के सदस्यों में से नामांकन कर सकता है ताकि वह न्याय पंचायत पूरी तरह से संगठित की जा सके।

श्री पारस नाथ सिंह (जिला बहराइच)—

वह जो ग्राम पंचायत का सदस्य न्याय पंचायत का सदस्य हो जावेगा, तो क्या दोनों की सदस्यता का वह अधिकारी रहेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैंने तो ग्राम सभा कहा। अगर कोई सदस्य न्याय पंचायत में जाता है तो उसका स्थान ग्राम पंचायत में रिक्त होता है। वह एक ही जगह रह सकता है लेकिन ग्राम सभा का सदस्य वह बराबर बना रहेगा। उसको ग्राम सभा का सदस्य बनाने में कोई रुकावट नहीं है।

मान्यवर, एक और महत्वपूर्ण संशोधन है कि जो पंचायतों के सम्बन्ध में नियम बनाये जाते हैं तो उन नियमों के प्रकाशन के पहले आपत्तियां मांगी जाती हैं। अनुभव ने यह बताया कि न तो कोई आपत्ति भेजता है और न कोई खास दिलचस्पी लेता है। उसमें समय अधिक लग जाता है। वह विधान मण्डल के सदन के समक्ष 30 दिन तक रखा रहेगा। 30 दिन के बाद अन्तिम रूप दिया जायेगा। तो पंचायतों के संगठन के सम्बन्ध में एक यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

क्षेत्र समिति और जिला परिषद् के सम्बन्ध में भी थोड़े से संशोधन हैं जिनका यहां उल्लेख कर देना चाहता हूं। क्षेत्र समिति तब संगठित मानी जायेगी जब क्षेत्र समिति के सदस्य और जो अनुमेलन के द्वारा आ गये हों, उसकी विज्ञप्ति के जरिये से क्षेत्र समिति संगठित मानी जायेगी। पहले यह नियम स्पष्ट नहीं था। अब साफ कर दिया गया है। क्षेत्र समिति के जो प्रतिनिधि क्षेत्र समिति में आते हैं, उनको अनुमेलन में भाग लेने से बंचित कर दिया गया है। वे स्वयं अनुमेलित हैं और हरिजन और महिलाओं में से जो अनुमेलन होता है, उसमें वे भाग नहीं ले सकते हैं। इसी तरह से जिला परिषद् में भी यह प्राविधान कर दिया गया है कि जिला सहकारी संघ से जो जायेगा, वह भी अनुमेलन में भाग नहीं ले सकेगा।

मान्यवर, जहां क्षेत्र समितियों के प्रमुख काम कर रहे हैं, वे तब तक काम करते रहेंगे, जब तक कि नये प्रमुख का चुनाव नहीं होगा। हमने 2 अक्टूबर, 1972 से 197 नये ब्लाक पुनर्जीवित किये हैं। उनके लिए यह व्यवस्था है कि जब विज्ञप्ति के द्वारा संगठित कर दिये जायेंगे तो उसके बाद जिलाधिकारी को यह अधिकार है कि नये प्रमुखों के चुनाव तक वह ऐसी व्यवस्था करे कि जिससे वे क्षेत्र समिति के प्रमुख के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकें। वह, किसी अधिकारी को, चुनाव होने तक, वहां नियुक्त करके, व्यवस्था करेंगे।

श्री पारस नाथ सिंह--

नय प्रमुखों का चुनाव बढ़ता चला जा रहा है । उसे कब करा रहे हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

क्षेत्र समिति के प्रमुखों के चुनाव की तिथि 16 फरवरी रख दी गयी है । पहले 4 फरवरी रखी गयी थी । कितने ही माननीय सदस्यों के आग्रह पर वह तिथि बदल करके यह तिथि रखी गयी है ।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)--

पहले 4 फरवरी थी, फिर 6 फरवरी हुई और अब 16 फरवरी हो गयी है । उसको फिर बदलने का इरादा तो नहीं है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है न 4 फरवरी का और न 6 फरवरी का । लेकिन हमारे जनसंघ के नेता पंडित माधव प्रसाद त्रिपाठी जी और अनेकों सदस्यों ने इस सदन में मुझसे आग्रह किया कि इसमें समय मिलना चाहिये कि हरेक अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में काम कर सके और मैंने उनके इस अनुरोध को स्वीकार किया और उसकी तारीख 16 फरवरी निश्चित कर दी और उससे आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है ।

श्री पारस नाथ सिंह--

लेकिन 12 फरवरी से विधान सभा का सत्र होने वाला है ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

क्षेत्र समिति के चुनाव के बाद ही विधान सभा का सत्र आहूत किया जायेगा, मैं ऐसा माननीय सदस्यों से कह देना चाहता हूं ।

श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)--

प्रमुखों के लिए पर्चा दाखिल करने की तारीख क्या होगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

2 फरवरी, 1973 तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे और 16 फरवरी को चुनाव होंगे ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

नोमिनेशन्स के लिए 29 जनवरी रखी थी । क्या उसे भी तब्दील कर दिया गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

29 जनवरी को बदल दिया गया है । अब 16 फरवरी को चुनाव की तिथि रखी गयी है ।

श्री भाभी यादव--

2 फरवरी तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे । वापसी की कौन सी तारीख रखी गयी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जैसा कि पहले था उसी हिसाब से विदड्राल की तिथि भी रखी जायेगी । जिला कोआपरेटिव बैंक का अध्यक्ष या प्रशासक जिला परिषद् के सदस्य होंगे और इसी तरह से जिला सहकारी संघों के प्रतिनिधि जिला परिषद् के सदस्य होंगे ।

एक महत्वपूर्ण संशोधन यह किया गया है कि अगर सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि न आ सकें तो जिला परिषद् के अध्यक्ष और क्षेत्र प्रमुख के चुनाव में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। दोनों के लिए प्राविधान कर दिया गया है।

ये कुछ महत्वपूर्ण संशोधन थे जिनका इस आदरणीय सदन में उल्लेख कर दिया है। मुझे विश्वास है कि इस आदरणीय सदन के सदस्य इस विधेयक को स्वीकार करेंगे और हमको कार्य करने का अवसर प्रदान करेंगे।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति को भेज दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन 1 माह में दे दें।

श्री दंजनाथ (जिला वाराणसी)--

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या होने वाले चुनावों में एजेन्ट रखने की अनुमति दी जायेगी? कोआपशन्स में एजेन्ट नहीं रखे गये थे। जो अशिक्षित थे या कम पढ़े लिखे थे उनकी वोट डालने का अधिकार प्रिसाइडिंग आफिसर को दे रखा था। प्रिसाइडिंग आफिसर ऐसे थे जिन्होंने बेईमानी की, नाम बताया गया किसी का और उन्होंने अपने इन्ट्रेस्ट में किसी का लिख दिया। मेरी आपसे नम्र प्रार्थना है कि ब्लाक प्रमुखों के होने वाले चुनावों में आप एजेण्ट रखने की अनुमति दें। यह कम पढ़े लिखे और अशिक्षित लोगों के लिए होना जरूरी है।

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मान्यवर, अच्छा होता माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर देते और सब बातों को मैं आखीर में बतला देता। माननीय सदस्य को यह शिकायत है कि जो मतदान केन्द्र है उनमें चुनाव अधिकारी मतदाता के कहने से निशान नहीं लगाते हैं। वे चाहते हैं कि एक मददगार साथ में जाए और वह निशान लगाये। तो अभी तक जो नियम उपलब्ध हैं उनमें यह है कि चुनाव अधिकारी, प्रेसाइडिंग आफिसर, मतदाता के साथ जाकर निशान लगायेगा या जो कहेगा उस हिसाब से मत-पत्र में उसका मत लिख देगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

अब मैं इजाजत नहीं दूंगा।

*श्री रामगोपाल संड---

यह प्रस्ताव करते हुए मैं मन्त्री जी से जो प्रश्न किया गया है कि एजेंट वगैरह की बड़ी अनियमितताय होती हैं, हमारे वोटर भाई अशिक्षित रहते ह, इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं दिया और यह बिल ले आये यहां पर, तो इसको प्रवर समिति में अवश्य भेजें। आपने उद्देश्य और कारण में लिखा है कि प्रधान का जो कार्यकाल एक वर्ष का होता था उसको हम 5 वर्ष करने जा रहे हैं और यह कि प्रधान जो पद-त्याग करते थे वह अभिलेख नहीं देते थे, निधि नहीं देते थे, आपने 36 धारा के अन्दर एक बड़ा भयंकर प्राविधान किया है। मुझे डर है कि आप सब अधिकारों को शासन में केन्द्रित कर रहे हैं जबकि उन पर विचार करने का प्रवर समिति में हमको अधिकार है। एक तो बिल आपने रखा है "ग्राम्य स्वायत्त शासन" और दूसरी ओर उसको बनाने का अधिकार जो जनता के चुने हुए 425 प्रतिनिधियों को था उनकी मदद कुछ ली जाती,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम गोपाल संड]

उसकी बजाय आपने कैबिनेट और शासन को सब अधिकार दे दिया है। आप शेड्यूल्ड बैंकों के द्वारा ग्राम समितियों को अधिकार दे रहे हैं कि विकास के लिए जितना ऋण चाहें ले लें। ये इतने गंभीर प्रश्न हैं कि इसको अवश्य प्रवर समिति में जाना चाहिये।

इस सदन में पिछले 4 वर्षों में ग्राम्य स्वायत्त शासन के बारे में अनेक बिल आये हैं, संशोधन आये हैं और ज्योंही एक कठिनाई आती है, मन्त्री जी हर 6 महीने बाद एक संशोधन ले आते हैं। तो केवल यही एक कारण उपयुक्त है इसको प्रवर समिति में ले जाने के लिए कि जो धारा 36 में खंड 10 के अन्तर्गत आप जल्दबाजी में अधिकार मांग रहे हैं।

आगे लिखा है कि क्षेत्र समिति और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर कुछ परिवर्तन चुनाव नामांकन के द्वारा करने जा रहे हैं। इस देश में प्रजातंत्र और ग्राम्य तंत्र बहुत पुराना है और इसका विवरण हमें लिछवी वंश में भी मिलता है, लेकिन आपके द्वारा केन्द्रीयकरण के द्वारा सारे अधिकार अपने हाथ में ले लेने का निश्चित मतलब है कि हर दो-तीन महीने बाद, छठे महीने बाद हर अधिवेशन में संशोधन ले आते हैं और जल्दबाजी में बना देते हैं।

अभी तक 6 पैसे के हिसाब से समितियां कर वसूल करती थीं और वह भी ठीक प्रकार से वसूल नहीं कर पाती थीं। आपने 6 पैसे की जगह 25 पैसे रख दिया। हम स्वीकार करते हैं कि अधिक कर लगाने का अधिकार उनको होना चाहिये जिससे सही विकास हो सके लेकिन आप हमको उस अधिकार से वंचित कर देते हैं कि 6 पैसे के 12 किये जायं या 25 पैसे किये जायं और नियम वसूली के कौन से बनाय जायं जिनसे यह धन आ सके—इन सब बातों पर हम अच्छी तरह से विचार कर सकें। आपने स्वयं स्वीकार किया कि 72 हजार ग्राम-पंचायतें हैं और 95 लाख रुपया कर वसूल करती हैं और आपकी दया के ऊपर आश्रित हैं। तो ऐसे तमाम तर्क है, उनके अधिकार कैसे बढ़ाये जायें, कितने लोगों को नामांकित किया जाय, चुनाव के अन्दर जो भ्रष्टाचार है जैसा कि भारतीय क्रांतिदल के भाई ने इंगित किया, चुनाव कानून के अन्तर्गत संशोधन नहीं किया, एजेंट मुकरर करने की बात और 16 तारीख को आप चुनाव कराने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो मैंने संशोधन रखा है कि बैंकों के सम्बन्ध में ऋण सम्बन्धी आदेश आदि इन सब प्रश्नों पर प्रवर समिति के अन्दर विचार होना चाहिये और यह विधेयक-प्रवर समिति में अवश्य जाय, जहां इन सब प्रश्नों पर विचार हो, इसको आप स्वीकार करें। उसके बाद एक बड़ा प्रारूप, कांप्रिहेंसिव बिल लायें जिसमें ये सारी व्यवस्था हो। इन शब्दों के साथ में प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति के अन्दर भेजा जाय।

*श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो आज बिल पेश किया गया है इसमें कुछ तरमीमें रखी गयी हैं। इनमें से कुछ अच्छी हैं। मिसाल के लिये, जैसे अभी बताया गया कि अगर कोआपरेटिव साइड से कोटा पूरा नहीं होता है जितने सदस्य होने चाहिये तो उसको नामिनेट कर दिया जायगा इस बात का तो मैं स्वागत करता हूं। परन्तु यह बिल क्यों लाया गया है? इसका कारण यह है कि यह असेम्बली सेशन जब शुरू हुआ पंचायतों के चुनाव के बाद तो उसमें मैंने कुछ खामी देखी जो मंत्री जी की नोटिस में मैं लाया। जो पुराना ऐक्ट हमें मिला उसके सेक्शन 43 में यह प्राविधान है :

"There shall be appointed by the Prescribed Authority out of the members of Gaon Panchayat such number of persons as may be prescribed to the Panchayat and Nyaya Panchayat and thereupon the members so appointed shall cease to be members of the Gaon Panchayat and shall sit in the Gaon Panchayat in the manner provided in section 12."

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यानी धारा 12 के मातहत ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव होगा और उसमें न्याय पंचायतों के सदस्य चुने जायेंगे। इस चुनाव में एक गलती हो गयी। इसका मतलब यह है कि अगर दो सदस्य आपको न्याय पंचायत के लिये चाहिये और 10 सदस्य चाहिये ग्राम पंचायत के लिये तो 12 का चुनाव होना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत बड़ी गलती हो गयी। सिर्फ 10 का चुनाव किया गया। और वह गालिबन इस वजह से किया गया कि आपने गांवों में भी वार्ड्स बना दिये। लेकिन उस वक्त फर्ज था मन्त्री जी का और आपके विभाग के जो कर्मचारी हैं, सेक्रेटरी वगैरह, उनका कि इधर ध्यान देते। लकिन नहीं दिया और चुनाव हो गये।

उसके बाद मैंने सदन में यह सवाल पूछा कि क्या आपसे इस तरह की गलती हुई है। आपने स्वीकार किया। मैंने पूछा कि अब इसका क्या इलाज है, क्या दोबारा चुनाव करायेंगे। आपने कमिट किया था कि हां, हम चुनाव करायेंगे। मैंने आपकी तवज्जह इधर दिलायी कि कितना खर्चा हुआ इस चुनाव में, 72 हजार गांव पंचायते हैं। आपने बताया कि करीब 1 करोड़ रुपया इसमें खर्च हुआ। इसका मतलब यह है कि दोबारा इतना ही रुपया खर्च करने के लिए क्या सरकार तैयार थी। आप कहते थे कि हम करायेंगे लेकिन नहीं कराया और जो तरीका इसमें अख्तियार किया है अमेंडमेंट लाकर कि मूल अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड जोड़ा दिया जाय : प्रतिबन्ध यह है—वह जो मैंने अभी पढ़ कर अंग्रेजी में सुनाया—वह आप बढ़ाना चाहते हैं। न्याय पंचायत का सदस्य होने के लिए वांछित संख्या में गांव पंचायत के सदस्य उपलब्ध न हों। वही तो मैं कह रहा था कि यह न कह कर हम तानाशाही पर जाना चाहते हैं। यह न कह कर कि हम सारा काम नामिनेशन से चलाना चाहते हैं, यह न मान कर कि हमने गलती की है और मामूली गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की है।

मान्यवर, मैं मंत्री महोदय की बहुत इज्जत करता हूं और मैं नहीं चाहता था कि वे इस्तीफा दें, मगर प्रजातंत्र को चलाने के लिये मुझे मजबूर होकर उनसे प्रार्थना करनी पड़ रही है कि वे इस्तीफा दे दें और इस बिल को किसी दूसरे को लाने दें क्योंकि जितना रुपया इसमें इन्वाल्व होगा उसका कोई नतीजा सामने दिखायी नहीं दे रहा है। इसलिये बेहतर यह होगा कि मंत्री जी स्वयं इस्तीफा दे दें। इसमें केवल दो शब्द लिख कर यह कोशिश की जा रही है कि अगर ग्राम पंचायत में पूरे सदस्य न आयें तो नियत प्राधिकारी के लिये यह अधिकार होगा वह आवश्यक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति नामिनेशन द्वारा कर दे। यह रिक्तियां हैं कहां? इनको तो आपने चुना ही नहीं है रिक्तियां तो वह होतीं जब चुनाव के बाद यदि कोई मर जाता या अन्य कारण से स्थान रिक्त हो जाता तो वह रिक्त होती। जो मूल धारा है उसमें यह है कि लोग चुने जायेंगे। यहां आप नामिनेट करने का प्राविजन करने जा रहे हैं। तो यह तो आप ऐक्ट की मूल धारा को ही बदल रहे हैं। ग्राम सभा में तो गांव के सभी लोग उसके सदस्य होते हैं। तो सरकार अपनी मनमानी करने की नियत से यह संशोधन लाना चाहती है ताकि अपने लोगों को न्याय पंचायत में भरा जा सके और अपना प्रभाव बनाए रखा जा सके। मैं मंत्री जी के संबंध में यह नहीं कहना चाहता कि उनकी नियत खराब है, या वे कोई राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन यदि यह संशोधन पास होता है तो इसका नाजायज लाभ उठाने की कोशिश होगी। यह संशोधन मूल धारा के बिलकुल खिलाफ जाता है। प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों के भी बिलकुल खिलाफ जाता है। यह आप केवल इसलिये कर रहे हैं कि आप से एक भूल हो गयी है।

इसलिये मान्यवर, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपा कर इस बिल को वापस ले लें। इससे गांव के चुने हुए लोगों को न्याय नहीं मिलने वाला है। यह प्रजातंत्र के लिये घातक होगा। इससे यह जाहिर होता है कि सरकार दिन पर दिन ऐसा तरीका अपनाना चाहती है जिससे डिक्टेटोरियल पावर्स उसकी बढ़ती चली जाय। हर जगह नामिनेशन का तरीका अपनाना गलत होता है। इसलिये मैं इस संशोधन के खिलाफ हूं जो सरकार ला रही है। इस प्रस्ताव

[श्री बलबीर सिंह]

के संबंध में कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय, मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप फौरन इसका फैसला न कर सके कि हम क्या करें, तो वह जल्दी फैसला नहीं ले सकेंगे, क्योंकि इनमें जो सलाहकार-बड़े बड़े अफसर हैं उनकी बुद्धि के बावजूद बराबर गलत फैसले लिये जा रहे हैं। तो मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि वह इस पोजीशन में हों कि इसको फौरन ही न हटा सके तो यह उनके ही हित में ह वह प्रवर समिति को कम से कम इसको सौंपने को तैयार हो जायं। भले ही थोड़ा समय रखें और फिर उस रिपोर्ट को आ जाने दें और उसके बाद फिर इसको पास किया जाय। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से फिर कहना चाहता हूं कि वह इसको मंजूर करें।

*श्री रियायत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमान्, लगातार पिछले 10-12 साल से इस प्रदेश के अंदर ग्राम सभाओं के चुनाव नहीं हो पाये थे और यह सबने महसूस किया कि इन ग्राम सभाओं के संबंध में कोई एक बड़े मूल परिवर्तन की जरूरत है, जिससे यहां की व्यवस्था को एक प्रजातांत्रिक रूप दिया जाय, जिसका संबंध सबसे नीचे की इकाई-ग्राम से है। उन्होंने सोचा कि एक ऐसी चीज दी जाए, जो ज्यादा से

(इस समय 1 बजे उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए)

ज्यादा असरन्दाज और अच्छी हो और इस प्रदेश की जनता और ग्रामीण जनता के विकास के लिए अच्छी साबित हो। ऐसी तमाम तब्दीलियां बराबर आवश्यक समझी गईं और उसी के लिए एक कमीशन की नियुक्ति भी इस प्रदेश में हुई ताकि वह पूरे मामले की गहराई में जाकर, सारे मामले को सामने रखकर, दूसरे प्रदेशों में ग्राम सभाओं, न्याय पंचायतों का कैसे संचालन होता है, किस तरह से वहां की ग्रामीण जनता की स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने के मामले में कार्य-प्रणाली है तथा कैसा तौर तरीका है, जिससे ग्रामीण जनता को सुख मिल सके, विकास का कार्य आसान हो सके, उनकी आमदनी के जराय बढ़ाये जा सकें--इन सब चीजों को देखकर एक माकूल निर्णय ले सकें। लेकिन चूंकि यह बड़ा लम्बा कार्य था, इससे उसकी अर्से तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी। यदि उसके ही रिपोर्ट का इंतजार किया जाता तो अगले दो-तीन सालों तक इन ग्राम सभाओं के चुनाव, जिनको 10 साल हो चुके थे, और नहीं हो पाते।

चूंकि जनता की मांग थी कि इनके चुनाव जल्दी से जल्दी कराये जायें। इसलिये वह चुनाव कराये गये और जब समय पर वे चुनाव हो गये तो यह आवश्यकता महसूस हुई---जब वे अलग-अलग खंडों में गये, पंचायतों के सम्मेलन हुए, ग्राम सभाओं और न्याय पंचायतों के मेम्बरों से उनकी मेल मुलाकात हुई, तो बातचीत करके यह जरूरी समझा गया कि जब तक उस कमीशन की रिपोर्ट आये उसके आधार पर कोई कम्प्रेहेन्सिव परिवर्तन किया जाए, मूल-परिवर्तन किया जाए और तब तक इस दौरान में आवश्यक अमेण्डमेंड अवश्य किये जायें, इस बिल में ताकि ग्राम-सभाओं का कार्य सुचारु रूप से चल सके और लोगों में काम करने को इंसेंटिव मिल सके। यही चीज समझकर यह अमेण्डमेंट माननीय मंत्री जी ने इस सदन में रखा है। इसमें कुछ ऐसी बातों की तरफ खास कर ध्यान रखा गया है। पहले ग्राम सभाओं के कार्य करने के ढंग से लोगों में एक निराशा का वातावरण व्याप्त हो गया था और गांववाले यह समझने लगे थे कि ये ग्राम सभाएं, पंचायतें व्यक्तिगत कार्यों के लिये हैं। कुछ उनकी आवश्यकताएं परी ही जाएं और किसी ग्राम के किसी विकास के काम में कोई खास उन्नति नहीं हो पायी है, इन सब बातों को सामने रख कर सोचा गया कि इस किस्म के अमेंडमेंट्स लाये जाएं। जो निराशा का वातावरण पैदा हो गया है, प्रजातांत्रिक ढांचे को सफल बनाने के लिये इस देश में सबसे नीची सीढ़ी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ग्राम सभा है उसमें यह भरोसा रहे कि अपने पैरों पर खड़े होकर अपने तरीके से सोच-समझ कर अपने ग्राम और आसपास का विकास कर सकती है। इस उद्देश्य को सामने रखकर खास-खास अमेंडमेंट्स रखे गये हैं।

मिसाल के तौर पर प्रदेश के अन्दर ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां एक-एक मील के दायरे के अन्दर पांच-पांच, छः-छः गांव सभाएं हैं, उस एक मील की आबादी को मिला दिया जाय तो 8-10 हजार की आबादी हो जाती है। गांवों में यह समस्याएं आती हैं कि एक गांव से दूसरे गांव को जाने के लिये बीच में कोई छोटी नदी या नाला पड़ गया जिसकी वजह से रास्ता बिल्कुल नहीं है, वह कैसे ठीक हो, ? इसलिये इस बिल में प्राविधान किया गया कि ऐसे मौकों पर अगर चार-पांच ग्राम सभाएं अपना विकास करना चाहें, सड़क बनाना चाहें तो आपस में बैठ कर संयुक्त समिति बना सकती हैं जिससे चार-पांच ग्राम सभाएं आपस में निर्णय लें कि एक गांव से दूसरे गांव को सड़क बनायी जाये, एक छोटा पुल या पुलिया बनाना चाहें, जितने विकास के कार्य हैं मिलकर कर सकें ताकि उस काम को आसानी से किया जा सके। ग्राम सभाओं के रिसोर्सेज थोड़े हैं। लिहाजा काम कर नहीं सकती। चार-पांच गांव सभाओं के मिलने से उनके रिसोर्सेज बढ़ जायेंगे और अगर मिलकर किसी भी विकास के कार्य के लिये बैंक से कर्जा लेना है तो ले सकते हैं। गांव के आदमी चाहते हैं कि कुछ अपनी जगह से रुपया इकट्ठा करके, कुछ रुपया बाहर से मिल जाए तो विकास का कार्य कर लें लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि साधन जुटाने का तरीका नहीं होता।

अब उसके अन्दर प्राविजन किया गया है कि अगर ऐसी जरूरत पड़े तो एक तो टैक्स के अधिकार हैं, जो इस वक्त लगान पर प्रति रुपया छः पैसे टैक्स ले सकते हैं उसको बढ़ाकर 25 पैसे टैक्स कर दिया है। अगर वह समझते हैं कि हमारे लिए विकास का काम जरूरी है तो वह 25 पैसे तक का टैक्स लगा सकते हैं। यह और भी जरूरी हो गया है चूंकि सवा छः एकड़ तक लगान बिल्कुल समाप्त हो गया। उसकी वजह से भी छः पैसे प्रति रुपये वसूलियाबी उचित नहीं मालूम होती थी। अब 25 पैसे का अधिकार देने के बाद बहुत अच्छी खासी रकम उस गांव के विकास के लिए इकट्ठा की जा सकती है। साथ में यह प्राविधान किया गया कि अपने पास से कुछ रुपया जुटाने के बाद कुछ और रुपये की जरूरत पड़े तो बजाय इसके कि उन रिसोर्सेज को देखें, बी0 डी0 सी0 में कितना पैसा है, उसकी तरफ को न देख कर अपने रिसोसज को, चार ग्राम सभाओं के लोग साथ मिला कर पोजीशन बना कर चाहते हैं कि हमें पैसा मिल जाय तो बेशक फैसला करके किसी शेड्यूल्ड बैंक से कर्ज की शक्ल में पैसा ले सकते हैं जो बाद में उस लोन को वापस कर दें। तो यह बड़ा अच्छा प्राविधान किया गया कि अगर वहां के लोग चाहते हैं कि उस एरिया का विकास हो तो पैसा अथवा रिसोसज की वजह से कोई काम रुकने वाला न हो। गांव का आदमी चाहता है कि उसके यहां की सड़क बने, खरिन्जा लगे, पानी की व्यवस्था हो, एक गांव से दूसरे गांव तक लिंकिंग रोड हो, पुलिया हो लेकिन पैसा कहां से आये उस चीज का हल इस संशोधन विधेयक के द्वारा किया गया है।

एक बड़ी परेशानी यह थी कि हर साल उप प्रधानों का चुनाव होता था। हर साल सेक्रेटरी जाता था और एक साल के लिये उप प्रधान का चुनाव करवाता था। आधे से ज्यादा गांव सभावों में उप प्रधानों के चुनाव होने की नौबत नहीं आई और वही उप प्रधान चलते रहे, गैर कानूनी तरीके से काम चलता रहा। अब इस संशोधन विधेयक में यह किया जा रहा है कि उप प्रधान का चुनाव 5 साल के बाद हो ताकि प्रधान की गैर हाजिरी में या मौजूदगी में काम में कोई रुकावट अथवा रोड़ा पैदा न हो।

एक यह शिकायत थी आम तौर से कि गांव का प्रधान मनमाने ढंग से जो चाहता है करता है। उसकी पावर पर रोक लगाने के लिये अब यह व्यवस्था की गयी है कि वोट की अगर

[श्री रियासत हुसैन]

नौबत आये और पंचायत के अन्दरूनी फैसले की बात हो तो उसके अन्दर प्रधान अपना वोट इस्तेमाल नहीं कर सकेगा ।

एक व्यवस्था यह भी की गयी है कि प्रधान का पद इलेक्टेड है । काम करने से पहले उसके लिये जरूरी है कि ओथ ले कि उस पद के प्रति वफादारी से, निष्ठापूर्वक वह काम करेगा । संवैधानिक रूप से यह जरूरी है लेकिन आमातौर से देखने में यह आया कि प्रधान इलेक्ट हो गया लेकिन उसने ओथ नहीं ली और काम शुरू कर दिया । चंकि इसकी व्यवस्था होना जरूरी था लिहाजा इस संशोधन विधेयक में यह व्यवस्था कर दी गयी है और अब कम से कम यह प्रतिबन्ध उन पर हो गया है जिससे वह यह महसूस कर सकेंगे कि अपनी ड्यटी को ईमानदारी से अन्जाम देने के लिये उनके द्वारा ओथ लेना जरूरी है और इससे उनको इस बात का अहसास होगा चूंकि उन्होंने हलफ उठाया है इसलिये उनका फर्ज है कि वह ईमानदारी तथा निष्ठा से काम करें ।

ग्राम सभा के अन्दर जो पावर्स हमने दी हुई है उनका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिये । इस बिल के द्वारा यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । यह डुप्लीकेशन बहुत दिनों से चला आ रहा था कि भूमि का इन्तजाम ग्राम सभा स्वयं देखेगी और ग्राम पंचायत अलग कार्यों को देखेगी । इस प्रकार से डुप्लीकेशन हो रहा था । बहुत सी जगहों पर ग्राम समाज अलग निर्णय लेती है और ग्राम पंचायत अलग लेती है । वही प्रधान वहां पर भी हैं और वही दूसरी जगह पर हैं । मिसाल के तौर पर मैं अपने क्षेत्र के एक मझौलीखास नामक जगह पर जो ग्राम समाज की जमीन थी उसमें पटवारी ने तहसीलदार से मिल कर 40–50 प्लाट एलाट कर दिए और ग्राम प्रधान ने अपने जाब्ते में नीलाम की कार्यवाही की । उसके सम्बन्ध में जब लोगों से पूछा गया तो मालूम हुआ कि कुछ लोग वह कहते हैं कि प्रधान साहब ने वह जमीन नीलाम में खरीदी थी और कुछ कहते है कि वह उनके नाम एलाट कर दी गई थी । बहुत दिनों तक यह झगड़ा चला और हाई कोर्ट तक मुकदमा गया । कोर्ट ने कहा कि जो प्रधान ने किया है वह उचित है और तहसीलदार ने जो किया है वह अनुचित है । अभी वह झगड़ा बदस्तूर है अभी निपटा नहीं है । उस मामले को 10 साल हो गये हैं । इसी तरीके से बहुत सी ग्राम सभाओं में इस तरह के झगड़े हैं । ग्राम सभायें कुछ कहती हैं, तहसीलदार कुछ कहते हैं । इसलिये इस बिल को लाया गया ताकि किसी कार्य में डुप्लीकेशन की आवश्यकता न पड़े और आपस में एक दूसरे में विरोध पैदा न हो ।

एक दूसरा मसला यह था कि जब इलेक्शन हुआ, 10 साल तो प्रधान लोग रहे, उस वक्त तक सेंपरे प्रदेश में चकबन्दी भी हो गई और कहीं-कहीं जमीनें भी छूटी जिसको उठाने का अधिकार भी ग्राम प्रधानों को ही हुआ । इन इलेक्शनों में हजारों-हजारों रुपया लोग खर्च करते हैं क्योंकि अब इसमें आकर्षण हो गया है । इसीलिये इस इलेक्शन में जनता ने अपना विश्वास उनके ऊपर प्रकट नहीं किया और वे हार गये । फलस्वरुप उन्होंने क्या किया कि चार्ज नहीं दिया । इसके सिवाय उनके पास और कोई चारा था भी नहीं । कागजी कार्यवाही और बस्ता उठा कर तो उन्हें दे दिया लेकिन जहां तक पैसा-कौड़ी आदि का सवाल था उसका उन्होंने कोई चार्ज नये प्रधानों को नहीं दिया । कुछ जगहों पर तो यह भी हुआ है कि कागज-पत्र भी नहीं दिये । फार्म और रजिस्टर वगैरह तो दूसरे बना लिये गये या मिल गये लेकिन जहां तक पैसा-कौड़ी का प्रश्न था वह चार्ज नहीं दिया ।

इस बिल के जरिये यह प्राविधान किया गया है कि उसको सजा दी जायेगी जो ऐसा नहीं करेगा । ऐसा करने पर पूरी रूपरेखा ग्राम सभा की सामने आ जायेगी । इसी तरीके से कोआप्शन के सिलसिले में बी० डी० सी० और जिला परिषद के बारे में भी इस बिल में उल्लेख किया गया है । कोआपरेटिव से जो लोग आते है और ऐसी किस्म की संस्थाओं

से कर्जा ले लेते हैं जैसे कोआपरेटिव फार्मिंग के नाम पर और इन्डस्ट्रियल सोसाइटी के नाम पर, उन लोगों को इसके जरिये से वंचित किया गया है। इसमें यह भी प्राविधान किया गया है कोआप्शन के मामले में औरतों को, हरिजनों को और सोशल वर्क में दिलचस्पी लेने वाले लोगों को वे पदाधिकारी बना दें। इसको उन्होंने चुनने का अधिकार नहीं है बल्कि जो ग्राम सभाओं के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, प्रदेश के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको अधिकार मिला है कि वे अपना मत देकर लोगों को कोआप्ट करें। यह एक अच्छी बात इस बिल के अन्दर है जो इस प्रदेश केअन्दर प्रजातांत्रिक ढांचे को अपनाने के लिये, उसे सबल और मजबूत बनाने के लिये और आये दिन जो कमियां है, उस ऐक्ट की अन्य जो कमजोरियां थीं चाहे वह किसी तरह से हो, चाहे मंत्री जी के व्यक्तिगत सम्पर्क से हो या जैसे भी हो, उन कमियों को दूर किया जाए, उनको दूर करने के लिये ही माननीय मंत्री जी ने इस अमेंडमेंट बिल को इस सदन के सम्मुख रखा है।

यह बात निश्चित है कि जितनी बातें इसके अन्दर आयी हैं उन सब को लागू किया जायेगा तो साल दो साल के अन्दर जो उत्साह है ग्रामीण जनता के अन्दर और वह चाहती है कि हम कुछ काम करें, तो इससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। अगर कहीं सड़क बनाने के लिये अर्थ वर्क हो गया है लेकिन उस पर चौका लगाने के लिये या ईंट बिछाने के लिये कोई रिसोर्स न दिखलायी पड़े तो उसका मनोबल गिर जायेगा, उसके अन्दर हिम्मत समाप्त हो जायेगी। लेकिन इस बिल के आने से उसकी हिम्मत ज्यादा बढ़ेगी और उन लोगों में मोरेल करेज होगा कि आज हमारे देश में ऐसे साधन हैं कि अगर एक गांव के पास पैसा नहीं है तो तीन-चार गांव मिल कर उस काम को कर लें। वे सोचेंगे कि उनको अधिकार प्राप्त हो गया है कि 25 प्रतिशत तक टैक्सेशन कर लें और फिर भी पैसे की कमी पड़े तो किसी बैंक से लोन ले लें। इन सारी बातो को देखते हुए जो चीजें इस बिल के अन्दर रखी गयी हैं, मैं समझता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की कोई खास जरूरत नहीं मालूम होती हिम्मत सिंह जी। कमीशन के पास तो आपने बहुत से क्वेश्चनेयर्स भेजे हैं और मैं समझता हूं कि ग्राम सभाओं से सम्बन्ध न रखने वाला कोई प्रश्न उसमें छुटा नहीं है, चाहे वह निर्णय सम्बन्धी हो, न्याय सम्बन्धी हो, चाहे विकास सम्बन्धी हो।

हर मामले को लेकर क्वेश्चनेयर भेजा गया है। कमीशन की कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आने दीजिये। ग्राम सभाओं को डेमोक्रेटिक ढ़ाचे पर हम प्रदेश के अन्दर मजबूत से मजबूत बनाना चाहते हैं। जब कमीशन की फाइनल शेप में रिपोर्ट आ जाय तो उस रिपोर्ट के आधार पर शायद इस पूरे कानून में बेसिकली आमूल परिवर्तन होने की सम्भावना है लेकिन चूंकि उसमें समय लगेगा, उस समय के बीच में कैसे पूरा किया जाय। अगर पुराने पंचायत राज ऐक्ट के मातहत सारे मामले किये जाते हैं तो जो दुर्दशा पिछले 10 साल से लगातार ग्राम सभाओं की होती रही है उससे हम उनको बचा नहीं पायेंगे। अगर हम उन त्रुटियों को कम करना चाहते हैं और ग्राम सभाओं को मजबूत से मजबूत करना चाहते हैं तथा उसके प्रति जनता में विश्वास पैदा करना चाहते हैं तो प्रजातांत्रिक प्रणाली के अन्दर उन सारी कमियों को दूर करने के लिये संशोधन इस अमेंडमेंट में करने का प्राविधान किया गया है। इसलिये इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। इसको आप पास करें और पास करने के बाद जब कमीशन की फाइनल शेप में रिपोर्ट आ जाय तो उसके आधार पर जो बेसिक चीजें हैं उनमें परिवर्तन करें जिससे जनता का विश्वास प्रजातंत्र में से डिगने न पावे। आज खतरा इस बात का है कि दिन पर दिन जो प्रजातांत्रिक ढांचा है वह कमजोर हो रहा है। उसको मजबूत बनाना आवश्यक है और इसके लिये आवश्यक है कि सारा सदन इस बिल को पास करे। इसलिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इसको प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)--

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के ऊपर जो प्रस्ताव आया है कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये मैं इसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। कब्ल इसके कि मैं कुछ आपसे कहूं मैं अपने खयालात का इजहार इस तरह से शुरू करता हूं कि "दिमाग तारीकियों में गुल है, चिरागे दिल रहनुमा नहीं है, इधर अंधेरा उधर अंधेरा कहीं कोई आसरा नहीं।" हमें आजाद हुये 25 साल हो गये हैं और महापुरुष महात्मा गांधी ने जो एक ख्वाब देखा था कि आजाद होने के बाद 80 फीसदी जनता देहातों में रहती है उसको सच्चे माने में आजादी मिले और उसको तरक्की करने के साधन उपलब्ध हों चाहे वह सेहत के लिये हो, चाहे एजूकेशन के लिये हो और चाहे ग्रामीण उद्योग-धंधों के लिये जो भी साधन उपलब्ध हों वह उसके लिये दिये जायें और यह 80 फीसदी आबादी जमहूरियत की एकड़ी और एक इकाई है और ग्राम पंचायतों के जरिये से इसका इन्तजाम किया गया है।

आज जैसा कि भाई रियासत हुसेन साहब ने बताया कि दस साल के बाद पंचायतों के चुनाव हुये। उनकी बड़ी जरूरत थी और बड़ी कमियां जिनका किसी कानून के द्वारा दूर होना जरुरी था। ऐसा होना चाहिये था जिससे सही माने में हमारे मुल्क और सूबे की तरक्की हो। लेकिन मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बिल में चन्द बातें नजर आईं। पहली बात तो यह है कि प्रधान के इंतखाब के साथ-साथ उप प्रधान का भी इंतखाब होता है। इसमें कुछ तब्दीली की गई है। मान्यवर, इनका इंतखाब एक साल के बजाय पांच साल के लिये होगा और मेम्बर चुनेंगे। मेरा कहना यह है कि अच्छा यह था कि जिस तरह से प्रधान का चुनाव होता है उसी तरह से जनता के जरिये उप प्रधान का भी चुनाव होना चाहिये क्योंकि उप प्रधान पंचायत का बहुत काम करता है।

दूसरी बात यह है कि इस बिल के जरिये एक बड़ी रुपये की शक्ति ग्राम सभाओं को हासिल हो जायेगी। मुझे निहायत अफसोस है कि टाउन एरिया, म्युनिसिपल बोर्डस को करोड़ों रुपया सरकार ने ग्रांट की शक्ल में, कर्ज की शक्ल में, पीने के पानी के इंतजाम के लिये, एजूकेशन के लिये दिया है लेकिन देहात को इससे वंचित रखा गया है। इसी वजह से यह आबादी आजादी की रोशनी से गायब है। वहां पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं है, एजूकेशन का कुछ इंतजाम नहीं है और अस्पताल तक नहीं है यानी कहने का मतलब यह है कि देहात का शहर से कोई मुकाबला नहीं है।

इस बिल में ग्राम सभाओं को जो हक दिया गया है कि हमारी ग्राम सभायें कर्जा ले सकती हैं। लेकिन इसका क्या आधार होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। कितनी आमदनी पर कितना कर्जा मिलेगा यह भी कुछ नहीं बताया गया है। इसकी आमदनी का दूसरा जरिया यह है कि किसान जो लगान अदा करते हैं उस पर सरकार विकास टैक्स के नाम से पैसा वसूल करती है और इसमें 25 फीसदी तक ग्राम पंचायतें टैक्स ले सकती हैं। कर पंचायत का उसके ऊपर लगा सकते हैं, पहले 6 पैसा था उसको बढ़ाकर आपने 25 पैसा कर दिया। अगर वाकई में सरकार देहातों की तरक्की देखना चाहती है, अगर वह देहातों में पीने के पानी का इंतजाम करना चाहती है, अगर वह वहां के क्षेत्रों के लिये अस्पताल बनाना चाहती है, अगर वह वहां पर तालीम का माकूल इंतजाम करना चाहती है तो वह रुपया को सरकार मुखतलिफ जराये से वहां से हासिल करती है, रेवेन्यू से और दूसरे करों से जो वहां से वसूल करती है उस सबका कम से कम 25 प्रतिशत, कुल आय का मेरा सुझाव है कि ग्रामों का शेयर सुरक्षित कर देना चाहिये। अगर सरकार वाकई में देहातों को तरक्की देना चाहती है तो यह करना ही होगा वर्ना वह सब कहने की और खुश होने की बात होकर रह जाती है और यह महज एक सब्जबाग दिखाने जैसी बात होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसका मैं जरूर स्वागत करता हूं कि अभी तक जो ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समितियां दो अलग-अलग चीजें थीं, अब उनको मिला दिया गया है। यह बहुत अच्छा कदम है। पहले बड़ी परेशानी थी और लोग समझते नहीं थे कि कौन-सी कमेटी किस काम को करेगी। लेकिन जहां तक सेक्रेटरी की बात है, वहां पंचायत सेक्रेटरी और लेखपाल दोनों को रखने की जरूरत नहीं है। लेखपाल को रखने से और उसके हमारी कमेटी में आने से कोई लाभ नहीं है, सब काम चाहे जमीन के पट्टों का हो या कोई काम हो वह सेक्रेटरी कर सकता है, लेखपाल के वहां रखने की कोई जरूरत नहीं है, जो कागजात लेखपाल पर रहते हैं वह सेक्रेटरी के पास रहने चाहिये। सारा भूमि का और विकास के कागजात का सारा काम सेक्रेटरी से ही कराया जाय। इस तरह का मैं देखता हूं कि इसमें कोई संशोधन नहीं है, उसकी बहुत जरूरत है।

यह जो कहा गया कि जो आदमी को-आप्ट होकर खुद आये, वह कोआप्ट करने के लिये फिर अपना मत दें ऐसा नहीं होना चाहिये। यह तो वैसे भी कुछ मुनासिब बात नहीं मालूम होती। ऐसा नहीं होना चाहिये। यह जो तरीका एलेक्शन का रखा गया है इसे देख कर ताज्जुब होता है। उसमें 11 मेम्बर होंगे, 2 सोशल वर्कर होंगे, 4 महिलायें होंगी और 4 अनुसूचित जाति के लोग होंगे लेकिन जो उनका बेपढ़ा लिखा प्रधान होगा वह किस तरह से इन 11 आदमियों के नाम याद रखेगा। आपने जो अधिकारियों को अधिकार दिया है उसमें या तो कोई नायब तहसीलदार होगा या कोई तहसीलदार होगा और वह जिस तरह के लोग हैं आप जानते हैं, वह जो चाहे मनमानी करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

तो फिर क्या किया जाय ?

श्री शफीक अहमद खां--

वह मैं बता रहा हूं, यह उनके अधिकार की बात होगी कि वह जो चाहें लिखें या न लिखें। मेरा सुझाव है कि कैन्डीडेट या एजेंट का होना बहुत जरूरी है, उनका इत्मीनान नहीं किया जा सकता, या यह हो कि उनकी जगह पर कम से कम एस0 डी0 एम0 की हैसियत का आदमी रहे, तहसीलदार या नायब तहसीलदार का कोई भरोसा नहीं कि वह सही बात को गलत लिख दें और गलत को सही लिख देंगे।

मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन अफसोस की बात है कि ज्यों-ज्यों हमारी आजादी के दिन बढ़ते जा रहे हैं हमारा कैरेक्टर खराब होता जा रहा है। हम किस पर यकीन करें और किस पर न करें। वह कौन आदमी होगा जो इस मसले को हल करेगा ? हमारी बात को सही लिख देगा। आज हमारा 60–70 प्रतिशत आदमी वोट देने वाला ऐसा है जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो कैसे यह मसला हल हो ? आप किन्हीं को मुकर्रर करें, किसी भी हैसियत के अधिकारी को नियुक्त करें, यकीन तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि तहसीलदार की हैसियत का आदमी मौजूं नहीं है।

मैं इस आशा के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें ?

*श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सामुदायिक विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम प्यारे]

मान्यवर, हम सब लोगों का अनुभव है कि पिछले 10–12– वर्षों में किस प्रकार से पंचायत राज की जो कल्पना थी, एक तरह से वह विफल हुयी है और कई मायनों में उसकी दुर्दशा भी हुयी है। आज हमें खुशी है यह जानकर कि जिन कारणों की वजह से ग्राम पंचायतें नहीं सफल हुयी थीं, उनका निराकरण माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत संशोधन विधेयक में किया है। वैसे तो माननीय मंत्री जी ने विस्ताररूप से प्रत्येक धारा के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणी सदन के सामने प्रस्तुत की है लेकिन 2–3 बातों पर मैं विशेष बल देना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि जो ग्राम सभाओं द्वारा ग्राम पंचायतों के संशोधनों की कमी होती है, उसे इस विधेयक के द्वारा दूर की जा रही है। सभी माननीय सदस्यों को अनुभव है कि बहुत सी पंचायतें ऐसी हैं जिनमें सेक्रेटरीज के भत्ता देने भर की भी धनराशि नहीं होती है। इसलिए इससे अब उसके दौरे का भत्ता भी दिया जा सकेगा और निर्माण के लिए भी साधन उपलब्ध हो जायेंगे। माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत विधेयक द्वारा ग्राम सभाओं को सक्षम बना दिया है कि अगर वे चाहें तो सरकार से और नेशनेलाइज्ड बैंकों से ऋण ले लें और उसे लेकर अपने ग्राम समाज के विकास कार्यों को, चाहे वह सड़क हों, चाहें वे कुएं हों और चाहे वे नहरों की गूलें हों, उनको तैयार कराने की व्यवस्था करें। इस बात के लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इस तरह से जो पंचायत राज एक प्रजातंत्र की रीढ़ है, उसको भी मौका मिलने जा रहा है ताकि वह व्यवहार रूप में जनहित के कार्य करने में क्षमता प्राप्त कर सके।

इसमें और बहुत से संशोधन किए गये हैं। जैसे उप प्रधान की बात है। मिर्जापुर इलाके में अधिकांश आदिवासी बसते हैं। उप प्रधान के पद के लिए 5–10 प्रतिशत आफिशियल नाम आते हैं। होता क्या है कि बाद में उनके नाम में बहुत बड़ी कठिनाई हो जाती है कि कैसे उनकी व्यवस्था हो। पहले उनका कार्य काल एक वर्ष का होता था। इसके लिए अब 5 वर्ष की अवधि कर ली है। इससे भी पंचायतों के संगठनों में काफी सुविधा होगी और अब वे उत्साह के साथ काम करेंगे और मुझे यह भी आशा है कि वे प्रधानों के काम में योगदान भी करेंगे और निश्चित रूप से वे इन 5 वर्ष की अवधि में काम करने के लिये भी तैयार रहेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे संशोधन भी इसमें किए गये हैं जिनसे पंचायत राज के संगठन में जो काम नहीं होते थे, वे अब होने लगेंगे और उन लोगों को सुविधा भी मिलेगी। न्याय-पंचायतों के जब सदस्यों का चुनाव हो जाता है तो स्थान रिक्त हो जाते हैं। कोई भी ग्राम सभा का ग्राम पंचायतों में जाना पसन्द नहीं करता था।

आज जो कठिनाइयों का परिष्कार किया गया है और मंत्री जी ने भी व्यवस्था कर दी है यदि ग्राम पंचायतों से नाम अदालती पंचायतों के लिये न जा सकें तो अधिकारी को निश्चित अधिकार होगा कि ऐसे रिक्त स्थानों की पूर्ति वह अपने विवेक से कर दे। ग्राम सभाओं में जो परेशानियां उत्पन्न होती थीं उनको भी दूर करने की इसमें व्यवस्था की गई है। मान्यवर, इसके अलावा क्षेत्र समितियों के गठन में कई कठिनाइयां थीं उनको भी दूर करने का प्रयास किया गया है। मान्यवर, मैं भी तीन सुझाव देना चाहता हूं और वे ये हैं कि ग्राम पचायतों में हरिजन और आदिवासियों के कुछ स्थानों पर रिजर्वेशन हों। इस सम्बन्ध में मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूं। मैं निश्चित रूप से जनता हूं कि वहां पर क्षेत्र समितियों के लिये भी प्रमुखों की सीटें रिजर्व हैं। इसी तरह से ग्राम प्रधानों और क्षेत्र समितियों के लिये यहां पर भी रिजर्वेशन हो सकता है। गांवों में अधिकतर संख्या आदिवासियों और हरिजनों की है। लेकिन किन्हीं विशेष कारणों से वहां लोगों पर आर्थिक दबाव पर सभापतियों का चुनाव हो जाता है और जो अधिकांश लोग हैं उनके हितों की वे सुरक्षा नहीं कर पाते हैं।

मैं अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूं कि हमारे यहां कम से कम पचास प्रतिशत से अधिक लोग आदिवासी और हरिजन बसते हैं। अगर उनमें से सभापतियों की संख्या

देखें तो निराशा होती है। मैं मांग करता हूं कि जिन गांवों में आबादी पचास प्रतिशत से अधिक है जैसे असम्बली का 35 प्रतिशत ले लिया तो मैं 35 प्रतिशत तो नहीं लेकिन मांग करता हूं कि जिन ग्राम सभाओं या पंचायतों की आबादी पचास प्रतिशत से अधिक हो वहां पर निश्चित रूप से प्रधान का पद भी रिजर्व करें और इसी प्रकार क्षेत्र समितियों का भी प्रमुख हरिजनों में से ही होना चाहिये। सबसे दुखद बात यह है कि पिछली बार उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्र समितियों के चुनाव में हरिजन प्रमुख नहीं बना यह सही जानकारी है। तो मैं मांग करना चाहता हूं कि जब 75 प्रमुखों के पदों में सामाजिक अथवा राजनैतिक हालत के कारण हरिजन या आदिवासी प्रमुख नहीं बन सकता तो मैं चाहता हूं कि ऐसे स्थानों में जहां उनकी आबादी पचास प्रतिशत से अधिक हो वहां निश्चित रूप से उन हरिजनों और आदिवासियों में से जो शोषित, पीड़ित और पददलित हैं प्रधान या प्रमुख बनाना चाहिये, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। उनमें उससे राजनैतिक चेतना का संचार होगा जिससे वे समाज और क्षेत्र का विकास करने में ज्यादा सफल होंगे।

सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ग्राम समाज की जो भूमि प्रबन्धक समिति थी पहले उसमें कितना गड़बड़घोटाला था। ग्राम प्रधान उस प्रबन्धक समिति के प्रबन्ध में मनमानी करते थे और जो शासन के आदेश थे उनके अनुसार भूमि को आवंटित नहीं करते थे। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी का ध्यान उधर गया। मैं उसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पूरे ग्राम पंचायतों की भूमि प्रबन्धक समिति के रुप में परिवर्तित कर दिया है। इस में निश्चित रूप से फिर वही लोग आयेंगे जो जनता के डायरेक्ट प्रतिनिधि होंगे उससे वे सभी के हितों का ख्याल रखेंगे। ऐसा मेरा निश्चित विश्वास है। तो मान्यवर, मैं इस संशोधन का तहेदिल से स्वागत करता हूं तथा जो जमीन के अलाटमेन्ट में गड़बड़ी होने से जो रोकी जा रही है कि वे अब पट्टा नहीं कर सकेंगे इससे ग्राम सभाओं की आमदनी भी बढ़ेगी। तो बहुत से सुझाव दिये हैं जिनसे आमूल परिवर्तन होने जा रहा है। एक निवेदन और करना चाहता हूं कि सरकार जिला परिषद् में तीन ऐसे सदस्यों को नामजद करती है जो सामाजिक कार्यों में या जनता के उत्थान के कार्यों में लगे रहते हैं। लेकिन क्षेत्र समिति में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं निश्चित विचार का हूं कि बहुत से ऐसे लोग जो समाज सेवा कार्यों में रत हैं और तहेदिल से विकास कार्य करना चाहते हैं लेकिन वे चुनाव के पंचड़े में नहीं फंसना चाहते तो जिस तरह से आपने जिला परिषद् के लिए तीन सदस्यों को नामजद करने की बात रखी है उसी प्रकार से क्षेत्र समिति के लिए भी रखें। इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जो चुनाव हुए वह ठीक ढंग से हुए और निष्पक्षता पूर्ण हुए लेकिन फिर भी कुछ छुटपुट शिकायतें सुनने को मिली। जो कोआप्शन हुआ तो उसमें एजेन्ट रखने की व्यवस्था नहीं थी। हमारे क्षेत्र में काफी लोग पढ़े-लिखे नहीं थे। उन्हें जिनको कोआपशन करना था उनके नाम भी नहीं ले सकते थे। मैं यह मानता हूं कि ईमानदारी से चुनाव हुए लेकिन फिर भी गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए जो अगला क्षेत्र समिति का चुनाव होने वाला है उसमें एजेन्ट रखने का प्राविधान करें जिससे कि कोई गड़बड़ी की बात न हो। मैं इस बात की भी मंत्री जी से मांग करता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि भूमि आवंटित करने की बात है तो उसके लिए निश्चित रूप से आदेश होने चाहिए कि उन्हीं को भूमि दी जाय जिनके पिता के नाम भी भूमि न हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो असरदार लोग हैं वही लाभ उठा लेंगे और उन तक भूमि नहीं पहुंच पायेगी जिनको कि आप देना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

*श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास मंत्री जी द्वारा जो यह संशोधन विधेयक पेश किया गया है मैं इसके सिलसिले में सुझाव देना चाहता हूं। श्रीमन्, जब हमारा देश आजाद हुआ तो लोगों की कल्पना थी कि यहां पर पंचायती राज बनेगा। इस कल्पना को मानकर गांव में गांव पंचायत बनी और इसके पहले जबकि क्षेत्र समिति नहीं बनी थी जिले पर जिला परिषद् बनी, यहां पर असेम्बली और दिल्ली में पार्लियामेंट बनी और जनता ने सोचा कि राज्य की जो इतनी गद्दियां और सीढ़ियां हैं उनमें गांव पंचायत मजबूत इकाई है जिसके लिए सब लोग सोचें कि इसको मजबूत करना है। लेकिन 25 वर्षों में जो पार्लियामेंट में थे, विधान सभा में थे उन्होंने गांव पंचायत की कतई परवाह नहीं की। अगर कोई दोष दें गांव की जनता को या प्रधान को या गांव पंचायत के सदस्यों को तो मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं इसको मानने के लिये कतई तैयार नहीं हूं। सबसे ज्यादा लापरवाही हुई है 25 साल की सरकार की, जिसका शासन केन्द्र में था और प्रदेश में था। उन्होंने गांव पंचायत को बिल्कुल खोखला बना दिया। बिल्कुल परवाह नहीं की, इसलिये सारी जिम्मेदारी इस पिछली 25 साल की सरकार की है।

मैं साफ बता देना चाहता हूं कि यह जो चुनाव पद्धति का संशोधन है इस पर मैं व्याख्या करना चाहता हूं। जब पंचायत का पहले पहल चुनाव हुआ, ग्राम प्रधान का चुनाव सारी जनता ने किया, उप प्रधान का चुनाव सारी जनता ने किया। गांव पंचायत के सदस्यों का चुनाव सारी जनता ने किया जिसको वोट देने का हक था और अदालती पंचायतों का चुनाव बालिग मताधिकार के अनुसार हुआ। उसके बाद जब दूसरा चुनाव हुआ तो उसमें एक चीज बदल गई। प्रधान का चुनाव जनता ने किया, उप प्रधान का चुनाव सदस्यों ने किया। अदालती पंचों का चुनाव इसी प्रकार हुआ। यह मूलभूत गलती हुई है। वह भी चुने हुये मेम्बर्स में होते। जब 12 वर्ष चुनाव नहीं हुआ तो जनता ने समझा कि शायद यह कोई समाजवादी कदम उठाने जा रहे हैं। कोई पंचायती राज गांव में बनाने जा रहे हैं। 12 साल बीत गये। मैं साफ कहना चाहता हूं कि जैसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया और जैसे कहते हैं कि "समुन्दर में पानी बरसता रहा, रेता बेचारा तरसता रहा"।

12 साल के बाद लोगों ने समझा कि चुनाव होने जा रहा है, तो समाजवादी कदम उठ रहा है। जो सरकार समाजवादी कहने को हकदार है और नारा लगाती है कि गरीबी दूर करेंगे, वह 25 साल तक पार्लियामेंट की शान बढ़ाती रही, विधान सभा की शान बढ़ाती रही, जिला परिषद् की शान बढ़ाती रही, क्षेत्र समिति की शान बढ़ाती रही लेकिन ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के जो पहले हक थे वह भी ले लिये। पार्लियामेंट के चुनाव में पर्चे की कीमत कुछ नहीं होती है, जमानत भी अगर जब्त न हो जाय तो वापस हो जाती है लेकिन हाय रे यह सरकार ग्राम प्रधान के चुनाव का पर्चा 10 रूपये का पहले था, अब आपने 25 रुपये का कर दिया है। मैं साफ बतला देना चाहता हूं कि जो पर्चे का दाम पहले 10 रुपया था अब 25 रूपया हो गया है। मेम्बर के पर्चे का दाम 4 रूपये और 5 रुपये था वह 10 और 12 रुपया कर दिया गया है। सदस्यों से उप प्रधान बनाने में 2 रुपये में पर्चा मिलता था। इस बार 10, 12 रुपया किया गया है। तो यह बेईमानी की गई है। पर्चे का दाम बढ़ा दिया है।

मैं ज्यादा न कहकर जो संशोधन है उस पर कहना चाहता हूं। आपने न्याय पंचायतों को भरकुस कर दिया। आपने ग्राम पंचायतों के चुनाव किसी न किसी तरह से सम्पन्न किये। न्याय पंचायतें बिल्कुल निकम्मी होकर पड़ी है। अगर आप चाहते होते तो न्याय पंचायत का गठन हो गया होता। ग्राम पंचायतों के मेम्बर्स में से आप भेज देते। अगर दो पंचों की और आवश्यकता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थी तो उनका भी गांव सभा से चुनाव करा लेते। घुमाकर कर नाक पकड़ने की कोशिश की कि ये नामजद किये जायेंगे। आपने प्रजातन्त्र का हनन किया है। जनता के हकों को मारा है। आपने नौकरशाही को बढ़ावा दिया है और इस संशोधन को कराना चाहते हैं। अदालत पंचायत में गांव सभा के पंच जायेंगे। उसमें क्या परेशानी है? निश्चित मत होना चाहिए। लेकिन उसमें कोई सरकारी अधिकारी नामिनेट करेगा। सरकारी अधिकारी कैसे नामिनेट करते हैं, किसी से छिपा नहीं है। जनता से जो अधिकार आपको मिला है, उसका हनन न हो। वोट की जो पद्धति है, उस पर जरा भी आंच न आनी चाहिए। यही नहीं, जब ब्लाक प्रमुखों का चुनाव होता था, तो उसमें यह था कि कोई नाम नहीं पढ़ सकता है और उसको जानकारी पूर्ण रूप से न हो तो अपने साथ किसी एक आदमी को रख ले जिस पर उसका विश्वास हो।

अब आप नौकरशाही को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रजातन्त्र के हनन करने की सोच रहे हैं। इस बार महिलाओं और हरिजनों के कोआप्शन में पूरे प्रदेश में घोर बेईमानी हुई है। फिर प्रमुखों और उप प्रमुखों को आपने यह अधिकार नहीं दिया कि यदि कोई व्यक्ति नाम पढ़ नहीं सकता है तो जिस पर यकीन करे, अपने साथ में एक ले जाकर अपने मुंह से कहे, तब वोट दे। अगर यह नहीं किया तो साफ बता देना चाहता हूं कि बहुत जबर्दस्त बेईमानी होगी। मैं अपने यहां की बात बता देना चाहता हूं। एक आदमी के असर में तहसीलदार ने आकर जितवा दिया, जबकि 5-5 आदमी हम लोगों के जीते हैं, महिलायें जीती हैं। हमारे यहां 15 हरिजन प्रधान हैं। मन्त्री जी आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि मेरे यहां समाजवाद सेन्टर में 10 पंचायतें हैं, जिनमें 8 पर निर्विरोध चुनाव हुआ है। इसमें हरिजनों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर ईमानदारी से चुनाव करना चाहते हैं, तो ब्लाकों का जो यह चुनाव होने जा रहा है, जबर्दस्त बेईमानी कोआप्शन में हो रही है। एक महिला भी हमारे यहां प्रधान रही है। दो विशिष्ट मेम्बरों की सीटें थीं। पांच हमारे आदमी जीते। तहसीलदार ने घोर बेईमानी करके एक आदमी को गलत तरीके से जितवा दिया, जिसके बारे में मैंने और साथी कन्नौजिया जी ने लिखकर राजस्व मन्त्री जी को दिया है। कलक्टर के यहां कागज गया है।

तो मैं मन्त्री जी से साफ कह देना चाहता हूं कि अगर ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, तो इसमें एकदम से तरमीम करके जो मुनासिब बात है, उसको मानना चाहिए। मैं मुनासिब बात का स्वागत करता हूं, लेकिन गैर-मुनासिब बात का विरोध करता हूं। और यही नहीं मन्त्री जी से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि मेरे दो सुझाव हैं। अदालती पंचों के चयन के लिये गांव पंचायतों से चुने हुए दो व्यक्ति जाने चाहिए और जैसे गांव पंचायतों या गांव सभाओं के सदस्यों का चुनाव होता है उनका चुनाव करके पूरा कर लेना चाहिए। दूसरी बात मैं प्रमुखों के बारे में कहना चाहता हूं। कोआप्शन में जो हुआ तो हुआ लेकिन जो वोट देना नहीं जानते हैं और नाम नहीं पढ़ सकते हैं वे किस पर यकीन करें? उनकी मदद के लिये कोई आदमी होना चाहिए।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि हाय रे सत्तारूढ़ कांग्रेस के लोगों, हम लोग जो ईमानदारी की बात कहें उसको आप मान लें और आप जो ईमानदारी की बात कहें उसको हम विरोधी दल के लोगों को मानने में एतराज नहीं है। ऐसा कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री राजित राम पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)---

अध्यक्ष जी, आपकी कृपा से इस बिल पर हम को भी मौका मिला। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। अभी माननीय सदस्यों के यहां पर विचार सुने और समझे। मुल्क

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजित राम पाण्डेय]

में आजादी आये 25 साल हो गये। एक जबरदस्त कल्पना थी कि गांवों में पंचायती राज बनेगा और गांवों का दुःख और दारिद्र दूर होगा लेकिन पंचायतों के बनने के बावजूद भी उनकी बहुत दुर्दशा रही है चाहे इधर बैठने वाले रहे हों या उधर के बैठने वाले लोग रहे हों। चुनाव जाने दीजिये। 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और ज्यादातर वे खेती बारी करते हैं। जब स्वराज्य की बात होती थी तो लोग यही कहा करते थे कि मुल्क में पंचायतें बनेगी और देश का किसान खुशहाल होगा, देश में सड़कें बनेंगी, लोगों को पीने के पानी की सुविधा मिलेगी लेकिन 25 साल के बाद, जैसा कि भाभी राम जी ने कहा, यह सब नहीं हुआ। उस तरफ माननीय बंशीधर जी बैठे हुये हैं। वे उस वक्त सुचेता जी की मिनिस्ट्री में थे और तब वे पंचायतों की गाथा गाया करते थे। मुझे भी ब्लाक प्रमुख रहने का अवसर मिला है। उस जमाने में जब वे जाया करते थे तो उन कड़ियों को बताया करते थे। हम लोग सोचा करते थे कि सड़कें बनेंगी और किसान खुशहाल होगा मगर वह स्वप्न पूरा नहीं हो सका है।

मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि पंचायतों को थोड़ा आप अधिकार दें और पंचायतों को खुशहाल बनायें। अभी कल बिजली विभाग के बारे में बहस हुई और तमाम लोगों ने बहस की। किसानों के लिए आप पंचायतें बनाते हैं, किसानों और मजदूरों को सुविधा देना चाहते हैं और गांवों की तरक्की करना चाहते हैं लेकिन कल जो बहस हुई उसमें तो मुझे बोलने का इत्तफाक नहीं मिला, आप देखें किसान की हालत क्या है? गरीब किसान की खरीफ की फसल खत्म हुई और अब रबी की फसल बर्बाद हो गयी है। किसान लुट गया है। किसान का ही दिल ऐसा है जो सब मुसीबतों को बर्दाश्त कर सकता है। रोजगार पेशा लोग और कम्पनियों के मालिकों पर अगर इस तरह की मुसीबतें आयें तो वे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बात तो हम यहां किसानों की करते हैं और बात तो सदन में पंचायतों की करते हैं कि किसानों को उठावेंगे लेकिन जो नजर आता है तो दिन-प्रति दिन एक दम गिरते जा रहे हैं। 25 साल से मैं देख रहा हूं कि किसी सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं सम्भाला। मैं भाभीराम जी की बात की ताईद करता हूं कि कुछ ऐसे जाने माने लोग हैं जो अफसरों पर दबाव डाल कर सही तरीके से चुनाव नहीं होने देना चाहते।

वैसे यह बिल बड़ा क्रांतिकारी बिल है, जैसा कि उप-सभापति के बारे में कहा और भी बातें हैं, जिनसे लोगों को बल मिलेगा लेकिन जैसी कि चुनाव की पद्धति है, ब्लाक प्रमुख का चुनाव होन जा रहा है। कुछ महिलायें पढ़ी-लिखी हैं वह आ गयी हैं, कुछ अंगूठा टेक प्रधान आ गये हैं, लेकिन रिटर्निंग आफिसर दूसरे का नाम लिख देता है यह सही है और इस तरह लोगों ने नाजायज दबाव डालकर के किया है। बंशीधर पांडेय हैं, इन्होंने हमारे हंडिया में छापा मार कर कराया है। इसलिए यह आवश्यक है कि जो पहली पद्धति थी कि बिना पढ़े-लिखे लोग किसी एजेंट को लेकर जिस पर उनको भरोसा हो उसको लेकर रिटर्निंग आफिसर के सामने आते थे और वह उनकी तरफ से वोट डालते हैं, वही पद्धति अपनानी चाहिए।

जहां तक गांव सभा को ऋण देने की बात है तो मुझे अनुभव है कि मेरे जाने-माने लोग मौजूद हैं, इस तरीके से 20 साल में कितने ही लोगों ने अनुदान की रकम खाई है। भाभीराम जी को भी अनुभव है, बंशीधर को नहीं है, क्योंकि वे ब्लाक प्रमुख नहीं रहे, हम लोग रहे हैं। रूपनाथ सिंह यादव भी एडवोकेट रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, इनको भी इतना अनुभव नहीं होगा। तो बड़ा करप्शन रहा पंचायतों में। इसके लिए एक भाई ने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन आपको थोड़ा कानून कायदा बनाना पड़ेगा ताकि पंचायतों के माध्यम से बैंक या कोआपरेटिव से रुपया अगर लिया जाय और 5/10 साल मेरे हाथ में रहे और उसको ठीक तरह से यूटिलाइज करने के बजाय बेईमानी करके उसको खा जाऊं

तो क्या होगा। बंशीधर के जमाने में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बहुत से कुएं जो पुराने कुएं थे उनको नया बनाकर के अनुदान दे दिया गया। चाहे गुप्ता जी की सरकार रही हो, चाहे चरण सिंह की रही हो या पंडित जी की रही हो, इसमें कहने में संकोच नहीं है कि इस तरह का अत्याचार पंचायतों में हुआ। अगर उनको मजबूत बनाना है तो नियंत्रण करना होगा। वरना गांव पर कर्जा लद जायगा और प्रधान और सेक्रटरी खाकर चले जायेंगे। आज इंजीनियर कहते हैं कि हमको गड़ा पैसा दे दीजिये, जिस तरह से उन्होंने 80 फीसदी किसानों के साथ बरताव किया है, मैं तो कहता हूं कि उनको गोली मरवा देना चाहिये, लेकिन यह जम्हूरियत है। तो आप इस तरह से बन्दर के हाथ में तलवार न दें, वह अपनी भी गर्दन काटेगा और आपकी भी। वैसे बिल अच्छा है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, कुछ कहने से पूर्व, इस ख्याल से कि कुछ गलतफहमी न हो, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस विभाग के मन्त्री जी जो मेरे घनिष्ट मित्र हैं, और रहे हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। पहली बात तो यह है कि गांव पंचायतों, विकास समितियों तथा क्षेत्र समितियों आदि के सम्बन्ध में सरकार की नीति बिलकुल अनिश्चित रही है। इनके सम्बन्ध में कभी कोई निश्चित नीति अपनाई ही नहीं गयी। उस सम्बन्ध में विभाग द्वारा जो भी संशोधन किये गये उनको करते समय नियमों का बहुत कम खयाल रखा गया,बार-बार नियमों का उल्लंघन हुआ, जिसकी ओर समय-समय मैंने ध्यान दिलाया है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो डी0 एल0 आर0 इस विभाग में सलाह देने के लिए रखे गये हैं वे ठीक सलाह नहीं देते हैं और बार-बार गलत काम करते हैं। उदाहरण के लिये मैं बताना चाहता हूं कि बहुत पहले विभाग की तरफ से एक राजाज्ञा जारी हुई—न्याय पंचायतों के लिये पंचों के चयन के सम्बन्ध में भी उस कार्य के लिये एक समिति बनायी गयी थी और उनके अधिकार में यह बिल लिख दिया गया था कि वे न्याय पंचायतों के सरपंचों का चुनाव करेगी। मैंने इस ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया कि इस तरह की राजाज्ञा नियमों के खिलाफ है। उसके बाद वह राजाज्ञा बदली गयी।

फिर विकास क्षेत्र समिति के सदस्यों के लिए माननीय सदस्यों को यह लिख कर भेजा गया कि वे यह बतायें कि वे किस ब्लाक को पसन्द करते हैं ताकि जिसको वे पसन्द करें उसी ब्लाक में उनको रखा जाय। यह भी राजाज्ञा गलत जारी की गई। नियमों में यह व्यवस्था है कि जो भी विधायक या लोक सभा का सदस्य ऐसा है जिसके क्षेत्र में यदि कोई देहाती क्षेत्र आता है तो वह उन सभी ब्लाकों का सदस्य होगा जो ब्लाक उसके निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं। पूछा केवल उन्हीं सदस्यों से जायेगा जिनके निर्वाचन क्षेत्र में देहाती क्षेत्र नहीं आता है। इस प्रकार इस सम्बन्ध में जो राजाज्ञा जारी हुई थी वह भी गलत हो गयी जिसकी ओर मैंने माननीय मन्त्री का ध्यान खींचा। उसके बाद उस राजाज्ञा को भी बदला गया। मैंने उसके लिए एल0 आर0 से भी बात की। उन्होंने मेरी बात से सहमति प्रकट की। उन्होंने कहा कि गलत भी हो गयी।

मैं खुद अपने ही क्षेत्र के अन्तर्गत एक ब्लाक में वोट देने के लिए पहुंचा, वहां जाकर मैंने देखा कि मेरा नाम ही लिस्ट में नहीं था। मैंने कहा कि मैंने एल0 आर0 वगैरह से कह कर आदेश में परिवर्तन करवाया है, यह आदेश गलत है, फिर भी मेरा नाम नहीं रखा गया। फिर जो वहां के रिटर्निंग आफिसर थे जो पंचायत अधिकारी थे, मैंने उसने कहा कि आप ऐक्ट निकलवाइए। जब उन्होंने ऐक्ट निकलवाये तो देखा कि उसमें लिखा था कि यदि किसी सदस्य के क्षेत्र का कोई हिस्सा भी अगर वहां ब्लाक में आता है तो वह मेम्बर हो सकता है। उन्होंने देखा यह बात सही है। तब फिर उन्होंने उसमें मेरे नाम की दुरुस्ती कराई।

[श्री जद्दराम वर्मा]

इस तरह से यह नियमों के खिलाफ है, इसकी कोई परवाह नही की गई है। उसमें मेरा नाम तो था। मैंने एल० आर० से ज इस पर बात की, उस समय जब हमें चुनने को कहा गया था, तो उन्होंने कहा किस जिले मे ऐसा हो रहा है। मैंने कहा फैजाबाद में, तो उन्होंने कहा मैं पूछूंगा और फिर उन्होंने कहा मैंने इसमें आदेश कर दिये। लेकिन जब बाद में मैं चौधरी साहब से और चौधराईन के पास पहुंचा तो मालूम हुआ--ऐसी सूचना उनके पास भी आई है, एल० आर० से मालूम हुआ कि सिर्फ फैजाबाद में नहीं सब जगह ऐसी गल्ती हो रही है। मैंने उनसे कहा इसका स्पष्टीकरण तो फिर सभी जगह जाना चाहिए। और उन्होंने हमसे कहा यह गल्ती यहां से नहीं हुई है, अब सब जगह स्पष्टीकरण भेज दिये जायेंगे। मेरी समझ में नहीं आया कि जिलों से कैसे गल्ती हो गई, जरूर यहां से ही गल्ती हुई होगी। फिर अब यहां से आदेश जाने के बाद वहां वह सुधारा नहीं गया। तो जब कानून के खिलाफ कार्यवाही होती हो और यहां के आदेश जाने के बावजूद भी सुधारा न जाए, इससे यही पता चलता है कि इस विभाग में बिलकुल ही नियमों की अवहेलना हो रही है।

जब ग्राम पंचायतों का चुनाव हुआ, उनके उतने भी सदस्य नहीं चुने जाने थे जितने ग्राम पंचायतों में चुने जाने थे, उतने ज्यादा चुने जाने थे, जितने न्याय पंचायतों को ग्राम पंचायतों से सदस्य चुने जाने थे। जब यहां यह प्रश्न आया तो मन्त्री जी ने कहा कि जब न्याय पंचायतों का चुनाव हो जायेगा तो उन जगहों को भरने के लिए फिर से चुनाव करायेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ पंचायतों के कोई सदस्य न्याय पंचायतों के सदस्य बनने के लिए तैयार नहीं हैं। मन्त्री जी ने इससे इंकार कर दिया और कहा कि ऐसी सूचना गलत है और फिर अब उसी सूचना के आधार पर यह संशोधन किया जा रहा है। उसको सही मानकर यह उसको दुरुस्त करना चाहते हैं। इस विधेयक को मैंने सरसरी तौर पर पढ़ा, समय नहीं मिला केवल थोड़ा सा समय मिल पाया, शुरू से आखिर तक उसे देखा तो पाया कि इसकी भाषा बिलकुल अनिश्चित और अस्पष्ट है। इस शक्ल में यह विधेयक पास करने लायक है ही नहीं। इसके बनाने में विधि विभाग ने कोई सावधानी नहीं बरती है। एल० आर० और डी० एल० आर० की कोई राय नही ली है और यदि राय ली गई है उन्होंने असावधानी से, लापरवाही से इसे देखा है और उन्होंने इसकी भाषा को ठीक नहीं किया और उसी गलत भाषा में, अनिश्चित भाषा में यह विधेयक यहां भेज दिया गया और कौंसिल से यहां पास होकर भी चला आया।

अब मैं कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस विधेयक का जो टाइटिल है--उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, तो श्रीमन, इस तरह का कोई विधि है ही नहीं, तो उसका संशोधन कैसे यहां आ रहा है। शुरू में यह टाईटिल ही गलत है। एल० आर०, डी० एल० आर० ने देखा नहीं और यह इसको यहां ले आये। इसमें से संशोधन शब्द तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए, बिलकुल यह तो नया विधेयक है। संशोधन हो सकता है किसी ऐक्ट में। यह किसी ऐक्ट में संशोधन करने के लिए है लेकिन कोई इस तरह का ऐक्ट है ही नहीं। यह ओरीजनल बिल है, अमेंडमेंट बिल नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

एक व्यवस्था का विषय है। नेता विरोधी दल ठीक कह रहे हैं। यह आपको रिजेक्ट करके रूल आउट आफ आर्डर करना चाहिए। यह बिल इस सदन में पेश नहीं हो सकता। इन्होंने कम्पोजिट रखा है, ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक,

ऐसा कोई ऐक्ट यू0 पी0 लेजिस्लेचर ने पास नहीं किया है। जब भी संशोधन आता था तो पंचायत राज ऐक्ट में और क्षेत्र समिति, जिला परिषद् एक्ट में आता था। जो प्वाइंट नेता विरोधी दल ने उठाया है, यह काउंसिल के लोगों ने ओवरलुक कर दिया है। इनका प्वाइंट सही है। इसको रूल आउट आफ आर्डर करना चाहिए क्योंकि ऐसा कोई ऐक्ट है नहीं। सरकार ने बिना सोचे समझे इस बिल को पेश कर दिया है। यह अल्ट्रावायरस होगा अगर यह पास होगा तो उत्तर प्रदेश विधान सभा का मजाक होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, यह संविधान के खिलाफ है, यह नियमों के खिलाफ है। ऐसा कोई ऐक्ट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

जो इसके उद्देश्य और कारण हैं, सवाल यह है कि उद्देश्य और कारण से सम्बन्धित संशोधन कहां तक हो सकते हैं। अगर मैं ऐसा कहूं कि वह इसको...

श्री बंशीधर पांडेय—

इसको रोक कर आप एल0 आर0, एडवोकेट जनरल की राय लीजिये। यह कानून पेश नहीं हो सकता है। कोई ऐसा ऐक्ट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

उद्देश्य और कारण से संगत कोई शीर्षक अगर...

श्री बंशीधर पांडेय—

उद्देश्य और कारण से सम्बन्धित शीर्षक इस विधेयक का नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब दूसरा प्रश्न उठता है। क्या इस स्टेज पर इस शीर्षक में संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं?

श्री बंशीधर पांडेय—

फिर दूसरी गलती होगी। आप निर्णय करें तो कुछ। इनका ला डिपार्टमेन्ट, सारा विभाग, यह सब करप्ट हैं, दिवालियापन है दिमाग का। कोई ऐक्ट मौजूद नहीं है। सम्मिलित ऐक्ट का नाम दे कर निश्चित ऐक्टों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

यदि पांडेय जी इजाजत दें तो इस बात के लिए जरूर धन्यवाद दूंगा कि बहुत ही अच्छा वैधानिक प्वाइंट माननीय वर्मा जी ने और पांडेय जी ने उठाया है। लेकिन हमारी समझ में कठिनाई आ रही है। कोई भी लजिस्लेचर कोई भी ऐक्ट पास करता है। वह बिलकुल इंडिपेंडेंट ऐक्ट होता है। यह जो अमेंडमेंट ऐक्ट है यह ओरिजिनल ऐक्ट है और जो ऐक्ट हम लोगों के सम्मुख है यह उसका नाम है "उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1972"। इस संशोधन विधेयक की हर धारा पर माननीय सदस्य मत देंगे। इस ऐक्ट के अन्तर्गत कहीं पर यह आयेगा "क्षेत्रीय समिति" की फलां धारा ग्राम सभा अथवा पंचायत राज ऐक्ट की फलां धारा और इस संशोधन विधेयक के जरिये आप उन पुराने विधेयकों को पढ़ेंगे जिनको यह विधान सभा पहले पास कर चुकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

है। एक उदाहरण दूं। जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट है, यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट है, बहुत से ऐक्ट हैं, हर एक्ट को अलग-अलग अमेंड न करके बहुत दफा ऐसा हुआ है लैन्ड मैनुअल ऐक्ट अथवा लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट एक ऐक्ट के अन्तर्गत उनको अमेंड कर दिया गया। स्माल काज़ेज ऐक्ट अथवा इंडियन क्लाजेज ऐक्ट के मातहत बहुत से ऐक्ट्स का संशोधन कर दिया गया है। उसी प्रकार से यह ऐक्ट पढ़ा जायगा। यह ऐक्ट इस प्रकार किसी खास ऐक्ट का संशोधन नहीं है बल्कि ओरिजिनल ऐक्ट है। इस प्रकार इसमें कोई वैधानिक कठिनाई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब यह देखना होगा कि और जो विधेयक इस प्रकार से आये हैं उनके शीर्षक क्या थे।

श्री बंशीधर पांडेय--

वे सब अवैधानिक हो गये। आज यूनाइटेड नेशन्स में बैठ कर यह हो जाय विभिन्न देशों के संविधानों में संशोधन के लिए विधेयक...

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें तर्क की बात है। मेरे सामने सरकारी गजट 16 दिसम्बर, 1972 का है। उसमें लिखा है उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 1972। इसमें बहुत से संशोधन हुये हैं। शीर्षक इसका भिन्न है। ऐसा नहीं है कि जिस अधिनियम में संशोधन अभिप्रेत हो उससे हट कर उसका नाम विधेयक में हो।

श्री बंशीधर पांडेय--

आप देख लें। कानून के बहुत से पंडित बैठे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह एक मूल अधिनियम है। नम्बरिंग भी है इसमें 1 2, 3 करके।

श्री बंशीधर पांडेय--

प्रस्तावना, शीर्षक इस विधेयक अंग बने ऐसा आप पढ़ते हैं। अगर शीर्षक इस विधेयक का अंग बनता है तो इस नाम का कोई विधेयक है ही नहीं।

श्री कृष्णानन्द राय--

एक उदाहरण मैं दे दूं। भारत सरकार का प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट है। वह सारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तथा इंडियन पेनल कोड की धाराओं को अमेंड करता है तो क्या सारे ऐक्ट अवैध हो जायेंगे?

श्री उपाध्यक्ष--

वैसा नहीं होगा। इसको हम देखे लेते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय--

प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट एक इंडिपेंडेन्ट ऐक्ट है। उसमें आप ले सकते हैं। इसमें तो ऐसा है कि जब "संशोधन" वर्ड आ गया तो इसमें इसका मतलब दूसरा ही आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इस पर अभी निर्णय नहीं देता हूं । उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) ऐक्ट में 1887 में संशोधन हुआ । फिर 1908 में अधिनियम संख्या 5 में संशोधन हुआ और उसके बाद ऐक्ट संख्या 13 में 1972 में संशोधन हुआ । उनके भी शीर्षक इसी प्रकार दिये हुये हैं....

श्री बलवीर सिंह--

मान्यवर, पहले इस बिल को पढ़ लिया जाय । इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है । ऐसा कोई भी विधेयक नहीं है । इस नाम का कोई अधिनियम नहीं है और आप उसमें संशोधन ला रहे हैं । यह कतई गलत है । इसे इसी स्टेज पर समाप्त हो जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

वर्मा जी अपना भाषण जारी रखें । मैं इसको दिखवा रहा हूं ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है । भाषण की जरूरत नहीं पड़ेगी । माननीय राय साहब ने एक प्वाइन्ट रखा उसी के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि जो चीज विधेयक के खंड 1 और खंड 2 में इसका नाम लिखा हुआ है यानी जो चीज नीचे लिखी हुई है वहीं ऊपर भी होती । इसमें लिखा है कि यू0 पी0 पंचायत राज ऐक्ट, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम 1961 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये विधेयक। उसमें आगे लिखा है कि यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा...

श्री उपाध्यक्ष--

आप जो पढ़ रहे हैं वह तो सरकार के पक्ष में जाता है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

इसमें तो वैधानिक गल्ती हुई । एल0 आर0 से इसमें दुरुस्त कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह शीर्षक का मामला है । वह ठीक है । क्योंकि यह मूल अधिनियम है और जो सम्बन्धित धारायें हैं उसमें जो मूल अधिनियम है उस पर कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

श्री जयराम वर्मा--

अमेन्डिंग ऐक्ट मूल अधिनियम नहीं कहलाता । यदि कोई उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि अधिनियम होता तो उसमें संशोधन होता और जब कोई अधिनियम इस तरह का नहीं है तो उसमें संशोधन की कहां जरूरत है ? यह तो ओरीजिनल ऐक्ट होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

संशोधन रखने से भी मूल अधिनियम हो जाता है । इसमें संशोधन विधेयक लिखा है । हम इसको दिखवा रहे हैं ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

यह तो खंडों में संशोधन रखते समय आयेगा...आप देखें कि इस ऐक्ट का नाम लिखा है--उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1972...।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका कहना है कि इस नाम का कोई ऐक्ट नहीं है इसलिये इसका शीर्षक अनुपयुक्त या अवैध है । इस पर हम अभी विचार कर रहे हैं । तब तक वर्मा भी अपना भाषण जारी रखें ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मेरा कहना यह है कि आगे चल कर अब आप खंडों पर संशोधन प्रस्तुत करेंगे तब आप कहेंगे सदन से कि शीर्षक इस विधेयक का अंग माना जाय । इस तरह से जब कोई ऐक्ट ही नहीं है तो आगे चलकर कठिनाई पड़ेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं देख रहा हूं, माननीय वर्मा जी अपना भाषण जारी रखें ।

श्री बंशीधर पांडेय—

अगर इस अनिश्चितता के वातावरण में माननीय नेता विरोधी दल का भाषण चलता रहेगा तो वह सटीक कैसे बैठेगा । मैं आपको बतलाऊं कि मेरे जमाने में जब कि वर्मा जी भी सरकार में थे, जिला परिषद् ऐक्ट और इस्टेब्लिशमेंट आफ जिला परिषद् की धारा 17–18 को लेकर हाईकोर्ट में एक ऐतिहासिक मामला उठा था और उसे चैलेंज किया गया था । इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि पहले आप इसको देख लें क्योंकि उसी तरह से फिर यह हाईकोर्ट में चैलेंज हो जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप चाहते हैं कि मैं तुरन्त ही इस पर अपनी व्यवस्था दे दूं। ठीक है, लेकिन मैं अभी और देखना चाहता था । मुझे ऐसा एक मिल गया है।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे निवेदन करना है कि ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, शब्द इसलिये रखा गया है कि यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट के प्रिएम्बिल में स्वायत्त शासन शब्द आया है और उसी तरह से जिला परिषद् और क्षेत्र समिति अधिनियम जो है उसके प्रिएम्बिल में भी स्वायत्त शासन शब्द आया है, इसलिये दोनों को मिला कर चूंकि दोनों अधिनियमों में संशोधन है, इसलिये इसका नाम उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक रखा गया है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

माननीय मंत्री जी के भाषण के बाद तो मुझे पता लगा कि इसकी एक और व्याख्या करनी होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

एक है प्रोसीज्योर आफ पार्लियामेंट बाई कौल एंड शकधर....

*श्री कृष्णानन्द राय—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब आप देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि हम लोगों की जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का अध्याय 14 है उसमें दिया हुआ है "विधान निर्माण" के सम्बन्ध में, उसको भी आप देख लें । उसमें दिया हुआ है कि "विधेयकों को पुरः

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्थापित करने से पूर्व प्रकाशित करने की अध्यक्ष की शक्ति।" श्रीमन्, आप नियम 114 तथा 115 को देख लें। इसमें कहीं भी यह प्रश्न नहीं आया है कि किसी विधेयक पर जब कोई संशोधन आवे तो उसकी नामावली क्या दी जाय। आप देखें कि चाहे कोई संशोधन विधेयक हो, चाहे कोई विधेयक हो, वह ओरिजिनल विधेयक होता है और विधेयक में देखना यह होता है कि लेजिस्लेशन का इंटेंशन उसमें क्या है। अगर किसी विधेयक को लेजिस्लेचर में भेजा जाता है कि पहले पास किये हुये विधेयक में यह तरमीम कर दी जाय तो वह आपरेटिव हो जाता है बिना कहे हुए कि इस विधेयक में अमेंडमेंट हो रहा है। मैं माननीय वर्मा जी और पांडेय जी से पूछना चाहता हूं कि वे कृपया बतलावें कि नियमावली के विरुद्ध इसमें क्या हुआ है जो इस पर उनको इतराज हो रहा है। अगर कोई ऐसी चीज नियमावली में हो तो दिखलावें। इससे किस नियम का उल्लंघन हो रहा है ?

श्री जयराम वर्मा--

कामनसेंस का उल्लंघन हो रहा है।

श्री बंशीधर पांडेय--

यह संविधान के विरुद्ध है। नियमावली में संशोधन नहीं हो रहा है। जो ऐक्ट ही नहीं है उसमें परिवर्तन की कार्यवाही हो ही नहीं सकती है।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता था कि जो इस समय प्रश्न सदन में उपस्थित है वह काफी गम्भीर है, इस नाते कि हमेशा सदन का इतना रुपया बर्बाद होता हो, यह प्रश्न उपस्थित न हों इसलिये इस पर विचार कर लिया जाये। संशोधन करने की स्थिति ला दी जाये, यह चांस नहीं लेना चाहिये कि यदि यह हाई कोर्ट में जायेगा और वहां अल्ट्रावायरस हो जायेगा तो उस समय हम देखेंगे जैसा कि माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि सिविल लाज अमेंडमेंट ऐक्ट के अन्दर दुनिया भर की चीजें आ गई। लेकिन जब हम स्पष्ट रूप से एक विधेयक का नाम लेते हैं और मूल विधेयक में संशोधन करने की इच्छा करते हैं और जब वह है ही नहीं तो उसमें संशोधन करना बेकार है। आप हमारी बात ध्यानपूर्वक सुनें तो हम कहें। आप हमारी राय के हैं इसीलिये हम कह रहे हैं। मैं उनकी राय से भी इत्तफाक करता हूं कि उन्होंने बिलकुल ठीक कहा है कि ऐसे कानून पेश हुये हैं जिसमें दूसरे कानून का रिफ्रेंश है। जैसे सिविल लाज अमेंडमेंट ऐक्ट, इसमें दुनिया भर की चीजें आ गईं। लेकिन जब स्पष्ट रूप से किसी विधेयक का नाम लिया जाता है तो जिसमें कहा जाता है उसको एक्जिस्ट होना चाहिये। इसलिये इस दृष्टि से हम कह रहे हैं कि जिसमें हम प्रस्ताव करते हैं वह एक्जिस्ट ही नहीं करता है तो लागू किस में होगा। मंत्री जी ने कहा कि इसका रिफ्रेंस प्रिएम्बिल में है, किसी शब्द का उल्लेख है या किसी पर्टीक्यूलर बात के आने से किसी ऐक्ट में, इसका मतलब यह नहीं होता है कि वह शब्द लिख दिया है तो मूल विधेयक वही है। इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि इस पर एक्सपर्ट की राय ले लें तब आगे बढ़ें नहीं तो ज्यादा कठिनाई होगी। इसमें इनका कोई दोष नहीं है। इनका ला डिपार्टमेंट दोषी है।

श्री रूपनाथसिंह यादव--

श्रीमन्, इसको आज पोस्टपोन कर दें और एडवोकेट जनरल की राय लेकर कल इसको ले लिया जाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

अब प्रश्न यह है कि मेरे सामने "पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग्स इन इंडिया" श्री कौल और शकधर की है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, यह प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीडिंग्स है जो अलग चीज है जो प्रक्रिया देती है। यह इससे सम्बन्धित नहीं है। यह सब्सटेंस से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष--

उसकी ओर अपेक्षा है, उसकी पूर्ति हुई होगी। किसी अधिनियम के शीर्षक के बारे इसमें लिखा है कि हर एक अधिनियम का सूक्ष्म शीर्षक द्वारा जो जो प्रस्तावित बिल होगा उसकी वह उसकी प्रकृति बतायेगा।

श्री कृष्णानन्द राय--

मान्यवर, यह अंग्रेजी की कापी है। अगर औरीजिनल पढ़ दें तो ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

"Every Bill has a title succinctly describing the nature of the proposed measure. The title generally referred to as the long title, is prefixed to the Bill and retained in this Act, and is different from the short title which is embodied in the first section of the Act itself."

यानी यह कोई जरूरी नहीं है कि जो अधिनियम आप के संशोधन की परिधि को बताता हो, वैसा नाम उस शीर्षक में हो। फिर...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह तो आप दूसरे दृष्टिकोण से देख रहे हैं। आपका कहना बिलकुल सही है कि...

श्री उपाध्यक्ष--

आप जरा सुन लें। इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी हमारे पास है। एक तो मैं अभी बता चुका, अगर आप उसको नहीं मानते तो दूसरा तरीका यह है...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आपने जो अभी बताया उसको हम नहीं मानते।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका एक पूर्व पास किया हुआ विधेयक है 'उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक, 1966। उसमें और इसमें केवल अर्बन और रूरल का ही अन्तर है। शहरी क्षेत्र का आप पास कर चुके हैं और यह ग्राम्य क्षेत्र का आपके सामने है। तीसरे ऐसे प्रश्नों पर जो राय हम रूल आउट नहीं कर सकते, ऐसे सवाल को अपने विवेक से नहीं कर सकते बल्कि उसमें सदन की राय हम ले सकते हैं अन्यथा न्यायालय के अधिकार में हम निर्भर करेंगे, अगर यह गैरकानूनी है और न्यायालय अबतक की परम्परा के अनुसार इसे गैर कानूनी ठहरा दे तो अन्त में न्यायालय की जो व्याख्या होगी वही स्वीकार होगी। इसलिए इन तीनों तर्कों के आधार पर हम इस विधेयक के बारे में चर्चा जारी रखने के लिए व्यवस्था देते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्था तो शिरोधार्य है लेकिन यह इतिहास या लेजिस्लेचर आप को क्षमा नहीं करेगा क्योंकि आये दिन रोज सरकार के गलत कामों की आलोचना होती है और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट इनके खिलाफ जजमेंट देता है। संविधान का 37वां संशोधन भी जजमेंट के बाद ही हुआ है और यह बिक्री-कर का भी संशोधन कोर्ट के जजमेंट के बाद ही हो रहा है। लेकिन अगर हाउस के मेम्बर्स पहले से एन्टीसिपेट करके ध्यान दिलाते हैं कि यह गलत बात होने जा रही है तो यह बुद्धिमानी की बात होगी कि उससे पहले ही सदन का ध्यान उधर आकृष्ट किया जाय और उस पर गम्भीरता से विचार करना सदन का परम कर्त्तव्य होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

हम गम्भीरता से विचार करेंगे, यह ठीक है लेकिन हम लोकतन्त्र की सम्भावनाओं में कभी यह असम्भव नहीं समझते कि जिसमें कोई विधान सभा किसी भी हालत में कोई गलत काम न करे ऐसा सुनिश्चित हो।

श्री बंशीधर पांडेय—

आप तो इसकी कल्पना नहीं करते लेकिन हमारी एक राम राज्य की कल्पना है "दैहिक, दैविक, भौतिक तापा-राम राज्य काहूं नहि व्यापा।" आप किस लोकतन्त्र की कल्पना करते हैं? क्योंकि कल्पना के बिना तो कोई भी चीज सरकार नहीं होती और जो साकार नहीं होती तो....

श्री उपाध्यक्ष—

राज्य का मतलब शासक और विरोधी दल दोनों से है और सरकार का मतलब बहुमत से है और सब मिल कर उसके भागीदार है। सरकार सब की बनायी हुई है। आप वोट विरोध में देते हैं तो आप की हमारी सब की....

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष जी, मुझे निवेदन करना है कि हमारे मित्र कहते है कि ऐसी धारणा क्यों बनी कि इस तरह की चीज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जायगी और वहां से उसका निराकरण हो, अगर ऐसा होगा तो यह हमारे लेजिस्लेचर पर एक बिडम्बना की बात होगी। लेजिस्लेचर, एगजिक्यूटिव और जूडीशियरी यह तीनों एक तरह से सहोदर भाई हैं। अगर कहीं भूल हो जाती है तो वह एक या दूसरे स्थान पर जाकर ठीक हो जाती है, भूलचूक होनी ही है लेकिन दीदोरानिश्ता इसको सही बना देना चाहिए।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हमारे शास्त्री जी ने कहा कि एगजीक्यटिव, लेजिस्लेचर और जूडीशियरी तीनों सहोदर भाई है। हम यह नहीं मानते जुडिशियरी तो देखती है कि लजिस्लेचर ठीक काम कर रहा है, एक्जीक्युटिव ठीक काम कर रही है, उसके आर्डर्स का सही इन्टरप्रिटेशन करती है। यह जुडीशियरी का काम है। आपने हमारी भावना का आदर किया, आप भी समझे हैं लेकिन रूलिंग देते हुए यदि आप एक शब्द और कह देते कि यह शीर्षक नहीं होना चाहिये था और शीर्षक बनाते समय सरकार इसका ध्यान देती लेकिन आपने मान्यवर, इतना भी ध्यान नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

इस शीर्षक को मैं शत प्रतिशत सही मानता हूं। यह व्यवस्था है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यदि आप की यह व्यवस्था है तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन, मैं कह रहा था कि इस बिल का सावधानी से ड्राफ्टिंग नहीं हुआ है। इसके सम्बन्ध में दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इसमें 2 अधिनियमों का संशोधन किया गया है। एक यू0 पी0 पंचायत राज अधिनियम, 1947 और दूसरे उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 का। लेकिन दोनों में एक ही अर्थ में अलग-अलग शब्द इस्तेमाल किये गये हैं। कानून की भाषा एक्युरेट और डैफिनिट होनी चाहिए लेकिन एक ही अर्थ में एक ही विधेयक द्वारा 2 ऐक्ट्स का संशोधन करके दोनों ऐक्टों में 2 शब्दों का इस्तेमाल एक अर्थ किया जाय यह बात बिल्कुल अनुचित है। पहले ऐक्ट में अर्थात् यू0 पी0 पंचायत राज अधिनियम में "प्रेस्क्राइब्ड" के लिए' विहित" शब्द का प्रयोग किया गया है और दूसरे में "प्रेस्क्राइब्ड" के लिए "नियत" शब्द का प्रयोग किया गया है जो बात मुनासिब नहीं है। हमेशा जहां प्रेस्क्राइब्ड शब्द लिखा जाता था सब जगह, सब विधेयकों में "नियत" का प्रयोग हुआ है लेकिन यहां एक ही विधेयक के द्वारा 2 ऐक्टस का संशोधन करते हुए दोनों ऐक्ट्स में अलग-अलग शब्द प्रयोग किया जाय, यह कानूनी दृष्टि से कहां ठीक है? इसके मायने हैं क्या दोनों में फर्क हैं? अगर है तो विहित का और नियत का क्या मतलब लेते हैं? यू0 पी0 पंचायत राज ऐक्ट में "विहित" शब्द और दूसरे ऐक्ट में "नियत" शब्द अगर दोनों शब्दों का अर्थ एक है तो दोनों शब्द क्यों इस्तेमाल किये गये हैं। यह कानूनी विभाग और संबंधित विभाग की गलती है जो इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हैं और विधेयकों को सदन में प्रस्तुत करा देते हैं। वे विधेयकों की एक्यु-रेसी का कोई ध्यान नहीं रखते हैं।

इसी तरह से आप देखें शब्द "तदर्थ" का प्रयोग किया गया है। सब जगह "तदर्थ" शब्द के साथ अगर और कोई शब्द नहीं रखा जाता है तो तदर्थ का अर्थ होता है "एडहौक"। जैसे तदर्थ समिति, तदर्थ नियम। तो "तदर्थ" शब्द का अर्थ होता है "एडहोक"। आप इस विधेयक को देखें। इसके दसरें पृष्ठ में प्रतिबन्ध में पहली ही लाइन में लिखा है कि यदि गांव पंचायत "तदर्थ नियमों" द्वारा अगर तदर्थ बनाये गये नियम लिखे होते तो·····

श्री उपाध्यक्ष—

एडहाक नियम भी होते हैं?

श्री जयराम वर्मा—

अगर नियम बनाये जायं और सदन के सामने आयें तो क्या एडहोक नियम होंगे। माननीय मंत्री जी इसकी व्याख्या कर रहे थे कि सदन के सामने नियम रखे जायेंगे, और सदन मन्जूर करेगा। सदन उनको मंजूर करेगा तो क्या वह नियम तदर्थ होगा या विधिवत नियम होगा। इस तरह से ये सदन की अवहेलना करना चाहते हैं। इसी तरह से जगह-जगह पर शब्दों का प्रयोग किया गया है और बगैर दख हुए कि इसका क्या अर्थ निकाला जायेगा कोई खयाल नहीं किया गया है। दूसरे पेज के अन्त में खंड 7 में शब्द लिखा है नीचे से दूसरी लाइन में गांव सभा को अधिकारिता। "जुरिस्डिक्शन" के लिये अधिकारिता शब्द का सम्भावतः इस्तेमाल किया गया है। इसके लिये "अधिकार क्षेत्र" शब्द इस्तेमाल होता है। यहां यह शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया। इससे बड़ी असावधानी क्या हो सकती है। कानून की भाषा इस तरह से असावधानी से लिखी जाय कि जिससे अनिश्चित अर्थ निकल आये और कहीं-कहीं शब्दों का दोबारा हैडिंग में भी उसका वर्ग लिखा हुआ है और खंड में भी वही क्रिया रिपीट की गई है। भाषा बड़ी गड़बड़ रूप में लिखी हुई है। भाषा के बाद अब मैं पहली बात इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि जो अध्यादेश लाया गया है....

श्री उपाध्यक्ष--

"अधिकारिता" शब्द--जो कहा है इसका मतलब उससे तो नहीं है जिससे जमीन पर उसका अधिकार हो उससे तो नहीं इसका मतलब है।

श्री जयराम वर्मा--

श्रीमन्, अधिकारिता के बाद आने वाले शब्द ही स्पष्ट कर देते हैं। उसका अर्थ यहां क्षेत्राधिकार से ही है। उसका कोई और अर्थ नहीं है। अब मैं जो अध्यादेश लाया गया था जिसको प्रतिस्थापित करने के लिये विधेयक लाया गया है मैं उसका कोई औचित्य नहीं समझता। श्रीमन्, देख लें क्या कारण बतलाया गया है। पहला कारण बतलाया गया था कि गांव सभा के उपप्रधान का चुनाव एक वर्ष के लिये होता है उसको पांच वर्ष करना चाहते हैं। इसमें अध्यादेश की क्या जरूरत थी। अगर एक वर्ष के लिये चुनाव हो गया होता बाद में विधेयक बनाया गया होता और कर दिया होता कि उन पर अधिनियम लागू होगा तो कहां उसके लिये औचित्य है। दूसरी बात कही गई है कि अध्यादेश क्यों लाया गया। बहिर्ग्रामी जो प्रधान है वे चार्ज नहीं देते हैं, तो चार्ज देने के लिये उनको बाध्य करने के लिये कि वे चार्ज दे दें, यह लाया गया है। अगर इसका कोई उपयोग किया गया होता तो मैं मान भी लेता कि बहिर्ग्रामी प्रधान बाध्य कर दिये गये।

जैसे वहां दो वर्षों की सजा होगी और जुर्माने की सजा होगी उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही होती। लेकिन मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर बसन्तपुर ग्राम सभा का जिक्र करना चाहता हूं कि वहां के नये प्रधान को आज तक चार्ज नहीं मिला इस अध्यादेश की क्या जरुरत थी। अध्यादेश को लाने का क्या मतलब था। चार्ज उसको मिला नहीं। एस0 डी0 एम0 ने चार्ज लेकर अपने हाथ में रख लिया। क्यों रख लिया क्योंकि जो पुराना प्रधान है वह इलेक्शन में हार गया और उसने इलेक्शन पेटीशन दायर कर दी। वह इस इंतजार में हैं कि वह शायद पेटीशन जीत जायं और नये प्रधान को चार्ज न देना पड़े और जो पुरानी गड़बड़ियां है वह सामने न आने पायें। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस विभाग ने उस अध्यादेश का क्या उपयोग किया। एस0 डी0 एम0 से, डिप्टी कमिश्नर से पूछें कि इस तरह का अध्यादेश था तो क्यों नहीं बाध्य किया कि नये प्रधान को चार्ज दे दें।

तीसरी बात इसमें अध्यादेश को लाने का कारण बतलाया गया है अनुमेलन। अनुमेलन सम्बन्धी प्राविधान में संशोधन करना चाहते थे। मैं कहता हूं कि अगर उस समय संशोधन न हो गया होता तो क्या आफत आने वाली थी। अनुमेलन सम्बन्धी प्राविधान के बारे में चर्चा करते हुए मंत्री जी ने एक बात कही और माननीय रियासत साहब ने उसके समर्थन में दूसरी बात कही। मंत्री जी ने कहा कि क्योंकि सहकारी समितियों के जो सदस्य आते हैं वह अनुमेलित होते हैं इसलिये दूसरे सदस्यों के अनुमेलन में उनको अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि सहकारी समितियों के जो सदस्य आते हैं वह चुने हुए होते हैं और इसी ऐक्ट में व्यवस्था है कि वह चुने हुए हैं, अनुमेलित नहीं है। चुने हुए इसलिए है कि सहकारी समिति उन्हें चुनती है। यह बात दूसरी है और मैं भी मानता हूं कि सहकारी समितियों से जो लोग आते हैं वह ठीक तरह से चुन कर नहीं आते। लेकिन अगर ठीक तरह से चुनकर नहीं आते तो इसकी सही व्यवस्था करनी चाहिए थी।

माननीय रियासत साहब ने समर्थन में यह कहा कि इन सहकारी समितियों के सदस्यों को अनुमेलन में हिस्सा नहीं लेना चाहिये था क्योंकि ये जनता से चुने हुए सदस्य नहीं होते। मैं मानता हूं कि वह जनता से चुने हुए सदस्य नहीं होते और सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने हुए होते हैं। लेकिन दूसरे लोग हैं जो चुने हुए नहीं होते और उन्हें अनुमेलन में हिस्सा लेने का अधिकार है। विधान परिषद् के सदस्य होते हैं जो असेम्बली द्वारा चुने जाते हैं, राज्य सभा के सदस्य होते हैं जो इस असेम्बली द्वारा चुने जाते हैं तो उनको अनुमेलन में हिस्सा लेने का अधिकार क्यों दिया गया। राज्य सभा के सदस्यों को, विधान

[श्री जयराम वर्मा]

परिषद् के सदस्यों को जो डायरेक्ट चुनकर नहीं आते हैं अनुमेलन में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए था। बड़ी तारीफ की गई कि इस विधेयक के द्वारा गांव सभाओं के जो अधिकार टैक्स लगाने का है उसमें वृद्धि की गई है।

अब तक वह मालगुजारी पर एक रुपये पर 6 पैसे टैक्स लगा सकते थे। अब इस विधेयक के द्वारा उनको अधिकार दिया गया है कि मालगुजरी या लगान पर एक रुपये पर 4 आने तक टैक्स लगा सकेंगे, यानी 25 प्रतिशत तक टैक्स लगा सकेंगे। मैं कहता हूं कि इसका औचित्य कहां है? इसका तो औचित्य बिलकुल नहीं है। जब विकास कर किसानों पर लगाया गया था तो कितना विरोध किया गया था कि नहीं लगना चाहिये। स्थिति बहुत खराब है। पिछले साल बाढ़ आई। ऐसी बाढ़ आई जैसी कि पिछले 100 वर्ष में नहीं आई। इस साल सूखा पड़ा। ऐसी स्थिति में किसान पर विकास कर नहीं लगना चाहिये। लेकिन कहा गया कि विकास कर तो बहुत जरूरी है, क्योंकि विकास कर द्वारा जो रुपया मिलेगा, उस रुपये में से कुछ रुपया गांव सभाओं को दिया जावेगा और कुछ क्षेत्र समितियों को दिया जावेगा, कुछ जिला परिषदों को दिया जावेगा, जिससे उनके जिम्मे जो सेवायें हैं उनको वह ठीक से कर सकें। तो जब किसान पर वह टैक्स लग गया तो यह नया टैक्स लगाने की क्या जरूरत थी। इसका क्या औचित्य था? अगर विकास कर न लगाया गया होता तो इसके बढ़ाने की गुन्जाइश हो सकती थी लेकिन अब नहीं है। उसके बाद कोई नया कर नहीं आना चाहिये।

श्रीमन्, इसमें एक व्यवस्था यह की गई है कि गांव पंचायत भूमि प्रबन्धक समिति भी होगी, यानी ग्राम पंचायत को अधिकार भूमि प्रबन्धक समिति का भी होगा। ठीक है। वह अलग से थीं, उसकी जरूरत नहीं थी। जो गांव पंचायत है वह भूमि प्रबन्धक समिति भी हो तो ठीक है। लेकिन इसमें लिखा है कि ग्राम सभा का जो प्रधान होगा वह ग्राम पंचायत का भी प्रधान होगा लेकिन खंड 2 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रधान गांव पंचायत सदस्य नहीं समझा जावेगा। वह मत देने का हकदार नहीं होगा। प्रधान तो गांव पंचायत का प्रधान हो जावेगा। वह उसमें हिस्सा ले सकेगा लेकिन वह उसका सदस्य नहीं होगा। उसमें वोट देने का अधिकार उसको नहीं होगा। चूंकि ग्राम पंचायत भूमि प्रबन्धक समिति भी होगी इसलिये प्रधान उसका भी प्रधान होगा। वह सभापति होगा। तो जब सदस्य होने का अधिकार नहीं है तो उसके माने हैं कि जो ग्राम सभा की सम्पत्ति है उसके रख-रखाव, देखभाल और रक्षण के सम्बन्ध में ग्राम सभा के प्रधान को कोई अधिकार नहीं है। यह कैसी व्यवस्था है? ग्राम सभा की सम्पत्ति का रख-रखाव, देखभाल के सम्बन्ध में ग्राम सभा के प्रधान को कोई अधिकार नहीं है। यह कैसी व्यवस्था है जिसकी तारीफ की जा रही है। क्या इससे ग्राम सभा का काम अच्छा हो सकेगा और भूमि प्रबन्धक समिति के द्वारा ग्राम सभा की सम्पत्ति की ठीक से सुरक्षा हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। कभी सम्भव नहीं है। इस तरह की व्यवस्था से और गड़बड़ी पैदा करेंगे।

श्रीमान् जी, एक व्यवस्था इसमें की गयी है कि अगर गांव पंचायतें उपप्रधान का चुनाव करने में चूक गयीं, तो वही प्रिसक्राइब्ड अथारिटी, जिसको इसमें विहित अधिकारी कहा गया है, किसी आदमी को उपप्रधान के लिये नाम निर्दिष्ट कर देगा। अधिकारी नामजदगी करेगा उप प्रधान की। प्रिसक्राइब्ड अथारिटी को इतना अधिकार दे रहे हैं कि वह उप प्रधान को नामजद करे। इसमें विहित अधिकारी अपने अधिकार को दुरुपयोग करेगा कभी भी गांव पंचायतों को सूचना नहीं पहुंचेगी कि फलां तारीख को चुनाव होगा और सूचना न पहुंचने पर वह खट से किसी को उप-प्रधान के लिये नाम निर्दिष्ट कर देगा। यह तो उसके महत्व को बढ़ाया गया है, कम नहीं किया गया। पांच साल का समय देना बेकार हो गया। श्रीमान् जी, पंचायत राज ऐक्ट की धारा 43 में जो संशोधन किया गया, जिसका जिक्र मेरे साथी

कर रहे थे कि किस तरह से अपनी गल्तियों को छिपाने के लिये इस संशोधन के द्वारा उसके लिये व्यवस्था कर दी गयी है कि वह गल्ती छिप जाय। इसमें श्रीमान् जी यह जो प्रतिबन्ध है, खण्ड 12, देख लिया जाय:—

"12—मूल अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (1) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि न्याय पंचायत के पंच होने के लिये वांछित संख्या में गांव-पंचायत के सदस्य उपलब्ध न हों, तो नियत प्राधिकारी के लिये यह विधि-सम्मत होगा कि वह इस प्रकार हुई रिक्तियों को, यदि कोई हों, पूर्ति गांव सभा के अन्य सदस्यों में से नामांकन द्वारा कर दें।"

इस प्रकार की रिक्तियों का क्या मतलब है? गांव पंचायत की रिक्ति है या न्याय पंचायत की रिक्ति है, या इसका दोनों से मतलब है? अगर दोनों से मतलब है तो यह प्रिसक्राइब्ड अथारिटी के लिये जरूरत से ज्यादा अधिकार दिया जा रहा है। जब न्याय पंचायतों के पंचों के चयन के लिये कमेटी होती है, जिसमें विधान सभा के सदस्य होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं, जिला परिषद् का अध्यक्ष होता है और अब लोक सभा के सदस्य भी रख दिये गये हैं और राज्य सभा के सदस्य भी इस समिति में रखे गये हैं, वे नामजदगी करते हैं, सिफारिश देते हैं कि कौन-कौन आदमी है जो कि न्याय पंचायत का पंच होने चाहिये, तो जो इतनी बड़ी कमेटी है, उसको तो अधिकार नहीं दिया गया है।

अगर किसी गांव पंचायत से पूरी संख्या में न्याय पंचायत के पंच बनाने के लिए सिफारिश न आयी हो तो समिति को ही अधिकार हो जाता तो कुछ अच्छा होता। उसको तो अधिकार नहीं दिया और प्रेसक्राइब्ड अथारिटी को अधिकार दे दिया क्योंकि वे सीधे सरकार के हाथ में रहेंगे और मर्जी के मुताबिक कार्य करते रहेंगे। यह तो बड़ी अनुचित सी बात की जा रही है। अधिकारियों का यह जो हस्तक्षेप चुनावों में बढ़ता जा रहा है वह बात अच्छी नहीं है और मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था व प्रतिबन्ध के आने के बाद क्या माननीय मंत्री जी अब यह करना चाहते हैं जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि न्याय पंचायतों के बन जाने के बाद गांव पंचायतों के सदस्यों की संख्या में जो कमी हो जायेगी उसके लिए फिर से चुनाव कराएंगे। धारा 43 में प्रतिबन्ध रख देने के बाद क्या वह बात आपके दिमाग में नहीं रह गयी है अब तो सब प्रेसक्राइब्ड अथारिटी ही नामजद कर देगी। हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि न्याय पंचायतों के लिए काफी सदस्य नहीं मिल रहे हैं इसलिए वह जो वादा है वह वादा तो अपनी जगह कायम रहता है और उस व्यवस्था की पूर्ति नहीं होती है कि जब गांव पंचायतों में सदस्यों की कमी हो जाएगी तो उस कमी को पूरा करने के लिए फिर से चुनाव कराएंगे और उसी तरह से चुनाव कराये जायेंगे जिस तरह से पहले चुनाव हुए हैं तो मैं समझता हूं कि इसको रख देने ही से कोई बात इस तरह से नहीं होने वाली है। वे चुनाव तो अपनी जगह करने ही पड़ेंगे और बगैर चुनाव कराए हुये काम चलने वाला नहीं है।

श्रीमान जी, इसमें कुछ संशोधन ऐसे किये गये हैं जिनकी ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप पृष्ठ 2 पर खंड 4 को देखें जिसमें लिखा है:—

"4—मूल अधिनियम की धारा 12 में,

(1) उप धारा (7) में, द्वितीय वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य रख दिया जाय और सदैव से ही रखा गया समझा जाय, अर्थात्:—

उनकी संख्या उतनी होगी जो नियत की जाय।"

यह प्राविजन तो पहले ही से था। इसी तरह से कुछ और प्राविधान थे। यह जो लिखा है कि सदैव से ही रखा गया समझा जायेगा इसका अर्थ क्या है, ऐसा क्यों किया जा

[श्री जयराम वर्मा]

रहा है ? यह व्यवस्था तो पहले ही से थी। खाली उसको तोड़ा गया है। कुछ व्यवस्थाएं उसमें से निकाली गयी हैं और कुछ व्यवस्थाएं रहने दी गयी हैं। मूल ऐक्ट देख लीजिए। धारा 12 की उप धारा 7 में लिखा है :—

"The members of Gaon Panchayat shall be elected by the members of the Gaon Sabha from amongst themselves. Their number shall be such as may be prescribed....."

तो यह तो पहले ही से है लेकिन आप जो कह रहे हैं कि उनकी संख्या वही होगी जो नियत की जायगी और यह संशोधन सदैव से रखा गया समझा जायेगा इसका अर्थ क्या हुआ ? इसके माने क्या हैं ? इसकी आवश्यकता कहां रह गयी है ? पता नहीं उसका मतलब आप कुछ और तो नहीं निकाल रहे हैं ? इस तरह से बड़ी अनियमितता इसमें हुयी है। और बड़ा कन्फ्यूजन कर दिया गया है, इस बिल का ड्राफ्टिंग बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है और कुछ का मतलब कुछ आ रहा है, कुछ कर दिया गया है। तो इस रूप में कितना संशोधन किया जायगा? इसलिए जरूरी है कि जो संशोधन विधेयक आया है यह प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय यह उचित प्रतीत होता है और उसके बगैर काम चलने वाला नहीं है।

श्रीमान जी, और जरा देखिये। पृष्ठ 3 में खंड 11 में, इसमें धारा 37 का संशोधन किया गया है। इसमें देखें "और कोई गांव सभा निम्नलिखित सभी या कोई कर, शुल्क तथा फीस लगा सकती है"। इसमें है "लगा सकती है" और फिर देखिये "क" में फिर लिखा हुआ है कि "लगा सकती है।" जब यहां पर आ गया तो वहां पर "लगा सकती है" की क्या जरूरत है ? इसी तरह से (ख) में जब उसके शुरू ही में वह आ गया है तो (ख) में भी "लगा सकती है" फिर इस शब्द की जरूरत क्या थी? तो ऐसा बेजा प्रयोग किया गया है शब्दों का कि अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। उसका यहां पर संशोधन होना बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। न एक महीने का दें, कुछ कम समय भी प्रवर समिति में मिल जाय तो बहुत सी गलतियां जो रह गयी हैं उनका सुधार हो जायगा, यहां पर सुधार होना मुश्किल होगा।

इसमें उधार लेने की शक्ति दी गयी है गांव सभा को। वह संयुक्त समिति को नहीं दी गयी है, जिसकी तरफ कोई माननीय सदस्य इशारा कर रहे थे। गांव सभा कर्ज ले सकेगी, वह सरकार के अलावा और भी वित्तीय संस्थाओं से, यह इसमें व्यवस्था है। लेकिन सामूहिक रूप से गांव सभाएं नहीं ले सकेंगी। यदि वे मिल कर कोई संयुक्त नीति अपनावें और संयुक्त काम करना चाहें तो कर्ज लेने की व्यवस्था इसमें नहीं है। अब कुछ माननीय सदस्यों ने नियमों का उल्लेख किया। यह जो नामांकन-पत्र का शुल्क होता है वह तो बढ़ाया गया है, ठीक है, लेकिन नामांकन पत्र खरीदा जाता है चाहे ब्लाक प्रमुख के लिए या गांव सभा के प्रधान के पद के लिए, उसकी एक कीमत होती है, उस पर केवल एक ही नामांकन पत्र दाखिल हो सकता है। विधान सभा की सदस्यता के लिए जो उम्मीदवार होते हैं, जो निश्चित फीस है उस पर 4 नामांकन-पत्र तक दाखिल हो सकते हैं और वह एक तरह से फीस है। उसके लिए फीस रखी गयी है या जमानत रखी गयी है, वह दे देने के बाद, एक बार वह नामांकन पत्र खरीद लेने के बाद एक ही नामांकन-पत्र दाखिल हो सकेगा, ऐसी व्यवस्था अनुचित है। जब एक नामांकन पत्र खरीदा गया, उसमें प्रस्तावक और अनुमोदक ने दस्तखत किये तो कभी-कभी यह मुश्किल हो जाता है कि प्रस्तावक दूसरी बात न कहने लग जाय तो दूसरा नामांकन पत्र अगर दाखिल करना चाहता है तो दूसरा परचा खरीदना पड़ेगा। तीसरा दाखिल करना चाहता है तो उसे तीसरा दाखिल करना पड़ेगा, इसी तरह से चौथा दाखिल करना चाहता है तो उसे चौथा दाखिल करना पड़ेगा। तो इस तरह की व्यवस्था बिलकुल अनुचित है। एक बार जब उसने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया, तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उस फीस में सादे कागज पर नामांकन-पत्र दाखिल हो सके। यह व्यवस्था न होने से जो प्रधानी के लिए या ब्लाक प्रमुखी के लिए उम्मीदवार होंगे उनके साथ अन्याय होगा।

उन्हें एक से ज्यादा दाखिल करने का अधिकार नहीं है । कुछ लोग इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि जो वोटिंग की व्यवस्था है अनुमेलन में । मैं समझता हूं वह बात भी सही है । क्योंकि अनुमेलन में नाम लिखने पड़ते हैं । बहुत से प्रधान ऐसे होते हैं जो अपना नाम नहीं लिख पाते हैं । उनको एक नाम नहीं 10–10, 12–12 नाम लिखने पड़ते हैं । तो इसके लिये व्यवस्था यह है कि जो खुद नहीं लिख सकता है, वह प्रिसाइडिंग अफसर से कहे । वह उसे अलग ले जाकर, जो कुछ वह कहेगा, उसके अनुसार लिख देगा बैलट पेपर पर ।

तो श्रीमन्, कानून में ऐसी व्यवस्था कभी नहीं होती है । यह क्यों मान लिया जाये कि सरकारी अधिकारियों पर विश्वास होना चाहिए, किन्तु कानून में विश्वास से काम कोई नहीं होता है । विश्वास ही करना है तो असेम्बली के एलेक्शन में, जब बैलट–बाक्स सील्ड हो गये, तो यह मान लिया जाये कि ईमानदारी से ये लोग बाक्स ले जायेंगे, तोड़े नहीं जायेंगे और सही वक्त पर खोले जायेंगे, किन्तु ऐसा नहीं होता है लोग उन पर अपने आदमियों द्वारा बराबर चौकसी से निगरानी रखते हैं । विश्वास ही करना है तो मतदान पड़ते समय किसी एजेन्ट के उपस्थित रहने की क्या आवश्यकता है । तो आप देखें कानून में विश्वास की कोई गुंजाइश नहीं होती । विश्वास उसको होना चाहिये जो वोट दे रहा है, यह मुख्य बात है । ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे उसको विश्वास हो सके । यह कहा गया कि जो प्रिसाइडिंग अफसर होता है, वह बाहर का आदमी होता है, उसको क्या पड़ी है कि वह कहने के खिलाफ लिखे तो असेम्बली के एलेक्शन में भी तो बाहर के आदमी आते हैं ।

अब अधिकारियों पर जनता का बिलकुल विश्वास नहीं रह गया है कि बैलट बाक्स की जिम्मेदारी उन पर छोड़ी जाये या लिखने की जिम्मेदारी उन पर विश्वास के साथ छोड़ी जाये, ऐसी गुंजाइश अब नहीं रह गई है । चूंकि लोगों का ऐसा ख्याल हो गया है कि यह अधिकारी प्रशासक दल की सहायता करना चाहता है, उनकी मदद करना चाहता है, हर तरह से उनके अनुरूप कार्य करना चाहता है । इसलिये विश्वास की गुंजाइश यदि मंत्री जी रखना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि वह चाहते हैं कि अधिकारी उनके अनुकूल काम कर सके । यदि वह यह नहीं चाहते हैं और यह चाहते हैं कि ईमानदारी से वोटिंग हो सके, तो इस व्यवस्था में अवश्य तरमीम करनी होगी और व्यवस्था यह होनी चाहिये कि जो लिख नहीं सकता है उसके साथ ऐसा आदमी जा सकने की गुंजाइश होनी चाहिये जिस पर उसका विश्वास हो । वह उसके इतमिनान का आदमी होना चाहिये । वह देख सके और विश्वास कर सके कि सही नाम लिखे जा रहे हैं । मैंने स्वयं पाया है कि ऐसे मौकों पर प्रिसाइडिंग अफसर ने स्वयं नाम नहीं लिखे और उसके साथ के क्लर्क ने नाम लिखे । आप चाहेंगे तो मैं नाम भी बताने को तैयार हूं । अकबरपुर ब्लाक क्षेत्र है, वहां पर तहसीलदार प्रिसाइडिंग अफसर थे, लेकिन उन्होंने खुद नाम लिखने का कष्ट गंवारा नहीं किया ।

उन्होंने अपने क्लर्क को कह दिया कि तुम जाओ जो कहता है कर दो । प्रिसाइडिंग आफिसर पर विश्वास करो या उनके क्लर्क पर विश्वास करो यह नहीं होना चाहिये । इन नियमों में बड़ी भारी गलती है । जिसको संतुलित किये बिना ईमानदारी से स्वतंत्रतापूर्वक फेयर चुनाव नहीं हो सकते, नियमों में तबदीली करनी होगी और न करना ज्यादती होगी और यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से लोग मतदान करना चाहते हैं उसके अनुसार हो सकेगा ।

माननीय मंत्री जी ने एक बात कही कि जिला परिषद् के सदस्य कौन होगें ? उन्होंने कह दिया कि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन का प्रतिनिधि होगा, अब आपने अध्यक्ष रख दिया है । अब जिला परिषद के अनुमेलन में इसकी व्यवस्था की गयी है । अगर सचमुच में यह अनुचित है कि जनता से चुने हुए जो सदस्य न हों वे अनुमेलन में नहीं आने चाहिये, उनको हिस्सा नहीं लेना चाहिये तो राज्य सभा और विधान परिषद् के सदस्यों को भी अलग करना होगा और गांव सभा, विधान सभा तथा लोक सभा के सदस्यों को अनुमेलन में हिस्सा लेने का अधिकार देना होगा । बहुत सी व्यवस्थायें की गयी हैं जैसे आउट

[श्री जयराम वर्मा]

गोइंग प्रधान चार्ज न दे तो उसे बाध्य करने की व्यवस्था की गयी है । अगर उसके बाद भी चार्ज न दे तो उसको दो साल का कारावास हो सकता है या अर्थ दंड हो सकता है या दोनों हो सकते हैं । कारावास में निश्चित लिखा हुआ है दो वर्ष लेकिन अर्थ दंड में निश्चित रकम नहीं लिखी हुई है जिसे लिखनी होगी । इस तरह से बहुत सी जगहों पर इसमें गड़बड़ी है ।

मैं इसे मानने को तैयार हूं कि मैं इस बिल को ठीक से पढ़ नहीं पाया । एक घंटे में इसको पढ़ने की कोशिश की जिससे बहुत सी गलतियों को मैं देख नहीं पाया । अगर माननीय मंत्री जी उपेक्षा की नीति नहीं बरतना चाहते तो इस विधेयक को इस रूप में पास न होने दें और इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने की कृपा करें और प्रवर समिति की रिपोर्ट आने के बाद यह पेश हो जिससे सारी अनियमिततायें दूर हो सकें । मैं यह मानने को तैयार हूं कि आपके पास एक महीने का समय न हो तो एक हफ्ता मानिये और एक हफ्ते के अन्दर प्रवर समिति सारी अनियमितताओं को देख ले और दुरुस्त कर के इस विधेयक को यहां भेज दे ।

(इस समय 3 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुए)

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह विधेयक जो इस सदन में पेश किया गया है, इसमें सरकार की ओर से कहा गया कि प्रधानों द्वारा शपथ न लेने के कारण फिर से चुनाव कराने की व्यवस्था की तरफ सरकार ने ध्यान दिया है और इसीलिये यह संशोधन किया जा रहा है । अधिष्ठाता महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि फिर चुनाव हो जायं और वही प्रधान दो बारा चुनकर चले आवें और फिर दोबारा शपथ न लें तब आप क्या करेंगे, यह आपने नहीं बतलाया । आपने यह बतलाया कि इसीलिये अध्यादेश निकालने की आवश्यकता पड़ी, तो मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इसके लिये क्या व्यवस्था की है इस विधेयक में और इसके लिये उनके कानूनी सलाहकारों ने कौन सी राय दी है । कहा गया कि सामूहिक तौर पर देहरादून में प्रधानों ने शपथ लेने से इन्कार कर दिया । मैं जानना चाहता हूं कि किन कारणों से और किन परिस्थितियों में प्रधानों ने सामूहिक तौर पर शपथ लेने से इन्कार कर दिया था । अगर कारण यह है कि उन प्रधानों का शपथ में विश्वास नहीं है तब यह व्यवस्था होनी चाहिये थी कि जिन प्रधानों ने शपथ लेने से इन्कार किया, वे दोबारा प्रधान पद के चुनाव के लिये उपयुक्त न हो सकगे । लेकिन वह व्यवस्था इस विधेयक में नहीं हुई है । अगर सरकार की दुर्नीतियों को और कुनीतियों के कारण और ग्राम पंचायत विरोधी कानून के तौर तरीकों को छिपाने के लिये माननीय मंत्री जी यह व्यवस्था करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि वह निहायत निहायत गलत कदम है ।

अधिष्ठाता महोदय, यह कहा गया है कि संयुक्त समिति की स्थापना करना आवश्यक है और इसलिये इसमें संशोधन की आवश्यकता हुई है । और इसके लिये इसमें अध्यादेश निकालने की आवश्यकता हुई । मैं जानना चाहता हूं कि किस किस ग्राम सभा ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पास करके भेजा है कि हम संयुक्त समिति बनाना चाहते हैं कि और इसके लिये अध्यादेश का अधिकार देते हैं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि अध्यादेश निकालना अत्यन्त आवश्यक हो गया था, लेकिन उन्होंने यह बतलाने का कष्ट नहीं किया । यही नहीं, आप देखेंगे कि जब संयुक्त समिति की बात कही जा रही थी, उधर से एक सदस्य बोल रहे थे तो कह रहे थे कि 4–5 ग्राम सभायें मिल कर काम करना चाहती हैं तो वे संयुक्त समिति बना लेंगी मैं पूछना चाहता हूं कि क्षेत्र समिति को जो अधिकार दिया गया है वे वही अधिकार हैं जो संयुक्त समिति को अधिकार देने की बात है । जो क्षेत्र समितियों के कर्तव्य और कृत्य हैं वहीं संयुक्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समिति के कर्तव्य और कृत्य हैं तो फिर क्या कहीं उनमें विरोधाभास है ? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गयी कि जिस काम को क्षेत्र समितियां करती थ उनके जिम्मे इस काम को न देकर संयुक्त समितियों के जिम्मे देने की बात की जा रही है । इससे मालूम होता है कि आपकी मंशा बिलकुल दूसरी है । और आप इस तरीके से क्षेत्र समितियों को पंगु बनाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और क्षेत्र समितियों के काम को बांट बांट कर एक दूसरे तौर तरीके से उसको समाप्त करना चाहते हैं । इस तरह से यह हो ा कि जहां कहीं कोई क्षेत्र समिति आपके मन पसन्द की नहीं होगी । और एक से अधिक ग्राम सभायें आपके मन पसन्द की होंगी तो उनके लिये संयुक्त समिति के माध्यम से काम करने का अवसर प्रदान करने की एक नयी व्यवस्था आप करने जा रहे हैं । अगर ऐसा नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे कौन सी मंशा है और क्यों इस अध्यादेश को निकालने की जरूरत पड़ी ?

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 97 लाख क्षेत्र समितियों की आय है और 72 हजार पंचायतों की आमदनी को हम बढ़ाना चाहते हैं और इसलिये 6 पैसे से बढ़ा कर 25 पैसे की दर से टैक्स लगाने का उनको अधिकार देना चाहते हैं । मूल अधिनियम जिसका संशोधन कर रहे हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो टैक्सेज लेवी करने का अधिकार मिला हुआ है, बिल के पेज 17 पर सैंतीसवें नम्बर पर है—इम्पोजीशन आफ टैक्सेज ऐंड फीज का जो चेप्टर दिया हुआ है, इसमें तमाम "टैक्सेज लगाने" का अधिकार गांव सभाओं को मिला हुआ है, जैसे जानवरों के बारे में तीन रुपया प्रति वर्ष प्रति जानवर के हिसाब से टैक्स लगाने का अधिकार है, इसके अलावा वेहिकिल्स पर, मेलों पर, थियेटर पर, सिनेमा पर । इस तरह के टैक्स लगाने के अधिकार मिले हुए हैं । इन अधिकारों का प्रयोग करके किन गांव सभाओं ने कितना धन संग्रह किया, जिनके प्रधानों ने माननीय मंत्री से आकर प्रार्थना की कि छः पैसे के बजाय 25 पैसे टैक्स लगाइये ? उन प्रधानों से आपने पूछा कि आपको जो अधिकार प्राप्त हैं उनका सदुपयोग आपने कभी किया है या नहीं और कितनी आपने आमदनी बढ़ायी है ।

बनारस के प्रधानों ने, देवरिया के प्रधानों ने कह दिया । यह सही है, यह जरूरी है, कि जो पैसा उनके गांव से वसूल करके आप ला रहे हैं उसमें उनको योगदान दें । आप छः पैसे के बजाय 25 पैसे टैक्स का बहाना बनाकर एक दूसरी चीज पैदा करना चाहते हैं । मैं वर्मा जी की उस बात से बिल्कुल इत्तिफाक करता हूं कि जब इस सदन में भूमि विकास कर आया था तो उस समय भी यह बात कही गयी थी । इसीलिये मेरा आगे संशोधन आ रहा है । अगर मंत्री जी की मंशा साफ है तो वह उसको मंजूर करेंगे कि गांव का जो लगान हो उसका आधा और भूमि विकास कर का पूरा भाग गांव सभा को दे दिया जाय । लेकिन मैं जानता हूं कि वह ऐसा करने वाले नहीं हैं । यह सीधा-सीधा रास्ता खोल रहे हैं गांव पंचायतों और गांव सभाओं को मारने का यह दूसरा षडयंत्र चल रहा है । मैं आगे चल कर इस पर निवेदन करूंगा कि वह षडयंत्र किस प्रकार कर रहे हैं । न्याय पंचायत में सदस्य नहीं जा रहे हैं इसलिये विहित प्राधिकारी को अधिकार दे दिया जाय कि वह नामजद करे । वह सवाल अलग है जो वर्मा जी ने उठाया, क्या उनको अधिकार गांव सभाओं में नामजदगी के लिये मिल रहा है ।

प्रश्न दूसरा है न्याय पंचायतों में नामजदगी का अधिकार विहित अधिकारी को देने का मतलब क्या है ? जब आपको चुनाव करवाना था गांव पंचायत के सदस्यों का उसी समय चाहिये था कि अलग एक फार्म बना देते, जो लोग न्याय पंचायत के लिये इच्छुक हों वह लोग अपने परचे भरें । उनका चुनाव करवाते । लेकिन ऐसा नहीं किया गया । जब गांव पंचायतों से न्याय पंचायतों में जाने के लिये लोगों ने इनकार कर दिया तो आपने कह दिया कि विहित प्राधिकारी उनकी नामजगी करेगा । जो न्याय पंचायतें हैं यह न्याय पंचायतें विहित प्राधिकारी की कृपा पात्र न्याय पंचायतें होंगी । उसमें से कौन लोग जायेंगे जो पंचायत सेक्रेटरी,

[श्री कल्पनाथ सिंह]

पंचायत इंस्पेक्टर, बी0 डी0 ओ0 की चापलूसी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो गांवों में दलाल थे ।

ऐसे लोग सरकारी कर्मचारियों के बल बूते के बदौलत न्याय पंचायतों में आ जायेंगे और उनका बाजार किस प्रकार से गरम होगा जैसे कि दूसरे लोगों का दलाली के जरिये से होता है। इस प्रकार की व्यवस्था इस बिल के जरिये से हो रही है। माननीय मंत्री जी मानें या न मानें लेकिन यह बात होगी । आप इसे बहुमत के जरिये से पास करवा सकते हैं किन्तु आने वाला वक्त आपको बतायेगा कि किस प्रकार से आपने न्याय पंचायतों का गला घोंटा है आप आगे फरमाते हैं कि प्रधानों का चुनाव इसलिये पांच साल तक बढ़ाया जा रहा है क्योंकि कोई मिलता नहीं है। मान लीजिये नहीं मिलता है तो इसके लिये अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी यह तो आपका एक बहाना है और उसी के जरिये आप अध्यादेश ले आये । जब चुनाव नहीं होगा तो उन पंचायतों के लिये जो चूक करेंगे उनके लिये आप नाम निर्दिष्ट करके बैठा देंगे । सेक्रेटरी साहब लिख देंगे कि अमुक ग्राम सभा में चुनाव संभव नहीं हो सकेगा और अमुक ग्राम सभा ने चूक की तब वह सवाल पुनः इस सदन में आयेगा और यह कहा जायेगा कि फलां ग्राम सभा ने चूक की इसलिये चुनाव संभव नहीं है । क्योंकि उसी की रिपोर्ट को आप यहां पर पढ़ देंगे और उसके अनुसार आप नाम निर्दिष्ट करा लेंगे । चुनाव कराना संभव नहीं होगा ।

मैं देखता हूं कि आपने कौन सा तरीका अख्तियार किया है । ऐसी सूचना देने वाले लोगों के खिलाफ आपने इस बिल में क्या प्राविधान किया है । लेखपाल के बारे में आपने लिखा है कि वह ग्राम समाज का सिक्रेटरी होगा । लेखपाल प्रधान लोगों से अपना बस्ता ढोवाता है और फिर आप उसके लिये कहते हैं कि वह ग्राम समाज का सिक्रेटरी होगा ? प्रेसीडेन्ट, अध्यक्ष या प्रधान का हुकमनामा कौन कहे, वह तो एक बात भी सुनने के लिये तैयार नहीं है और जब वह लिखित नोटिस देता है कि अमुक समय पर बैठक में हाजिर रहिये तब वह कह देगा कि तहसीलदार साहब का हुक्मनामा है, मैं आपकी बात सुनने के लिये तैयार नहीं हूं । जब उसके खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही जायगी तो वही विहित प्राधिकारी प्रधान का गला पकड़कर दबोच देगा और आप देखते रह जायेंगे । मैं कहता हूं कि यदि आप ग्राम प्रधानों का लेखपालों के ऊपर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो इसमें संशोधन करिये । एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आपने इसमें क्षेत्र समितियों के उन्मूलन में कुछ संशोधन किया । कुछ का जिक्र माननीय वर्मा जी ने किया मैं उनकी राय से बिलकुल इत्तिफाक करता हूं । इसमें "चूजेज" शब्द लिखा हुआ है "कोआप्शन" में तो एक दूसरे को उन्मूलित कर रहे हैं। कोआप्टेड सदस्य एक दूसरे को कोआप्ट नहीं कर रहा है लेकिन क्षेत्र समितियों में सहकारी समितियों के प्रतिनिधि जायं।

हरिजन आ जायं कम से कम महिलाएं आ जायें। इसके लिए यह प्राविधान किया गया है। अगर 8 हरिजन में से कम आते हैं तो बची हुई संख्या का कोआप्शन होगा। इसी तरह से 5 महिलाओं में से कम आती हैं तो बची हुई संख्या का कोआप्शन होगा। लेकिन सहकारी समिति के प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था नहीं है। ऐक्ट में व्यवस्था यह है कि हर हालत में पांच प्रतिनिधियों के चुने जाने का प्राविधान किया गया है जो इस प्रकार है कि एक कृषि सहकारी समिति से, एक इंडस्ट्रियल सहकारी समिति से, एक कोआपरेटिव समिति से, एक केन समिति से, और अगर कोई प्रतिनिधि इन सोसाइटियों में एक्जिस्ट नहीं करता है तो क्रेडिट सोसाइटी से लिये जायेंगे यानी इनकी संख्या की पूर्ति कर दी जायेगी जिससे कम से कम 5 प्रतिनिधि हो जायं। यह कहां का अनुमेलन हुआ। हमारे जिले में बड़हलगंज ब्लाक में अनुमेलन एक हिस्से को बी0 डी0 ओ0 ने सुपुर्द किया कि इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी के प्रतिनिधि का चुनाव करा दें। उनकी सूची में खण्ड परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले लोगों के सिलसिले में टाउन के रजिस्टर में जिनका नाम था उनको भी शामिल कर लिया कि वे वोट करें।

(लाल बत्ती होने पर) यह क्या श्रीमन् ?

श्री अधिष्ठाता—

इसको आज ही समाप्त करना है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप मुझे क्षमा करेंगे कि इसकी याद अभी आई या पहले भी थी।

श्री अधिष्ठाता—

आज ही इस पर खंडशः भी विचार होना है आप कितने मिनट लेना चाहते हैं?

श्री कल्पनाथ सिंह—

जब आप कहेंगे तब मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अधिष्ठाताः—

पांच मिनट में आप समाप्त कर दीजिए।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं केवल चार मिनट ही लूंगा। इसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मैं निवेदन कर रहा था कि जब अनुमेलन का सवाल आया तो पंचायत इन्सपेक्टर ने बेईमानी से मौजूदा प्रमुख के द्वारा समर्थित उम्मीदवार को जिताने के लिये जो टाउन एरिया के रजिस्टर में अन्य लोग थे उनको भी उसमें शामिल कर लिया। बी0 के0 डी0 ने ठीक सवाल रखा है कि वोट देते समय उसके कम्पेनियन की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसे लोगों से वोट दिलाए जाते हैं जिनके नाम तक दर्ज नहीं होते। आड़ में ले जाकर वोट दिलाने से जो पढ़ा लिखा नहीं है वह कसे समझेगा कि एक दो तीन संख्या अंकित की जा रही है या नहीं अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं समझता हूं कि वह निहायत गलत काम होगा। अनुभव यह बताता है कि आपके भ्रष्ट कर्मचारी...हमें एक जगह से यह सूचना मिली कि हमारे जिले के एक भ्रष्ट कर्मचारी ने, जो नायब तहसीलदार थे, लोगों ने मुझे बताया कि मैं नहीं जानता वह सही बात है या गलत क्योंकि मैं किसी लेने देने या देखने में शामिल नहीं था...लेकिन मुझे बताया गया कि उस नायब तहसीलदार ने 500 रुपए लिए और वोट के वक्त लोगों का कहना है कि जिन प्रधानों ने यह बात की उसने दूसरे को लिख दिया। इस तरह की चर्चा जब आम तौर से चलती है तो यह स्वभाविक हो जाता है कि यहां यह बात कही जाय, लोगों ने मुझ से कहा कि आप सरकार से विधान सभा में कहिये और आज यह जगह-जगह पर चर्चा है कि इस तरह से यह प्रिसाइडिंग आफिसर खरीद और बिक्री कर रहे हैं। जहां इस तरह की भावना फैल जाय तो इस में संशोधन की नितान्त आवश्यकता है।

केवल एक निवेदन मैं और करूंगा और उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। वह यह कि आज जो उन्होंने नामजदगी करने का अधिक से अधिक अधिकार लेने का प्रयास किया है वह पंचायत राज ऐक्ट की भावना के स्वतः विपरीत है। मैं समझता हूं कि जो सुझाव प्रवर समिति का आया है उसमें जिद्द नहीं करना चाहिए। यह सवाल न मन्त्री जी की या सरकार की प्रतिष्ठा का है और न यह सरकार को बनाने का है, न उस को बिगाड़ने या गिराने का ही है बल्कि सवाल केवल इतना है कि अधिक से अधिक विचार विमर्श कर के ठीक चीज को सामने लाया जाय जिससे जनता का हित हो सके। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मौजूदा अधिनियम से काम हो जायगा तो फिर संशोधन की जरूरत ही क्या थी। और यदि इस संशोधन से काम चल जायगा तो इसमें बहस की क्या बात है। लेकिन अगर आप का यकीन बहस मुबाहिसे से कोई लाभ उठाने में है तो आप इसे प्रवर समिति में जाने दें वर्ना मालूम होगा कि यह सरकार अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रही है।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

क्षेत्र समितियों का दायरा इन्होंने घटाया है, सरकार ने उसके अधिकारों पर कुठाराघात किया है, जिला परिषदों पर भी कुठाराघात हो रहा है क्योंकि साथ में एक संस्था जिला सहकारी बैंक और हो गई तो वह आपस में एक राय नहीं होंगे और दोनों में चुनाव कर के अगर अनुमेलन नहीं होगा तो नामजदगी सरकार करेगी। जहां इस प्रकार की भावना सरकार के मन में बैठ जाय एक से दो का अनुमेलन न हो तो सरकार सारा अधिकार अपने हाथ में ले ले तो मैं इस तरह की मनोवृत्ति का डटकर विरोध करता हूं। यह सरकार न जिला परिषदों को, न क्षेत्र समितियों को और न गांव सभाओं को ही पनपने देना चाहती है। इस सरकार की पंचायत राज विरोधी नीति है। यह सरकार जनता के सामने जाय अन्यथा यह सरकार इतनी निरंकुश होती जा रही है जनता का अंकुश ऐसी सरकार पर लगना आवश्यक है। मैं जानता हूं कि यह प्रस्ताव जो प्रवर समिति का आया है उसका यह विरोध करेंगे और हरगिज यह नहीं मानेंगे, उन की तरफ बैठने वाले लोग सुन लें कि यह जिला परिषदों, क्षेत्र समितियों और गांव सभाओं का गला दबोचना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ में समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

अब मन्त्री जी उत्तर देंगे, माननीय रूपनाथ सिंह जी, आपका संशोधन आगे है, अभी मन्त्री जी उत्तर दे रहे हैं उस के बाद आप को ही उत्तर देना है क्योंकि संड जी और कपूर जी इस समय यहां नहीं है, आपको ही उनके स्थान पर उत्तर देना है। आप मन्त्री जी के बाद बोलें।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

अधिष्ठाता महोदय, एक मिनट आप हमारी बात सुन लें, उसके बाद मन्त्री जी बोलें तो ज्यादा बेहतर होगा। श्रीमन्, पंचायत राज ऐक्ट के बारे में मुझे एक बहुत जरूरी चीज कहनी है।

श्री अधिष्ठाता—

अब समय नहीं है ?

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, केवल एक मिनट लूंगा। मेरा निवेदन यह है कि जहां तक हरिजनों का ताल्लुक है, अभी मेरे भाई कल्पनाथ सिंह जी ने सारी की सारी बातें तो कहीं लेकिन हरिजनों के संरक्षण की कोई बात नहीं कही। अदालत पंचायत में जो चुनाव हों, नामजद हों, उसमें एक भी हरिजन को नहीं लिया जाता है और अदालत पंचायतों में मन माने ढंग से हरिजनों के ऊपर जुर्माने कर दिये जाते हैं, उन पर जुल्म ढाये जाते हैं। मैं चाहूंगा माननीय मन्त्री जी से कि उनका भी इसमें संरक्षण रखा जाय ताकि अधिकारियों का संरक्षण हो सके।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत विधेयक पर इस सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं।

श्री अधिष्ठाता—

क्या आपने संशोधन को मान रहे हैं कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाय ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

आप सुन तो लें कि मैं क्या कह रहा हूं। माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर अनेक सुझाव दिये हैं। श्री राम गोपाल सण्ड जी ने प्रवर समिति में इसे भेजने का प्रस्ताव किया है और इसके लिए उन्होंने 3 बातों को सदन के सम्मुख रखा है। एक तो यह है कि उप-सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, दूसरा 6 पैसे से 25 पैसा क्यों कर दिया गया है और तीसरी बात यह है कि एक कौम्प्रिहेंसिव बिल नहीं है, सम्पूर्ण विधेयक नहीं है। ये तीन-बातें उन्होंने संशोधन को प्रस्तुत करते समय कही हैं। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने सदन को यह बताया था कि उप-सभापति उपलब्ध नहीं होते हैं। तब यह देखा गया कि अगर ग्राम पंचायतों के संगठन को चलाना है तो उप-सभापति, जो कि सभापति की अनुपस्थिति में सभापति के कार्य का संचालन करता है। कभी-कभी उसको ऐसा अवसर भी मिलता है तो 5 साल बढ़ाने से भी उसे कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। जहां तक 6 पैसे से 25 पैसे कर देने का प्रश्न है मैंने यह निवेदन किया था कि 6 पैसे से लेकर 25 पैसे तक ग्राम सभा जैसे समर्थ हो अपने यहां कर लगा सकती है। अनिवार्य रूप से 25 पैसे की बात नहीं कही है।

जहां तक कौम्प्रिहेंसिव बिल लाने का प्रश्न है यह ऐसा प्रश्न है कि इसमें कुछ समय लगने की सम्भावना है। पहले भी मैंने यहां पर यह कहा था कि हमने एक पंचायत समिति का गठन किया है। वह पंचायत राज अधिनियम और जिला परिषद् क्षेत्र समितियों के अधिनियम का अध्ययन कर रही है। वह इस बात को भी अध्ययन कर रही है कि दूसरे प्रदेशों में पंचायत राज का किस प्रकार से संचालन किया जा रहा है और उसे अध्ययन के बाद वह अपना प्रतिवेदन देगी और उस पर एक कौम्प्रिहेंसिव बिल लाने का शासन का विचार है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को उस बिल पर विस्तार से बात करने का अवसर मिलेगा। इन तीन बातों पर इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। मान्यवर, श्री बलवीर सिंह जी, एक योग्य वकील हैं और उन्होंने अपने विचार को जिस तरह से रखा है, मैं उनकी उस बात की कदर करता हूं। मैं स्वयं भी उनका बड़ा सम्मान करता हूं लेकिन उन्होंने यह बताया कि ग्राम सभा से जो चुनाव पंचायत के लिये होता है, उसमें अगर दो सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है तो न्याय पंचायतों में अलग से सदस्यों को भेजने का मौका नहीं होता है।

जिस समय की माननीय बलवीर सिंह जी चर्चा कर रहे हैं उस समय गांव में जितने गांव पंचायत के सदस्य चुने जाते थे उनकी एक तादाद होती थी, एक जगह बैठ करके उन सबका चयन हो जाता था। इस बार हमने अलग-अलग कांस्टीट्वैनसीज बनाई हैं। वे जनसंख्या के आधार पर बनी हैं और वहां सदस्यों का चुनाव हुआ है। इसलिए अधिक सदस्यों के चुनाव का प्रश्न नहीं उठता। जो ग्राम पंचायतें बनाती हैं उसी से सदस्य ग्राम पंचायतों के लिए जायेंगे। अगर उनकी इच्छा हो और पंचायतों का बहुमत उनको भेजता हो तो वे जा सकते हैं किन्तु वो आधार नहीं है तो न्याय पंचायत का गठन करने के लिए कोई न कोई तरीका शासन को निकालना ही पड़ेगा।

मान्यवर, आक्षेप यह लगाया गया कि हमने किसी राजनैतिक दृष्टि से कार्य किया है। मैं समझता हूं कि हमारे साथ में और शासन के साथ कोई उचित न्याय आदरणीय सदस्यों ने नहीं किया। मान्यवर, अनेक समितियों में जिनमें नामांकन होता है आज नहीं आज से पहले माननीय सदस्य जो इस पर आलोचना के लिए खड़े हुए और बोले उनकी भी सरकार थी उन्होंने भी नामांकन किये होंगे। यह तो बराबर की एक प्रथा रही है कि नामांकन होता है। और जब कोई समिति ठीक तरह से कार्य न करे उसमें पूरे सदस्य न हों तो उस समिति को चलाने के लिए नामांकन उन जगहों को पूरा करने के लिए किया जाय। मान्यवर, हम इस प्रदेश में और सम्पूर्ण देश में जो समाजवादी व्यवस्था लाने की बात करते हैं हम इन पंचायतों को मजबूत और ताकतवर बनाना चाहते हैं ताकि ये

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

पंचायतें एफक्टिव ढंग से सक्रियता से और अच्छी तरह से काम कर सकें। जनहित का काम कर सकें। अगर इस देश में लोकतन्त्र को मजबूत करना है तो निश्चित ही हमारी जो लोकतन्त्र की बुनियादी इकाई पंचायतें हैं इनको मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन इन पंचायतों के संचालन के लिए जो इसमें काम करने वाले लोग हैं उनके अन्दर भी कोई आदर्श होना चाहिए अगर हमारे अन्दर वह आदर्श नहीं हैं तो हम पंचायतों को ठीक तरह से संसंचालित नहीं कर सकते और जब तक हम जनता को लोकतन्त्र की इस बुनियादी इकाई के कार्य द्वारा आकर्षित नहीं करते उनको उस आदर्श के अनुरूप नहीं ढालते तब तक आवश्यकता होगी कि कभी-कभी जहां कभी आवश्यकता हो हम नामांकन करें और उसके द्वारा धीरे-धीरे हमारी पंचायतों की व्यवस्था स्वयं कहने लगेगी कि अब नामांकन की आवश्यकता नहीं है तो उस स्थिति को लाने के लिए जहां कहीं भी रिक्ति हो उसको नामांकन द्वारा पूरा करने का विचार करते हैं।

मान्यवर, रियासत हुसैन साहब ने अनुमेलित सदस्यों के अभाव में कुछ बात कही है। मैं समझता हूं कि अनुमेलन के सम्बन्ध में मैं प्रारम्भ में ही काफी विस्तार से बात कर चुका हूं। अब इसकी और आने की जरूरत नहीं है। मौलाना साहब ने कहा कि कण्डीडेट का एजट जरूर होना चाहिए ताकि मतदाता ठीक तरह से मत कर सके। मान्यवर, सन 1937 से मुझे भी चुनाव लड़ने और लड़ाने का अवसर मिला है और जहां कहीं भी ऐसी व्यवस्था रही है प्रिजाइडिंग आफिसर जो चुनाव अधिकारी हैं उसी के सामने उसी की देख-रेख में निशान लगता है और वही उस अनपढ़ व्यक्ति की तरफ से लिखता है अगर किसी तीसरे व्यक्ति का प्राविधान कर दिया जाय तो गोपनीयता भंग हो जाती है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

पिछले काउंसिल के मेम्बरों के चुनाव में क्या व्यवस्था है उसके लिए अभी भी जिला निर्वाचन कार्यालय में वही आदेश पड़े हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता—

क्या स्पष्टीकरण करना चाहेंगे कि चुनावों में सहायक दिया जाता है तो इसमें क्यों नहीं दिया जाता? गोपनीयता तो वहां भी होती है।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जो भी चुनाव गोपनीयता के आधार पर होता है उसमें गोपनीयता को सुरक्षित रखा जाता है।

(इस समय 4 बजकर 11 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मैं जानना चाहता हूं कि लोक सभा और विधान सभा के जो चुनाव होते हैं तो उनमें सहायक मिलता है। रिटरनिंग अफसर या प्रीजाइडिंग अफसर वहां निशान नहीं लगाते। वही प्रथा यहां क्यों नहीं अपनाते?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

एक प्रश्न करना चाहता हूं। अब आप गोपनीयता की बात मानते हैं तो फिर सिम्बल की प्रथा लागू कर दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह जो गोपनीयता की बात की तो यह राइट, वोटर का है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी जजमेंट है। यह सही है कि गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए लेकिन अगर वोटर चाहता है तो वह गोपनीयता भंग कर सकता है। अब मान लीजिये एक अंधा है। वह कहता है कि एक को वोट देना है। अब उसको कैसे पता लगेगा कि एक को ही वोट दिया। इसलिए वह अपने असिस्टेंट को ले जाये। इसको मान लेना चाहिए।

श्री रामबचन यादव (जिला आजमगढ़)—

अगर एक अनपढ़ व्यक्ति है और वह अपने लड़के को ले जाता है और उससे लिखवाता है तो क्या आपत्ति है। अगर प्रिसाइडिंग आफिसर ने बतला दिया कि फलां को वोट दिया तो गोपनीयता कहां रह गयी।

श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

लोकल बाडीज से कौंसिल के लिए चुनाव हुए थे तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की नीति यह नहीं थी कि प्रत्येक अपढ़ को सहायक मिलेगा? वहां तो आपने गोपनीयता भंग करा दी। लेकिन यहां आपको गोपनीयता की चिन्ता हो गयी।

श्री बलवीर सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, अब जो कोआपशन में हो रहा है वह यह कि जो सरकारी पक्ष के सपोर्टेड लोग थे उनके पक्ष में प्रिसाइडिंग आफिसर जो कि नायब तहसीलदार थे, निशान लगवा दिया। वोटर ने कहा कि एक्स को वोट दें लेकिन वाई को वोट मिला। नतीजा यह हुआ कि सही वोटिंग नहीं हो पायी। जो लोग आफिसर्स पर असर रखते थे उनका कोआपशन हो गया। इसी तरह से प्रमुख के चुनाव में भी होगा। इसको मन्त्री जी मान लें। उनका इसमें क्या नुकसान है।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है उसमें वर्तमान स्थिति में परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों की इस राय से सहमत हूं कि भविष्य में जब नया काम्प्रीहेन्सिव बिल आयेगा, तो उस बिल में इसका प्राविजन कर देंगे।

श्री रामकुमार दीक्षित—

क्षेत्र समिति के चुनाव अभी होने जा रहे हैं, तो अभी इसको कर दिया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जब औचित्य स्वीकार कर लिया तो क्यों न अभी माना जाय?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह ख्याल सही नहीं है कि उसमें कोई बेईमानी की गुन्जाइश है। जनसंघ के नेता ऐसा कहकर गुमराह करने की बात कर रहे हैं ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसमें कोई बेईमानी की बात नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इसमें बहुत से आंखों देखे इल्जाम है। यह ब्योरेक्रेसी ऐसा कर रही है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

इसमें बहुत बेईमानी होती है। मिर्जापुर में एक ब्लाक के अन्दर एक सदानन्द दुबे सोशलिस्ट पार्टी के थे। उन्होंने नामीनेशन भरा था। दूसरी पार्टी ने मिलकर उसमें श लिखा दिया और खारिज करा दिया। सदानन्द पर मात्रा लगा दी और खारिज करा दिया तो यह ठीक नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय—

जब काम्प्रीहेंसिव बिल आवेगा तो प्राविजन किया जावेगा, तो काम्प्रीहेंसिव बिल की जरूरत नहीं है। नियमों में प्राविधान होना चाहिए।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

इसमें बेईमानी होती है और होती रहेगी।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो नियमों में प्राविधान करना है जो राज्य सरकार बनाती है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

यह तो साधारण सा सुझाव है जिसको दूसरा पक्ष भी मानता है। तो इसको स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

एक ही दल के दो सदस्य इस तरह से बोलेंगे तो कौन समझ सकेगा?

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मन्त्री जी ने माना है कि इसमें बेईमानी होती रही है, तो यह इस साधारण बात को क्यों नहीं मान लेते हैं, कठिनाई क्या है? प्रमुख के चुनाव में ईमानदारी होने दीजिए।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, मुझे कहने दें, उसके बाद माननीय सदस्य कहें। मैं यह निवेदन कर रहा था कि...

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मन्त्री जी ने कहा कि गुमराह कर रहे हैं लेकिन मन्त्री जी तो सारे प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

माननीय मंत्री जी समझे नहीं, इसलिये नहीं मान रहे हैं। केवल इसमें नियम परिवर्तन करना है, इंटरप्रिटेशन चाहते हैं। "में असिस्ट", इस "असिस्ट" का सेंस सब आ सकता है। अगर उसी में इतना संकेत कर दें कि वह अपने सहायक भेज दें, तो हो सकता है।

श्री राम बिलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

मंत्री जी ने यह मान लिया है कि इसमें गड़बड़ी होती और भविष्य में भी होगी, तो मैं समझता हूं कि इसको मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बैजनाथ (जिला वाराणसी)—

मैं, बनारस में अभी हाल में जो चुनाव हुआ, उस घटना का दो मिनट में जिक्र करना चाहता हूं। नायब तहसीलदार पश्चिमी की ड्यूटी पूर्वी में हो गयी और पूर्वी की ड्यूटी पश्चिम में हो गई। यह ड्यूटी फिर कटवा दी गई और पूर्वी की पूर्व में और पश्चिम में कर दी गई। जब मुझे मालूम हुआ, तो मैं परगना अधिकारी से मिला और जैसी पहले ड्यूटी थी, वही कर दी गयी। इस पर नायब-तहसीलदार, तिवारी ने नाराज होकर हमारे 18 वोटर जो अशिक्षित थे, उनको ले जाकर इंडीकेट के पक्ष में उनकी वोट लगवा दी। तो मान्यवर, इसमें ऐसा कर दें कि जो वोट देने वाले अगर अशिक्षित हैं, दिखाई नहीं देता, तो अपने भाई-भतीजे या लड़के को ले जांय और निशान लगवा लें।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

उसको मान लें। बड़ी बेइमानी होती है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय नहीं है। अगर ऐसा चाहते थे, तो पहले लाना चाहिये था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

लेकिन मान्यवर, उसका मतलब यह नहीं कि उचित बात न कहें।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने स्वयं समय निर्धारित किया है।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

श्रीमन्, मुझे तो बोलने का समय ही नहीं मिल रहा। मैं निवेदन कर रहा था कि रूपनाथ सिंह यादव जी ने किसी ए0 डी0 ओ0 (पंचायत) का जिक्र किया। मैंने यह कभी नहीं कहा कि अनियमिततायें नहीं होतीं और सब पाक-साफ हैं। अनियमितताओं को ही दूर करने की अधिनियम में कोशिश की गई है। अगर सचमुच इसमें अनियमितता की गयी है, तो वह अनियमितता दुरुस्त की जा सकती है। एक बात कही गयी कि नियम में ऐसा परिवर्तन कर दिया जाय ताकि कोई भी अपढ़ प्रधान अपने साथ में किसी सहायक को ले जा सके और मतदान सही कर सके। इस संबंध में नियमों को मैं देखूंगा और अगर उसमें कोई सुविधा दिला सकूंगा तो प्रयास करूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इतना समय लेने के मंत्री जी, मान्यवर, जिम्मेदार हैं। अगर पहले ही यह बात कह देते, तो इतना समय न नष्ट होता।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जयराम वर्मा जी को मैं बड़ा भाई मानता हूं। छोटे भाई की गलती निकालने पर वे कृपया नाराज न हों। उन्होंने अनेकों चीजों का उल्लेख किया। कहीं भाषा की कमी बताई, कहीं किसी आदेश की कमी बताई। किन्तु मैं बताना चाहता हूं कि गांव पंचायतों के चुनाव का कोई आदेश नहीं था। गलती से विभाग की ओर से कोई आदेश गया होगा। हम तमाम उसमें सुधार कर देंगे। गलती तो इंसान से हो सकती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि हर आदमी पूर्ण हो और जिससे कोई गलती न हो। गलती का भी सुधार होता है। अगर कोई गलती है, मैं तो ऐसा मानता नहीं हूं, उसका भी सुधार हो सकता है और कभी न कभी उसका सुधार होगा।

एक बात नायब तहसीलदारों के विरुद्ध कही गयी और या प्रिसाइडिंग आफिसरों के विरुद्ध कही गई। मान्यवर, प्रिसाइडिंग आफिसर हों, चाहे नायब तहसीलदार हों, तहसीलदार हों

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

या कोई और हों, खंड विकास अधिकारी होता तो मैं समझ लेता कि ऐसा हो सकता है क्योंकि वे सब लोगों को जानते हैं, सब लोगों के पास बैठते हैं, इसलिये उनका रूझान किसी तरफ हो गया होगा, मगर नायब तहसीलदार तो तहसीलों में रहते हैं, कभी-कभी दौरा करते हैं, वे किसी पार्टी विशेष में दिलचस्पी रखें, यह बात ठीक नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या कमाल किया है, वे नहीं जानते कि रूलिंग पार्टी कौन सी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

एक बात कह कर मैं बैठ जाता हूं । एक बात नये प्रधानों को चार्ज दिलाये जाने के बारे में कही गयी । जिन अभिलेखों और धन का चार्ज नहीं दिया जाता है उसके लिये यहां व्यवस्था की गयी है और अब प्रधान को अनिवार्य रूप से चार्ज देना पड़ेगा । जो धन उसके पास है, वह बकाया रेवेन्यू वसूली की तरह से उससे वसूल किया जायेगा । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इसके लिये तो सरकार को बधाई देनी चाहिये क्योंकि अनेक क्षेत्रों से और अनेक जिलों से बराबर यहां इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं और उन शिकायतों के कारण हम को बाध्य होना पड़ा कि हम ऐसी व्यवस्था करें । लाखों रुपया इस तरह से प्रदेश का फंसा हुआ है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

जिन प्रधानों नें आज 18 तारीख तक चार्ज नहीं दिया है क्या माननीय मंत्री जी उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अगर नये प्रधान यह रिपोर्ट करेंगे कि उन्हें चार्ज नहीं मिला है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला पंचायत राज अधिकारी और या हाकिम परगना उन्हें चार्ज दिलाने की व्यवस्था करेंगे ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

निर्वाचित प्रधानों ने रिपोर्ट भी की है और उन्हें चार्ज नहीं दिया गया है । क्या ऐसे प्रधानों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

कई जगह चार्ज नहीं हुआ है । मैंने कई बार खुद मंत्री जी को लिखा है, मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

श्री राम कुमार दीक्षित—

मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि जिन्होंने चार्ज नहीं दिया है उनके विरुद्ध शासन की ओर से कायवाही की जायगी और उनके पास से पैसा वसूल किया जायेगा ? क्या आप यह जानकारी करा लेने के बाद कि प्रदेश म कितन प्रधानों न चाज नहीं दिया है, यह आश्वासन देंगे कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैं इसका पता लगाऊंगा कि प्रदेश में अब तक कितने प्रधानों ने नये प्रधानों को चार्ज नहीं दिया है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी, सख्ती से कार्यवाही की जायगी, ऐसा मैं आश्वासन देना चाहता हूं ।

मान्यवर, श्री कल्पनाथ सिंह जी ने हम पर अनेक आक्षेप लगाये कि राजनीतिक दृष्टि से यह सब हो रहा है, किन्तु हम तो इसको एक सामाजिक कार्य समझकर, एक रचनात्मक कार्य समझकर और लोकतंत्र की मजबूती को मद्देनजर रखते हुए इस कार्य को कर रहे हैं। कदापि हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि इससे राजनीतिक लाभ उठाया जाय। अगर माननीय सदस्य यह समझते हैं कि इससे बहुत बड़ा फायदा हमको होने वाला है तो उनको ठीक ही समझना चाहिये क्योंकि जो अच्छा काम करता है उसका लाभ तो उसको होना ही चाहिये।

अन्त में, मान्यवर, माननीय सदस्यों से मैं यह प्रार्थना करता हूं कि जो संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने के लिये प्रस्ताव है, उसको नामंजूर करें और मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति को भेज दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन 1 माह में दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1972, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खंड 2 व 3

2—यू0पी0 पंचायत राज ऐक्ट, 1947, जिसे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 11—ग के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात:— यू0पी0 ऐक्ट संख्या 26, 1947 की धारा 11-ग के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

"11—ग—उप प्रधान का निर्वाचन और उसका कार्यकाल—

(1) उप-प्रधान गांव पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से ऐसी रीति से निर्वाचित किया जायेगा जो नियत की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि गांव पंचायत तदर्थ नियमों द्वारा या उनके अधीन नियत समय के भीतर उप-प्रधान को इस प्रकार निर्वाचित करने में चूक करे तो नियत प्राधिकारी गांव पंचायत के किसी सदस्य को उप-प्रधान नाम-निर्दिष्ट कर सकता है, और इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया समझा जायगा।

(2) उप-प्रधान का कार्यकाल, चाहे वह उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ के पूर्व अथवा पश्चात्, निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट हुआ हो, यथास्थिति, उसके निर्वाचन या नाम-निर्देशन के दिनांक से प्रारम्भ होगा, और जब तक कि उसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अन्यथा समाप्त न कर दिया जाय, गांव पंचायत के कार्य-काल के साथ समाप्त होगा।

(3) उप-प्रधान को हटाने के संबंध में धारा 14 के उपबन्ध, इस प्रकार कि गांव सभा तथा प्रधान के प्रति निर्देशों के स्थान पर क्रमशः गांव पंचायत तथा उप-प्रधान के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित हो जायेंगे, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे प्रधान को हटाने के संबंध में लागू होते हैं।"

3—मूल अधिनियम की धारा 11—घ में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाये, और सदैव से ही रखा गया समझा जाये, अर्थात् :— धारा 11 घ का संशोधन।

"(क) गांव सभा का प्रधान तथा गांव पंचायत का सदस्य अथवा न्याय पंचायत का पंच न होगा;"

श्री कल्पनाथ सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 2 के उपखंड (1) के अन्त में निम्न जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गांव पंचायत के सदस्यों एवं प्रधान को लिखित एवं सप्रमाण सूचना देने के पश्चात् ही नाम निर्देशन किया जायेगा और यदि प्रधान गांव पंचायत के प्रस्ताव द्वारा चुनाव की तिथि बीतने के पश्चात् यदि एक सप्ताह के भीतर चुनाव की तिथि निर्धारण की याचना करें तो उसे पुनः अवसर दिया जायेगा।"

यह मानने में तो कोई दिक्कत नही होनी चाहिये। नामजदगी भी मान लिया। यह तो सिर्फ सूचना देने की प्रक्रिया का सवाल है। आपके पंचायत के सदस्यों को और प्रधान को सूचना हो जाय तो उसको मालूम हो जायेगा कि उसने सूचित किया।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जहां नियमों में यह शब्द है कि बाकायदा नोटिस देना पड़ेगा, उसकी सूचना होगी तब यह चुनाव की कार्यवाही होगी या किसी को किसी जगह पर तभी चुना जा सकता है जब यह नोटिस रहे।

श्री उपाध्यक्ष—

तो यह स्वीकार नहीं आपको या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 के उप खंड (1) के अन्त में निम्न जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गांव पंचायत के सदस्यों एवं प्रधान को लिखित एवं सप्रमाण सूचना देने के पश्चात् ही नाम निर्देशन किया जायेगा और यदि प्रधान गांव पंचायत के प्रस्ताव द्वारा चुनाव की तिथि बीतने के पश्चात यदि एक सप्ताह के भीतर चुनाव की तिथि निर्धारण की याचना करें तो उसे पुनः अवसर दिया जायेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2....

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मेरा भी संशोधन है, बहुत मासूम है। जैसी कि आपकी व्यवस्था है कि संशोधन मासूम हो और शाब्दिक हो तो रखा जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ऐसे संशोधन माननीय जयराम वर्मा और माननीय रूपनाथ सिंह यादव के हैं। ये कई हैं। इनमें कुछ शाब्दिक हैं, कुछ तात्विक हैं। तो आप इनको पढ़ते जायेंगे और मैं वोट लेता जाऊंगा।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संशोधित मूल अधिनियम की धारा 11—ग की उपधार (1) में शब्द "उप-प्रधान" के पूर्व शब्द "गांव सभा का" जोड़ दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तीनों संशोधन एक साथ पढ़ दें ।

श्री जयराम वर्मा—

खंड 2 में संशोधित मूल अधिनियम की धारा 11—ग की उपधारा (1) के प्रतिबन्ध की प्रथम पंक्ति में शब्द "तदर्थ" और शब्द "नियमों" के बीच शब्द "बनाये गये" जोड़ दिये जायं ।

खंड 2 में संशोधित मूल अधिनियम की धारा 11—ग की उपधारा 3 की तीसरी पंक्ति में शब्द "जायेंगे" और "उसी प्रकार" के बीच शब्द " और" जोड़ दिया जाय ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री जयराम वर्मा के तीनों संशोधन जो खंड 2 के हैं स्वीकार किये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 2 में प्रस्तावित यू0 पी0 पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा 11—ग की प्रस्तावित उपधारा 1 निकाल दी जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"उप-प्रधान गांव सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा ।"

श्री बलदेव सिंह आर्य—

स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कि खंड 2 में प्रस्तावित यू0 पी0 पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा 11—ग की प्रस्तावित उपधारा 1 निकाल दी जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

"उप-प्रधान गांव सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 व खंड 3, इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 4 व 5

4—मूल अधिनियम की धारा 12 में, धारा 12 का संशोधन

(1) उप-धारा (7) में, द्वितीय वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य रख दिया जाय और सदैव से ही रखा गया समझा जाये, अर्थात:—

"उनकी संख्या उतनी होगी जो नियत की जाय ।"

(2) उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, और सदैव से ही रखी गयी समझी जाये, अर्थात:—

" (11) गांव सभा के प्रधान तथा उप-प्रधान गांव पंचायत के क्रमशः पदेन प्रधान तथा उप-प्रधान होंगे और उन्हें गांव पंचायत की कार्यवाहियों में

बोलने तथा अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा। तथापि प्रधान गांव पंचायत का सदस्य नहीं समझा जायगा और वह मत देने का हकदार नहीं होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि गांव पंचायत के समक्ष किसी प्रस्ताव या संकल्प की दशा में, जिसके अन्तर्गत कोई निर्वाचन नहीं आता, मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में, न कि किसी अन्य दशा में, प्रधान का निर्णायक मत होगा।"

धारा 12 ज के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 12-ज के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात:—

"12-ज—यदि गांव पंचायत के प्रधान, उप-प्रधान या किसी सदस्य का पद उसकी मृत्यु हो जाने, उसे हटाये जाने, उसके पद-त्याग करने, निर्वाचन का परिवर्जन करने अथवा पद की शपथ लेने से इंकार करने के कारण रिक्त हो जाय तो यथा-संभव उसे उसके शेष कार्य-काल के लिये यथास्थिति, धारा 11-ख, 11-ग या 12 में, उपबन्धित रीति से भरा जायगा।"

श्री जयराम वर्मा—

मान्यवर, जब केवल 'हां' और 'नहीं' करना है, मंत्री जी समझने की कोशिश भी नहीं करते तो पेश करने से क्या फायदा। मैं तो कहता हूं कि मैंने खंड 2 में जितने भी संशोधन रखे हैं वे एल० आर० को भेज दें और मुझे विश्वास है कि वे इसको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन मंत्री जी ने अस्वीकार कर दिया। अब इस तरह से बिना समझे हुए यदि अस्वीकार ही करना है तो पेश करने से क्या फायदा। मैं पेश नहीं करना चाहता।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 4 और 5 इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 6

नयी धारा 14-क का बढ़ाया जाना।

6—मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"14-क—बहिर्गामी प्रधान का गांव सभा के अभिलेख तथा धनराशि देने का दायित्व—

(1) यदि कोई व्यक्ति प्रधान के रूप में अपना पद रिक्त करने पर गांव सभा के सभी अभिलेख तथा धनराशि अपने उत्तराधिकारी अथवा नियत प्राधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को जान-बूझकर देने में चूक करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) उप-धारा (1) के प्रतिबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई ऐसी धनराशि नियत प्राधिकारी द्वारा तदर्थ जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।"

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मैं यह पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी के पास थोड़ी सी भी हया है, वरना श्रीमन्, पेश करने से क्या फायदा। भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस खड़ी पगराय, वाली कहावत हो

रही है। आज गांव सभा का जो धन है उसके लिये तो नियम बनाये हैं लेकिन गांव सभा की संपत्ति पर जो लोग कब्जा किये बैठे हैं उनके लिये कोई नियम नहीं है। इसलिये मैंने सुझाव दिया जो संपत्ति हो उसका भी चार्ज लिया जाय। यह मेरा संशोधन है, उसके बाद भी नहीं मानेगें तो मैं सोच नहीं पाता हूं कि मंत्री जी आगे क्या करेंगे। मेरा संशोधन पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, गांव सभा की जो संपत्ति हैं उसका मालिक तो ग्राम सभा है। वह यदि यह समझता है कि इस पर किसी का नाजायज कब्जा है तो उसको अधिकार है इसके लिये कार्यवाही करने का, वह कर सकता है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 6 के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् प्रस्तावित धारा (14-क) की उपधारा (1) में तीसरी पंक्ति में शब्द "जानबूझ कर" के पश्चात् शब्द "गांव सभा का संपत्ति पर यदि उसका अनधिकार अध्यासन हटाने" या शब्द "देने में चूक करेगा" के पहले जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 6 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 7 से 10

धारा 28-क के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

7--मूल अधिनियम की धारा 28-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:--

"28-क--(1) प्रत्येक गांव सभा की गांव पंचायत भूमि-प्रबन्धक समिति भी होगी और इस रूप में वह उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन गांव सभा की या उसमें निहित अथवा उसके द्वारा धृत सभी सम्पत्ति के रख-रखाव, संरक्षण तथा पर्यवेक्षण सम्बन्धी कर्त्तव्यों का पालन करेगी। उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1951

(2) प्रधान तथा उप-प्रधान भूमि-प्रबन्धक समिति के क्रमशः सभापति तथा उप-सभापति होंगे, और गांव सभा की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का, लेखपाल उसका सेक्रेटरी होगा।"

धारा 28 ख का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 28-ख में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रख दी जाय, अर्थात्--

"(1) भूमि-प्रबन्धक समिति पर, गांव सभा के लिए तथा उसकी ओर से धारा 28-क में अभिदिष्ट समस्त सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है, के सामान्य प्रबन्ध, परिक्षण तथा नियन्त्रण का भार होगा--

(क) भूमि का बन्दोबस्त तथा प्रबन्ध किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 के अधीन अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन गांव सभा में तत्समय निहित किसी सम्पत्ति का अन्तरण नहीं है; उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 1, 1951

(ख) वन तथा वृक्षों का परिक्षण, अनुरक्षण तथा विकास;

(ग) आबादी-स्थलों, तथा ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण और विकास;

(घ) हाटों, बाजारों तथा मेलों का प्रबन्ध;

(ङ) मीनाशयों और तालाबों का अनुरक्षण तथा विकास;

(च) जोत-चकबन्दी में सहायता देना;

(छ) गांव सभा द्वारा या उसके विरुद्ध समिति के कृत्यों से सम्बद्ध अथवा उनसे उद्भूत होने वाले वादों तथा कार्यवाहियों का संचालन और अभियोजन;

उ0प्र0 अधिनियम सं0 1, 1951

(ज) उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 अथवा किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति को विशेषतः अभ्यर्पित कृत्यों का सम्पादन और;

(झ) ऐसे प्रबन्ध, परिरक्षण तथा नियन्त्रण से सम्बद्ध कोई अन्य विषय जो नियत किया जाय;

और वह गांव सभा की उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो ऐसे कतव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक या आनुषंगिक हों।"

धारा 30 का संशोधन

9--मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(3) यदि नियत प्राधिकारी ऐसा निदेश दे तो दो या उससे अधिक गांव सभायें धारा 15 और 16 में विनिर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों का संयुक्त रूप से निर्वहन करने के लिए इस धारा के अधीन संयुक्त समिति नियुक्त करेगी।"

धारा 36 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

10--मूल अधिनियम की धारा 36 के स्थान पर निम्नलिखित रख दी जाय, अर्थात् :—

"36 उधार लेने की शक्ति कोई गांव सभा राज्य सरकार के अथवा नियत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायं, विधि द्वारा स्थापित किसी वित्तीय निगम अथवा किसी अनुसूचित बैंक या उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक अथवा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक से इस अधिनियम के किसी भी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए धनराशि उधार ले सकती है।"

श्री कल्पनाथ सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 7 में प्रस्तावित धारा 28-क के भाग (2) के आगे उपखंड (2-क) जोड़ दिया जाय--

"2-क--प्रत्येक पंचायत सेवक और लेखपाल यदि ग्राम प्रधान या प्रधानों की अनुपस्थिति मे उप-प्रधान यदि इन कर्मचारियों को विधिवत नोटिस देने के पश्चात् उनसे कार्यपूर्ति की अपेक्षा करे और यदि पंचायत सेवक या लेखपाल चूक करें तो ग्राम प्रधान को उसे मुअत्तल कर उसके उच्चाधिकारी को सूचित करना होगा और यह मुअत्तली उसी प्रकार प्रभावी होगी जैसे इस कार्य के लिए उचित अधिकारी द्वारा किया गया कार्य हो।"

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, ग्राम सभा लेखपाल की नियुक्ति नहीं करती तो जो उसे नियुक्त करता है, वही उसे सजा भी दे सकता है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इसीलिए मैंने अन्त में लिखा है—'यह मुअत्तली उसी प्रकार प्रभावी होगी जैसे इस कार्य के लिए उचित अधिकारी द्वारा किया गया कार्य हो।'

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 7 में प्रस्तावित धारा 28-क के भाग (2) के आगे उपखंड (2-क) जोड़ दिया जाय :—

"2-क—प्रत्येक पंचायत सेवक और लेखपाल यदि ग्राम प्रधान या प्रधानों की अनुपस्थिति में उप प्रधान यदि इन कर्मचारियों को विधिवत् नोटिस देने के पश्चात् उनसे कार्य पूर्ति की अपेक्षा करें और यदि पंचायत सेवक या लेखपाल चूक करें तो ग्राम प्रधान को उसे मुअत्तल कर उसके उच्चाधिकारी को सूचित करना होगा और यह मुअत्तली उसी प्रकार प्रभावी होगी जैसे इस कार्य के लिए उचित अधिकारी द्वारा किया गया कार्य हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—40,
विपक्ष में 75।)

श्री रूपनाथसिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 7 के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 28-क की उपधारा 2 के बाद एक परन्तुक शब्द निम्नतौर पर लिख दिया जाय—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि प्रधान या उप-प्रधान स्वयं गांव सभा की ऐसी भूमि को लेने या अनधिकृत रूप से काबिज पाया जाय तो उस दशा में भूमि प्रबन्धक समिति का सभापति या इंचार्ज उस क्षेत्र का प्रमुख या तहसीलदार होगा।"

ऐसी भी दशा होगी जहां पर प्रधान खुद भी जमीन पर काबिज होगा, और वही प्रेसाइड करेगा। ऐसी सूरत में कोई विकल्प होना चाहिए कि कोई दूसरा प्रेसाइड करे, जो ब्लाक प्रमुख या तहसीलदार हो। ऐसे बहुत से केसेज निकलेंगे जिनमें प्रधान खुद इन्टरेस्टेड हो, जैसे मैं उदाहरण दूं, कि देश के लिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिस कमेटी का मेम्बर प्रधान मन्त्री खुद है वह अपने बेटे को लाइसेन्स दे दे। हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था न हो। अगर प्रधान खुद पट्टा लेना चाहता है तो वह कुर्सी से हट जाय, वहां पर तहसीलदार या ब्लाक प्रमुख प्रेसाइड करे।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, यह स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 7 के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 28-क की उपधारा 2 के बाद एक परन्तुक निम्नतौर पर लिख दिया जाय—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि प्रधान या उप-प्रधान स्वयं गांव सभा की ऐसी भूमि को लेने या अनधिकृत रूप से काबिज पाया जाय तो उस दशा में भूमि प्रबन्धक समिति का सभापति या इंचार्ज उस क्षेत्र का प्रमुख या तहसीलदार होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 7, खंड 8, खंड 9 और खंड 10 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 11 व 12

धारा 37 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 37 में—

(1) प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाय, अर्थात् :—

"कोई गांव सभा निम्नलिखित सभी या कोई कर शुल्क तथा फीसें लगा सकती है, अर्थात्":—

(2) उपधारा (1) में खंड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायं, अर्थात्:—

उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1, 1951
उ0प्र0 अधिनियम संख्या 11, 1956

"(क) उन क्षेत्रों में जहां उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950, जौनसार बावर जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 अथवा कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 के अधीन मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित कर लिये गये हों, भूमि पर उसके लिये देय अथवा देय समझी जाने वाली भू-राजस्व की धनराशि पर प्रति रुपया पच्चीस पैसे से अनधिक कर लगा सकती है:

उ0प्र0 अधिनियम संख्या 17, 1960

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि पर उस व्यक्ति से जिसके द्वारा उसके लिये भू-राजस्व देय हो अथवा देय समझा जाय, भिन्न व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो कर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जो उस पर वास्तव में कृषि करता हो;

(ख) खंड (क) में अभिदिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में भौमिक अधिकार से सम्बन्धित प्रवृत्त विधि के अधीन किसी काश्तकार द्वारा, वह कुछ भी कहलाता हो, देय भू-राजस्व की धनराशि पर प्रति रुपया पच्चीस पैसे से अनधिक कर लगा सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि पर उस व्यक्ति से जो उसके लिये भू-राजस्व का देनदार हो, भिन्न व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो कर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जो उस पर वास्तव में कृषि करता हो ।"

धारा 43 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि न्याय पंचायत के पंच होने के लिये वांछित संख्या में गांव पंचायत के सदस्य उपलब्ध न हों, तो नियत प्राधिकारी के लिये यह विधि सम्मत होगा कि वह इस प्रकार हुई रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति गांव सभा के अन्य सदस्यों में से नामांकन कर द्वारा कर दें ।"

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 11 के उपखंड (2) (क) को निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : —

"राज्य सरकार प्रत्येक गांव सभा के अन्तर्गत आने वाले कृषि क्षेत्र पर जो भी लगान या मालगुजारी वसूल होगी उसका आधा और भूमि विकास कर का पूराभाग गांव सभा को प्रत्येक कृषि वर्ष की पहली तारीख के पूर्व दे देगी ।"

मन्त्री जी गांव सभा की आय बढ़ाना चाहते हैं । मैंने आय बढ़ाने का सुझाव दे दिया । मुझे उम्मीद है कि आप इस पर लाबी में वोट करवा दीजियेगा । हम जीतेंगे ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

श्रीमन, मैं स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड के उपखंड (2) (क) को निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"राज्य सरकार प्रत्येक गांव सभा के अन्तर्गत आने वाले कृषि क्षेत्र पर जो भी लगान या मालगुजारी वसूल होगी उसका आधा और भूमि विकास कर का पूरा भाग गांव सभा को प्रत्येक कृषि वर्ष की पहली तारीख के पूर्व दे देगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष—40,

विपक्ष में—79।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 11 के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 37 के खण्ड (क) में छठवीं पंक्ति में शब्द "अनधिक" के बाद शब्द "धन राज्य सरकार द्वारा गांव सभा के खाते में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जमा करेगी" रख दिये जांय और शब्द "कर लगा सकती है" निकाल दिये जांय और इसी तरह परन्तुक वाक्य निकाल दिया जाय।

मान्यवर, इस सरकार ने वायदा किया था कि मालगुजारी से 25 पैसे सरकार स्वयं गांव फंड में जमा करेगी लेकिन अब वह गांव सभा से वसूल करवा रही है जो गलत है। 25 पैसे सरकार वसूल करके स्वयं गांव फंड में जमा करे।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अस्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 11 के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 37 के खंड (क) में छठवीं पंक्ति में शब्द "अनधिक" के बाद शब्द "धन राज्य सरकार द्वारा गांव सभा के खाते में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जमा करेगी" रख दिये जांय और शब्द "कर लगा सकती है" निकाल दिये जांय और इसी तरह परन्तुक वाक्य निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 11 तथा 12 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

यह सरकार प्रतिक्रिया वादी है जो ऐसे संशोधनों को भी स्वीकार नहीं कर रही है। इसके विरोध में 5 मिनट के लिए वाक आउट करता हूं।

(श्री रूपनाथ सिंह यादव सदन त्याग कर चले गए।)

खन्ड 13 से 23

धारा 95 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 95 में, उपधारा (1) में—

(1) खंड (छ) के प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(छ) गांव पंचायत या संयुक्त समिति या भूमि प्रबन्धक समिति के किसी सदस्य को, गांव सभा के किसी पदाधिकारी को अथवा न्याय पंचायत के किसी पंच, सहायक सरपंच या सरपंच को हटा सकती है यदि—

(2) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (छछ) रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(छछ) प्रधान या उप-प्रधान या गांव पंचायत या संयुक्त समिति अथवा भूमि प्रबन्धक समिति के किसी सदस्य को या न्याय पंचायत के किसी पंच, सहायक सरपंच अथवा सरपंच को जिसके विरुद्ध खंड (छ) के अधीन कार्यवाहियां विचाराधीन हों अथवा अपेक्षित हों या जिसके विरुद्ध किसी ऐसे अपराध के लिये अभियोग चलाया जाना विचाराधीन हो जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, निलम्बित कर सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि इस खंड के अधीन निलम्बन के आदेश से, यथास्थिति, प्रधान या उप-प्रधान के धारा 14 के अधीन बुलाई गई बैठक की कार्यवाहियों म भाग लेने और ऐसी बैठक में मत देने के अधिकार पर, यदि कोई हो, कोई प्रभाव नहीं पडेगा।"

(3) अंत में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि—

(1) खण्ड (च), खण्ड (छ) या खण्ड (ज) के अधीन कोई कार्यवाही सम्बद्ध निकाय अथवा व्यक्ति को, प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं;

(2) खण्ड (छछ) के अधीन कोई कार्यवाही इस आधार पर कि खण्ड (छ) के अधीन कार्यवाहियां विचाराधीन हैं या अपेक्षित हैं, तब तक न की जायेगी जब तक कि राज्य सरकार का प्रथम-दृष्टया यह समाधान न हो जाय कि वे आधार, जिन पर कि इस खण्ड के अधीन कार्यवाही प्रस्तावित है, विद्यमान है।"

धारा 110 का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 110 में—

(1) उप-धारा के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।"

(2) उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों

सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1961 की धारा 4 का संशोधन

15—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1961, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उसके प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द, "जब तक कि नये खंड में क्षेत्र समिति कार्य करना प्रारम्भ न कर दें", के स्थान पर शब्द "जब तक कि नये खंड के लिये क्षेत्र समिति संघटित न हो जाय" रख दिये जांय ।

धारा 5 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) राज्य सरकार, प्रत्येक खंड के लिये क्षेत्र समिति के संघटन या पुनर्संघटन को गजट में विज्ञापित करेगी जिसका नाम उस खंड के नाम पर होगा । ऐसी विज्ञप्ति धारा 10 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, धारा 6 की उपधारा (1) और (2) के अधीन क्षेत्र समिति की रचना पूरी हो जाने के पश्चात, यथाशक्यशीघ्र जारी की जायेगी और उसमें वह दिनांक निर्दिष्ट होगा जब से क्षेत्र समिति संघटित या पुनस्संघठित हो जायगी ।"

धारा 6 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (2) में प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाय, अर्थात्:—

"धारा 10 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उपधारा (1) के खंड (1), (2), (4), तथा (5) में उल्लिखित सदस्य, नियत शर्तों तथा रीति के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित को क्षेत्र समिति के सदस्य के रूप में अनुमेलित करेंगे, अर्थात्:—

धारा 7 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (1) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(1—क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, प्रमुख तथा उप प्रमुखों के पद के लिये निर्वाचन कराये जा सकते हैं भले ही क्षेत्र समिति की सदस्यता में कोई रिक्ति हो अथवा धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (3) के अधीन किसी प्रतिनिधि के चयन में चूक हुई हो अथवा उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन किसी सदस्य के अनुमेलन में चूक हुई हो ।"

धारा 8 का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 8 में—

(1) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(2) प्रत्येक क्षेत्र समिति का कार्यकाल धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति में उल्लिखित संघटन या पुनस्संघटन के दिनांक से प्रारम्भ होगा ।";

(2) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(3) क्षेत्र समिति के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल समिति के संघटन या पुनस्संघटन के दिनांक से अथवा उसके सदस्य होने के लिये हकदार बनने के दिनांक

[श्री उपाध्यक्ष]

से चाहे वह पदेन हो या, यथास्थिति, उसके निर्वाचन या अनुमेलन के आधार पर हो, इनमें से जो भी दिनांक पश्चात्वर्ती हो, उससे प्रारम्भ होगा और इस अधिनियम द्वारा की गई अन्यथा व्यवस्था के सिवाय, समिति के कार्यकाल तक होगा।"

धारा 8-क का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 8—क में—

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) यदि प्रमुख या धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (3) या उपधारा (2) के अधीन किसी खंड (जिसे आगे इस उपधारा में मूल खंड कहा गया है) की क्षेत्र समिति का सदस्य ऐसे क्षेत्र से सम्बद्ध विधान सभा की निर्वाचन नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्टर्ड हो जो धारा 3 के अधीन—

(क) बाद को ऐसे किसी अन्य खंड में सम्मिलित कर लिया जाय जिसके लिये पहले से ही क्षेत्र समिति विद्यमान हो तो वह धारा 6, 7, 8 और 9 में किसी बात के होते हुये भी, मूल खंड की क्षेत्र समिति का प्रमुख या ऐसा सदस्य न रह जायगा और उस अन्य क्षेत्र समिति के शेष कार्यकाल के लिये उस अन्य खंड को क्षेत्र समिति का सदस्य हो जायगा,

(ख) बाद में ऐसे नये खंड में सम्मिलित किया जाय जिसके लिये कोई क्षेत्र समिति संघटित न की गई हो तो वह धारा 6, 7, 8 और 9 में किसी बात के होते हुए, भी मूल खंड की क्षेत्र समिति का प्रमुख या ऐसा सदस्य तब तक जब तक कि उसका कार्यकाल समाप्त न हो जाय अथवा जब तक कि उस नये खंड के लिये क्षेत्र समिति संघटित न हो जाय, इसमें जो भी पूर्ववर्ती हो, बना रहेगा;"

(2) उपधारा (2) में शब्द तथा अंक "धारा 4 के अधीन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 3 के अधीन" रख दिये जायं।

धारा 9 का संशोधन

21—मूल अधिनियम की धारा 9 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्याकित कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्याकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(2) सिवाय उन मामलों में जिनके लिए उपधारा (1) के अधीन अन्यथा व्यवस्था की गई है, जिला मजिस्ट्रेट प्रमुख का निर्वाचन होने तक प्रमुख के कृत्यों के निर्वहन के लिए, आदेश द्वारा, ऐसा प्रबन्ध कर सकता है जिसे वह उचित समझे।"

धारा 10 का संशोधन

22—मूल अधिनियम की धारा 10 में—

(क) उपधारा (1) में शब्द "प्रथम तथा प्रत्येक अनुवर्ती कार्यकाल की समाप्ति पर या इस अधिनियम के अधीन अन्यथा अपेक्षित हो" के स्थान पर शब्द "उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व अथवा जब इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अन्यथा अपेक्षित हो" रख दिये जायं;

(ख) उपधारा (2) में शब्द "किसी खंड की क्षेत्र समिति के संघटन या पुनस्संघटन में कोई बाधा न पड़ेगी" के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक "अथवा संसद या राज्य विधान मण्डल की सदस्यता में किसी रिक्ति के कारण धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन सदस्यों का अनुमेलन करने में तथा पूर्वोत किसी रिक्ति के होने या धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (3) के अधीन प्रतिनिधि को चुनने में चूक होने या उक्त धारा की उप-धारा

(2) में सदस्यों के अनुमेलन में चूक होने से क्षेत्र समिति के संघटन या पुनस्संगठन में बाधा न पड़ेगी" रख दिये जांय ।

23—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात :— धारा 17 संशोधन

"(1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए जिला परिषद् के संघटन या पुनस्संघटन को गजट में विज्ञापित करेगी जिसका नाम उस जिले के नाम पर होगा। ऐसी विज्ञप्ति धारा 22 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जिला परिषद् की धारा 18 की उपधारा (1) और (2) के अधीन रचना पूरी हो जाने के पश्चात् जारी की जायगी और उसमें वह दिनांक विनिर्दिष्ट होगा जब से जिला परिषद् संघटित या पुनस्संघटित हो जायगी"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तथा 23 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 24 से 29, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

24—मूल अधिनियम की धारा 18 में— धारा 18 का संशोधन

(1) उपधारा (1) के खंड (4) में, उपखंड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जाये, अथत् :—

"(क) डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का अध्यक्ष या प्रशासक या यदि किसी जिले में एक से अधिक डिस्ट्रक्ट क्रोआपरेटिव बैंक हों तो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया गया किसी डिस्ट्रिक्ट क्रोआपरेटिव बैंक का अध्यक्ष या प्रशासक अथवा यदि जिले में ऐसा क्रोई बैंक न हो तो सेन्ट्रल क्रोआपरेटिव बैंक, यदि कोई हो, का अध्यक्ष या प्रशासक, अथवा यदि इनमें से कोई भी न हो तो उत्त र प्रदेश कोआपरेटिव बैंक का, प्रतिनिधि जो उसके निदेशक-मंडल द्वारा चुना जाये;

(ख) डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फैडरेशन का अध्यक्ष;"—

(2) उपधारा (2) में शब्द, अंक तथा क्रोष्ठक "उपधारा (1) में उल्लिखित सदस्य' के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (1) के खंड (1), (2), (3), (5), (6) तथा 7 में उल्लिखित सदस्य" रख दिये जांय ।

25—मूल अधिनियम की धारा 19 में— धारा 19 का संशोधन

(1) उपधारा (1) में उसके प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि सिवाय उन दशाओ में जिनके लिये धारा 21 में अन्यथा व्यवस्था की गई है, राज्य सरकार अध्यक्ष के निर्वाचन तक अध्यक्ष के कृत्यो के निर्वहन के लिये, आदेश द्वारा, ऐसा प्रबन्ध कर सकती है, जिसे वह उचित समझे ।"

(2) उपधारा (1) के उपरांत निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(1—क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद के लिये निर्वाचन कराये जा सकते हैं भले ही जिला परिषद की सदस्यता में कोई रिक्ति हो या धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (2), खंड (4) या खंड (5) के अधीन प्रतिनिधि के चुनने में चूक हुई हो या उक्त धारा की उप-धारा (2) के अधीन किसी सदस्य के अनुमेलन में चूक हुई हो ।"

रा 20 संशोधन

26—मूल अधिनियम की धारा 20 में,

(1) उपधारा (2) निकाल दी जाय ;

(2) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(3) जिला परिषद् के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल परिषद् के संघटन या पुनस्संघटन के दिनांक से अथवा उसके सदस्य होने के लिये हकदार बनाने के दिनांक से, चाहे वह पदेन हो या यथास्थिति, उसके निर्वाचन या अनुमेलन के आधार पर हो, इसमें से जो भी दिनांक पश्चात् वर्ती हो, उससे प्रारम्भ होगा, और इस अधिनियम द्वारा की गयी अन्यथा व्यवस्था के सिवाय परिषद् के कार्यकाल तक होगा।"

रा 22 संशोधन

27—मूल अधिनियम की धारा 22 में—

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) राज्य सरकार वर्तमान जिला परिषद के, यदि कोई हो, कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व अथवा जब कभी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अन्यथा अपेक्षित हो, जिला परिषद् के संघटन या पुनस्संघटन का प्रबन्ध करेगी।"

(2) उपधारा (2) में शब्द "जिला परिषद के संघटन या पुनस्संघटन में कोई बाधा न पड़ेगी" के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक "धारा 18 की उप-धारा (2) के अधीन सदस्यों के अनुमेलन में कोई बाधा न पड़ेगी और उपरोक्त किसी रिक्ति के होने या उप-धारा (1) के खंड (2), खंड (4) या खंड (5) के अधीन सदस्य को चुनने में चूक होने या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन सदस्यों के अनुमेलन में चूक होने से जिला परिषद् के संघटन या पुनस्संघटन में कोई बाधा न पडेगी" रख दिये जायं।

रा 237 संशोधन

28—मूल अधिनियम की धारा 237 में—

(1) उप-धारा (1) में शब्द "नियम बना सकती है", के स्थान पर शब्द "गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है," रख दिये जांं ;

(2) उप-धारा (2) में शब्द "ऐसा कोई नियम पूर्व प्रकाशन के बाद ही बनाया जायगा और तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह गजट में प्रकाशित न हो जाय" निकाल दिये जायं ;

(3) उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे। और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।"

प्रदेश देश 20, 2 का न

29—उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1972

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें, वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

प्रारम्भिक

संक्षिप्त ना
तथा प्रारम

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

(2) यह दिनांक 24 नवम्बर, 1972 को प्रभावी हुआ समझा जायगा ।

श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 24, मल अधिनियम की धारा 18 में (1) उपधारा (1) के भाग (4) (ख) में "डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन का अध्यक्ष के बाद निम्न जोड़ दिया जाय—

"या चमोली, उत्तर काशी एवं पिथौरागढ़ के जिला सहकारी उपभोक्ता एवं क्रय-विक्रय संघ लि0 का अध्यक्ष" ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 24, मूल अधिनियम की धारा 18 में (1) उपधारा (1) के भाग (4) (ख) में "डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन का अध्यक्ष" के बाद निम्न जोड़ दिया जाय—

"या चमोली, उत्तर काशी एवं पिथौरागढ़ के जिला सहकारी उपभोक्ता एवं क्रय-विक्रय संघ लि0 का अध्यक्ष "।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 24, 25, 26, 27, 28, 29 एवं खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलदेव सिंह आर्य—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 जैसा कि वह विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1972 जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी और श्री राम गोपाल संड के प्रदेश में खाद्यान्नों का भयानक संकट तथा कीमतों में तेजी,

[श्री उपाध्यक्ष]

गल्ले का राशन की दुकानों में अभाव से सम्बन्धित प्रश्न के वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है । माननीय सुरेन्द्र विक्रम तथा राम बिलास पांडेय के डाक्टर नन्द किशोर वर्मा द्वारा प्रदेश में लाखों रुपये की नकली दवाइयों का पकड़वाना किन्तु इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से सम्बन्धित प्रश्न केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है । श्री विश्वनाथ कपूर और श्री रामबिलास पांडेय के पुलिस कांस्टेबुल, थाना बतौसा, जिला बांदा द्वारा एक हरिजन के साथ अमानुषिक व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में जो प्रश्न है उसे भी वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है । श्री चन्द्रभान शर्मा तथा शफीक अहमद खां के उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों के अभाव के कारण जनता में हाहाकार एवं असंतोष के प्रश्न को क्रम संख्या 1 के साथ जोड़ दिया जाय और इन माननीय सदस्यों का नाम भी उनके साथ जोड़ दिया जाय । श्री मनोहर लाल के इस प्रश्न को कि कानपुर जनपद के समस्त शिक्षा संस्थाओं को 30 जनवरी, 1973 तक अचानक बन्द करने से विद्यार्थियों में असन्तोष, केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया और इसी के साथ क्रम संख्या 9 जो कि चन्द्रमोहन सिंह नेगी ने कानपुर के कालेजों को जिलाधिकारी द्वारा 30 जनवरी, 1973 तक के लिये बन्द करने से व्याप्त असन्तोष के प्रश्न को जोड़ दिया जाय । क्रम संख्या 10 पर माननीय नित्यानन्द स्वामी ने प्रदेश में खाद्यान्नों की कमी से भुखमरी की स्थिति से सम्बन्धित प्रश्न को क्रम संख्या 1 में जोड़ दिया जाय और वह वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी जी का है--"जिला अधिकारी, झांसी द्वारा संचालित हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अध्यापकों की कमी ।"

इसका शासन से सीधा सम्बन्ध नहीं है इसलिये गोस्वामी जी, आप पहले अल्पसूचित प्रश्न करें ।

श्री कल्पनाथ सिंह का है--"गोरखपुर मंडल में यूरिया खाद की कमी से किसानों की कठिनाई ।"

यह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार हुआ है ।

एक श्री अमरनाथ दूबे और राम प्रसाद का है--"शाहजहांपुर के उप पुलिस अधीक्षक द्वारा तहसील तिलहर क्षेत्र की लूट ।"

इसको आवश्यक कार्यवाही के लिये सरकार जो भेज दिया जायेगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह नियम 51 में दिया है--"राज्य में रासायनिक खाद के अभाव के कारण किसानों में असन्तोष ।"

श्री उपाध्यक्ष--

आपका श्री कल्पनाथ सिंह के साथ जोड़ दिया जायेगा--"गोरखपुर मंडल में यूरिया खाद की कमी से किसानों में कठिनाई ।"

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

उनका तो केवल गोरखपुर मंडल में अभाव के सम्बन्ध में है जब कि मेरा राज्य भर में अभाव के सम्बन्ध में है ।

श्री उपाध्यक्ष--

उसी में जोड़ दिया जायेगा । अब समय नहीं है ।

एक श्री गोविन्द सिंह नेगी का है--"मिर्जापुर जिले के हिन्डालको रेणुकूट उद्योगों में लगे हुए मजदूरों को उद्योग प्रबन्धकों द्वारा निकाला जाना ।

यह अस्वीकार है ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

जिलाधीश झांसी ही जिला परिषद के अध्यक्ष है और उनके द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी स्कूलों में हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई का कोई प्रबन्ध नहीं है जबकि मार्च में उनकी परीक्षा होने वाली है। इसकी वजह से सारे जिले में विद्यार्थियों का एक आन्दोलन खड़ा हो जायेगा इसलिये मेरे निवेदन को आप स्वीकार करें और आवश्यक कार्यवाही के लिये उसे शासन को भेज दें।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका शासन से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है इसलिये आप इस पर अल्पसूचित प्रश्न करें।

एक श्री हुकुमसिंह परिहार का है—"फतेहपुर सिकरी नहर के टूटने से आगरा के 5 गांव प्रभावित।"

इस पर आप अल्पसूचित प्रश्न करलें।

एक श्री रूपनाथ सिंह यादव का है—"बिजली की हड़ताल से इलाहाबाद जिले में जन-जीवन अस्त व्यस्त।"

यह अस्वीकार है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

बिजली की हड़ताल की वजह से लोगों को बड़ी परेशानी है। मिट्टी का तेल भी नहीं मिल रहा है, मोमबत्ती भी नहीं मिल रही है, इसलिये इसको आप कार्यवाही के लिये भेज दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

एक श्री शिवदास तिवारी का है—"डी0 ए0 वी0 कालेज वाराणसी के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिनांक 6 जनवरी, 73 को छात्रों द्वारा समाजवादी जनों पर हमला, पुलिस द्वारा कोई हस्तक्षेप न करना।"

यह भी अस्वीकार है। इस पर आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

एक हरिजन छात्र को चाकू मारा गया है। वहां पर कांग्रेस के लोग हथियार लेकर, पिस्तौल लेकर चलते हैं और पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)

मेरा नं0 16 पर है। अगर उसको आप नियम 51 में स्वीकार नहीं करते हैं तो उसे आवश्यक कार्यवाही के लिये सरकार को भेज दें।

श्री उपाध्यक्ष—

शेष जितने बचे हैं उन सब को मैं आवश्यक कार्यवाही के लिये सरकार को भेज रहा हूं।

मेडिकल कालेज के डाक्टर तथा सरकारी चिकित्सा अधिकारियों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—

अब माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी द्वारा दी गयी सूचना पर डेढ़ घंटे की चर्चा आरम्भ होगी।

[श्री उपाध्यक्ष]

"शासन द्वारा मेडिकल कालेज से सम्बन्धित चिकित्सालयों के शिक्षक डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने के कारण मरीजों को कठिनाई एवं असन्तोष उत्पन्न होने के सम्बन्ध में श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री कल्याण सिंह तथा श्री सूबेदार सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर डेढ़घंटे की चर्चा।"

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर जो एजेंडे के दस नम्बर पर है उसमें यह होना चाहिये कि "मेडिकल कालेजों के शिक्षक डाक्टरों तथा सरकारी अस्पताल के डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने के कारण"

श्री उपाध्यक्ष—

गलत छप गया है।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा करने के लिये मैं यहां खड़ा हुआ हूं, विशेषकर इस संबंध में कि आजकल सर्विसेज में असंतुष्ट होता है तो उसका क्या परिणाम होता है? यदि हम उनकी समस्याओं का सही निदान नहीं करते हैं तो यह परिणाम होता है जो हमें इंजीनियरों के स्ट्राइक से देखने में आया और हमने अपने को एक अजीब स्थिति में पाया। अगर सर्विस की कोई समस्या है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहियें और उसपर गम्भीरता के साथ विचार करके उसका समाधान करना चाहिये।

सरकार द्वारा मेडिकल कालेजों के शिक्षक डाक्टरों तथा सरकारी अस्पताल के डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, वह सरकार ने नेक नीयती से किया है, इसको मैं मानता हूं। लेकिन कहां तक यह व्यवहारिक है और इसको कैसे करना चाहियें, इसको विचार करने के लिये हम लोग बैठे हैं। यह सही है कि यह प्रतिबंध इसलिये लगाया गया है कि सामान्य तथा निर्धन लोगों की देखभाल सही तरीके से हो सके और डाक्टर लोग उनकी देखभाल में काफी समय दे सकें। अस्पतालों में डाक्टर निश्चित समय पर जाकर मरीजों की देखभाल करने में जितना समय उनको देना चाहिये उतना नहीं देते है और जो उनके अन्दर भ्रष्टाचार व्याप्त है, वह दूर हो सके और गरीब जनता को सही माने में राहत मिल सके।

मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ऐसे डाक्टर हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं और कुछ ऐसे डाक्टर हैं जो मरीजों के साथ बेरहमी का वर्ताव करते हैं. सरकार ने इसको दूर करने के पवित्र उद्देश्य से यह जो 0 ओ 0 निकाला है। लेकिन हमें देखना यह है कि यह जो प्रतिबंध लगाया गया है उससे कुछ कल्याण की अपेक्षा होती है या नहीं। अगर हमें इसे करना है तो कैसे करना चाहिये जिससे यह प्रभावी हो सके। हम व्याप्त भ्रष्टाचार को बन्द करना चाहते है लेकिन यह भी तो सोचना चाहिये कि यह फिर से न आजाय। इस पर विचार करने के लिये हम यहां खड़े हुये है। अगर सरकार नेकनीयती से यह चाहती है कि निर्धनों का सही इलाज हो सके और गरीबी तथा बीमारी के बीच में कोई खाई न हो तो सरकार को क्या करना चाहिये। प्रथम कदम जो सरकार को उठाना चाहिये था वह यह है कि हमें देखना यह है कि जिलों में अस्पतालों में बहुत कम रुपया दवा के लिये रहता है। इसलिये जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना रुपया दिया जाये। हमारे यह देखने में आया है और जिलों तथा तहसील के अस्पतालों में मुझे अनुभव हुआ है कि एक मरीज को दवा पर केवल एक आना पड़ता है। मरीजों की स्थिति यह है कि वे भटकते फिरते हैं और सरकार कुछ नहीं करती है। अस्पतालों में आजकल पर्याप्त शैयाओं का भी प्रबंध नहीं है। मरीज कहीं भी पड़े रहते हैं उनको बेड्स तक नहीं मिलते है। सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने इस पर कभी विचार किया ? आज तक सरकार ने उस पर कभी विचार नहीं किया। हर व्यक्ति की हेल्थ की सरकार की जिम्मेदारी है। यह बात तो दूर रही लेकिन जो प्राथमिक सहायता मरीजों को मिलनी चाहिये उसके संबंध में भी कुछ नहीं किया गया है। आज आपने डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर दी है तो इसका परिणाम क्या होता है। यह देखना है कि इस उद्देश्य की पूर्ति कहां तक होती है ?

पहले तो आप यह देखें कि क्या इससे शासन के व्यय में कोई कमी आई ? नान प्रेक्सिट्रसिंग अलाउन्स उनको दिया गया है। इस की भी वही स्थिति होगी जो आज डीयरनेस अलाउन्स की हो रही है। यह कभी कम नहीं होगा यह बराबर बढ़ता ही जायगा। इस से एक्सचेकर पर भार और बढ़ेगा और अन्तोगत्वा जनता को ही इसको भी भुगतना होगा और यह भार इस तरह से गरीब जनता पर ही जा कर पड़ेगा। दूसरे यह डाक्टर अस्पताल में या जहां भी दूसरी जगह पर है उन को आज जिस के पास पैसा है वह उन को बुलाकर ईमानदारी से उनकी दवा कराता है और फीस देता है और वह किसी भी योग्य डाक्टर से दवा करवा लेता है लेकिन जो गरीब है वह उनकी सेवा से आज भी बंचित है। जब तक आप धनी और गरीब की यह बड़ी असमानता दूर नहीं करेंगे तब तक आप इसका हल नहीं निकाल सकते। इस तरह की रोक लगाने के बाद आप उन दोनों ही वर्गों को इन डाक्टरों की सेवाओं से वंचित कर देते है। जो गरीब है वह तो उनको बुला ही नहीं सकते लेकिन जो सक्षम है धनी है वे भी उन को नहीं बुला सकेंगे। इस तरह से दोनों ही वर्गों का नुकसान होगा।

एक बात सरकार के सोचने की यह भी है कि वह किसी चीज को बलपूर्वक एनफोर्स नहीं करती बल्कि तमाम तरह का इंटरफीयेरेंस होता है और सरकार में दम नहीं है कि वह किसी प्रकार से व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर कर सके। आप को इसके अन्य पहलुओं पर भी विचार करना होगा। आप ने उन की प्रैक्टिस अ.ज. बन्द की लेकिन कोई डाक्टर किसी के यहां मित्र के नाते अगर जाते हैं और वह कहते हैं कि हम माधव प्रसाद के यहां जा रहे हैं वह हमारे मित्र हैं और पूरी फीस लेकर वह वापस जाते है तो मंत्री जी हमें बतायें कि वह उसको किस तरह से रोकेंगे ? मैं नहीं समझता कि इस तरह की चीज को वह रोक सकते हैं जब कि उन में एक सोशल स्टैंडर्ड, एक सामाजिक चेतना जागृत न हों, वह एक मिशनरी स्प्रिट से काम न करें। उस स्प्रिट और इनटेग्रिटी के पैदा करने की जरूरत है। आप इस तरह से बगैर मिशनरी स्प्रिट के उनको चेक नहीं कर सकते, उन में भी ब्लैकशीप हो सकते है, वह अगर दुरुपयोग करते हैं तो उनको आप कैसे रोक सकते हैं ?

इसके अलावा एक पहलू यह भी है कि प्रैक्टिस बन्द करने के और नतीजे भी हो सकते है। इस तरह से आप अपने बड़े-बड़े कालेजों में और अस्पतालों में योग्य डाक्टरों की सर्विसेज को नहीं पा सकते और इस तरह से आपके मेडिकल कालेजों और अस्पताल की सेवाओं का स्तर गिरेगा और वहां योग्य डाक्टरों का अभाव पैदा होगा। आप को फिर थर्ड क्लास मेडिकल ग्रेजुएट ही मिलेंगे और जो टेलेंट है वह सिविल सर्जन या सर्विस में आना आपकी पसन्द नहीं करेंगे। अगर उनकी प्रैक्टिस में रोक होगी तो वह सर्विस में आयेंगे ही नहीं। इस पहलू पर आप ने क्या सोचा है यह भी मालूम होना चाहिए। इसी अनिश्चित स्थिति के कारण आज ब्रेनड्रेन हो रहा है और जहां तक हमें याद है इसी अनिश्चित नीति के और पक्षपातपूर्ण नीति के कारण और अदूरदर्शी नीति के कारण जहां तक मुझे सूचना है 32 आदमियों ने मेडिकल सर्विसेज से रिजाइन किया है और उनके अलावा 21 या 23 आदमियों ने देश छोड़ दिया है और दूसरी जगहों पर जाकर सर्विस ले ली है।

आप पेड क्लीनिक खोलने की बात कहते हैं तो वहां भी क्या निश्चितता है, मान लें कि एक डाक्टर की ड्यूटी 5 से 8 बजे शाम तक है और वह आंख का स्पेशलिस्ट है और

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

उस वक्त उसके सामने कोई हार्ट का मरीज पहुंच जाता है तो वह हार्ट के बीमार को कैसे बचा सकता है? आप उस वक्त दूसरे डाक्टर को बाध्य नहीं कर सकते कि वह जाकर हार्ट के मरीज को उस वक्त देख ले और इस तरह से उसे हार्ट स्पेशलिस्ट की सेवा प्राप्त हो सके। वह कहीं भी इस तरह से न अस्पताल में और न घर पर ही अच्छे डाक्टर की सेवा आवश्यकता पड़ने पर प्राप्त कर सकता है। इस तरह से एक अजीब ऊहापोह की स्थिति है। इसके अलावा यह भी सोचने की बात है कि ट्रीटमेंट बाई दिल भी किसी के इलाज में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, अगर किसी का विश्वास को कितना भी योग्य डाक्टर क्यों न हो, उसमें नहीं है तो वह उस के इलाज से कभी भी राहत नहीं पा सकता। इसलिए जिस डाक्टर में किसी का विश्वास है और जो उससे ही इलाज कराता है तो उस को उस की सर्विसेज मिल सकें इस पहलू पर भी हमें विचार करना चाहिए। अगर इन पहलुओं को नजरअन्दाज करके हम ने प्रक्टिस बैन कर दी तो हम अपने उस ध्येय में सफल नहीं हो सकेंगे जिसको लेकर हम यह करना चाह रहे हैं। तो उन्हें दिया क्या है? नौन प्रैक्टिसिंग एलाउन्स वेतन का 25 प्रतिशत। क्या कभी सरकार ने सोचा है कि असन्तोष का क्या कारण है? यह सब आपकी अदूरदर्शिता की नीति का कारण है। जब समान कार्य के लिए समान वेतन आप देना चाहते हैं तो क्या कारण है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट में जो नौन प्रैक्टिसिंग एलाउन्स है उस पर विचार न करके आप क्यों 25 परसेंट ही देने का विचार रखते हैं। सेना में 50 प्रतिशत, रेलवे में 33.5 प्रतिशत और दिल्ली के डाक्टरों को 50 प्रतिशत एलाउन्स मिलता है। आज उनकी क्यों हार्ट बर्निंग है। इनके वेतन क्रम केवल 2 हैं। एक 300—900 और दूसरा है 600—1250। डाक्टर सिविल सर्जन की पोस्ट पर जाकर ठप्प हो जाता है। इस पर आप विचार क्यों नहीं करते हैं। यहां पर 1,300-1,499 के ग्रेड में आई0ए0एस0 कैडर में 141, पी0सी0एस0 में निल, 1,500 से 1799 के स्केल में आई0 ए0एस0 123 पी0सी0एस0 57 और पी0एम0एस0 में केवल 4 जो .14 प्रतिशत है।

इसी प्रकार से 1,800 से 2199 रुपए के स्केल में आई0ए0एस0 में 93, पी0सी0एस0 में 28 और पी0एम0एस0 में 1 जो 03 प्रतिशत है। जबकि दूसरी सर्विसेज में आई0ए0एस0 म 41.0 प्रतिशत और पी0सी0एस0 में 5.0 प्रतिशत है। 2,200 या उससे ऊपर वाले ग्रेड में आई0ए0एस0 में 28.35 प्रतिशत, पी0सी0एस0 में 0.75 प्रतिशत और पी0एम0एस0 में 0.03 प्रतिशत। आपने इनको रिड्यूस करके हार्ट बर्निंग कर दिया है। क्या आपने इस पर कभी गौर किया है? आज जो डाक्टरी ज्वाइन करता है पहले वह इन्टर या बी0एस-सी0 भी करता है और फिर 5 वर्ष का कोर्स करके वे डाक्टर होते हैं। ये यह सोच कर डाक्टर हुए कि उनको प्रैक्टिसिंग करने का मौका मिलेगा। तो जो शर्तें आपने इनको नियुक्त करते समय तय की थीं, वे शर्तें अब आप नहीं रख रहे हैं। ये लोग 25 वर्ष के पूर्व सर्विसेज में नहीं आते हैं। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस बन्द करना तय किया तो दूसरी सर्विसेज का भी मुकाबला करना होगा। इनकी मांगे क्या है? अगर आप इनकी प्रक्टिस बन्द करते हैं तो मैं ऐसा समझता हूं कि इसका परिणाम वही होगा जोकि प्रक्टिस के पहले होता था। करप्शन बढ़ेगा। वे दूसरे तरीके से पूरा करेंगे। इनके लिये वे कहते हैं कि हमारा भी वही ग्रेड बना दीजिए जो आपने पहले बनाया था, और जो दूसरी सर्विसेज में बनाया है। उनकी मांग है कि इनका नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स आप 50 प्रतिशत कर दीजिए, भले ही आप 750 रुपए से ऊपर न करें।

दूसरी बात वे कहते हैं कि एमरजेंसी में उन्हें काम करना पड़ता है। आप सोचें कि प्रैक्टिस बन्द करने में क्या कठिनाई होगी। आपको 3 डाक्टरों को ड्यूटी पर लगाना पड़ेगा क्योंकि समय पर ही वे डाक्टर पहुंचा करेंगे। फिर डाक्टरों को बुलाने नहीं जायगा। दूसरे जो दूसरी सर्विसेज ह, उनसे ये 3 महीने एक्सट्रा काम करते हैं। इसका मतलब इनको सेकेन्ड सेटरडे और सण्डे नहीं मिलते हैं। दूसरी सर्विसेज में हरेक को मिलता

है। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में यह प्रथा मानी गई थी। अब उन्होंने निर्णय ले लिया है आंध्र प्रदेश ने कि रिवाइज करना जरूरी है। वह पद्धति चल नहीं रही है। मध्य प्रदेश में भी बिना समझे ऐसा ही कर दिया। सेठी साहब ने अब कहा है कि प्रापरली वक नहीं कर रहे हैं। आपका जो उद्देश्य था कि एक्सचैकर पर भार नहीं पड़ेगा, लोगों को अच्छी सेवायें प्राप्त हो सकेंगी, वह उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ। एक्सचेकर पर भार बढ़ जायगा, करप्शन बढ़ जायेगा, किसी तरह का खर्चा नहीं रुका। जो सही तरीके से लेते थे वे अब दूसरे गलत तरीकों से लेंगे। इसलिए प्रार्थना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इन सारी समस्याओं पर विचार करके सही निराकरण करें और जो काम इनके मन में हो डाक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव से परामर्श करके उठायें। इस बात पर भी विचार कर लें कि अगर मेडिकल वर्ल्ड में भी इंजीनियर्स जैसी स्थिति हुई तो क्या हालत हो जायगी।

चिकित्सा स्वास्थ्य मन्त्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय त्रिपाठी जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने इसके औचित्य को स्वीकार किया और जहां तक उसकी कठिनाई का प्रश्न है यह अवश्य है कि कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है, तो कठिनाई उत्पन्न होती ही है। मुझे आशा है कि जिस प्रकार की कठिनाइयों की ओर माननीय त्रिपाठी जी न उल्लेख किया है, उनके सुझावों से हमें उन कठिनाइयों को दूर करने में सफलता प्राप्त होगी। शेष माननीय सदस्यों को सुनने के बाद मैं अपने विचार रखूंगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर चर्चा इस अवसर पर हो रही है उस विषय से थोड़ा बहुत सम्बन्ध मेरा इन पच्चीस-छब्बीस वर्षों से रहा है और इसी अनुभव की बुनियाद पर मैं इस सदन के समक्ष कुछ कहना चाहता हूं। मुझे यह जानकर दुःख हुआ कि प्रदेशीय सरकार ने पुराने अनुभवों पर ध्यान दिये बिना एक आदेश के जरिए से निर्णय कर दिया कि मेडिकल कालेज तथा अन्य डाक्टरों जो कि सरकारी नौकरियों में हैं, की प्राइवेटी प्रैक्टिस बन्द कर दी जायेगी।

जहां तक प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने का विषय है, मैं उन व्यक्तियों में से हूं जिसने 1951 में इस प्रथा को खत्म करने की चेष्टा की और उसके उपरान्त जब मैंने एक विशेष कमेटी इस कार्य के लिए नियुक्त की तो उसमें भी अपने विचारों को प्रस्तुत किया और उस कमेटी से कुछ आशाएं प्रकट की कि वह कमेटी इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके अपने सुझाव सरकार के समक्ष प्रस्तुत करे। 1951 में मेडिकल कालेज में प्राइवेट प्रक्टिस को खत्म करने के लिए और प्रोफेसर्स इत्यादि का ध्यान अनुसन्धान की तरफ अधिक दिलाने के लिए फसला किया कि उन संस्थानों में "पे क्लीनिक्स" स्थापित किय जायं और उनके द्वारा जनता को उन सुविधावों को दिलाने को कोशिश की जाय जोकि जनता चाहती है और जो उसे साधारणतया अस्पतालों में नहीं मिल पाती। परन्तु अनुभव ऐसा रहा कि हमारी वह योजना कामयाब नहीं हुई और कामयाब इसलिए नहीं हुई कि न तो मेडिकल कालेज ने कोई परम्परा इस दिशा में स्थापति करने की चेष्टा की और न स्वतः उन व्यक्तियों नजिनके ऊपर यह भार डाला गाय उन परम्पराओं को स्थापित करने का प्रयास किया कि "पे क्लीनिक" की योजना को सार्थक और कामयाब बना सके।

इसलिए जब आज मैंने अखबारों के जरिये जाना और सुना कि प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द की जा रही है तो मैंने सोचा कि मैं सरकार को सचेत कर दूं कि हमारा पुराना तजुर्बा इस दिशा में अच्छा नहीं रहा है और वह योजना तभी कामयाब हो सकती है जब मेडिकल प्रोफेशन ऐज सच और साथ में सारे अधिकारीगण और विभाग के अधिकारीगण इस बात का

[श्री चन्द्र भानु गुप्त]

निश्चय करें कि वे उस योजना के अन्तर्गत कार्य करेंगे और स्वतः कोई निजी फायदा उठाने की चेष्टा नहीं करेंगे। जब हमने "पे क्लीनिक्स" की स्थापना की थी तब भी हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति थे, प्रमुख व्यक्ति थें, जो योजना को कार्यान्वित नहीं करना चाहते थे। जब प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर देते हैं तो विशेषज्ञ से यह आशा नहीं कर सकते कि वह राज्य पाल मुख्य मन्त्री के यहां, किसी मन्त्री, या चीफ सेक्रेटरी के यहां जाकर उनका और उनके बच्चों का इलाज करे। फिर तो प्रत्येक को उस पे क्लीनिक में जाना चाहिए और वहां जाकर उन नियमों का अनुसरण करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1951 से 1973 तक चरित्र में भी बहुत हनन हुआ है, दिशाएं और मान्यताएं भी बहुत बदली हैं। जिन उद्देश्यों की चर्चा कागज में की गई है उनसे मेरी पूरी मात्रा में सहमति है कि प्राइवेट प्रैक्टिस खत्म करके अधिक मात्रा में कमजोर वर्ग के लोगों को अस्पतालों म सेवा की सुविधा प्रदान की जाय। यह विश्वास और धारणा ठीक है, उस पर अमल होना चाहिए।

परन्तु वास्तविकता क्या है, क्या हम इन स्थानों पर अपने चरित्र और गुणों का परिचय देते हैं, क्या जो अधिकारी हैं वह यह चेष्टा करते हैं कि वह उन डाक्टरों को जो उनके मातहत काम करते हैं, चाहे मेडिकल कालेज हो, या हास्पिटल हो, उनसे गलत ढंग से काम नहीं लेंगे और अपने घर वालों के इलाज के लिए उन्हें नहीं बुलायेंगे? जब परिस्थिति यह है और कमजोरी हमारे ही बीच में बनी हुई है तो फिर गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि जिस पद्धति को हम अपनाना चाहते हैं उसको अपनाने से पहले उन तमाम कमियों पर विचार करके आगे अमल करने की चेष्टा करें। मैं पूरी मात्रा में इसके उद्देश्य से सहानुभूति रखता हूं कि जिन कारणों के कारण आप प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करना चाहते हैं, वहीं मैं भी चाहता हूं कि इन उद्देश्यों की पूर्ति में इस प्रकार की चेष्टा की जानी चाहिए कि वह कन्डीशन्स हमारे बीच में उत्पन्न हो जायं जिससे डाक्टर्स अधिक मात्रा में जनता की सहायता कर सकें। आज आपने आदेश तो निकाल दिया कि प्राइवेट प्रैक्टिस 1 फरवरी से बन्द हो जायगी, किन्तु क्या डायरेक्टर महोदय, क्या चीफ सेक्रेटरी महोदय, क्या राज्यपाल महोदय, क्या मन्त्रीगण, क्या माननीय सदस्यगणों ने यह फैसला अपने बीच में कर लिया है कि वह कभी उन डाक्टरों को अपने घर पर नहीं बुलायेंगे, काउंसिलर्स रेजीडेंस पर नहीं बुलायेंगे और अपना इलाज पे क्लीनिक्स में करायेंगे?

आज यह व्यवस्था हमारे बीच में नहीं है और यह वास्तविकता नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो ऐसा कह देने से कि फलां चीज फलां तारीख से हो जायगी कार्य नहीं होगा। यह वास्तविक दुनिया में रहने की बात नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व इसके कि वे इस तरह के आदेश दे-दें वह फिर से इन पर विचार कर लें और मेडिकल एसोसिएशन्स और मेडिकल प्रोफेशन्स के प्रतिनिधियों से और सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बैठकर इस योजना पर विचार करें और जो खामियां हैं उनको पहले स्वतः देखें और तब उन पर विचार करें, फिर कोई ऐसी योजना लावें जिससे आगे चलकर यह प्राइवेट प्रैक्टिस खत्म हो सके। आज वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश में जो डाक्टरों को तनख्वाह दी जाती है वह सेन्ट्रल हेल्थ सर्विस के डाक्टरों की तनख्वाह से कम है। जो उनको एलाउन्सेज दिये जाते हैं वह भी कम हैं। लखनऊ का मेडिकल कालेज लिया जाय तो यह भारतवर्ष के 3, 4 प्रमुख कालेजों में आता है। इसने अच्छे-अच्छे डाक्टर्स पैदा किये हैं। इसके पैदा किये हुए डाक्टर्स भारतवर्ष में विभिन्न मेडिकल कालेजों में कार्य कर रहे हैं। उन्हें आज अधिक वेतन मिल रहा है।

दिल्ली मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो बहुत से लोग हैं यहां के पढ़े हुए अच्छे डाक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और ऊंचे ओहदों पर हैं। वह अधिक वेतन पा रहे हैं। क्या हम आज इस प्रकार की योजना चालू करके अपने प्रदेश के टेलेंट को यहां से भगाना चाहते हैं?

अगर हमारे इस मेडिकल कालेज से विद्वान विद्यार्थी निकले हैं और वह जाकर भारतवर्ष के अन्य मेडिकल कालेजों में नौकरी कर रहे हैं और वहां अनुसन्धान भी कर रहे हैं, तो आवश्यकता इस बात की है कि पहले उनके वेतन और एलाउन्सेज आदि के बारे में निर्णय कर लें। जिन्होंने ऐसे-ऐसे योग्य डाक्टर्स पैदा किये। आपने पे कमीशन नियुक्त कर ही रखा है। मेडिकल कालज एसोसिएशन और पी0एम0एस0 एसोसिएशन, अपने-अपने आवेदन-पत्र पे कमीशन के समक्ष रखे हैं। मेडिकल संस्थाओं के डाक्टरों ने और सेन्ट्रल मेडिकल सर्विसेज के डाक्टरों ने अपने आवेदन-पत्र दे रखे हैं। दोनों पे कमीशन की सिफारिशें थोड़े ही दिनों बाद आने वाली हैं। उसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस के सिलसिले में, प्रत्येक की सहमति और सहयोग से और विचार-विमर्श के द्वारा, निर्णय लेना चाहिए था। एक आदेश के द्वारा अगर उसे थोपने की चेष्टा करें, जो आज सर्विसेज के अन्दर वातावरण फैला हुआ है, वह वातावरण विस्फोटक होगा और ऐसी परिस्थितियां हमारे बीच में पैदा करेगा, जोकि हमारे लिए घातक भी सिद्ध हो सकती हैं।

अभी हमने देखा, इंजीनियर्स ने अन्दोलन किया। जहां तक उनकी मांगों का प्रश्न है, वह आन्दोलन, उनके हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने अपने मन्तव्य को पूरा करवाने की कार्यवाही की, वह तो सही नहीं थी और उन्हें उसे अपनाना भी नहीं चाहिए था। कोई भी समाज, कोई भी समुदाय अपनी मांगों को पूरा करवाना चाहती है तो उसका कर्त्तव्य है कि जन-मानस में अपने प्रति सहानुभूति पैदा करे। परन्तु सबको परेशानी में डालकर अपनी मांगों को इस प्रकार से यदि पूरा करवाने की चेष्टा करें, तो वह ढंग ठीक नहीं होता। क्योंकि दूसरी सर्विसेज को ऐसी हालत में प्रोत्साहन मिलेगा कि इस प्रकार की बातों का अनुकरण करें। आज अनुकरण की परिस्थिति आ गयी है। आज मैं कहना चाहता हूं कि सन् 51 और सन् 73 के बीच में इतना अन्तर हो गया है, दूसरी सर्विसेज और डाक्टरों के बीच में कि हमें गम्भीरता से हर प्रश्न पर विचार करना चाहिए। आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 सेन्ट्रल सर्विसेज हैं जो कलोनियल रूल में और आई0ए0एस0 की पिछलग्गू सर्विसेज बनी थीं। व अधिक मात्रा में वेतन पायें और टेक्निकल सर्विसेज के लोग जो देश के बनाने के कार्य में सबसे बड़ी मात्रा में लगे हैं, कम मात्रा में तनख्वाह पायें, यह कुछ अधिक उचित प्रतीत नहीं होता। सर्विसेज के लोग जिनमें डाक्टरों का भी बहुत बड़ा योगदान है, उनकी मांगों की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जो इस प्रकार से आदेश जारी किये हैं, वह जल्दबाजी के हैं। इस सदन में भी ऐसे व्यक्ति है, जो सलाह दे सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग को मैं देख चुका हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने किसी के अनुभव से फायदा नहीं उठाया। डाइरेक्टर महोदय और सरकारी अधिकारीगणों ने कह दिया और उसी के ऊपर आपने अमल किया। डाइरेक्टर महोदय ने स्वतः आदेशों का पालन नहीं किया। हमने हेल्थ सर्विसेज और मेडिकल सर्विसेज का इन्टीग्रेशन किया था और इन्टीग्रेशन के समय यह कहा गया था कि ऊपर के जो अधिकारी हों, उसमें से एक मेडिकल सर्विसेज का डाइरेक्टर बनेगा और पांच साल के बाद हेल्थ सर्विस का डाइरेक्टर बदल दिया जायगा। ये मेरे आदेश थे। मैंने डा0 शर्मा को इस शर्त पर नियुक्त किया था। लेकिन बावजूद इन आदेशों के, शर्मा जी 12 सालों के बाद भी विभाग के अध्यक्ष बने हुये हैं और ऐसी परम्परा यह सरकार चलाती है कि जो व्यक्ति रिटायर हो गया हो, उस व्यक्ति को फिर बुलाकर उस स्थान पर सुशोभित करती है। जब गलत परम्परा खुद ही डालते हैं और परम्परा के विरुद्ध डाक्टरों को चलने का आदेश देते हैं तो क्या यह उचित है? आज जैसा आप करेंगे, जिन बातों पर आप अमल करेंगे, जिस तरह से आप चलेंगे दूसरे आपकी बातों पर अमल करके चलने की क्षमता दिखायेंगे। अगर आपका अमल ठीक नहीं होगा और यदि आपकी

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

कथनी और करनी में अन्तर होगा तो आप अधिकारियों और कर्मचारियों में न तो आदर्श पैदा कर सकेंगे और न उन बातों को लागू कर सकेंगे जिनको लेकर डाक्टरों को उस दिशा में चलाना चाहते हैं जिससे कि जहां प्राइवेट प्रैक्टिस से अपनी आमदनी कर रहे हैं उस आमदनी के करने में कोताही कर दें और कमी ला दें।

आवश्यकता इस बात की है कि उनके सामने आदर्श रखिये, उनके सामने परम्परायें रखिए और उन परम्पराओं को रखकर उनको चलाने के लिए आमंत्रित कीजिए। आज यह सही है कि कई प्रश्नों के मुकाबले में, कई इंस्टीट्यूट्स के मुकाबले में हमारे यहां के मेडिकल कालेज की संस्था में ही क्यों, अन्य मेडिकल कालेजों में भी जो हमारे प्रदेश में हैं वहां के डाक्टरों की तनख्वाहों से कम हैं। हो सकता है आपके पे कमिशन ने उन तनख्वाहों के ऊपर विचार करके कुछ नए पे स्केल्स निर्धारित किये हों। उसके निर्धारण हो जाने के बाद और प्राइवेट प्रैक्टिस के विषय में विस्तार से और धैर्य से विचार करने के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस को बन्द करने का फैसला लीजिए। लेकिन फैसला ऐसा कीजिए जो अमल में लाया जा सके और जिसके ऊपर अमल किया जा सके। ऐसा न हो कि हम स्वयं उस पर अमल न कर सकें और स्वतः हम नाजायज फायदा डाक्टर की मौजूदगी से अस्पताल में उठाने की चेष्टा करें चाहे हम एम0एल0ए0 हों चाहे हम मन्त्री हों, चाहे हम मुख्य मन्त्री हों, चाहे हम राज्यपाल हों, चाहे हम प्रदेश के मुख्य सचिव हों या कोई और सचिव हों। अगर यह व्यवस्था हमारे बीच में चलेगी तो यह कागजी योजना, जो आपने बनाई है और जिसका आप पालन कराना चाहते हैं, न तो कभी मानी जायेगी और न कभी उस पर अमल होगा। जिस भ्रष्टाचार को आप खत्म करना चाहते हैं वह भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ेगा।

आज तो इन वर्षों में भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में, चाहे वह सार्वजनिक जीवन का क्षेत्र हो, चाहे सरकारी कर्मचारियों का क्षेत्र हो, चाहे वह हमारे मन्त्रियों का क्षेत्र हो और चाहे किसी का क्षेत्र हो, उस सारे क्षेत्र में करप्शन बढ़ा है और उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। आज आप छोटे कर्मचारियों में से करप्शन को दूर करने की बात करते हैं। वह बात तो तभी सम्भव है जब आप स्वतः ईमानदारी का परिचय देंगे, स्वतः परम्पराओं के अनुकूल चलेंगे और उन आदर्शों को अपने बीच में रखने की चेष्टा करेंगे जिससे कि डाक्टर भी प्रभावित होकर जो आपके कायदे कानून हैं उनको अपनाते हुए आगे चलने की क्षमता दिखायेंगे। डायरेक्टर साहब या सेक्रेटरी महोदय ने एक हवा की बात आपके सामने पेश करके आपसे आदेश जारी करा दिए और आर्डर चालू करवा दिया। मैं आपको कहता हूं कि आपको विफलता मिलेगी, आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपकी योजना कभी कामयाब नहीं होगी और करप्शन, जिसे आप दूर करना चाहते हैं, उसको दूर करके गरीब आदमी की जो अधिक सेवा करने की बात कहते है, वह गरीब आदमी ऐसी हालत में इस योजना के चालू हो जाने के बाद से न तो डाक्टरों का सहयोग पा सकेगा और न उस वातावरण को आप अस्पतालों के अन्दर या मेडिकल कालेजों के अन्दर पैदाकर सकेंगे जिसके पैदा करने की अभिलाषा और आकांक्षा आपके हृदय में है जैसा कि आपने अपने इस उद्देश्य-पत्र में या लेख में कहा है।

इसलिये मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि बजाए इसके कि पहली फरवरी से यह योजना लागू की जाए आपका जो 'पे कमिशन' है उसकी रिपोर्ट आ जाने के बाद आप एक कमेटी बनाएं जिसमें डाक्टरों के एसोशियेशन के सदस्य हों, उसके प्रधान हों, मंत्री हों, कुछ डाक्टरों के प्रतिनिधि भी हो और इस सदन के भी सदस्य हों और जब वे सारी योजना का अध्ययन कर लें तब आप इस योजना को चालू कीजिए। तब कुछ कामयाबी भी आपको मिलेगी और आपके उद्देश्य भी पूरे होंगे, जिन उद्देश्यों को लेकर आप इस प्राइवेट प्रेक्टिस को खत्म करना चाहते हैं ऐसा मेरा विश्वास है। इन चन्द शब्दों के साथ और इन सुझावों के साथ मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी ने बहुत सही कहा कि सरकार की यह कार्यवाही फेल होकर रहेगी। कारण यह है कि सरकार में सम-दृष्टि नहीं, उसके अधिकारियों में सम-दृष्टि नहीं। "सम-दृष्टि" का मतलब किसी विषय के सभी पहलुओं पर गौर करके कोई कार्यवाही करें। ऐसा ये नहीं करते हैं। किसी एक पहलू को पकड़ लिया और उसके मुताबिक काम करते हैं। मैं कुछ पहलू सामने रखना चाहता हूं।

मान्यवर, आजकल जो एम0बी0बी0एस0 का इम्तहान पास करके लड़के निकलते हैं वह अपनी पसन्द के मुताबिक चिकित्सा या स्वास्थ्य की सेवा में जाते हैं। जो चिकित्सा की सेवा की तरफ आकर्षित होते हैं तो उनको मिलता क्या है, उसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये। उनकी सेवा शुरू होती है 200 रुपये से 400 रुपये तक—यह उनको बेसिक पे मिलती है, और इसी के साथ-साथ जो प्रोमोशन उनको मिलते हैं तो पहले मुश्किल से साढ़े सात परसेंट और अब वह बढ़ाकर 10 परसेंट कर दिये गये हैं। और फिर मान्यवर, उनकी पोस्टिंग भी. . . उसको छोड़ दूं, आगे कहूंगा। जब ये भरती होते हैं तो सबार्डिनेट गजटेड आफिसर माने जाते हैं। और जो स्वास्थ्य की तरफ जाते हैं तो उनको जो बेसिक पे शुरूमें मिलती है वह ढाई सौ से शुरू होती है, 700 तक जाती है और ये फुल्ली गजटेड आफिसर होते हैं। अगर 15 साल तक दोनों कैडर सेवा में लगे रहें तो एक ओर चिकित्सा में काम करने वाले की बेसिक पे 500 और दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य में काम करते हैं उनकी बेसिक पे हो जायगी 900 रुपये—यह फर्क है, मान्यवर। जिसके साथ-साथ जो देहात तक में फैलाये गये हैं पी0एच0सी0 सेंटर वहां जो तैनात करते हैं तो न वहां आवास की सुविधा, न बिजली की सुविधा, न रोशनी की, न सड़क की, कोई सुविधा नहीं है। दूसरी तरफ जो सेवा करने वाले स्वास्थ्य में गये हैं उनको हमेशा हैडक्वार्टर मिलता है, जहां पर आज आवास है, पढ़ाई, लिखाई की सुविधा है बच्चों के लिये और आमदो रफ्त के भी सारे साधन हैं।

इससे भी बढ़कर जो चिकित्सा की साइड में बाहर जाते हैं उनको छुट्टियां नाम को नहीं मिलती हैं। छुट्टियों का मिलना तो दूर रहा, जो पी0एच0सी0 की सेवा में रहते हैं उनको राउंड दि क्लाक, चौबीसो घंटे काम करना पड़ता है और फिर भी डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में डाक्टर लगे हैं उनको हर तीसरे दिन चौबीसों घंटे इमरजेंसी ड्यूटी में काम करना पड़ता है और इस बीच में अगर कोई इमरजेंट केस हो, आपरेशन का, तो उनको रात में आपरेशन करना पड़ता है, मरीज को अटेंड करना पड़ता है। इस तरह की कोई बात जो स्वास्थ्य सेवा में जाते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा के लोगों को साल भर में कम से कम 93 दिनों की छुट्टियां मिलती हैं। जो सेकेन्ड सेटरडे है, जो गजटेड हालिडे है उनमें उनको फायदा मिलता है और जो चिकित्सा की तरफ जाते हैं उनको इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। इसीके साथ-साथ जो ये मेडिको लीगल केस है पोस्टमार्टम के उनको अटेंड करना पड़ता है और अदालत में गवाही के लिये जाना पड़ता है तो अपने खर्चे पर जाना पड़ता है, सरकारी खर्चा उनको नहीं मिलता। हां, जब प्राइवेटली कहीं गवाही देनी होती है तो मिलता है वरना रिक्शे का किराया खुद लेकर जाते हैं।

तो सवाल उठता है आखिर में कि कौन चीज अट्रेक्ट करती है उनको कि स्वास्थ्य की सेवा की तरफ न जा कर मेडिकल सेवा में आते हैं? वह है कि जो उन्होंने ज्ञान अर्जन किया है उसको व्यवहृत करने का अवसर, जाब सैटिस्फेक्शन! वह सबसे बड़ा आकर्षण होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। सर सी0बी0 रमण दिल्ली सरकार के आडिटर जनरल मुकर्रर हुए, लेकिन उनको जाब सैटिस्फेक्शन नहीं था। उनको काम से संतोष और खुशी नहीं थी, इसलिये 1800 रुपये महीने की तनख्वाह को छोड़ कर उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 300

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

रुपये की लेक्चररशिप स्वीकार की थी ! ऐसे होते हैं कारण जिनकी वजह से ये अट्रेक्ट होते हैं । और दूसरा कारण यह होता है कि तनख्वाह कम ज्यादा हो, सुविधायें कम ज्यादा हों, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस का जब उनको अवसर मिलता है तो उससे पूरा करने की कोशिश करते हैं ।

यह कहा जाता है कि डाक्टर भी करप्ट हो गये है, यह सही है कि इस तरह की भी शिकायत है, कि गिरावट आयी है, इन 20--25 वर्षों में जहां समाज का बराबर ह्रास हुआ है, इनमें भी गिरावट आयी है । चरित्र का ह्रास चारो तरफ हुआ है। यह भी शिकायत मिलती है कि अस्पतालों में बेड होने पर भी बेड नहीं मिलता, मरीज की हालत कितनी ही खराब क्यों न हो, ठीक तरह से दवा भी नहीं मिलती, यह भी शिकायत है, किन्तु इन सब बुराइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ? दवायें बाजार में भी बिकती है, यह भी शिकायत है । सरकार ने कभी इनके कारणों को दूर करने की तरफ नहीं सोचा । मान्यवर, सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर है जो सारे अस्पतालों के लिये दवायें खरीदता है । मैंने इसको बन्द करने के लिये आदेश दिया था इसको तोड़ने की कोशिश की थी । इस पर सारा डायरेक्टोरेट और सचिवालय इस प्रयास में लगा रहा कि इसको न तोड़ा जाय । लेकिन हमने कहा कि नहीं, इसको तोड़ना चाहिये । और उसके बाद जैसे ही नयी सरकार आयी उसने सबसे पहला काम यही किया कि इस मेडिकल स्टोर को फिर से रिस्टोर कर दिया ।

दूसरा प्रश्न यह है कि यह दवा जाती कहां है बड़े-बड़े विशेष सुविधा प्राप्त लोगों के पास, मंत्रियों के पास, विधायकों के पास और आपने उसमें स्वतंत्रता सेनानियों को भी जोड़ दिया है। टानिक्स के नाम पर यह दवा जाती है । मैं पूछता हूं कि टानिक्स को आपने बन्द क्यों नहीं किया ? क्या जरूरत है टानिक्स की । उसकी जगह आप जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उनको खरीदिये । हम लोगों को अगर कुछ सुविधायें देनी है तो हमारा जो कोटा है उसी में से दीजिये । आज मरीजों का बड़ा हिस्सा मारा जाता है, उनको दवायें नहीं मिल पातीं । जब अस्पताल में दवा नहीं मिलती तभी मरीज मजबूर हो जाता है डाक्टर को घर पर दिखाने के लिये । और जब कोई शिकायत सरकार के पास आती है तो सरकार यहां खड़े होकर उसे डिफेन्ड करने लग जाती है । इसका नतीजा यह होता है कि करप्शन खत्म नहीं होने पाता, सरकार का अनुरक्षण पाकर वह बढ़ता जाता है और करप्ट लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही इसलिये नहीं हो पाती क्योंकि वे सरकार के कृपा पात्र होते है, या उनकी पहुंच डायरेक्टोरेट तथा सचिवालय तक या मंत्रियों के पास तक होती है ।

अब मान्यवर, प्रश्न यह है कि करप्शन कैसे दूर किया जाय । करप्शन ऐसे दूर नहीं हो सकता क्योंकि सरकार ने कभी इसके आवश्यक पहलुओं पर विचार किया ही नहीं । इनकी दिशा विहीनता के कारण यह बढ़ता ही जाता है । रशा में एक सिस्टम यह है कि वहां अगर कोई बीमार होता है तो उसकी चिकित्सा की उसको पूरी गारेन्टी दी जाती है । मरीज के लिये डाक्टर मिलता है, सारी दवायें मुफ्त में मिलती है । किसी को एक पैसा भी खर्च नहीं करना होता । सारा इन्तजाम स्टेट करती है । इंगलैण्ड में पूरी नेशनलाइज सर्विस है । वहां हर एक का मेडिकल इन्श्योरेन्स होता है । वह जनरल प्रैक्टीशनर के पास जाता है, वह उसको देखता है और दवा देता है । अगर कोई केस ऐसा होता है जिसे वह स्वयं नहीं कर सकता, तो वह दूसरे एक्सपर्ट को रिफर कर देता है । अमेरिका और जापान आदि देशों में भी इसी प्रकार का बड़ा अच्छा इन्तजाम होता है । किन्तु आप अभी तक यह तय नहीं कर पाये कि आजादी के 25 वर्ष बाद भी आपको किस दिशा में जाना है ।

खाली पूरी चीज को सोचकर समझकर करने के बजाय कहीं-कहीं पर की यह कोई चीज पकड़ लेते हैं, जैसे कपड़े में कोई प्योंदा लगा दें । लेकिन नये सिरे से कोई कपड़ा तैयार करना उनके वश की बात नहीं है । डाइरेक्टर की बात देखें । जैसा कि गुप्ता जी ने कहा एक रिटायर्ड आदमी को लाकर वहां बिठाल दिया गया । वह रिटायरमेंट भी उनका वैलिड रिटायरमेंट था । डाक्टर शर्मा से उस समय की सरकार ने कहा था---आइदर फेश दि प्राजीक्यूशन आर गो और

उन्होंने जाना पसन्द किया। यह प्रिपेटरी रिटायरमेंट उन्होंने लिया था। उनका जितना प्रावीडेंट फण्ड था वह भी उन्होंने वापस ले लिया था, क्योंकि उसी समय के बीच एक डाक्टर गुप्ता थे शायद जिनका प्रावीडेंट फण्ड रोक रखा गया था, उन्होंने इसके सबक लिया। उनके स्थान पर डाक्टर त्यागी का एप्वाइंटमेंट हुआ था, लेकिन आपने क्या किया आपने डाक्टर त्यागी को मजबूर किया अपने स्थान पर वापस जाने के लिये और आपने इसके लिये उनसे लिखा भी लिया। इस तरह से यदि आप उनसे यह चीज लिखवा न पाते तो अदालत में वह चैलेंज कर देते और आपको पीछे हटना पड़ता। लेकिन आपने उससे लिखवा लिया कि मैं अपने पुराने स्थान पर जाना चाहता हूं। परिणामस्वरूप वह अपने पुराने जगह पर आगरा मेडिकल कालेज वापस चले गये और डाक्टर शर्मा को फिर उस पर तैनात कर दिया गया।

यह हुआ, अब डाक्टर शर्मा कहते हैं इस वक्त प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर दी जाए और उन्होंने पेक्लीनिक्स का रास्ता सुझाया है। यह सारे रास्ते फेल हो गये हैं। आप उनके अनुभव से लाभ नहीं उठाना चाहते हैं केवल रट्टू तोता की तरह काम करना चाहते हैं, कि जो मामला सामने आए उसको आंख बन्द करके लागू कर दें। आपने भी उसी तरह से सोच समझकर यह नहीं किया है। आपने पे क्लीनिक्स की नकल की, अब इससे क्या होगा? अब क्या डाक्टर यह नहीं कहेंगे कि यदि भर्ती होना है तो पे क्लीनिक में आकर दिखाओ। जिस तरह का कार्य आप कर रहे हैं उस तरह से कोई भी सरकार जनता की मुसीबतों के साथ खिलवाड़ करना नहीं पसन्द करेगी, कोई भी सरकार उससे लाभ उठाने की बात नहीं सोचेगी। किन्तु यह सरकार उनकी मुसीबतों से खिलवाड़ करने जा रही है। आज डाक्टरों की जो फीस है, वह भी बढ़ जाएगी और जो मरीज तथा डाक्टर का रिश्ता है वह भी इसके रहते हुए खत्म हो जाएगा। नई मुसीबतें भी आएंगी। क्या आप डाक्टरों से 24 घंटे की सर्विस ले सकेंगे। इससे एक नया एजीटेशन शुरू होगा। ये डाक्टर भी कहेंगे कि हम भी अन्य कर्मचारियों की तरह 6 घंटा से अधिक सेवाकार्य नहीं करेंगे।

मैं जानना चाहता हूं कि वह परिस्थिति जब पैदा होगी, तो आप उसका कैसे मुकाबला करेंगे? जिस दिन डाक्टर स्ट्राइक करेंगे, उस दिन अस्पतालों में और उसके बाहर त्राहि-त्राहि मच जाएगी, मरीज त्राहि-त्राहि करने लगेंगे। आपने उनकी सेवा शर्तों को, उनकी परिस्थितियों को नहीं सुधारा और खाली यह काम कर दिया। जो डाक्टर 4–5 सौ पाता है और 6–7 सौ प्राइवेट प्रैक्टिस से अर्जित करता है उस कमी को पूरा करने के लिये आप 800 पर ले भी आए तो उनका मन नहीं मानेगा और ये अड़ंगे सामने आएंगे कि हम 6–7 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। इसमें विजीलेंस भी होगा। फिर इस तरह से आप करप्शन को इन्स्टीट्यूशनलाइज कर देंगे कि बचे हुए आदमी भी करप्शन का सहारा लें। यदि वे इससे कुछ पाते हैं तो विजीलेंश वाले भी उसमें बंटवारा लगाने लगेंगे। आप यही सब करने जा रहे हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह काम आपने बहुत जल्दबाजी में किया है।

बगैर सारे पहलुओं पर सोच विचार किये हुए, खाली ढिंढोरा पीटने के लिये, जो अस्पताल में खाली मरीज जाते हैं, उनकी संख्या ढाई करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, जो ढाई करोड़ को दवा मिलती है, वह मुश्किल से 6 पैसा फी मरीज होगी। आब बजट को बढ़ा नहीं सकते, आपने स्टेट का दिवाला निकाल दिया है, इतना फिजूल खर्ची कर दी गयी। यह हम भी जानते हैं। आपकी जगह पर हम रह चुके हैं। उसमें बढ़ावा नहीं हो सकती है। जहां तक शय्या का मामला है। क्या वह बढ़ रही है। अस्पतालों में एक्सपैंशन नहीं हो रहा है। देहातों में जो अस्पताल खुले हैं, न वहां बेड है, न कुछ। खाली डाक्टर बैठकर लूटता रहता है। उससे खुश हों कि आप अस्पताल की सुविधा दे रहे हैं तो यह नादानी होगी। कोई सुधार नहीं हो रहा है। इस पर आप सोचिए कि कितना पैसा बढ़ा सकते हैं जिससे अस्पतालों का एक्सपैंशन हो सकता है। डाक्टरों, प्राइवेट प्रैक्टिस से जो आमदनी होती है उसका खमियाजा आप पूरा कर सकते हैं या नहीं

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

कर सकते हैं। जो करप्शन फैल रहा है जिसका इलाज करने के लिये यह नुस्खा ले आये हैं वह कैसे रुक सकता है। गम्भीरता से इस पर विचार करें और उस तरह की कमेटी का निर्माण करें जो गुप्ता जी ने सुझाव दिया है। इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि यह काम आपका नादानी का है। इसमें समदृष्टि नहीं है इस लिये फेल हो कर रहेगा। आप जल्दबाजी न करें।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, सरकार ने प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने का जो कदम उठाया है इसकी मैं सराहना करता हूं। लेकिन साथ ही जो इसकी जगह पर क्लीनिक की व्यवस्था की है उतनी ही निन्दनीय है। सराहना मैंने इस माने में किया, इसमें दो राएं नहीं हैं, सरकारी डाक्टरों को जो प्राइवेट प्रैक्टिस की सुविधा मिली है इससे भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है। साधारण आदमी को दवा और चिकित्सा की सुविधा मिलना असम्भव हो गया है। यह निश्चित है कि जो साधारण मनुष्य हैं, और प्राइवेट प्रैक्टिस की सुवधा है, और सरकारी काम की सुविधा है तो निश्चित प्राइवेट प्रैक्टिस को अहमियत देगा अपना समय और दृष्टि बराबर प्राइवेट प्रैक्सिट की तरफ रखेगा। फिर साधारण आदमी जिसको खाली सरकारी अस्पताल की सुविधा होगी वह सुविधा पाने से वंचित हो जाता हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस के लिये जो फीस निर्धारित है उससे ज्यादा फीस डाक्टर ले लेते हैं। वह कहते हैं कि यह भ्रष्टाचार थोड़े ही है। हमारी निजी प्रैक्टिस है। मुझे अनुभव है जो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस के रूप में सरकारी डाक्टरों को दिखाते थे, अच्छी दवाएं उन्हीं के घर पहुंचती थीं। वह उनको नुस्खा लिख देता था, थोड़ा स्टोर होता था, वह दवाएं उनको मिलती थीं। नतीजा होता था कि गरीबों का हक चला जाता था।

यह कार्य बहुत पहले आजादी के साथ ही हो जाना चाहिये था। लेकिन देर भी हुई, अगर सरकार ने यह कदम उठाया है तो आज गांव का रहने वाला साधारण किसान है मजदूर, गरीब वह प्रसन्नता का अनुभव करता है। (व्यवधान) यह देश का दुर्भाग्य रहा। मैं यह कह रहा था कि सरकार ने पहली दफा साधारण आदमी का भला किया है। (व्यवधान) लेकिन यह जो आप पे क्लिनिक खोल रहे हैं उससे जो सुविधा आप गरीब को देना चाहते हैं वह नहीं दे पायेंगे। पे क्लिनिक से जो आमदनी होगी उसका कुछ प्रतिशत सरकार लेगी। 25 प्रतिशत डाक्टर को मिलेगा, 10 प्रतिशत कम्पाउन्डर को मिलेगा शेष सरकार को मिलेगा। उसकी फीस आप 16 से 20 करने जा रहे हैं। इसे आपको बन्द कर देना चाहिये क्योंकि आप उस पाप में साझेदार बनने जा रहे हैं जिस पाप की कमाई को पहले डाक्टर निजी प्रेक्टिस से किया करता था। पे क्लिनिक की व्यवस्था को आप बिलकुल समाप्त कर दें। आप कोई और भी सरकारी कर्मचारी को बतला दें जिसको आप यह सुविधा देने जा रहे हैं जो निजी रूप से काम कर सकता है और कमाई कर सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो यह सुविधा आप अकेले डाक्टर्स को क्यों देने जा रहे हैं। यह कहा जाता है कि अच्छे डाक्टर नहीं मिलेंगे। मेरा कहना है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर देंगे तो आपको और अच्छे डाक्टर मिलेंगे। जो लालच का समुद्र अस्पतालों में उमड़ता रहा है उसे सुखाने का जो आयोजन आपने किया है वह एक सराहनीय कार्य है।

मैं यह भी निवेदन कर दूं कि नकली दवाइयां जो बाजारों में बड़ी मात्रा में मिलती हैं वे स्वास्थ्य के लिये बड़ी हानिकारक हैं उनको भी बन्द किया जाय, उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। कैसर-बाग में एक प्रोफेसर हैं सेन गुप्ता। लाखों रुपये उन्होंने कमा लिये मेडिकल कालेज में काम करने पर भी वह प्रेक्टिस से लाखों रुपये कमाते हैं। इसी तरह से राधा मोहन सिविल सर्जन को आपने स्पेशल ग्रान्ट दी जिसको उन्होंने अपने किराये के मकान को एयर कंडीशन करने में खर्च किये, ट्यूबवैल लगवा लिया जिससे खेती करते हैं, फावड़ा खरीदते हैं। इस स्पेशल ग्रान्ट को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप सस्पेंड करें वर्ना जो आपकी इच्छा गरीब को सहूलियत पहुंचाने की है वह पूरी नहीं होगी। इस तरह से सुधार आप करेंगे तो बी0के0डी0 की तरफ से मैं आश्वासन देता हूं आपको पूर्ण समर्थन मिलता रहेगा।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

समय नहीं रह गया है।

*श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, दो मिनट का समय मुझे दे दें। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं माननीय माधव बाबू का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने समय में से दो मिनट का समय मुझे दिया है...

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मुस्लिम लीग और जनसंघ का समझौता हो रहा है.....

श्री हबीब अहमद--

मान्यवर, अभी हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने जो दिक्कतें बताई हैं जैसे कि अभी माननीय गुप्ता जी ने फरमाया कि यहांपर वी0 आई0 पीज0 और बड़े-बड़े कर्मचारी और यहां तक कि मंत्रिमंडल के लोगों को ऐसा करने में कठिनाई आ सकती है। मेरे दोस्त माननीय जायसवाल नेता संसोपा ने कहा कि हेल्थ सर्विसेज और मेडिकल सर्विसेज के पे स्केल्स में बहुत फर्क है। 15 साल सर्विस करने के बाद मेडिकल सर्विसेज में तनख्वाह 500 रु0 होती है जब कि हेल्थ सर्विसेज में 900 रुपये होती है। इस बात में काफी वजन है। इसको दूर करने का उपाय होना चाहिए। आज सरकार ने डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस समाप्त करने की बात सोची है। मैं भी समझता हूं कि यह काम बहुत अच्छा है। हर मेडिकल कालेज में हर करीब चार सेक्शन होते हैं। एक मेडिसिन का, एक सरजरी का, एक पेथोलोजी का और एक चिलड्रेन्स डिजीज का। इनमें 16 डाक्टर्स काम करते हैं और वी0 आई0 पीज0 को एवरेज तरीके से जो सुविधा मिलती है या प्राइवेट प्रैक्टिस में डाक्टरों का जो फायदा हो सकता है वह केवल 64 आदमियों का ही होता है और हजारों लोगों को नुकसान होता है।

हमारे माननीय सदस्य बी0 के0 डी0 अभी बोल रहे थे कि वहां पर बहुत ज्यादा करेप्शन है, बेड्स नहीं मिलते हैं। इस बात की सभी लोगों ने शिकायत की है। ऐसा होता है कि एक डाक्टर को बेड एलाट कर दिये जाते हैं। लेकिन जो डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उन बेड्स पर उन लोगों को प्रायोरिटी देते हैं जो उनके घरों में उन्हें दिखा लेते हैं। जहां पर आपरेशन करने की जरूरत पड़ती है वहां पर वे पहले अपने घर पर उतनी फीस ले लेते हैं और तब उन्हें आपरेशन थियेटर में ले जाते हैं। तो ये चीजें जिन्हें इसके जरिये खत्म किया जा सकता है और जनता की कठिनाइयों में कमी आ सकती है। इसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि देहातों में जो डाक्टर्स काम करते हैं उनको पैसा कम दिया जाता है उनके बच्चों के लिये वहां पर तालीम की सुविधा नहीं है। उनके पे-स्केल्स् बहुत कम हैं। करेप्शन रोकने के लिये यह जरूरी है कि उन्हें बढ़िया पे-स्केल्स दिये जायं। फेमिली प्लानिंग के डाक्टर को प्राइवेट प्रैक्टिस करना मना है वह नहीं कर सकता है। जब यह हो जायेगा तब लोगों में इन्साफी की भावना जागेगी। आज तक जो शिकायतें आयी हैं उन पर सरकार ने कोई तवज्जह नहीं दी है। मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हबीब अहमद]

समझता हूं कि दो मिनट मेरे समाप्त हो गये हैं। आखिर में यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना को चलाने के लिये जैसे कि बड़े-बड़े लीडरान ने यहां पर कहा है, इसे खूब अच्छी तरह से सोच विचार करने के उपरान्त उनके पे-स्केल्स बढ़ाया जाना चाहिए और मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज की तनख्वाह में समानता होनी चाहिए।

आखिर में एक चीज मैं और बतला दूं कि मेडिकल कालेज में आज बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ गया है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि वहां ट्रांसफर नहीं होता है। ये जितने प्रोफेसर, रीडर्स और लेक्चरार हैं, 10–15 वर्ष से वहीं मौजूद हैं। जिस तरह से और सरकारी मुलाजिमान का 3–4 साल में हर जगह ट्रांसफर होता है उसी तरह से इनका भी ट्रांसफर होना चाहिये। तभी करप्शन रुक सकता है और इसमें जनता का हित भी है।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी––

मान्यवर, अभी माननीय गुप्ता जी ने सदन के सामने एक सजेशन रखा और मेरी भी राय है कि माननीय मंत्री जी को यह चाहिये कि वे इसमें जल्दबाजी न करें। अगर अनुभव कोई चीज है तो मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, और दूसरी जगहों के अनुभवों को ध्यान में लेते हुए उसे रोक दें और एक राउंड टेबिल कांग्रेस बुलायें और सब पहलुओं पर जो अभी आपके सामने रखे गये हैं विचार करें और तब कोई फाइनल निर्णय लें। मान्यवर, मैं समझता हूं कि सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अगर ध्यान दिया तो विशेष कारणों से इस पर अमल नहीं किया कि इसकी व्यावहारिकता क्या है और यह सफल हो सकता है या नहीं। माननीय गुप्ता जी ने ठीक कहा कि जो माननीय सदस्य हैं, माननीय मंत्री लोग हैं, और बड़े-बड़े अधिकारी हैं वे ही इसको असफल कर देंगे और किसी भी प्रकार से उसे सफल नहीं होने देंगे। भ्रष्टाचार जिसका नाम लिया जा रहा है दुगुना बढ़ जायेगा और आपके पीछे से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। माननीय मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि ये इस पर अच्छी तरह से विचार कर लें।

आज तक आखिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया। आज इसके करने की नौबत क्यों आयी। इसलिये कि जो कुछ उनके सिक्रेटरी ने बतलाया, जो उनके अधिकारी ने बतलाया उसी के आधार पर उसमें एक ग्रेनवेब आया और उन्होंने एक डिसिजन ले लिया। मेरा विचार है कि इस पर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं उन्होंने सोचा कि ऐसी चीजें कानून के जरिये नहीं रोकी जा सकतीं। इसके लिये मिलजुल कर ही कोई रास्ता निकाला जा सकता है। आज जो हार्ट वर्निंग है और अनरेस्ट है, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे डाक्टर्स हों, उनमें इस तरह की चीज क्यों है इसपर सरकार ने दूरदर्शिता से नहीं सोचा और बिना सोचे विचारे ही एक डिसिजन ले लिया। इसलिये कि सरकार ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, जैसा कि कल विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा कि जो टेक्निकल लोग हैं और उनकी मांगें जायज हैं उनकी शर्तों को आप क्यों नहीं मान लेते।

मेरे खयाल से तो उनकी शर्तें उचित ही हैं लेकिन आपने उनको धूल में मिला दिया। जैसा कि गुप्ता जी ने भी कहा और जायसवाल जी ने भी कहा कि उनकी समस्या का निराकरण करें, उनको समझा बुझाकर एक राउन्ड टेबिल कांफ्रेन्स की तरह से बुलायें और सारी चीजों को थ्रेस आउट करें और तब उसी के आधार पर सही निर्णय ले तभी जनता का और प्रदेश का हित होगा। मैं समझता हूं कि इस चीज को आप जबरदस्ती इनफोर्स नहीं कर सकते हैं। कानून के जरिये इस तरह की चीजें इनफोर्स नहीं हुआ करतीं। इसके लिये तो सामाजिक तौर से उनको समझा बुझा कर मारेली तौर से उनको आप झुका सकते हैं। वरना जैसा कि गुप्ता जी ने कहा––25 वर्षों में हमारा जन जीवन मूल्य गिरा है और इस तरह से आगे और भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे जीवन मे ह्रास होगा। मेरा खयाल है कि आप अन्त में झुकेंगे, भले ही इस वक्त न झुकें। आप इस पर खूब सोच समझ कर निर्णय लें वरना जो आज स्थिति है वह काबू के बाहर हो जायगी।

इसलिये आप उनसे बिना कंसल्टेशन किये हुए जो निर्णय ले चुके हैं, वैसा न करके उनको बुलाकर उनसे कंसल्ट करने के बाद फिर कोई निर्णय लें। चाहे आप निर्णय यही लें लेकिन पहले उनसे यह कंसल्ट कर लें। क्योंकि यह उचित नहीं है कि बिना कंसल्टेशन किये हुए उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दी जाय। आप पूर्ण रूप से विचार करके निर्णय लें लेकिन मेरा विश्वास है कि उस निर्णय को आप कार्यान्वित नहीं कर सकेंगे। मैं आपको बताये देता हूं कि आपका उद्देश्य पवित्र है लेकिन आप इसको कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं।

श्री धर्मदत्त वैद्य---

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़ी गम्भीरता के साथ माननीय सदस्यों के भाषण सुने।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

श्री धर्मदत्त वैद्य---

श्रीमन्, अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि जो कह दिया गया वह पर्याप्त है और वह ठीक है उसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक बात यह कही गई कि इस विषय में बहुत जल्दबाजी की गई है। श्रीमन् मुदालियर कमेटी ने 1963 में संस्तुति की थी और वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट में भी यही बात थी। 1970 में भी मंत्रि-परिषद् में इसी के संबंध में निर्णय लिया गया था लेकिन गवर्नर शासन हो जाने के कारण इसको लागू नहीं किया जा सका। जिन परिस्थितियों के कारण इस ओर ध्यान देना पड़ा या इस निर्णय को लेना पड़ा, उससे माननीय सदस्य भलीभांति परिचित हैं, उसके दोहराने से कोई लाभ नहीं है वास्तविक बात यह है कि...

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

माननीय सदस्यों ने कुछ प्रश्न मंत्री जी से किये हैं अपने भाषण में वे उनका उत्तर देने की कृपा करें।

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जहां तक मेडिकल कालेज के डाक्टरों का प्रश्न है इसमें बहुत से डाक्टरों को पहले भी प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं थी। वे केवल चार विषयों के डाक्टरों को हो सकता है एक दो और हों जिनके विशेषज्ञों को ही प्राइवेट प्रैक्टिस एलाउड थी, बाकी को एलाउड नहीं थी। किन परिस्थितियों में हमें बाध्य होकर यह निर्णय करना पड़ा यदि मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जनता और उसके प्रतिनिधियों ने जो परिस्थितियों से भली-भांति परिचित थे, उन्होंने निरन्तर यह कहा कि प्रदेशीय सरकार वर्षों से इस प्रश्न पर विचार कर रही है लेकिन कोई निर्णय नहीं ले सकी।

श्रीमन्, आज जो मेडिकल कालेजों से संबंधित अस्पताल हैं उनकी स्थिति यह है, जिसे मुझे कहने में संकोच हो रहा है क्योंकि शासन भी उसके लिये जिम्मेदार है, वहां जो डाक्टर हैं उनको जो रोगी शय्याएं दी गई हैं, उनमें ही अपना समय देते हैं और आउट डोर डिस्पेंसरी में बैठना पसन्द नहीं करते हैं। इन रोग शय्याओं पर विशेष स्थिति में ही स्थान मिलता है। जैसा कि कहा गया है कि इसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हो सकता है कि भ्रष्टाचार बढ़े। लेकिन मैं नहीं समझता कि यदि किसी विशेषज्ञ की फीस नियत कर दी जायेगी तो उससे अधिक न तो कोई देगा और उसको भी लेने में बड़ी कठिनाई के साथ साहस हो सकेगा। आज इन अस्पतालों

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

की रोग शय्याओं का, साज सज्जा का, उनके उपकरण और औषधियों का जो प्रयोग प्राइवेट प्रैक्टिस में अधिक है और सामान्य जनता के लिये कम।

मुझे मान्यवर, प्रसन्नता होती अगर कोई दूसरा उपाय का सुझाव इसके लिये दिया गया होता तो उस पर भी सरकार विचार करती। हम समझते हैं कि जो विशेषज्ञ आज इन चिकित्सालयों में काम करते हैं वह असन्तुष्ट हो सकते हैं लेकिन हमने जो कुछ भी उनको देने का निर्णय किया है और इस समय जो कुछ भी उनको दिया जा रहा है वह कुछ कम नहीं है। वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उस पर पुनः विचार किया जा सकता है। हम उनको उनके वेतन का 25 प्रतिशत नान-प्रेक्टिसिंग अलाउन्स देना चाहते हैं और जहां तक, पे-क्लिनिक्स का सवाल है जैसा कि माननीय शम्भूनाथ जी ने कहा वह केवल डाक्टरों की सुविधा के लिये नहीं, सरकार की आय बढ़ाने के लिये नहीं बल्कि जनता की सुविधा के लिये खोले गये हैं। आज साधारण जनता अस्पतालों का लाभ नहीं उठा पाती है पे क्लीनिक के होने से अब अस्पतालों का पूरा लाभ साधारण जनता को उपलब्ध हो सकेगा और वह व्यक्ति जो पैसा देकर डाक्टरों की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं उनको पे-क्लीनिक्स की सुविधा दी जायगी। वहां की आय का कुछ अंश डाक्टरों को दिया जायगा और बाकी शासन को मिलेगा वह अस्पतालों के साधनों और साज-सज्जा में लगाने का प्रयास किया जायगा।

आज जो स्थिति इन अस्पतालों की है उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अभी हमारे भाई जायसवाल जी ने कहा कि उनको 200 रुपया मासिक वेतन दिया जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उन्हें 300–900, 600–1,200, के वेतन स्केल दिये जाते हैं और मेडिकल कालेजों के लेक्चरार्स को 480–950, रीडर्स को 750–1,250, प्रोफेसर्स को 1,100–1,600 और कालेज के प्रिंसिपल को 2,000–2,200 रुपया वेतन दिया जाता है। जहां तक आदरणीय गुप्ता जी का सुझाव है वह मैं समझता हूं महत्वपूर्ण है। हमने इससे पहले भी इस बात का प्रयास किया था कि हम कुछ विशेषज्ञों और कुछ अन्य व्यक्तियों को, मेडिकल असोसियेशन के अधिकारियों और कुछ जनप्रतिनिधियों को बिठाकर बात करें और उनके सुझावों का हम लाभ उठायें। हम इसका प्रयास करेंगे और यह बात सही है कि माननीय गुप्ता जी का जो अनुभव है उसका हमें लाभ उठाना चाहिये।

इसकी मुझे प्रसन्नता है कि सभी माननीय सदस्यों ने इसे सिद्धान्तः स्वीकार किया है कोई भी नया काम जब किया जाता है तो उसमें आरम्भ में कुछ कठिनाइयां आती ह। इसमें भी हमारे सामने कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं लेकिन अगर वास्तव में हमारा उद्देश्य सही है तो हमें उसमें सफलता मिलेगी। किसी काम को करने के लिये और उसकी सफलता के लिये जनता का सहयोग बहुत आवश्यक होता है। जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा किसी काम में हमें सफलता नहीं मिल सकती, यह सही है। कितने ही हम पे-क्लीनिक खोल दें और वहां फीस निश्चित कर दें लेकिन जहां तक रोगी से धन मांगने और मरीज के देने की बात है उसमें जनता का सहयोग अगर नहीं होगा तो अवश्य कठिनाई होगी। जहां तक किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की बात है वह बिना जनता के सहयोग के नहीं मिटाया जा सकता। कितना ही अच्छा कार्य क्यों न हो उसके आरम्भ करने में हमें परिस्थितियों का मुकाबला करना होगा और पूरी तैयारी के साथ हमें निश्चितता के और मजबूती के साथ कदम उठाने होंगे। वर्षों से इस प्रश्न पर विचार होता आ रहा था कि किसी तरह से...

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मंत्री जी ने कहा कि वह गुप्ता जी के सुझावों से लाभान्वित होंगे, तो क्या उनकी एक कमेटी बिठाने वाली बात उन्होंने मान ली है और उसके बाद ही वह इन डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मैं श्रीमन्, अपना वक्तव्य 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। जहां तक इस योजना का प्रश्न है हम किसी भी समय इसको लागू करेंगे इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और यदि आवश्यक हुआ तो दृढ़ता से इसे कार्यान्वियन करेंगे। आशा है कि उसमें हमें तमाम साथियों का, चाहे वे विरोधी दल में हों या जनता के लोग हों, उन सबका सहयोग मिलेगा।

जहां तक पे-क्लिनिक की बात है, कहा गया कि वह इस प्रदेश में असफल हो चुका है। लेकिन मेरा निवेदन है कि वह कुछ स्थानों पर परीक्षण किया गया था। लेकिन उस समय प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए भी कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था। जहां तक अन्य प्रदेशों से जानकारी प्राप्त करने का संबंध है पश्चिमी बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि प्रदेशों में जहां पर प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, जैसा कि उल्लेख किया गया कि वहां पर सफल नहीं हुई है, श्रीमन्, जब यह विषय उपस्थित होने वाला था मैंने प्रयास किया जानकारी प्राप्त करने की। जहां तक मेरी जानकारी में आया एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर सफलता प्राप्त न हुयी हो। फिर भी जो आदरणीय सदस्यों के सुझाव हैं, उन प्रदेशों की, जहां पर इस प्रकार के प्रतिबन्ध हैं पुनः पूरी जानकारी प्राप्त की जायगी और समय-समय पर आरणीय सदस्यों और अन्य लोगों से परामर्श करके उसको सफलता से कार्यान्वित किया जायगा और समय-समय पर निरन्तर इस प्रकार का हम प्रयास करेंगे कि जिनसे उनका सहयोग हमें मिलता रहे और हम इस पुनीत कार्य को जिसके लिए इस प्रदेश की जनता वर्षों से आकांक्षा करती रही ह, पूरा कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बज कर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
18 जनवरी, 1973।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 342 पर)

तालिका

(लाख रुपयों में)

मिल का नाम	रिसीवर की नियुक्ति का दिनांक	रिसीवर की नियुक्ति की तिथि पर बकाया			31-10-72 को बकाया की स्थिति		
		गन्ना मूल्य व कमीशन के बकाया की स्थिति	उपकर/क्रयकर के बकाया की स्थिति	योग	गन्ना मूल्य व कमीशन के बकाया की स्थिति	उपकर/क्रयकर के बकाया की स्थिति	योग
रामकोला ..	4-3-70	22.16	40.08	62.24	16.84	46.89	63.73
पन्नीजी ..	3-3-70	10.13	16.85	26.98	23.37	26.96	50.33
अमरोहा ..	8-10-69	23.41	43.20	66.61	27.02	62.33	89.35

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 27 का उत्तर पीछे पृष्ठ 344 पर)

संलग्नक

टेहरी के अध्यापकों की मांगें

1—टेहरी राज्य के विलीन होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त सभी अध्यापकों को 1 दिसम्बर, 1949 (राज्य के विलीनीकरण की तिथि) या उनकी नियुक्ति की तिथि से स्थायीकरण, उत्तर प्रदेश माडल स्कूल के वेतन दर से वेतन निर्धारित करके समस्त अवशेषों का भुगतान तथा उत्तर प्रदेश स्तर पर वरिष्ठता सूची में नामांकन करके पदोन्नति का अवसर देना।

2—15 सितम्बर, 1969 तक (जिस तिथि तक प्राथमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ रही), नियुक्त आध्यपकों को राजकीय सेवा के अन्तर्गत समझा जाय।

3—जिला परिषदीय अध्यापकों को उनकी नियुक्ति की तिथि से त्रिलाभ योजना का भुगतान किया जाय तथा उनका स्थायीकरण किया जाय।

4—शिक्षा-दीक्षा योग्यता से मुक्त अध्यापकों को भी पदोन्नति के समान अवसर दिये जायं तथा जिस अवधि में उनको सेवा विमुक्त रखा गया है उस अवधि के अवशेष का भुगतान किया जाय।

5—समस्त अध्यापकों की सेवा अवधि का अंकन उनकी नियुक्ति तिथि से किया जाय।

उत्तर काशी जिले के अध्यापकों की मांगें

6—सभी अध्यापकों को उनकी नियुक्ति की तिथि से स्थायीकरण, उत्तर प्रदेशीय माडल स्कूल वेतन दर पर वेतन निर्धारण करके समस्त अवशेष का भुगतान किया जाना तथा उत्तर प्रदेश स्तर पर वरिष्ठता सूची में नामांकन करके पदोन्नति का अवसर दिया जाना।

———

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 43 का उत्तर पीछे पृष्ठ 347 पर)

तालिका

लाभ-हानि (रु० में)

गन्ना अनुसन्धान केन्द्र का नाम	कुल क्षेत्रफल एकड़ में	वर्ष 1969-70	वर्ष 1970-71
		रु0	रु0
1—गन्ना शोध प्रक्षेत्र, शाहजहांपुर	249.44	60,380 लाभ	7,827 लाभ
2—गन्ना शोध प्रक्षेत्र, गोरखपुर ..	110.07	28,058 लाभ	1,86,704 हानि
3—गन्ना शोध प्रक्षेत्र, गोला, खीरी लखीमपुर	201.32	11,250 हानि	अप्राप्य
4—गन्ना शोध प्रक्षेत्र, मुजफ्फरनगर ..	103.57	23,713 लाभ	70 लाभ
5—गन्ना शोध प्रक्षेत्र, लक्ष्मीपुर, देवरिया ..	72.76	5,999 हानि	4,333 हानि

हानि के कारण—(1) शोध प्रक्षेत्रों पर साधारणतया व्यय अधिक और उपलब्धियां प्रायः कम होती हैं क्योंकि शोध कार्य व्यय साध्य होता है जिसका लाभ दूरगामी होता है तथा क्षेत्र विशेष को कृषि समस्याओं को सुलझाने में सहायक होता है।

(2) 1970-71 में अत्यधिक वर्षा के कारण भी हानि हुई।

(3) लक्ष्मीपुर फार्म में भूमि को कृषि योग्य बनाने में प्रारम्भिक व्यय अत्यधिक करना पड़ा।

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 358 पर)

संलग्नक

क्रमांक	आवंटी/फर्म का नाम	उद्योग का नाम	प्लान्ट आवंटन की तिथि	जमा कराई गई धनराशि (रुपयों में)
1	2	3	4	5
1	अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद	मुद्रण कारखाना	25-2-71	3,63,000
2	श्री मेघराज गर्ग, अशोका ट्यूब्स प्रा0 लि0, गोरखपुर।	जी0आई0एवं ब्लैक पाइप उद्योग।	17 3-71	3,600
3	मेसर्स गोरखपुर टिन फैक्टरी, गोरखपुर।	टिन कन्टेनर	19-3-71	1,055.50
4	श्री एन0 सी0 अग्रवाल, गोरखपुर।	इंजीनियरिंग उद्योग	19-3-71	614
5	श्री रजनीश वर्मा, प्रेस्को इण्डस्ट्रीज, गोरखपुर।	पी0 एस0 सी0 पोल्स, स्लैब, बीम।	15-9-71	500
6	श्रीमती विद्या देवी, गोरखपुर	कृषि यन्त्र उद्योग	4-9-71	500
7	श्री शिव प्रसाद शर्मा, कलकत्ता।	इलेक्ट्रिक मेल्टिंग फरनेस	29-3-71	500
8	मेसर्स इंडिया स्टील एवं मेटल इंडस्ट्रीज, गोरखपुर।	स्टील रीरोलिंग मिल	19-3-71	500
9	मेसर्स इंडियन पालीसेक्स, गोरखपुर।	पालीथीन सेक्स उद्योग	19-3-71	500
10	मेसर्स के0 बी0 इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, गोरखपुर।	आफसेट प्रिंटिंग यूनिट	19-3-71	500
11	मेसर्स ग्लोब रबर इंडस्ट्रीज प्रा0 लि0, गोरखपुर।	साइकिल टायर एवं ट्यूब	10-12-71	500

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 359 पर)

सूची

1—खन्सर पट्टी के अन्तर्गत रामगंगा और खन्सार नदियों पर कई स्थानों पर पुलों की आवश्यकता।

2—पिंडर नदी पर वोरागाड़ में झूलापुल की आवश्यकता।

3—पिंडर नदी पर हरमल (खेतागाड़ी) पर झूला पुल की आवश्यकता।

4—केल नदी पर वलाण और थेस के बीच सिविलीगाड़क पर पुल की आवश्यकता

5—डुंगरी और बुरसौल गांव के बीच में पक्का झूला पुल की आवश्यकता।

6—प्राण नदी पर रतगांव और बुरसोल ग्राम के रास्ते में झूला पुल की आवश्यकता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे 360 पर)

विवरण

वर्ष 1971-72 में प्राविधिक सहायता कार्यक्रम तथा प्राविधिक कर्मचारी वर्ग योजना के अन्तर्गत 6 औद्योगिक निरीक्षकों के पद सृजित किये गये थे। इन पदों पर निम्नलिखित कर्मचारियों की नियुक्तियां स्थानातरण द्वारा की गई हैं:—

1—श्री एन0 सी0 कंचन 2—श्री पी0 एम0 शर्मा	अलीगढ़
3—श्री जगत सिंह 4—श्री के0 के0 बिसारिया	मेरठ
5—श्री एस0 एन0 मिश्रा 6—श्री जी0 पी0 श्रीवास्तव	लखनऊ

टसर योजना के विस्तार के लिए वर्ष 1971-72 में नैनीताल, अल्मोड़ा, टेहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल के लिए कुल 4 निरीक्षकों के पद सृजित किये गए थे। चूंकि इसी काल में मिर्जापुर जिले में चल रही टसर योजना शासन द्वारा बन्द कर दी गई थी अतः इस योजना के अन्तर्गत निरीक्षक के पद पर कार्यरत सर्वश्री एम0 यू0 खान तथा राम नजर प्रसाद को उक्त सृजित पदों पर क्रमश. ज्योलीकोट, नैनीताल व कसौली, अल्मोड़ा में नियुक्त किया गया है तथा रेशम योजना के अन्तर्गत कार्यरत श्री एम0 पी0 शर्मा को उक्त पद पर टेहरी गढ़वाल में स्थानान्तरित किया गया है।

शेष एक पद पर लोक सेवा आयोग की संस्तुति प्राप्त होने पर उपयुक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति कर दी जायगी।

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0—307 एल ए0—1973—835।